खण्ड-373, अंक-3
बुधवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(4 सितम्बर, 1985 ई0)

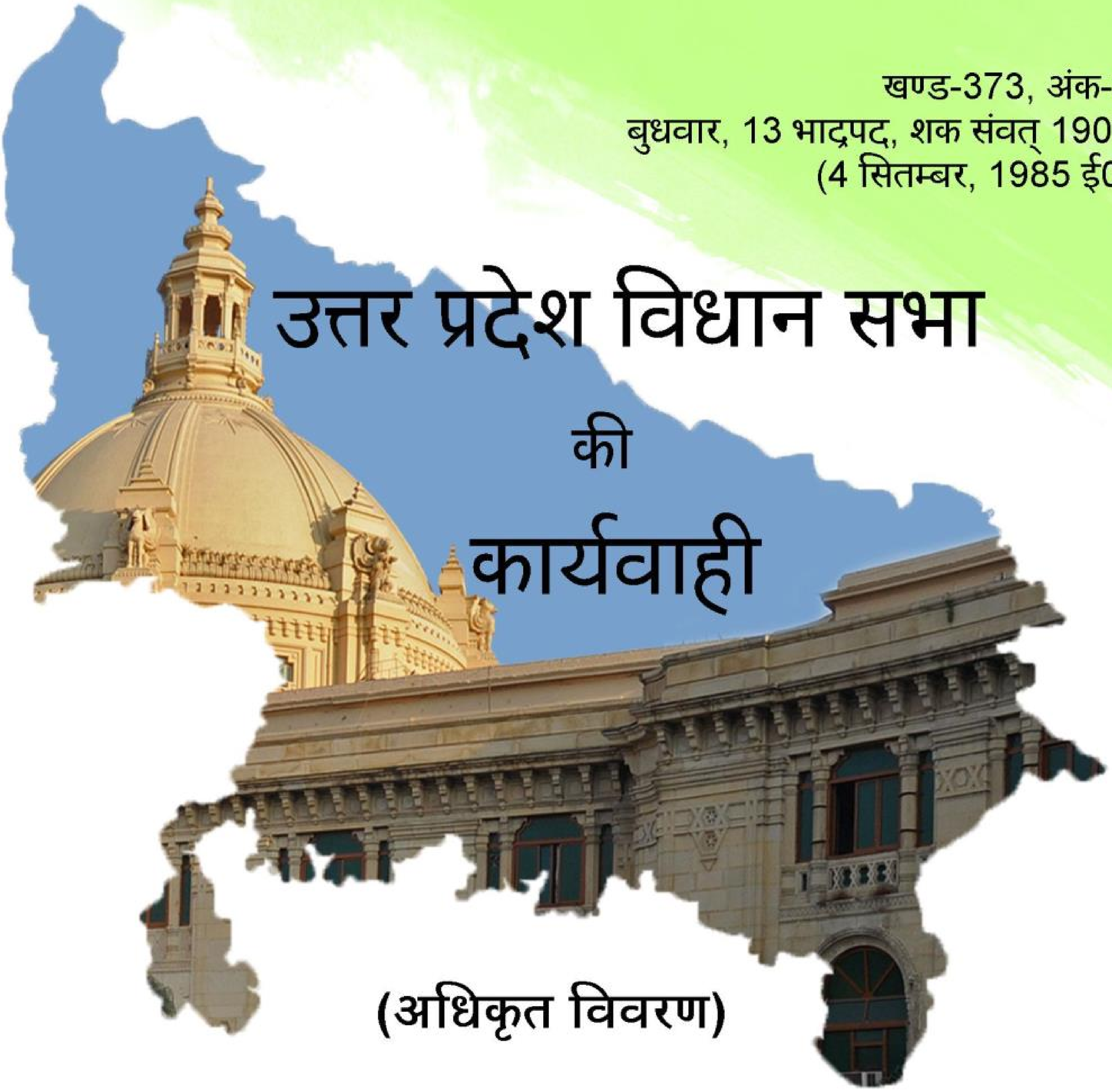

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 373 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष के नामांकन का समय 12 बजे से बढ़ाकर अपराह्न 4 बजे तक कर दिये जाने का प्रस्ताव	2
प्रश्नोत्तर	3–34
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	34–35
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	35
इटावा, जनपद बस्ती में हैज़े के प्रकोप का उपचार व्यवस्था शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
शिक्षा विभाग, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद उन्नाव में जल भराव एवं गन्दगी से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
फतेहपुर जिले की पुरानी कचहरी के समीप स्थित मस्जिद में पी0ए0सी0 द्वारा नमाज पढ़ने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37
टाउन एरिया गोकुल, महावन मथुरा में व्याप्त गन्दगी एवं अव्यवस्था से तीर्थयात्रियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
थाना इन्चार्ज कुमारगंज, फ़ैजाबाद द्वारा ग्राम पूरे बख्तावर (फुन्दूनपुर) सुल्तानपुर के श्री राम नवल पुत्र श्री राम प्यारे की गर्भवती पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
कस्बा औरैया जनपद इटावा में अस्पताल की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
नरैनी, बांदा में सहकारी सहायता के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38
बाराबंकी बहराइच सीमा पर कृषकों को घाघरा नदी के कटान से खाली जमीन पर ए0आर0ओ0 द्वारा फर्जी कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
मेसर्स क्वालिटी ट्यूब फ़ैक्ट्री प्रा0 लि0 बिन्दकी रोड, फ़तेहपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
नौगढ़, जनपद बस्ती में कतिपय गांवों को उजाड़ने हेतु सुपरवाइजर कानूनगो तथा लेखपाल द्वारा पैमाइश किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39–40
मुजफ्फ़रनगर में विद्युत् आपूर्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0 एन0 तिवारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	40
गंगा और रामगंगा नदियों में बाढ़ से मुरादाबाद के कतिपय गांवों की तबाही होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40–41

विषय	पृष्ठ संख्या
बरेली महानगर के विकास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा घोषित धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
आगरा जनपद के कतिपय गांव में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत किये गये कार्यों में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	41–42
श्रीमती प्रकाशवती पाल की तरफ़ से न्यायिक मामलो में शासन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
बरेली में रबर फ़ैक्ट्री में गैस के रिसाव से मजदूरों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
फ़ैजाबाद जनपद के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
फ़िरोजाबाद, आगरा में सूखा राहत कार्य की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
मुहल्ला खोजनीपुरा, फ़ैजाबाद में बम विस्फ़ोट की घटना से संबंधित दोषी व्यक्तियों को दंडित न किये जाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
भरथना इटावा के अहनैया नदी में जल फ़ैलाव होने से जनता में तबाही होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
फरेन्दा, गोरखपुर में बाढ़ के प्रकोप से बचने हेतु कूड़ा नदी पर बांध बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
नियम 301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिये जाने की मांग	44–45
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	45
सत्र के दौरान परिवहन मंत्री राजकुमार संजय सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	45–49
अधिकारियों एवं मन्त्रियों द्वारा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग एवं फिजूलखर्ची के संबंध में औचित्य का प्रश्न	49–50
श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, प्रवक्ता मेरठ कालेज, मेरठ द्वारा लिखित पुस्तक 'दयानन्द गाली पुराण" एवं 'गीता स्वरुप निर्णय' के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	50–52
केन्द्रीय मन्त्री श्रीमती मोहसिना किदवई द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनी कार में उल्टा लगाये जाने तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भी अपनी कारों में ध्वज लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	52
रामनगर, वाराणसी में श्री यदुनाथ सिंह के आतंक वादियों द्वारा गंगा नदी में डुबाने के षड़यन्त्र को शासन के संज्ञान में लाने पर भी उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53–55
मन्त्रियों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी बाढ़ से घिरे बहराइच जिले के मुंसियारी गांव में घरों की पुनः जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55–56
आगरा जनपद के थाना फतेहपुर सीकरी में पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ से विधायक श्री बदन सिंह के ऊपर हुये प्राणघातक हमले के विरुद्ध शासन के आश्वासन के बावजूद भी सख्त कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	56–58

विषय | पृष्ठ-संख्या

केन्द्रीय कक्ष, विधान भवन में अनधिकृत लोगों के प्रवेश से असुविधा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 58–60

औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के महाधिवक्ता द्वारा पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 60

विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबंध सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना 64

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 60

जनपद शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उखरो के भवन निर्माण तथा रामगंगा व बहगुल नदियों पर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) .. 61

जनपद बस्ती में डुमरियागंज को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 61

जनपद फर्रुखाबाद में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, बद्रीविशाल डिग्री कालेज, फतेहगढ़ में विज्ञान कक्षायें खुलवाने तथा फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित एक फैक्ट्री स्थापित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) .. 61

बरेली जनपद के चन्दपुरी बिजपुरी मार्ग पर नकटिया नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 61

जनपद आगरा में दरी कलीन उद्योग के विकास हेतु एक दरी कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने तथा यमुना पर क्षेत्र में गर्ल्स इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 61

कार्य सूची में आये हुए सभी संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने की मांग 62

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों को धन आवंटित करने की केन्द्रीय सरकार से मांग का संकल्प (जारी) 62–74

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित) .. 74–78

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण') विधेयक, 1985 (पारित) .. 78–87

काशीविद्यापीठ के अध्यापकों पर हुए हमले के सम्बन्ध में चर्चा .. 87–102

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रदेश में विदेशी एजेंसियों द्वारा जारी नोटों को छापे जाने की बात अपने भाषण में कहे जाने पर आपत्ति 102–117 117–119

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के पदों पर चयन में धांधली के सम्बन्ध में चर्चा 119–136

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कानून बनाये जाने का अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव .. 136–138

सदन में गणपूर्ति का अभाव होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 138–139

नत्थियां 140–145

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 4 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठकर सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान श्री,	बिजनौर
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर
कल्यान सिह, श्री	अलीगढ़
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जय नरायण शर्मा, श्री	मेरठ
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिह, चौधरी	कानपुर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
बल्देव सिह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बहादुर सिह, श्री	आगरा
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
महेन्द्र प्रताप सिह, श्री	इलाहाबाद
मानपाल सिह एडवोकेट, श्री	एटा
मूलचन्द, श्री	बलिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद हयात हाजी	मुरादाबाद
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राम गोन्विद चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बक्श सिह, श्री	बाराबंकी
राम रतन सिह, श्री	सीतापुर
राम बिशुन आजाद, श्री	देवरिया
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री	मुरादाबाद
शौनाथ सिह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
संजय सिह, राजकुमार	सुल्तानपुर
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिह श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

नोट—श्रीमती पद्मा सेठ नगर विकास राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष नामांकन का समय 12 बजे से बढ़ाकर अपराह्न 4 बजे तक कर दिये जाने का प्रस्ताव

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 की धारा 9 को निलम्बित करके उपाध्यक्ष के नामांकन का समय 12 बजे तक के बजाय अपराह्न 4 बजे तक कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 9 को इस सीमा तक निलम्बित कर दिया जाय कि मा0 उपाध्याय के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र आज मध्याह्न के बजाय आज शाम 4 बजे तक दाखिल किये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा चुनाव से भागने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है । मुझे भय है और हमारे बहुत से साथी स्पष्ट कहते हैं कि चुनाव टलेगा और यह जो नामांकन का समय बढ़ाया गया है, यह संकेत करता है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं नेता, विरोधी दल से और नेता, सदन से कि जिस चुनाव की प्रक्रिया से चुनकर आये हैं, उसी प्रक्रिया से भागेंगे तो कैसे जनतंत्र चलेगा यह चुनाव होने दीजिए, नामांकन जिसको भरना है भरने दीजिये । जब अभी तक नेताओं ने नहीं तय किया है तो अब क्या तय करेंगे अगर यह नहीं करेंगे तो नामांकन दाखिल कराऊंगा और चुनाव कराऊंगा । (श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के उपरान्त भी समस्त देयों की वसूली

**1—श्री निहाला सिंह, श्री राज बहादुर तथा श्री राजकिशोर सिंह——

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जनपद इस वर्ष भीषण सूखे के चपेट में है जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने स्वयं रेडियो एवं समाचार-पत्रों में की थी और समस्त वसूली भी स्थगित कर दी थी किन्तु शीघ्र ही अपने पिछले बयान का खंडन किया और वसूली पूरी सख्ती के साथ करने का आदेश दिया ? इस प्रकार के दो तरह के आदेश देने का क्या अभिप्राय है ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)——

जनपद वाराणसी इस वर्ष सूखे की चपेट में था और रबी की फसल को लगभग 25 प्रतिशत क्षति भी हुई परन्तु भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली स्थगित करने के कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिये गये थे। अतः वसूली की कार्यवाही नियमानुसार होगी। परस्पर विरोधी व दो तरह के आदेश नहीं दिये गये।

श्री निहाला सिंह——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह रबी की फसल पर सूखे का मोड़ दे दिया उत्तर में। प्रश्न यह है कि सूखा ऐसा पड़ा कि पीने का पानी भी नहीं रह गया। ज्ञानपुर तहसील में और सरकार गांव-गांव में हैण्ड-पम्प लगवाने की व्यवस्था कर रही थी। ऐसे समय में वसूली जिस तरीके से वहां शुरू की गयी, ऐसा नजारा 1942 के आन्दोलन में देखने को मिला था। ब्रिटिश सरकार के समय में लोग पकड़े जाते थे, पिटवाये जाते थे, जेलों में बन्द किया जाता था। क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गौरी शंकर——

मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जेड0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट की धारा 293 के प्रस्तर—4 में यह स्पष्ट ही प्राविधान है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से, यदि वह उचित समझते हैं तो वहां पर वसूली को 3 महीने के लिये स्वयं भी स्थगित करने का अधिकार रखते हैं। इस स्थिति में यदि किसी जनपद से सूचना आती है तो तीन महीने तक अधिकार उनको है और अगर इससे आगे कोई बात होती है तो वह प्रदेश शासन को भेज दिया जाता है। यहां जो यह कहा गया कि राहत कार्य में कोताही हुई तो ऐसी बात नहीं है। यदि कहीं पर सख्ती से वसूली का कोई मामला है तो आप उसे शासन के संज्ञान में ले आयें तो उसे देख लिया जायेगा।

श्री देव कुमार यादव——

मान्यवर, खाली वाराणसी में ही नहीं बल्कि और भी प्रदेश के 26 जिलों को शासन ने सूखाग्रस्त घोषित किया था और कर्जों की वसूली के स्थगन के समाचार भी समाचार-पत्रों में छपे थे। लेकिन वसूली किये जाने से उन सारे जिलों में गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं क्या आप वहां के लिये वसूली के स्थगन के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर——

जनपदों से सब सूचना आयी थी उनमें से केवल आठ जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा सूचना भेजी गयी थी कि यहां भू-राजस्व की वसूली तथा कृषि के अन्य देयों की वसूली को स्थगित कर दिया जाय जहां तक और जनपदों की बात है तो जब जनपदों से

सूचना आती है उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस वक्त सूखा पड़ा और वाराणसी सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, उस वक्त केन्द्रीय सरकार की ओर से एक अध्ययन मण्डल वाराणसी और अन्य जिलों में गया था तो उसकी रिपोर्ट क्या थी ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वाराणसी में 1,204 गांवों में 2,19,048 हेक्टेयर रबी के क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा के कारण फसल सूखा से प्रभावित हुई। वर्षा के अभाव में 1,80,000 जनसंख्या प्रभावित हुई और गेहूं, चना और दाल आदि में 25 परसेंट की क्षति हुई। जब 50 परसेन्ट से अधिक क्षतिग्रस्त फसल होती है तभी हम वसूली को स्थगित करते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जब कभी दैवी आपदा आती है तो वसूली स्थगित कर दी जाती है। क्या माननीय मन्त्री जी अपने आदेशों के आधार पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने पर विचार करेंगे कि जब आप वसूली को स्थगित करते हैं तो जो देय होते हैं उन पर ब्याज बढ़ जाता है तो यह जो ब्याज देय हो उसे सरकार अपने खजाने से पूरा करने की कृपा करेंगे और दूसरी बात कि जब दुबारा वसूली होती है तो वह पुलिस लगा कर होती है, तो पुलिस को हटा कर वसूली करने पर क्या आप विचार करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

सम्मानित सदस्य बस्ती ने जो प्रश्न उठाया है वह अवश्य विचारणीय है। लेकिन इसमें कठिनाई भी है जो कि मैं सम्मानित सदस्य के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो देय हैं और मांग आती है और जनता के अपेक्षा जो होती है, वह कई प्रकार की होती है। लगान के अलावा दूसरे भी देय होते हैं, सहकारिता के देय राजस्व के अलावा बैंकों के देय होते हैं। आप जानते हैं कि अकेले अगर लगान होता तो ज्यादा शिकायत न होती, क्योंकि उसकी धनराशि बहुत कम होती है, लेकिन जो बैंकों का ऋण लेते हैं, वह अखिल भारतीय नीति के अन्तर्गत दिया जाता है, वह नीति अखिल भारतीय होती है, जिसको रिजर्व बैंक तय करता है। वह किसी जिले या प्रदेश के दृष्टिकोण से नहीं तय की जाती है। एक सुविधा रहती है कि अल्पकालीन ऋण जो है, उसको दीर्घ कालीन ऋण में बदलने की सहूलियत होती है। इस तरह से जो बैंकों का ऋण होता है, उनमें यह सुविधा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष--

मा0 यदुनाथ सिंह जी आप बैठें, नेता सदन बोल रहे हैं।

श्री नारायन दत्त--

मैं आग्रह करूंगा कि जहां तक बैंकों और सहकारी ऋणों का सवाल है, क्या अल्प कालीन ऋण को दीर्घ कालीन ऋण या मध्य कालीन ऋण में बदलने की संभावना के अनुसार कार्य किया जाये। श्रीमन्, अल्प कालीन ऋण को मध्य कालीन ऋण में बदला जाये, यह मेरा प्रयास होगा।

श्री यदुनाथ सिंह--

जैसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा, 57 जिलों में जिस प्रकार से सूखा पड़ा हुआ है, उसका ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया। मान्यवर, मिर्जापुर में एक लीटर पानी का दाम दो रुपया है, सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं यह सरकार निकम्मी है, जिसके कारण कोई, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह ठीक से योजनायें नहीं बनाते हैं, जो लिफ्ट कैनाल की योजनायें हैं, वह पानी नहीं देती है। मिर्जापुर में घोर सूखा पड़ा हुआ है, 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र प्रभावित है तो मैं जानना चाहता हूं कि सूखा ग्रस्त इलाकों के लिये सरकार की सूखे की स्थाई योजना क्या है?

श्री अध्यक्ष--

कोई योजना है, मा0 सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर--

अभी मैंने निवेदन किया कि शासन की नीति है और जो फसल सूखे से प्रभावित होती है, वहां पर हम राहत का कार्य सुनिश्चित करते हैं और उसी हिसाब से उसकी व्यवस्था की जाती है। मान्यवर, अभी वाराणसी का प्रश्न किया तो मैं बताना चाहता हूं कि चकिया तहसील में नौगढ़ विकास खंडों मे 8 गावों में टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की गयी, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिये तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न को मैंने कई बार उठाया है मिर्जापुर में 75 प्रतिशत से भी अधिक सूखा है और वहां पर जो कलेक्टर हैं नागेश्वर उपाध्याय, उनको वहां पर लोग नकद नारायण उपाध्याय कहते हैं ऐसे कलेक्टर से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, वाराणसी जनपद में 25 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हुई है मैं जानना चाहता हूं कि वाराणसी में कान-कौन से इलाके हैं जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, और इन इलाकों जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है वहां, पर वसूली को स्थगित न करने का कारण क्या है। और वह गांव कौन कौन है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जुलाई में वहां पर साधारण वर्षा से अधिक वर्षा हुई और अगस्त में साधारण वर्षा से कम वर्षा हुई। अर्थात जुलाई में पानी ज्यादा था लेकिन अगस्त में कम वर्षा हुई जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। चकिया तहसील में 30 प्रतिशत से कम वर्षा हुई। चकिया तहसील में 7580 हैक्टेयर भूमि बिना बोयी रह गयी और ज्ञानपुर तहसील में 13003 हेक्टेयर क्षेत्र बोया नहीं जा सका। तो सूखा और अतिवृष्टि से यह नुक्सान हुआ। भू-राजस्व तथा अन्य कृषि देयों की वसूली में उत्पीड़न कार्यवाही न करने के आदेश जिलाधिकारी को दिये गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, पुनः सवाल करने दीजिए।

(व्यवधान)

यह तो केवल सदन को गुमराह करना है। इनके पास कौन सी ऐसी मशीनरी हैं जिससे यह सूखा कहते हैं। मिर्जापुर में आज तक 15 दिन से कितनी वर्षा हुई है ?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, प्रश्न की परिधि केवल वाराणसी जनपद है।

श्री यदुनाथ सिंह--

वाराणसी जनपद को किस आंख से देखते है केवल कलेक्टर की रिपोर्ट को पढ़ दिया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ जी, आप बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह--

यह प्रदेश सरकार सूखा और बाढ़ के प्रति पूरी तरह से निकम्मा है, यह नारायन दत्त तिवारी की जिम्मेदारी है।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उन लोगों का वसूली स्थगित हो जाता है और जिन पर वसूली नहीं होती है उस पर जो तहसील वसूली करता है 10 फीसादी पर कलेक्शन चार्ज लग जाता है तहसील से। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि यह 10 फीसदी चार्ज उन पर न लगे ?

श्री गौरी शंकर--

सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई विलम्ब होता है तो उसके बाद 10 प्रतिशत वसूली का प्राविधान है लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब कोई दैवी आपदा हो तो उसको स्थगित कर दिया जाता है, माफ नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शासन की नीति है उस नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो माननीय सदस्य उसको बता दें।

प्रदेश के किसानों पर भू-राजस्व बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर जानकारी की मांग

**2--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों की जोतों का भू-राजस्व (लगान) बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है? यदि नहीं, तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि इस सत्र के सत्रावसान के बाद सरकार द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जायगा ?

श्री गौरी शंकर--

जी नहीं। भू-राजस्व के बन्दोबस्त कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसका आधार यही है कि प्रदेश में गत 40 वर्षों से कोई बन्दोबस्त नहीं कराया गया है जबकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 252/253 में 20 वर्ष के बाद किसी भी समय बन्दोबस्त कराये जाने का प्राविधान है।

यथासमय विधिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय राजस्वमंत्री जी के उत्तर के संदर्भ क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भू-राजस्व का प्रस्तावित बन्दोबस्त में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 264 सब क्लास 2 के तहत जनपद में जिसकी कीमत एक रुपया आंकी गयी है उसकी एक एकड़ की भूमि की कितनी कीमत मानकर उसके कितने प्रतिशत भू-राजस्व के रूप में प्रस्तावित करने का सरकार का इरादा है और कितना बाकी जोत को भू-राजस्व से मुक्त करने का इरादा है ?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य फैजाबाद ने जो प्रश्न उठाया है उसके संदर्भ में निवेदन करना है कि बन्दोबस्त किसान के साधारणतया हित में होता रहता है। चकबन्दी कानून के बाद बहुत सी कठिनाइयां भी सामने आईं, उनको दूर किया गया। उसकी जो ऐतिहासिकता रही है। उसी दृष्टिकोण से और श्रीमन्, सम्मानित सदस्य जो भू-राजस्व कानून के बड़े जानकर हैं, भलीभांति अवगत हैं। सदन में भी इसके बारे में चर्चा होती रहती है। बन्दोबस्त किये जाने के संबंध में साधारणतया इस सदन की सद्भावना रहती है, उसी दृष्टिकोण से यह बन्दोबस्त की बात की गई है कि वह किस तरह से होगा, उसका क्या निर्धारण होगा। यह सब काम वही है जो बन्दोबस्त आयुक्त अलग-अलग स्थानों पर बन्दोबस्त करते हैं कि किस तरह से उसका लगान निर्धारित होगा, क्या रेट होगा। यह वही है जो सेटिलमेंट आफ राइट्स में आता है। चकबन्दी की जो सिफारिश है, क्या उसका उपयोग इस काम में किया जा सकता है या नहीं, यह देखा जा रहा है। उसे हम कानून के हिसाब से करेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न की बात है, मैंने इस संबंध में अपने बजट भाषण में भी निवेदन किया था--पृष्ठ, 33 पर। उसमें मैंने कहा था कि भू-राजस्वीय अधिकार भविष्य में जिला परिषदों या क्षेत्र समितियों के कानूनी दायित्व के अन्तर्गत साधन के बतौर जिला योजना व ग्रामीण विकास के लिये उपलब्ध रहे, यह सदन के आशीर्वाद से हमारी चेष्टा होगी। इसका अर्थ यह है क्षेत्र समितियों का जो कानूनी अधिकार हैं, जिला परिषदों को जो अधिकार हैं, जो हमारी बुनियादी कमी रही है कि जहां हम स्थानीय निकायों को, ग्राम सभाओं को, क्षेत्र समितियों को महत्व देते हैं लेकिन उन्हें संसाधन नहीं देते हैं। इसका असर यह होता है कि वे हमारे ऊपर आधारित

रहते हैं। जो कार्यकर्ता वहां पर होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जनमत कुंठित हो जाता है। हम चाहते हैं भविष्य में लगान न बढ़े लेकिन दूसरी ओर उन्हीं से इसे वसूल करके उन्हीं के ऊपर इसे लगायें। ऐसा प्रस्ताव करेंगे। इस प्रकार जहां-जहां जिला परिषदें चाहेंगी, वहां पर लगान एकत्र करके उन्हीं को देदेंगे ताकि उनके लिये हम संसाधन जुटा सकें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि 400 करोड़ रुपये के नये टैक्स किसानों के ऊपर लगाया जायेगा भू-राजस्व के रूप में? इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आपके पास विचाराधीन है, यदि है, तो वह क्या है?

श्री नारायन दत्त--

श्रीमन्, 400 करोड़ रुपये की कोई धन-राशि किसानों से वसूल की जायेगी, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया और बजट में भी भू-राजस्व के विषय में मैंने कहा कि हमें संसाधन जुटाने हैं। विभिन्न कार्य कराये जाने के लिये कितनी मांगें होती हैं लेकिन हमारे संसाधन सीमित हैं। हमें जनमत को थोड़ा सा इस प्रकार से करना चाहिए, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, यदि संसाधन नहीं हैं तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। यह बड़ा नाजुक मामला है। हमें संतुलन भी बनाये रखना है। यदि असन्तुलन हो जायेगा तो कठिनाई हो सकती है।

श्री मित्रसेन--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब से दो प्रश्न पैदा हो गये हैं। एक तो यह है कि मुख्य मंत्री जी भू-राजस्व बढ़ाने के मामले में साधारणत: सहमत हैं।

अगर बढ़ा रहे हैं तो कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं और क्या उसे वसूल करके गांव सभाओं को देंगे? अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहां क्या उसे स्पष्ट करेंगे?

श्री नारायन दत्त--

मैंने श्रीमन्, स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के बजट में अपने संसाधनों के लिए भू-राजस्व बढ़ाने के लिए हमारा यह प्रस्ताव है अगर जिला और स्थानीय निकाय चाहती है कि उनके संसाधन बढ़ें, जिला योजना के लिए, ग्रामीण योजना के लिए तो उस प्रस्ताव पर हम उनकी ओर से वसूल करके उन्हीं को दे देंगे?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में राजस्व मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार एक्ट की धारा 252, 253 के अन्तर्गत भू-राजस्व का बंदोबस्त कराये जाने का विचार है, तोउसके तहत मैंने सवाल किया सेक्शन 264 में साफ है कि इस तरह से जब भू-राजस्व का सैटिलमेंट होगा तो उसमें जो इस्टीमेंटेड एवरेज का सरप्लस प्रोड्यूस होगी उसमें आर्डिनरी इक्सपेंसेज को निकाल करके तब उसके आधार पर भू-राजस्व का दुबारा बन्दोबस्त होगा। 252, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो धारा 253के तहत आपका प्रस्ताव है उसमें निश्चित जानकारी इस सदन को कराये कि क्या आधार होगा सबसे ऊंची मालियत की जमीन पर कितनी कीमत मान कर कितना प्रतिशत भू-राजस्व प्रस्तावित कर रहे हैं और उससे कम कैटैगरी की जो मिलकियत होंगे उनके लिए क्या आधार होगा?

श्री नारायन दत्त--

अभी तो बन्दोबस्त कराने का सिद्धांतत: सदन से आशीर्वाद मांगा गया है। जब बंदोबस्त होगा, बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त हो जायेगा तो बन्दोबस्त के सिद्धांत सामने आयेंगे। जो सम्मानित सदस्य सुझाव देंगे मैं तो प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में वे अपने सुझाव भेजें जिससे हम लाभान्वित होंगे।

(नत्थी ख प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सरकार भू-राजस्व बढ़ाने जा रही है इसके विरोध में हमारा दल वाक आउट करता है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारीजी ने जो सवाल उठाया और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार किसानों का भू-राजस्व बढ़ाने जा रही है। तो मेरी बजट स्पीच में राय थी कि आप सैल्स टैक्स का जो बकाया है उसे वसूल करें, तथा जो बड़े-बड़े लोगों पर पैसा बकाया है उसे वसूल करे। मेरा सरकार पर आरोप है कि यह सरकार पूंजीपतियों का समर्थन करने वाली है और किसानों की विरोधी है। इसलिए मैं भी इस सवाल पर सदन का अपने दल के साथ त्याग करता हूं।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष--

(श्री बदन सिंह के आने पर) माननीय बदन सिंह जी आप तो वाक आउट कर गये थे। आपका नम्बर गया।

श्री बदन सिंह--

मैं आ गया हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं भी भू-राजस्व बढ़ाने के प्रश्न पर अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, हमारी पार्टी भी सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में सदन का त्याग करती है।

(श्री राजकिशोर सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री कौशिक रमा शंकर--

हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री कौशिक रमा शंकर भी सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पाण्डेय नहीं हैं, श्री अनुग्रह नारायण सिंह नहीं हैं।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं आ गया हूं।

श्री प्रमोद कुमार--

आप भी पार्टी का अनुशासन मानिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की नदियों द्वारा कृषि भूमि के कटानों को रोकने हेतु कथित योजना

*1--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नदियों द्वारा प्रदेश की कृषि भूमि के कटानों को रोकने के लिए कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैंने सवाल पूछा था कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की नदियों द्वारा प्रदेश की कृषि भूमि के कटानों को रोकने के लिये कोई योजना विचाराधीन है यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है। पहले प्रश्न का जवाब है, जी नहीं। दूसरे भाग का है प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं। कहां पर कटान हुआ है और कहां पर नहीं, यह बताना संभव नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जहां कटान ज्यादा होता है, वहीं मैं भी रहता हूं और मंत्री जी भी रहते हैं। बड़े पैमाने पर, मुख्य रूप से घाघरा और राप्ती नदी के द्वारा हमारे यहां जमीन का कटान हो रहा है। माननीय मंत्री जी यह भी जानते हैं कि केवल कृषि योग्य भूमि का ही कटान नहीं होता है, बल्कि हजारों गांवों का भी कटान हो जाता है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी कोई स्थाई योजना बनाने पर विचार करेंगे ताकि भविष्य में कृषि योग्य भूमि व गांवों का कटान न होने पाये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, स्थाई योजना तब बनाई जाती है जिस काम को हम कर सकें। हमारे प्लान परिव्यय में बहुत कम पैसा होता है। इसलिए हम कम पैसे लगाकर अधिक जमीन को बचाना चाहते हैं और आबादी को अधिक सुविधा देना चाहते हैं। इस काम को हम करते हैं। कटान का काम ऐसा है कि हर साल इसमें लाखों रुपया लगता रहता है। हम तो स्वयं चाहते हैं कि जमीन को बचाया जाय भारत सरकार ने 1981-82 में एक गाइड लाईन दी थी, जिसमें कटान के कार्यों और उनकी प्राथमिकताओं को लिखा गया है। प्राथमिकताओं में शहरों को बचाया जाय, औद्योगिक क्षेत्रों को बचाया जाय, घनी आबादी वाले कस्बों को बचाया जाय, रेलवे लाईन व सड़कों को बचाया जाय। जहां तक गांवों को बचाने की बात है हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं जैसे गंगा, सरयू, राप्ती, रेहन, बड़ी गण्डक, छोटी गण्डक आदि कई नदियां हैं। जैसे बुन्देलखंड में केन व सोन नदी हैं, जिनसे कटान होता है। जितना पैसा हमको मिलता है, उस हिसाब से हम कटान से बचाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे तो अच्छा ये है कि जितना काम हम कर लें, उतनी ही योजनायें हम बनायें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उन्हें वह जवाब नहीं देना चाहिए था प्रतिवर्ष इस कटान से हजारों गांव उजड़ते चले जा रहे हैं और बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपया जो मिलता है, उसका दुरुपयोग होता है। जितना रुपया हर साल खर्च होता है, मेरा सुझाव है कि आप एक साल में एक नदी को ले लीजिए और उसके लिये एक परानेन्ट योजना बना लीजिए और अगले साल दूसरी नदी को ले लीजिए। यदि आप यह कहें कि पैसा नहीं है तो फिर आप मंत्री किस बात के हैं, आप सरकार में क्या हैं। इस कटान की वजह से आपके रेवेन्यू में कमी हो रही है और पैदावार में भी कमी आ रही है। आप इस पर कोई योजना बनाने के लिए अवश्य विचार करें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, श्री राम सरन जी ने जो कहा, अगर उसे मान ल तो वह हो नहीं सकता। मैंने बताया कि कम पैसे में हम ज्यादा जमीन को बचाना चाहते हैं और लोगों को अधिक सुविधा देना चाहते हैं।

तो हम प्राथमिकता पर लेते है कि कौन काम करने से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं यदि हमारे पास धन होगा तो कोई काम किया जा सकता है, यह धन मिलने पर संभव होता है।

बस्ती जनपद की बांसी तहसील में चंवर ताल पानी निकासी हेतु फजिहतवा नाले की खुदाई।

*2—श्री सुखपाल पाण्डे (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी तह0 में चंबर ताल नाम के जलाशय से जल निकासी का साधन फजिहतवानाला पट जाने के कारण चंबर ताल में बराबर जल जमाव रहता है जिसके कारण पास पड़ोस के 16 ग्रामों की लगभग चार हजार खेती योग्य जमीन पानी में डूबी रहती है और रबी की फसल भी बोई नहीं जा पाती और जल जमाव आज भी है ? यदि हां, तो सरकार जल जमाव को खत्म करने के लिए क्या उपाय सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत चंवर ताल में जल जमाव के कारण 16 ग्रामों की चार हजार एकड़ भूमि नहीं बल्कि दस ग्रामों की 1054 एकड़ भूमि वर्तमान समय में

रबी की बुआई के समय पानी में डूबी रहती है जिसके कारण रबी की खेती नहीं हो पाती है। फजिहतवा नाला चंवरताल से निकलकर 12 कि0मी0 की लम्बाई में बहता हुआ बूढ़ी राप्ती में ककरही/गोनहा बांध के कि0 मी0 1.8 पर बने रेगुलेटर के द्वारा गिरता है। पहले यह नाला 22.4 कि0मी0 की लम्बाई में था एवं राप्ती नदी में जल निकासी होती थी। चंवरताल से 9 कि0मी0 पर नाले में एक कट लगाकर रेगुलेटर के द्वारा पानी बूढ़ी राप्ती में गिरता है 9 कि0मी0 से 22.4 कि0मी0 तक यह नाला लगभग पट गया है। राप्ती नदी के बैकवाटरिंग के कारण इस लम्बाई के हिस्से में हमेशा सिल्टिंग के कारण नाले के पटने की प्रवृत्ति रहती है। अतः इसको खोदने से भी लाभ होने की संभावना नहीं है। कुल प्रभावित 10 ग्राम की 3749 एकड़ भूमि, पहले जलमग्न रहती थी ककरही गोनहा बांध में रेगुलेटर बना देने से 2695 एकड़ भूमि वर्तमान समय में रबी के लिये उपलब्ध हो जाती है। इस तरह केवल 1054 एकड़ भूमि जलमग्न रहती है। फजिहतवा नाले के सफाई की योजना, जो पट गया है, तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। इस नाले में राप्ती नदी का पानी बायें तट से स्पिल करके जल जमाव की समस्या उत्पन्न करता है तथा इसके अतिरिक्त परासी नाले का पानी भी इस ताल में आकर जल जमाव की समस्या पैदा करता है।

इस जल जमाव की समस्या का समाधान राप्ती नदी के बायें तट पर लगभग 35 कि0 मी0 की लम्बाई में बांसी-डुमरियागंज बांध जो तकनीकी सलाहकार समिति की 68 वीं बैठक में रुपया 327.34 लाख की लागत से स्वीकृत है, निर्माणाधीन है तथा वर्ष 84-85 में लगभग 2.50 कि0मी0 की लम्बाई में कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है, के बन जाने एवं डुमरियागंज से साहबगंज तक सहाबगंज-शाहपुर बांध/लम्बाई लगभग 36 कि0मी0, जिसका सर्वेक्षण कार्य अनुसंधान एवं नियोजन खंड, गोण्डा द्वारा किया जा रहा है, के बन जाने से राप्ती नदी के स्पिल का पानी फजिहतवा नाला एवं परासी नाले में नहीं आयेगा।

प्रदेश की बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को चलाये जाने की मांग

*3—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष से कितनी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं? इन मिलों की बंदी से कितने मजदूर बेकार हो गये हैं और क्या शासन इन बन्द कपड़ा मिलोंको शीघ्रातिशीघ्र चलाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या इस कदम में इन कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करना शामिल है?

उद्योग राज्य (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)—

उत्तर प्रदेश में विगत एक वर्ष से एक कपड़ा मिल बन्द पड़ी है जिससे लगभग 950 मजदूर बेकार हुए हैं। शासन द्वारा इस बन्द कपड़ा मिल को कतिपय सुविधायें उपलब्ध कराकर उसके वर्तमान मालिकों द्वारा ही चलाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कपड़ा मिल का अधिग्रहण करना प्रस्तावित नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं उद्योग मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस कारण से कौन-कौन कपड़ा मिलें बंद हैं और सरकार उनको चलाने के लिये क्या प्रयास कर रही है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मान्यवर, मेसर्स मोदी टैक्सटाइल लिमिटेड की एक यूनिट बन्द है जो कपड़ा बनाती है। इसको चलवाने के लिये प्रयास किये जा रहे जो हमारे सीमित संसाधन हैं, जो सामान्य नीतियां हैं उसके अनुसार इसको चलवाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या प्रयास कर रहे हैं? स्पष्ट बतायें और यदि प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं तो उसका अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी—

मान्यवर, जून 1984 में भारत सरकार एक वर्किंग ग्रुप बना था जो पूरे देश और प्रदेश में इस बात की जांच कर रहा है कि

कितनी यूनिटस बीमार और बन्द हो गयी हैं और उनके लिये यह प्रस्ताव कि उनकी वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, भारत सरकार उनको सहायता दे और प्रदेश सरकार सहायता करे, तो जो कर सकते हैं, वह करेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

बीमार मिलों के विषय में केन्द्रीय दल की जांच चल रही है क्या मोदी की मिल बन्द है वह बीमार की श्रेणी में आती है कि नहीं?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

बीमार की श्रेणी में आती है।

[तारांकित प्रश्न

[दिनांक 4 सितम्बर, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ताज महल की सुरक्षा हेतु मथुरा रिफाइनरी से उत्पन्न बाई प्रोडक्ट को अन्यत्र भेजा जाना।

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या उद्योग मंत्री जी की जानकारी में है कि ताजमहल की सुरक्षा हेतु रिफाइनरी मथुरा से उत्पन्न बाई प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं हो पा रहा है और बाई प्रोडक्ट्स को दूर भेजना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या शासन बाई प्रोडक्ट्स के उपयोग के लिए पट्रोकैमिकल फर्टीलाइजर तथा अन्य कारखानें को कोसीकलां अथवा बाजना में खुलवाने के लिये केन्द्र से संस्तुति करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मथुरा रिफाइनरी द्वारा अनेक उत्पाद बनाये जाते हैं जिनमें से अधिकतर सीधे बाजार में बिक्री हेतु भेजे जाते हैं। केवल सलफर, भारी पेट्रोलियम स्टाक तथा नेप्था देश के अन्य भागों में अग्रिम प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह उत्पाद देश के अन्य स्थानों पर माना ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु भेजे जाते हैं।

सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि मथुरा रिफाइनरी उत्पादित वस्तुओं पर आधारित इकाईयां उ0प्र0 में ही उपयुक्त स्थान पर लगायी जाए। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप विभिन्न स्थलों के परीक्षण के बाद सलेमपुर जिला अलीगढ़ में नेप्था पर आधारित एक एरोमैटिक्स काम्पलेस की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है किसी भी परियोजना की स्थापना पर निर्णय लेते समय बाजना अथवा कोसी कला की उपयुक्तता के संबंध भी स्थल चयन के समय ही विचार किया जा सकता है।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, देश में जहां-जहां भी रिफाइनरी हैं, वहां पर पेट्रो केमिकल्स क कारखाने उसके साथ ही लगा दिये जाते हैं यह मथुरा वालों को उम्मीद थी कि वहां पर पेट्रो केमिकल का कारखाना लगने से वहां की बेरोजगारी दूर होगी लेकिन न तो मथुरा कोही कोई फायदा हुआ और ताजमहल को भी काफी नुकसान हो रहा है और तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारे जिले का कुछ भाग ऐसा है जैसे कोसीकला व बाजना वहां पर कारखाना लगा या जा सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वहां के लोगों की दरिद्रता और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या इस कारखाने को केन्द्र सरकार के माध्यम से वहां पर लगवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसका मैं आदर करता हूं और अगर ऐसी योजना सामने आती है तो उस पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिला अलीगढ़ में नेप्था पर आधारित एक एरोमैटिक्स काम्पलेस की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है। मैं इसके संबंध में जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यह योजना कब तक सम्पन्न हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, जैसे ही योजना सामने आयेगी, राज्य सरकार इस पर कार्यवाही करेगी क्यों कि कारण यह है कि इसमें अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ती है इसमें एक योजना लगभग 7 सौ करोड़ रु0की और दूसरी 540 करोड़ के आसपास है और इस प्रकार कुल 12 सौ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। भारत सरकार से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि इसको केन्द्र सेक्टर से करवाने की कृपा करें।

श्री सरदार सिंह--

मुझे यह जानकारी मिली है कि सलेमपुर के लिये जो केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने चयन किया था वहां से केरला सरकार को जा रहा है। क्या यह सही है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, यह सत्य से परे हैं।

*2--श्री राजेन्द्र गुप्त--

(दिनांक 31-7-85 को तां 0प्र 0 सं 0 3 द्वारा उत्तरित।)

जनपद बाराबंकी में शारदा नहर की सीपेज से कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भमि पर जल भराव की समस्या

*3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सिरौली खुर्द मऊ, पीठापुर, कजियापुर, भरथीपुर, खजुरिहा तहसील राम सनेही-घाट जिला बाराबंकी शारदा नहर की सीपेज ड्रेन की खुदाई न होने के कारण जल भराव से पिछले पांच वर्षों से प्रभावित है और इन गांवों में कृषि योग्य भूमि जल भराव के कारण बेकार पड़ी रहती है ? यदि हां, तो सीपेज ड्रेन की खुदाई न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार तत्काल ड्रेन की खोदाई करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य --

जी हां।

वर्ष 1983 तक इन गांवों की 47 हैक्टेयर भूमि सीपेज से प्रभावित थी, जो अब कम होकर केवल 12 हैक्टेयर रह गयी है। सीपेज से प्रभावित क्षेत्र पूर्ण बेकार नहीं है।

इस क्षेत्र में ड्रेनों की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, मेरी व्यक्तिगत जानकारी से 6 गांवों में शायद ही 20 फीसदी जमीन ऐसी है जो कि खेती योग्य हैं, बाकी सब सूखे से प्रभावित हैं। पिछले 5साल से वहां पर ड्रेनें मंजूर हो रही हैं और कहीं पर एक किलो-मीटर खोदी गई और कहीं पर एक फर्लांग खोदकर काम रोक दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि कोई स्पष्ट निर्देश दें कि इतने समय में यहकाम हो जायेगा कोई समय निर्धारित कर दें कि इतन समय में हो जायेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह--

तीन ड्रेनें बनानी हैं-डूरी, दानापुर और गरौल में। इससे 21 गांव लाभान्वित होंगे इसमें जो दो ड्रेन हैं डूरी और दानापुर जिसमें 20 गांव पड़ते हैं उनके बारे में हमने आदेश दे दिया है कि इसमें जल्दी करके जून माह तक बनवा दिया जाय। और गरौल को बाद में हम बनवायेंगे, क्योंकि उससे केवल एक गांव को फायदा हो रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

ड्रेन सीपेज का स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल इसकी लाइनिंग ही हो सकती है, तो मैं चाहूंगा कि वहां लाइनिंग भी इसी वर्ष शुरू कर दी जाय। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस गर्मी में वह लाइनिंग का काम शुरू कर दें, क्योंकि उसमें भी तीन-चार वर्ष लगेगा और पोषक नहर को लेने में तो कई साल लग जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी तो मैन कैनाल की बात है, बाद म सम्भव होगा तो हम देखेंगे।

*4--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

(मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।)

*5—श्री मित्रसेन—

(34वें मंगलवार में तारां0 प्र0 सं0 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विधान सभा क्षेत्र चुनार तथा अमेठी में लगने वाले भारी उद्योगों, लघु उद्योगी एवं कुटीर उद्योगों की संख्या

*6—श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने भारी उद्योगों, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का निर्माण मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्र में जून 80 से मार्च, 85 के दौरान हुआ तथा अमेठी विधान सभा क्षेत्र, में कितने भारी उद्योगों लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का निर्माण जून, 80 से मार्च, 85 के दौरान हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जून, 1980 से मार्च, 1985 के मध्य चुनार विधान सभा क्षेत्र के कजरहट ग्राम में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सीमेन्ट की एक वृहत इकाई की स्थापना की गयी तथा 87 लघु एवं कुटीर उद्योगों का पंजीकरण किया गया।

उक्त अवधि में अमेठी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि0 का एक वृहत उद्योग स्थापित किया गया जो भी पूरा नहीं हुआ है इसके अतिरिक्त 92 लघु एवं लघुत्तर व 607 कुटीर उद्योग स्थापित हुए।

टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित टिहरी नगर वासियो के पुनर्वास की योजना

*7—श्री लोकेन्द्रादत्त सकलानी—

क्या सिचाई मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित टिहरी नगर वासियों के पुनर्वास की क्या कार्य वाही शासन द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोलाशंकर मौर्य—

वर्तमान टिहरी नगर निवासियों को ग्राम बौराड़ी, कुलणा, भोलधार क्षेत्र में (प्रस्तावित नया टिहरी नगर) बसाने की योजना है। इस क्षेत्र में आवासीय प्लाट तयार करके निर्धारित मूल्य पर दिये जायेंगे। सार्वजनिक सुविधाओं का प्राविधान किया जा रहा है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ गांवों में जमीन अधिगृहीत करने से उच्चतम न्यायालय ने रोक रखा है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अबतक कितने गांव ऐसे हैं जो टिहरी बांध परियोजना से बसाये जाने बाकी रह गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो सवाल किया गया था, टिहरी नगरवासियों के बारे में किया गया था कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित टिहरी नगरवासियों के पुनर्वास की क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है। इसमें गांवों के बारे मे पूछा नहीं गया था। यह शहर—टाउन के बारे में बसाने के संबंध में पूछा गया था जो माननीय सदस्य चाहते हैं उसका पूरा विवरण तो मेरे पास नहीं है किन्तु हम प्रयास कर रहे हैं कि जो गांव वासी हैं—जो लोग विस्थापित होंगे, उनके लिये हम कुछ जमीन की व्यवस्था अभी कर पाये हैं। कुछ के लिये नहीं कर पाये हैं और कुछ को बसाने की व्यवस्था कर पाये हैं तथा बहुत से लोग अभी पड़े हुये हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे हो सके उनको बसाने की व्यवस्था की जाय।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 2 अक्तूबर, 85 को नये टिहरी नगर में कुछ सरकारी कार्यालय पुराने टिहरीनगर से ले जाये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह योजना है—कुछ नया टिहरी टाउन जो बन गया है, वहां पर कुछ सरकारी आफिस 2 अक्टूबर से सिफ्ट कर दिये जायें।

*8—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

(दिनांक 1-8-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त)

उन्नाव में पुरवा ब्रांच नहर के कम दिन तक चलने की शिकायत

*9--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल में जनवरी माह में पुरवा ब्रांच उन्नाव केवल 12 जनवरी से 15 जनवरी, 85 तक चली है ? यदि हां, तो पूरा पानी न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी नहीं। पुरवा ब्रांच जनवरी, 85 में दिनांक 14-1-85 से 26-1-85 तक चली। इसके अतिरिक्त पुरवा ब्रान्च माह जनवरी में दिनांक 7-1-85 से 12-1-85 तक तथा दिनांक 28-1-85 से 30-1-85 तक बचत के पानी से भी चली। प्रश्न नहीं उठता।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना को सही मानकर कि अधिकारियों को यह कागज पर नहर चलाने से रोकने की कृपा करेंगे और भविष्य में चेतावनी देंगे कि नहर में पानी सिंचाई के समय ठीक से मिले ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, प्रयास तो यही होता है कि पानी ठीक से मिले। लेकिन कभी कभी कटिंग हो जाती है, नहर लोग काट देते हैं जिससे टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। शारदा नदी और अन्य नदियों में जाड़े की वर्षा न होने से पानी कम रहा है यह भी एक कारण रहा है। हमारा प्रयास है कि टेल पर जैसे भी हो सके पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाय।

श्री हृदय नरायन दीक्षित--

मान्यवर, क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त संदर्भित नहर की क्षमता 200 क्यूसेक है और पानी केवल 40 क्यूसेक दिया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐसा नहीं है। इसकी क्षमता 590 क्यूसेक है और नहर ज्यादा से ज्यादा 706 क्यूसेक चलायी गयी है। तो क्षमता से ज्यादा चलायी गयी है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी को ज्ञात है कि 99 मील पर 22 क्यूसेक पानी मिलना चाहिये और इतना पानी न मिलने के कारण पुरवा ब्रांच में और उससे संबंधित अन्य ब्रांचों में पानी नहीं पहुंचता है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो रोस्टरिंग का नियम है उसके अनुसार पानी मिलता है। आज ही मैंने कहा है, पुरवा ब्रांच के संबंध में शिकायतें आती हैं कि टेल पर पानी नहीं पहुंचता तो आज ही मैंने कहा है कि इसको देखा जाय कि कैसे वहां पर पानी ठीक से पहुंचता नहीं है और जो दिक्कत है उसको दूर किया जाय। पानी को बढ़ाने के लिये जो सम्भव प्रयास हो सकता है उस पर विचार किया जायगा।

*10--श्री चन्द्रभान मौर्य--

(विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त।)

जनपद आगरा स्थित कीठम झील की जलकुम्भी निकालने की योजना

*11--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद आगरा स्थित कोठम झील (सूर सरोवर) की जलकुम्भी (एक खरपतवार) को निकालने के लिये सिंचाई विभाग मथुरा को आठ लाख रुपया जिला योजना आगरा द्वारा सन 84-85 में अवंटित किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कठोंम झील (सूर सरोवर) जल कुंभी मुक्त क्यों नहीं हुई है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां।

जनपद आगरा स्थित कीठम झील की जलकुम्भी को निकाले के लिये ग्राम्य विकास अधिकरण, आगरा द्वारा 8.40 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई जिसके विरुद्ध वर्ष 1984-85 में 3.50 लाख रुपये के व्यय पर झील के आधे से अधिक भाग से जलकुम्भी निकाल दी गई है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आग्रह की कीठाम झील के संबंध में यह उत्तर दिया कि

साढ़े 3 लाख रुपये से कीठम झील की आधे से अधिक सफाई की गयी है और जलकुम्भी निकाली गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस झील की परिधि क्या है ? उसमें जो बाकी जलकुम्भी है उसको कब तक निकालने में सफल होंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, परिधि, तो बताना संभव नहीं है। लेकिन यह है कि जिस समय जलकुम्भी निकाली गयी थी तो आधे से अधिक निकाली गयी थी। आप जानते हैं कि जलकुम्भी निकाल कर छोड़ दीजिये तो फिर भर जाती है। उसको जब तक लगातार नहीं निकालते रहेंगे तब तक वह पूरी नहीं निकल सकती है। एक बार उसकी पूरी जलकुम्भी निकालनी पड़ेगी फिर उसके बाद प्रतिवर्ष देखना पड़ेगा कि जलकुम्भी की सफाई करते रहें ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं बता रहा हूं, इसकी परिधि 7.3 कि0मी0 है। इस झील में 7-8 वर्ष पहले जलकुम्भी नहीं थी अब यह पूरी तरह से जलाच्छादित हो चुकी दे। तो इसके आच्छादित होने का स्रोत क्या है यहां कहां से बहकर आ गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जलकुम्भी कई जगह से आती है। नहर से आ सकती दे और अन्य स्रोतों से भी आ सकती है। जब जलकुम्भी आती है तो थोड़ी रहती है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ जाती दे जैसा कि आपने खुद बताया और मैंने भी देखा कि 764 एकड़ यह झील है, इसमें जब जलकुम्भी भर जाती है और उसको जब तक पूरा नहीं निकाला जाता है तो वह बढ़ पाती है। नहरों से भी यह जलकुम्भी आती है और अन्य स्रोतों से भी आती है, और धीरे-धीरे यह फैल जाती है।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, इस कीठम झील को आगरा नाल का पानी कीठम ऐसकैप के द्वारा ले कर भरा जाता है । इस ऐसकैप में गरा कैनाल आने वाली जलकुम्भी रोंकने लिये एक लोहे का बड़ा जंगला लगा हुआ था, जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मत्स्य पकड़वाने के कारण तोड़वा दिया है, तो आप उस लोहे के जंगला को फिर से लगवायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मुझे मान्यवर, बताया गया कि वह लोहे का जंगला लगा हुआ है। अगर वह खराब हो गया है, तो उसे ठीक करा दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, जब आप आगरा गये थे, तो आपके सामने शिकायत हुई थी और आप स्वयं सहमत थे, आपने बताया कि आधी जलकुम्भी निकाल दी गयी है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह बिलकुल नहीं निकाली गयी। आपने मान्यवर, स्वयं यह स्वीकार किया है कि वह जलकुम्भी अगर आधी निकाल दी जाय, तो उससे कोई लाभ नहीं होता है आपने यह स्वयं स्वीकार किया कि जब आपने शिकायत किया कि जलकुम्भी नहीं निकाली गयी वैसे ही आपने पता लगाया और आपको मालूम हुआ कि केवल आधी जलकुम्भी ही निकाली गयी जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी जलकुम्भी नहीं निकाली गयी, यदि आधी जलकुम्भी निकाली भी गयी, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि आपने इस बात को स्वयं कहा है कि आधी जलकुम्भी निकालने से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जो जलकुम्भी बच जाती है तो वह धीरे-धीरे फैल जाती है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को उस जलकुम्भी को निकालने का काम सौंपा गया था, और उन्होंने पूरी जलकुम्भी नहीं निकलवाया और उसमें व्यय किया हुआ पैसा बेकार चला गया। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब मुझे यह जानकारी हुई, तो मैंने मुख्य अभियंता से कहा। मुख्य अभियंता ने पता लगा करके मुझसे बताया कि आधी से ज्यादा जलकुम्भी निकाल दी गयी। मान्यवर, पसे का दुरुपयोग नहीं हुआ था। मुख्य अभियन्ता ने कहा कि समय से अगर पैसे मिल गया होता, तो हम पूरा काम कर लियें होते, तो वह इसलिये पूरी जलकुम्भी नहीं निकल

पाई। अगर पूरी जलकुम्भी निकल गयी होती, तो उसका फायदा ज्यादा होता।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया यह उत्तर बिल्कुल असत्य है और साढ़े 3 लाख रुपया इस पर व्यय हो गया और 10 फीट क्षेत्र ,में से भी जलकुम्भी नहीं निकाली गयी। पैसा मस्टर रोल पर काम करने वाले मजदूरों को फर्जी भर-भर के भुगतान करते रहे और जलकुम्भी निकाल कर उसी में डाल दिया गया, दूसरी जगह दूर नहीं डालते थे। तो क्या आप स्थायी तौर पर उस कीठम झील की जलकुम्भी स्थायी रुप से निकलवाने की कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे, जिससे कि 5 लाख रुपया प्रति वर्ष राज्य सरकार का जो नुकसान हो रहा है, वह न हो सके।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जलनिगम इस काम को करता है। सिंचाई विभाग से इसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जिलाधीश ने कहा कि सिंचाई विभाग इस काम को करा दे, तो मैंने भी कहा कि इसका पीने के पानी से मतलब है, तो मैंने इस काम को लिया। तो मन्यवर, ऐसा नहीं है कि सिंचाई विभाग नें इसकी जिम्मेदारी लिया, अगर आप ऐसी बात कहते हैं, मुख्य अभियंता जो थे, मैंने उनसे पूछा था। आप कहते हैं, तो मैं उसकी जांच फिर सेकरा लेता हूं।

प्रदेश में निजी संसाधनों तथा नहरों द्वारा सिंचाई का अलग-अलग क्षेत्रफल

*12---श्री विजय सिंह राणा---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत चार वर्षों में प्रदेश में किसानों के निजी संसाधनों से सिंचाई क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? साथ ही नहरों द्वारा की जा रही सींच के क्षेत्रफल में डाल-आवपासी का क्षेत्रफल प्रतिवर्ष क्यों बढ़ रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, कल तक सदन और है, तो सूचना एकत्र होकर कब तक आयेगी। यह प्रश्न 25-6-85 का है और केवल एक सूचना मैंने मांगी है। माननीय मंत्री जी इस बात को खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग काम कर रहा हैं वह सींच के क्षेत्रफल में आबपाशी का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो वास्तव में सिंचाई है वह कम होती जा रही है क्योंकि आवपाशी की सिंचाई की दरें कम हैं। अगर यह परिवर्तन नहीं रोका जाता है, तो यह सही नहीं है। सूचना एकत्र करने के लिये, यह इतना है बड़ा प्रश्न नहीं था।

गोरखपुर जनपद में गोर्रा राप्ती नदी के बीच बने बांधों की ऊंचाई

*13---श्री हर्ष वर्धन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में गोर्रा राप्ती नदी के बीच में बने बांध निर्धारित ऊंचाई से कम है? यदि हां, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य---

जनपद गोरखपुर में गोर्रा व राप्ती नदियों के बीच, छित्तहरी थुन्हीं, बरहीपाथ एवं इटौवा नामक तीन बांध निर्मित हैं। इनमें से इटौवा बांध निर्धारित ऊंचाई का बना है।

छित्तहरी थुन्ही तथा बरही पाथ बांध जमींदारी बांध होने के कारण कम ऊंचाई के बने हैं।

श्री हर्षवर्धन---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छित्तहरी थुन्ही तथा बरहीपाथ बंधा किन जमींदारों ने बनवाया और कब यह बनवाया गया है? यदि इसको सिंचाई विभाग ने टेकओवर कर लिया है, तो किस वर्ष में किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह पुराने बंधे हैं और जमींदारी के समय के बने हुए हैं। अब यह बंधे कब के बने हुए हैं यह तो सरकार के पास रिकार्ड हो नहीं सकता है। लेकिन यह बात सही है कि पांचवीं योजना में इन जमींदारी बंधों को लेकर कुछ काम किया गया है। इसमें सरकार ने सब बंधे नहीं लिये थे। छित्तहरी थुन्ही तथा बरही पाथ बांध के लिये योजना बनाई गई है। यह टी0ए0सी0 को भेज दी गई है।

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, छित्तटरी थुन्ही तथा बरही पथ बांध पर सिंचाई विभाग ने कितना खर्च किया है ? यह मंत्री जी बताएंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

छित्तहरी थुन्ही बांध के बारे में मंत्री जी नें अपने उत्तर में बताया है कि ऊंचाई कम है। एक योजना पर विचार चल रहा है। हर वर्ष बाढ़ आती है, तो माननीय मंत्री जी इसकी जो निर्धारित सीमा होनी चाहिये अब उसको कब तक ऊंचा कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस बात का पूरा विवरण तैयार करना पड़ेगा। अभी एक बंधा पूरा नहीं हो पाया है इसको अगले वर्ष देखेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छित्तहरी बांध पर जो रुपया खर्च हुआ है, वह तो आपके पास होगा, यह बता दें कि कितना खर्च हुआ तथा जो शेष दो बांध है जिनकी आवश्यकता को खुद मंत्री जी ने महसूस किया, उनको कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एक बांध के निर्माण में कितना खर्च हुआ। पांचवीं योजना में कुछ काम किया गया, बहुत से बांध और बनाये गये। मरम्मत का जो काम होता है, उस पर इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है। बरही पाथ बांध 18–6 किलोमीर का है, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है 55 लाख का है। इसी के अनुसार खर्च होगा। माननीय सदस्य ने पूछा है कि बांध कब पूरा किया जायेगा, जब पैसा मिलेगा तो पूरा किया जायेगा।

श्री हर्ष वर्धन—

मेरी निश्चित जानकारी को सही मानकर कि छित्तहरी, थुन्ही और बरही बाथ बांध पर जो पैसा खर्च किया गया है, उसमें काफी गोल माल किया गया है। इसकी जांच करायेंगे कि जितना पैसा खर्च हुआ है, उसके अनुसार काम हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य बता देंगे कि कहां कहां पर गड़बड़ी हुई है तो जांच करा दूंगा।

सिंचाई खण्ड–2 देवरिया के एक कर्मचारी द्वारा ट्रेन से कटकर आत्म हत्या किये जाने पर कथित आन्दोलन।

*14–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगें कि इसी माह सिंचाई खंड–2 देवरिया के एक कर्मचारी को विभागीय अधिकारी से अपने वेतन से संचित धनराशि से ऋण प्राप्त करने हेतु बार-बार याचना करने के बाद धन प्राप्त न होने पर उस कर्मचारी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली जिससे खंड के सभी कर्मचारियों ने एक सप्ताह से अधिक समय तक आन्दोलन चलाया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध तत्काल या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985 में सिंचाई खण्ड-द्वितीय देवरिया में कथित प्रचार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई और न ही खण्ड के कर्मचारियों द्वारा कथित कारण हेतु कोई आन्दोलन ही चलाया गया है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आलमनगर,लखनऊ का प्रबन्ध समिति द्वारा मदिरालय हटाये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

*15–श्री महरम सिंह (अनुपस्थित)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 8/9–5–85 को श्रमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आलमनगर, लखनऊ के प्रबंध समिति के सदस्यों का कोई प्रार्थना-पत्र किसी मदिरालय के हटाये जाने के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो अभी तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां, इस मामले की जांच कराई गई दुकान हटाने की मांग का औचित्य नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश हथकरघा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति

*16–श्री राज किशोर सिंह—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत उ०

प्र0 में हथकरघा उद्योग (सिल्क की साड़ियों की बुनाई) एवं जरी के कार्य के नियोजन में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने व उन्हें पुनरीक्षित करने के संबंध में जांच करने और सरकार को संस्तुति करने के लिए अधिसूचना संख्या 3018/38-3-100 (एम0 डब्लू0)-78, दिनांक 6 नवम्बर, 84 द्वारा नियुक्त समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अधिसूचना की प्रतियां आज तक न भेजे जाने का क्या कारण है जबकि उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के तीन माह के अन्दर ही समिति को अपने रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था ? इस संबंध में यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समिति ने क्या अभी तक भी अपना कार्य शुरू किया अथवा नहीं यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग (सिल्क की साड़ियों की बुनाई) एवं जरी के काम में नियोजन की मजदूरी दरों को पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित करने के लिये समिति का गठन राजाज्ञा संख्या-1246/36--3--1001 (एम0 डब्लू0)-78, दिनांक 11 जुलाई, 1983 द्वारा किया गया और उसकी प्रतियां शासन द्वारा सदस्यों एवं अध्यक्ष एवं सचिव को पृष्ठांकित की गयी थी। सेवायोजकों के एक प्रतिनिधि श्री महतो अब्दुल रहमान की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 6.11.84 की राजाज्ञा द्वारा उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति के उक्त पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना गजट में प्रकाशित हुई थी और उसकी प्रति समिति की एक श्रमिक प्रतिनिधिसदस्य ने स्वयं प्राप्त की थी पुर्नगठित समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए तीन माह का समय दिया गया था। उक्त अवधि समाप्त होने पर समिति का कार्यकाल विस्तारित किया गया जिसकी सूचना समिति के सभी सदस्यों को दी गई थी। उक्त समिति अपना कार्य कर रही है जिसकी अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राज किशोर सिंह--

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग साड़ी के काम में लगे हुए मजदूरों और जरी उद्योग में लगे हुए मजदूरों की मजदूरी की दर को फिर से पुनरीक्षित करने हेतु एक समिति का गठन हुआ। मंत्री जी ने बताया कि एक सदस्य का इन्तकाल हो गया और फिर उस समिति का पुर्नगठन हुआ। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि पुर्नगठन होने के बाद किस तारीख में गजट में प्रकाशन हुआ ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

यह जवाब में लिखा है 6-11-84।

श्री मित्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुनर्गठित समिति की कितनी बैठकें हुई, कौन-कौन उसमें सदस्य हैं तथा मजदूरों को मजदूरी दिलाने में समिति का क्या निर्णय हैं ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, इस संबंध में 5 बैठकें हुई। लेकिन एक बैठक जो 26-8-85 को रखी गयी थी, एक त्योहार पड़ जाने के कारण नहीं हो सकी, लिहाजा 4 बैठकें हुई। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमें भी इसमें पूरी जिज्ञासा है, इसीलिये समिति का समय 30 नवम्बर, 1985 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा कि एक सदस्य मर गये तो उसका पुनर्गठन हुआ। तो यह पुनर्गठन कब हुआ ? दिनांक 4-11-84 को तो उन सदस्य की मृत्यु हुई थी।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

मान्यवर, मैंने साफ कहा कि 6-11-84 को हुआ। उस समिति का पुनर्गठन 6-11-84 को हो गया था।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि समिति का गठन जरी में काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी के संबंध में किया गया था। उस समिति ने मजदूरी के बारे में क्या निर्णय लिया ? इस प्रश्न का जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

मान्यवर, मैं सूचित करना चाहूंगा कि पहले जो समिति बनाई गई थी, उसकी पहली बैठक 29-7-83 को, दूसरी 29-8-83' को तीसरी 26-8-83 को, चौथी 2-9-85 को और पांचवीं 12-9-85 को हुई। किन्तु उसमें किसी पक्ष के न आने से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन हमारा प्रयास है कि यह समिति चलती रहे और शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय ले सके।

श्री मित्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि माननीय सदस्यों को अधिकृत सूचना होने के बाद भी अगर वे नहीं आते हैं तो समिति को यह अधिकार देंगे कि मजदूरों को मजदूरी देने का निर्णय स्वयं सक्षम हो।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

मान्यवर, हमें दोनों पक्षों को देखना है। इम्प्लायर पक्ष की ओरसे स्टेटमेंट दे दिया गया है, लेकिन श्रमिक पक्ष से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

श्री राजकिशोर सिंह--

क्या माननीय मंत्रजी बताएंगे कि समिति के सदस्यों में जो सिल्क कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि थे, उन्होंने दिनांक 1-4-85 को इस बात की शिकायत की कि समिति के बारे में न कोई सूचना प्राप्त हो रही है, न समिति की बैठक ही हो रही है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम बरेली में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र

*17-श्री रामेश्वर नाथ चौबे (अनुपस्थित)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें तथा शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-8-84 तथा पत्र दिनांक 10-9-84 (17 संलग्नकों सहित) जो नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम बरेली में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में थे, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद तथा मक्खनपुर आदि स्थानों पर कांच उद्योग इकाइयों की स्थापना तथा कोयले का आवंटन

*18--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद, मक्खनपुर नामक स्थलों पर वर्ष 84-85 में 17 कांच उद्योग इकाइयां एक दिन में ही पंजीकृत हुई और एक दिन में ही स्थापित 17 इकाइयों को 4200 वैगन कोयला स्वीकृत हुआ? यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद मक्खनपुर तथा अन्य स्थानों पर वर्ष 1984-85 में 17 कांच उद्योग इकाइयों का पंजीकरण एक दिन में ही नहीं किया गया बल्कि यह पंजीकरण दिनांक 10-1-85 तथा 23-2-85 के बीच किए गये।

उपरोक्त इकाइयों में से केवल 13 इकाईयों को 3,074 वैगन कोयले का आवंटन दिनांक 21-1-85 एवं 22-3-85 के मध्य किया गया था।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि कुछ को पंजीकरण के 11 दिन के भीतर कोयला आबंटन किया गया और बाकी इकाइयों को एक महीने के भीतर किया गया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन इकाइयों का पंजीकरण किया उनकी बिल्डिंग और भट्टियां बनी हुई हैं अथवा नहीं?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मेरे पास पूरा ब्योरा मौजूद है, एक को 21-1-85, फिर दूसरी इकाई उसको हमने एलाट किया है 7-2-85 को, उसके बाद 21-3-85, फिर 22-3-85, 14-3-85, 16-3-85 18-3-1985, 18-3-85, 18-3-85, 18-3-85, 19-3-85, 21-3-85,

23-2-85, 23-2-85, 23-2-85, 23-2-85 इस तरह से विभिन्न तारीखों में एलाट किया गया। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि भट्टियां पायी गयीं ? मैं बताना चाहता हूं कि जब शासन को जानकारी हुई कि कुछ गलत इकाइयों का पंजीकरण कर दिया गया है तो हेड क्वार्टर कानपुर से अधिकारी भेजे गये जांच के लिये। उन्होंने शिकायतों को सही पाया, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया कि क्यों न आपकी सोसाइटी का आबंटन रद्द किया जाय। जब उस पर उत्तर संतोषजनक नहीं आया, मैं बताना चाहता हूं कि 17 सोसाइटी का पंजीकरण रद्द भी कर दिया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

जिन अधिकारियों ने इन फर्जी सोसाइटी को पंजीकरण के 11 दिन के भीतर कोयला दिलाने की कोशिश की उन्हें कोयले का आबंटन हुआ उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ? 4-7-85 को मेरी सूचना के बाद डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज मौके पर गये, उन्होंने कितनी फर्जी यूनिटें पायी और कितनों का उन्होंने कोयले का पंजीकरण निरस्त किया ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोयले का आबंटन तो अवश्य हुआ लेकिन किसी ने कोयला उठाया नहीं था दूसरी जो बात है, अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की, आपको जानकर हर्ष होगा कि एक सहायक प्रबन्धक और एक कनिष्ठ अन्वेषक जो दोषी थे, उनको निलम्बित कर दिया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया और कितने लोगों का कोयला रद्द कर दिया गया। आपने बताया कि कोयला किसी ने उठाया नहीं था। मेरी जानकारी के अनुसार, मैं आप को बताना चाहता हूं कि कोयले का परमिट प्राप्त करने के बाद, फर्जी तौर पर बेच दिया गया उसमें एक-एक लाख इन फर्जी यूनिटों ने लिया, जिनका वितरण जिला उद्योग के जो अधिकारी हैं मैनपुरी के इन्होंने बांट लिया। मेरी सूचना को सही मानकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, मैंने एक बार पूरी स्थिति से अवगत किया। मैं बताना चाहता हूं कि इन सभी मामलों की जांच हेतु संयुक्त निदेशक उद्योग आगरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जैसे ही उनकी जांच आख्या प्राप्त हो जायेगी उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति

*19-श्री त्रिलोक चन्द (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता यांत्रिक जो कि सिंचाई विभाग में 20 से 22 साल तक का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं और सहायक अभियन्ता के बराबर वेतनमान भी पा रहे हैं तथा इनके विभागीय तीस प्रतिशत कोटे के अनुसार पद भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, सिंचाई विभाग में ऐसे अवर अभियन्ता (यांत्रिक) कार्यरत हैं जो 20 से 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, जिनमें से पात्र अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता के वेतनमान के समान समयबद्ध वेतनमान दिया गया है। वर्तमान में विभागीय प्रोन्नति के तीस प्रतिशत के कोटे के अनुसार कोई पद रिक्त नहीं है। अतः उनकी प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

नलकूप उपखंड चतुर्थ अतरौली व नलकूप निर्माण खण्ड अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा राजकीय धन के दुरुपयोग के संबंध में श्री अनोखे लाल वर्मा कूप चालक का पत्र

*20-श्री कल्याण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 1321/85 दिनांक 10-5-85 के साथ श्री अनोखे लाल वर्मा, कूप चालक का दिनांक 5-5-85 का शिकायती ज्ञापन जिसमें नलकूप उपखंड चतुर्थ, अतरौली, जिला अलीगढ़ तथा नलकूप निर्माण खण्ड अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा राजकीय धन

के दुरुपयोग एवं अनेक गम्भीर अनियमितताएं बरती जाने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख है, शासन को प्राप्तहुआ है ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या है, आरोपों की जांच किसने की और सरकार द्वार इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? क्या आरोपकर्ता को आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-85, जो 10-5-85 को दिया गया है, के साथ श्री अनोखेलाल वर्मा, नलकूप चालक का शिकायत ज्ञापन दिनांक 5-5-85 प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायत ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माणखण्ड, अलीगढ़ ने की। आरोप निराधार पाये गये, अत: किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। आरोपकर्ता को आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया गया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 140 पर)

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ में टाण्डा पम्प कैनाल का शारदा सहायक परियोजना में परिवर्तन तथा गोपाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोंगूपुर मठ गोविन्द आजमगढ़ के कमरों का मुआवजा

1-श्री बलराम यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 75-76 में टांडा पम्प कैनाल को शारदा सहायक परियोजना में परिवर्तित किया गया ? क्या यह भी सही है कि गोपाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय डोंगरपुर मठ गोविन्द आजमगढ़ के दो कमरे सहित अन्य जमीन कैनाल में पड़ गई ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा उक्त विद्यालय का निर्माण तथा भूमि का मुआवजा दिया गया यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज की थी जिसपर दो कमरे उक्त स्कूल के निर्मित थे। अत: भूमि का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। दो कमरों की लागत का मुआवजा दिया जाना है, जो शीघ्र दे दिया जायेगा।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां।

2-श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा तदर्थ नियुक्तियां न किए जाने के स्पष्ट आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन आदेशों के विपरीत सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता यांत्रिक की तदर्थ नियुक्ति के लिए कार्यवाही हो रही है ? शासन इस प्रकार के शासन की नीति विरोधी कार्यवाहियों के रोकथाम के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की कमी विगत कई वर्षों से निरन्तर बनी रहने के कारण सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ताकि सिंचाई कार्य एवं राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं परिचालन, निर्माण कार्य तथा विश्वबैंक द्वारा अर्धपोषित पब्लिक नलकूप परियोजना के कार्य सुचारु रूप से चल सकें। उक्त कार्यवाही कार्य के हित में की जा रही है, अत: किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मुन्डेरा बाजार में सरकारी नलकूपों की संख्या एवं बन्द पड़े नलकूप

3-श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुंडेरा बाजार विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं इनमें से कितने सिंचाई

कार्य में सक्रिय हैं तथा कितने यंत्रों की खराबी से व कितने टूटी-फूटी नालियों के कारण बन्द पड़े हैं ? सभी नलकूप कब तक सक्रिय हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मुंडेरा बाजार विधान सभा क्षेत्र में कुल 75 राजकीय नलकूप हैं। वर्तमान में 73 नलकूप सिंचाई कार्य में सक्रिय हैं,एक नलकूप नहर से प्रभावित है इसके परित्याग की कार्यवाही की जा रही है तथा दूसरे नलकूप का पुनः निर्माण हुआ है, केवल विद्युतीकरण शेष है। इस समय दो नलकूप यन्त्रों की खराबी से तथा दो नलकूप विद्युत खराबी से बन्द हैं जिन्हें ठीक करके चलाने कीकार्यवाही एक सप्ताह में कर दी जायेगी । टूटी-फूटी नालियों के कारण कोई नलकूप बन्द नहीं है ।

सदर तहसील गोरखपुर स्थित ग्राम बिलारी भठिया व सरैया केपास नहर के पानी से फसलों को क्षति एवं पानी निकासी कयोजना ।

4—श्रीमती शारदा देवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि सदर तहसील गोरखपुर में स्थित ग्राम बिलारी भठिया व सरैया के पास नहर के पानी के फैलाव से प्रतिवर्ष करीब हजारों एकड़ ग्रामों की फसल नष्ट होती जा रही है ? क्या सरकार इन ग्रामवासियों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए कोई उपाय योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

इन ग्रामों की जल निकासी हेतु बिलारी व हुमरी ड्रेन तथा वायसी नाला पहले से निर्मित है । अतः किसी नई योजना की आवश्यकता नहीं है ।

कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में लिपिक पद पर नियुक्तियां

5—श्री शेर बहादुर सिंह,
श्री नत्थू लाल तथा श्री राम चन्द्र

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र 0 कताई मिल अकबरपुर, फैजाबाद ने वर्ष 1984 से वर्ष 1985 के माह जून तक लिपिक पद पर अप्रैन्टिस व स्थाई रूप में किस-किस की कितनी नियुक्तियां कब-कब की गई हैं ?

क्या उक्त नियुक्तियों के लिए कभी कोई विज्ञापन निकाला गया था या सेवायोजन कार्यालय को लिखा गया था ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

कताई मिल अकबरपुर, फैजाबाद में वर्ष 1984 से जून 1985 तक 2 अप्रैन्टिस लिपिकों की क्रमशः दिनांक 19-12-84 तथा 20-12-84 को नियुक्तियां की गयी जिसके लिये सेवायोजन कार्यालय से पत्र दिनांक 8-10-84 द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई थी । उक्त अवधि में स्थायी लिपिकों की नियुक्ति नहीं की गई, परन्तु पूर्व में नियुक्त 8 अप्रैन्टिस लिपिकों को नियमित किया गया ।

6—श्री सूर्यप्रताप शाही--
[9 वें बुधवार के लिए स्थगित]

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, देवरिया द्वारा सेना वितरित ऋण

7—श्री औसान सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद देवरिया में वर्ष 81-82 से वर्ष 83-84 तक अलग-अलग वर्षों में कितना ऋण वितरित किया गया है तथा प्राप्तकर्ता कौन है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद में सहकारी कताई मिल, अमरोहा की प्रबन्धक कमेटी को चार्ज

8—हाजी मोहम्मद हयात--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में सहकारी कताई मिल, अमरोहा की प्रबन्धक कमेटी बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस प्रबन्धक कमेटी को चार्ज कब किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक सरकार प्रबन्धक कमेटी को चार्ज दिलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां। प्रबन्ध कमेटी ने दिनांक 4-8-81 से प्रथम बैठक सम्पन्न करके कार्य प्रारम्भ किया।

जनपद मुरादाबाद के सहकारी कताई मिल, अमरोहा में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या

9--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के सहकारी कताई मिल, अमरोहा में सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश दिये गये थे कि 60 प्रतिशत कर्मचारी व श्रमिक वर्ग स्थानीय रखा जायेगा? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी व श्रमिक रखे गये तथा उनमें स्थानीय कर्मचारियों व श्रमिकों की संख्या तथा प्रतिशत क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नही। शासन द्वारा यह नीति निर्धारित की गयी थी कि अकुशल/ट्रेनीज श्रमिकों की नियुक्तियों में सम्बन्धित जिले के निवासी व अन्य जिलों के निवासियों का अनुपात लगभग 50-50 प्रतिशत रखा जाय। कुशल श्रमिकों व अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार व्यक्तिगत कार्यक्षमता व योग्यता है तथा इनकी नियुक्ति में निवास स्थान संबंधी प्रतिबन्ध नही है। नियुक्ति किये गये कर्मचारियों व श्रमिकों की स्थिति निम्न प्रकार है:--

कर्मचारियों की श्रेणी	जुलाई 1985 तक कुल की नियुक्तियों की संख्या	स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्तियों की संख्या	स्थानीय नियुक्तियों का प्रतिशत
1--प्रशिक्षार्थी	148	142	95.9
2-कुशल श्रमिक	472	86	18.2
3-अधिकारी व कर्मचारी	41	8	19.5

जनपद बलिया में घाघरा नदी से निकली चैनपुर गुलौरा पम्प नहर के बन्द पड़े रहने की शिकायत तथा हटाये गये ट्रांसफार्मर को सेठ कोल्ड स्टोरेज से वापस कराये जाने की मांग

10--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर ब्लाक में घाघरा नदी से निकली चैनपुर गुलौरा पम्प नहर कितने दिनों से बन्द पड़ी है? क्या यह सही है कि सक्षम ट्रासफार्मर को अन्यत्र किसी सेठ के कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

11--श्री शारदानन्द अंचल --

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बलिया स्थित अधिशासी अभियंता (नलकूप) के बार-बार लिखने तथा जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के निर्णय और निर्देश के बाद भी नहर से हटाये गये ट्रासफार्मर को सेठ कोल्ड स्टोरेज से वापस कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर में लच्छी चक ग्राम के पास बने बंधे से कतिपय ग्रामों को खतरा

12--डा० अच्युतानन्द तिवारी--

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लाक के लच्छीचक के पुराने और नये बंधे के बीच में बसे रायतपुर नभया और लच्छीचक गांवों के करीब 300 घरों को खतरा पैदा हो गया है क्योंकि पुराने बंधे का करीब 300 मीटर भाग कट गया है? यदि हां, तो इन गांवों को बचाने के लिये सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

वर्तमान समय में रायतपुर, भभया एवं लच्छीचक ग्राम को पुराने बंधे के कट जाने से कोई खतरा नहीं है। इन ग्रामों की सुरक्षा हेतु निम्न कार्य किये गये :---

(1) वर्ष 1983 की बाढ़ में खड़गपुर शाहपुर सोपाई बांध कट गया था उसी समय इन ग्रामों की सुरक्षा हेतु एक अस्थाई रिंग बांध का निर्माण कराया गया जिससे बाढ़ का पानी सुरक्षित आबादी में नहीं गया।

(2) रायतपुर, भभया और लच्छीचक ग्रामों की सुरक्षा हेतु वर्ष 1984 में स्वीकृत परियोजना के अनुसार 5 अदद डैम्पनर का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें से 3 अदद डेम्पनर का निर्माण हो चुका है शेष दो डैम्पनरों के निर्माण हेतु सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

चीनी मिलों के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती तथा उनके उपादेयों के भुगतान से संबंधित राजाज्ञा का चीनी मिल, हरदोई व महोली द्वारा प्रतिपालन

13---श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम अनुभाग-2 द्वारा जारी राजाज्ञा सं0 3158 (एच0 आई0)/36-2-101(11) (एच0 आई0) 79, दिनांक 15 जुलाई, 82 एवं राजाज्ञा संख्या 3157 (एच0 आई0)/36-2-101 (11) (एच0 आई0) 79, दिनांक 15 जुलाई, 1982 जो शुगर मिलों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के वेतन आदि समस्त उपादेयों के भुगतान न होने तक सेवा निवृत्त न किये जाने से संबंधित है, का परिचालन उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई, महोली एक सीतापुर द्वारा किया जा रहा है? यदि नहीं, तो शासन द्वारा राजाज्ञाओं के परिपालन कराने हेतु 15 जुलाई, 85 तक या कार्यवाही की गई?

श्रम मंत्री (श्री सैय्यद सईदुल हसन)---

श्रम अनुभाग-2 द्वारा जारी राजाज्ञा सं0 3158 (एच0 आई0)/36-2-101 (11) (एच0आई0)-79, दिनांक 15 जुलाई 1982 एवं राजाज्ञा सं0 3157 (एच0 आई0)/36-2-101(11) (एच0आई0)। 79, दिनांक 15 जुलाई, 1982 जो शुगर मिलों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के भर्ती तथा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के समस्त उपादेयों के भुगतान न किये जाने तक सेवा-निवृत्त न किये जाने से सम्बन्धित है का सामान्यत: प्रतिपालन उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, हरदोई एवं महोली सीतापुर द्वारा किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई की श्रमिकों के वेतन, बोनस, ग्रेचुएटी आदि का बकाया

14 श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई के श्रमिकों के वेतन से भविष्य निधि का अंश काटने के बाद भी अब तक खाते में प्रबन्धकों द्वारा जमा नहीं कराया गया है तथा श्रमिकों के वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी आदि का कितना रुपया बाकी है? शासन द्वारा बकाये भुगतान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सैय्यद सईदुल हसन---

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी लि0 इकाई हरदोई के श्रमिकों के वेतन से भविष्य निधि का अंश काटने के बाद भी कुछ अवधि की धनराशि उनके खाते में जमा नहीं की गयी है। सेवायोजकों के अनुसार वतन, बोनस, ग्रेच्युटी आदि का लगभग 51.87 लाख रुपये बकाया है। जहां तक ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रश्न है, जिन श्रमिकों का सेवाकाल समाप्त हो गया है परन्तु उनके ग्रेच्युटी का भुगतान न होने के कारण वे अभी भी कार्यरत हैं। वर्ष 80-81 के बकाये के सम्बन्ध में श्रमिकों को यह सलाह दे दी गई है कि वे अपने स्तर से वाद दायर करें। जहां तक वेतन का प्रश्न है इस मद में माह अप्रैल, मई एवं जून,

1982 का लगभग 19.75 लाख रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिये उप-श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को प्रेषित किया जा चुका है। भविष्य निधि का मामला भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। प्राप्त सूचना के अनुसार भविष्यनिधि आयुक्त कानपुर क्षेत्र द्वारा इस मद का बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

रत्ना शुगर मिल कम्पनी शाहगंज जौनपुर के श्रमिकों के वेतन, भविष्य निधि तथा ओवर टाइम की बकाया धनराशि

15—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल कम्पनी लि0, शाहगज, जिला जौनपुर के श्रमिकों का वेतन, ओवर टाइम तथा भविष्य निधि का अंशदान जो खाते में जमा नहीं है, के मद में मालिकों पर 30 जून, 85 तक कितना रुपया बाकी है? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बकाये भुगतान हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

मे0 रत्ना शुगर मिल कम्पनी शाहगंज जौनपुर के सेवायोजकों पर 30-6-85 तक श्रमिकों का विभिन्न मदों में निम्नवत बकाया है :—

(1) वेतन रु0 32,92,6530-10
(2) ओवरटाइम रु0 3,29,217-15
(3) भविष्य निधि रु0 14,62,645-75

वेतन के मद में बकाये की वसूली हेतु उप श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ओवरटाइम के संबंध में भी वसूली प्रमाण पत्र भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

भविष्य निधि का मामला भारत सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा इस मद की बकाया राशि की वसूलयाबी के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

हरक चन्द्र फ्लोर एवं राइस मिल कर्मचारी संघ, सीतापुर द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन

16—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरक चन्द्र फ्लोर एवं राइस मिल कर्मचारी संघ, सीतापुर द्वारा दिनांक 17-7-85 को उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय पर कतिपय मांगों को लेकर धरना दिया गया है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है तथा शासन द्वारा उनकी पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

मेसर्स हरक चन्द्र फ्लोर एवं राइस मिल कर्मचारी सीतापुर द्वारा दिनांक 17-7-85 को उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय पर कतिपय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया।

संघ की मुख्य मांगें युनियन के मंत्री श्री बृजलाल सिंह यादव व अन्य श्रमिकों की सेवा में वहाली, नियमितीकरण, रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा भरे जाने, 1983-84 व 1984-85 का बोनस 20 प्रतिशत की दर से दिये जाने, उपस्थिति कार्ड जारी करने आदि के बारे में है। यूनियन के मंत्री श्री यादव व 26 श्रमिकों की सेवा समाप्त के विवाद को अभिनिर्णय मे भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। अन्य मांगों के संबंध में पक्षों के मध्य वार्ता कराई जा रही है।

सिंचाई विभाग में ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघ तथा उनके सदस्यों की संख्या

17—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कौन-कौन से श्रम संघ है? उनकी सदस्य संख्या क्या है तथा वह कौन-कौन से केन्द्रीय महासंघ से सम्बद्ध हैं?

श्री सैय्यद सईदुल हसन---

सिचाई विभाग उत्तर प्रदेश में ट्रेडयूनियन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कुल श्रम संघ-23 है। सदस्य संख्या तथा केन्द्रीय महासंघों से सम्बद्धता के सम्बन्ध में सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 141-142पर)

सिचाई विभाग में मान्यता प्राप्त श्रम संघ

18---श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिचाई विभाग में कार्यरत ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघों में से कौन-कौन से श्रम संघ मान्यता प्राप्त है? तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मान्यता किस आधार पर दी गयी है?

श्री सैय्यद सईदुल हसन---

सिचाई विभाग उ0 प्र0 में वर्तमान में कार्यरत 23 पंजीकृत यूनियनों में से किसी को भी भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के आधार पर अनुशासन संहिता के अन्तर्गत सिचाई विभाग द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से मान्यता नहीं दी गई है।

चूंकि किसी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है अतः मान्यता का आधार बताने का प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघ

19-श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली में कार्यरत ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम संघ कौन-कौन से हैं तथा उनकी सदस्य संख्या क्या है?

श्री सैय्यद सईदुल हसन---

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0 रायबरेली में ट्रेड यूनियन ऐक्ट 1926 के अंतर्गत निम्नांकित पांच यूनियनें पंजीकृत है। इन यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक विवरण पत्र 1982 के आधार पर प्रत्येक की सदस्य संख्या उनके नाम के के सम्मुख अंकित है :---

यूनियन का नाम	सदस्यता
1---इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज इम्पलाईज यूनियन।	705
2---इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0 कर्मचारी संघ।	812
3---आई0 टी0 आई0 वर्क्स यूनियन	100
4---इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0 मजदूर संघ।	2240
5---आई0 टी0 आई0 लि0 श्रमिक संघ।	600

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0, रायबरेली तथा एच0 ए0 एल, लखनऊ डिवीजन के श्रमिक संघों द्वारा वार्षिक विवरण पत्र का प्रस्तुत किया जाना

20---श्री राजेन्द्र गुप्त---

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि0 रायबरेली तथा एच0ए0एल0 लखनऊ डिवीजन में कार्यरत ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अतर्गत पंजीकृत कुछ श्रमसंघों द्वारा ट्रेड युनियन रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना वार्षिक विवरण पत्र वर्ष 1981-82 एवं 83 का जमा नहीं किया है? यदि हां, तो वह श्रम संघ कौन-कौन से हैं तथा रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन द्वारा उन श्रम संघों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैय्यद सईदुल हसन---

जी हां।

मेसर्स इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि0 रायबरेली में (1) इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि0 कर्मचारी संघ, (2) आई0 टी0 आई0 वर्कर्स यूनियन तथा (3) आई0 टी0 आई0 लि0 श्रमिक संघ ने वर्ष 1981 व 1983 के एवं (4) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि0 मजदूर संघ, रायबरेली ने वर्ष 1983 के वार्षिक विवरण-पत्र, प्रेषित नहीं किये हैं, अतः उनके विरुद्ध

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप नोटिसें भेज दी गई हैं।

इसी प्रकार एच0 ए0 एल0 लखनऊ डिवीजन में (1) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स इम्पलाईज एसोसिएशन ने वर्ष 1981, 1982 व 1983, (2) हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स कर्मचारी सभा ने वर्ष 1982, 83 (3) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स डिप्लोमा इन्जीनियर्स एसोसिएशन ने वर्ष 1983 तथा (4) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 1981 के वार्षिक विवरण-पत्र प्रेषित नहीं किये हैं। अतः उनके विरुद्ध ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप नोटिसें भेज दी गई हैं।

सिंचाई विभाग के श्रम संघों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में विधान भवन के समक्ष धरना

21—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत श्रम संघों द्वारा संयुक्त रूपसे कतिपय मांगों को लेकर विधान भवन पर 17 जुलाई, 85 को धरना दिया गया ? यदि हां, तो धरने में कौन-कौन से श्रम संघ सम्मिलित हुए तथा उनकी मांगें क्या है और शासन द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

जी हां। सिंचाई विभाग में कार्यरत श्रम संघों द्वारा 17 जुलाई, 1985 को धरना दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार धरने में 6 श्रम संघ शामिल थे जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1—सिंचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश।

2—प्रान्तीय सिंचाई एवं बांध योजना श्रमिक महापरिषद्, उत्तरप्रदेश।

3—सिंचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश।

4—सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश।

5—रामगंगा परियोजना मजदूर संघ।

6—इरीगेशन डिपार्टमेंट इम्प्लाइज यूनियन।

इन संघों द्वारा 21 मांगे रखी गयी थी। इनमें मुख्य रूप से स्थायीकरण, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का नियमितीकरण विगत तीन वर्षों का बोनस भुगतान किया जाना आदि है। शासन द्वारा उपरोक्त मांगों पर विचार किया जा रहा है।

वनस्पति उद्योग के कर्मचारियों के अंतरिम सम्बन्धी राहत अधिसूचना पर प्राप्त स्थगन आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही

22—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा वनस्पति उद्योग के कर्मचारियों के लिये जारी अन्तरिम राहत सम्बन्धी राजाज्ञा, न्यूनतम वेतन सम्बन्धी इंजीनियरिंग, होटल के कर्मचारियों से सम्बन्धी राजाज्ञा पर मालिकों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं ? यदि हां, तो शासनद्वारा स्थगन समाप्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

वनस्पति उद्योग के संबंध में निर्गत अन्तरिम राहत संबंधी अधिसूचना संख्या 1999 (एसटी) 36-1-546 (एसटी) 81, दिनांक 4-4-85 के विरुद्ध सेवायोजकों द्वारा स्थगन आदेश नहीं प्राप्त किया गया है। किन्तु मेसर्स बाला जी वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स, सीतापुर के सेवायोजकों ने वनस्पति उद्योग के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत संबंधी अधिसूचना संख्या-5420 (एसटी) 36-1-546 (एसटी)।81, दिनांक 5-10-83 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट तथा इंजीनियरिंग उद्योग के सेवायोजको ने न्यूनतम मजदूरी संबंधी राजाज्ञाओं के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं।

स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है।

उ0प्र0 राज्य कताई मिल नं0 1 लि0, अकबरपुर, फैजाबाद में सेवा योजकों एवं यूनियनों के मध्य पंच-निर्णय

23—श्री सुखपाल पान्डेय तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय——

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य कताई मिल नं0 1 लि0, अकबरपुर,फैजाबाद में लगू प्रमाणित स्थायी आदेश की धारा—7(क), 11 (क) में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत परिभाषा क्या दी गयी है ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिष्ठान में सेवा योजकों एवं यूनियनों के बीच हुए पंच निर्णय के विवाद संख्या 5/1981, सन् 1981 के वाद विन्दु संख्या 10 एवं 11 में पंच निर्णायक द्वारा क्या निर्णय दिया गया है?

श्री सैय्यद सईदुल हसन——

स्थाई आदेश के अन्तर्गत धारा 7 (क) तथा 11 (क) की परिभाषा संलग्नक—1 में उल्लिखित है।

विवाद संख्या 5/1981 सन् 1981 का वाद बिन्दु 10 व 11 में पंच—निर्णायक द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह संलग्नक—2 में उल्लिखित है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 143 पर)

उ0प्र0 राज्य कताई मिल नं0 (1) अकबरपुर, फैजाबाद में वेलफयर अटेन्डेन्ट का पद

24—श्री सुखपाल पाण्डे और श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय——

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त उ0प्र0 राज्य कताई मिल नं0 1 अकबरपुर, फैजाबाद में लेबर वेलफेयर अटेन्डेन्ट पद का सृजन कब हुआ और उक्त पद कब से रिक्त है तथा उक्त पद की शैक्षिक योग्यता क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रतिष्ठान में कार्यरत श्री हरिश्याम सिंह पुत्र बलिभद्र सिंह अपनी योग्यतानुसार उक्त पद के प्रार्थी हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से अब तक पंच निर्णय विवाद संख्या 5/1981 वर्ष 1981 के वाद विन्दु संख्या 10 तथा 11 के अन्तर्गत उनकी पदोन्नति उक्त पद के लिये अब तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन——

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल (नं0) 1 अकबरपुर में वेलफेयर अटेडेन्ट पद का सृजन वर्ष 1979 में किया गया था। वेलफेयर अटेन्डेंट का पद रिक्त नहीं है। इस पद के विरुद्ध वर्तमान में सहायक वेलफेयर अटेन्डेट कार्यरत है। वेलफेयर अटेन्डेन्ट के पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट है, जी नहीं। क्योंकि वेलफेयर अटेन्डेंट के पद पर कोई नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच, सरजू कैनाल का निर्माण कार्य एवं जलभराव से हुई क्षति एवं प्रतिकर भुगतान

25——श्री मनहरन नाथ कौल——

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि बहराइज जनपद में बन रही सरजू कैनाल का कार्य लगभग 3 वर्षों से स्थगित है और स्थगन के बावजूद इस पर वेतन आदि में लगभग एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च हो रहे हैं? यदि हां, तो अग्रेतर खर्च को रोकने के लिए क्या कैनाल के निर्माण की कार्यवाही इस वर्ष आरम्भ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह——

सरजू कैनाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठाता।

26—श्री मनहरन नाथ कौल——

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करग कि बहराइच जनपद में सरजू कैनाल न बनने की वजह से जल भराव के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों मकान है गिर जाते हैऔर मकान तथा फसल के प्रतिकर का भुगतान करने में सरकार को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की हानि होती हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्धमें क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह :–

बहराइच जनपद में सरयू कैनाल के कारण जल भराव की समस्या नहीं है और न इस कारण सिंचाई विभाग द्वारा मकान तथा फसल के प्रतिकर का भुगतान किया गया है जहां जल भराव की समस्या जानकारी में आई उसका निदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभाई क्षेत्र बरसठी में सरकारी ट्यूबवेल की संख्या एवं खराब ट्यूबवेल

27–श्री पारस नाथ —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के विधान सभायी क्षेत्र बरसठी में कितने सरकारी ट्यूबवेल लगाये गये है तथा कितने सरकारी ट्यूबवेल करीब वर्षों से खराब है ? यदि खराब है तो उनके स्थान पर दूसर सरकारी ट्यूबवेल लगाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला जौनपुर विधान सभा क्षेत्र बरसठी में कुल 103 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं जिनमें से दो नलकूप वर्ष 1978 से फेल हैं। दोनों नलकूप शारदा सहायक नहर के कमांड में होने के कारण उनके स्थान पर दूसरे नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंचाई विभाग, डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा धरना एवं मांग

28–श्री शारदानन्द अंचल––

क्या सिंचाई मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के समक्ष गत 10 जून, 1985 से कर्मचारियों द्वारा धरना अपनी मांगों के संबंध में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन संघर्षरत कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में क्या विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह––

दिनांक 10–6–85 से सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ तथा विद्युत एवं यांत्रिक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग द्वारा अपनी मांगों के संबंध में संयुक्त रूप से धरने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था जो अब समाप्त हो गया है। संघको उनकी मांगें की स्थिति से अवगत करा दिया गया है तथा इनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

शारदा सहायक सिंचाई परियोजना की नहरों की सीपेज

29––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक सिंचाई परियोजना में कुछ नहरों में पी0 वी0 सी0 अथवा एच0 डी0 पी0 ई0 की शीट बिछाकर सीपेज को रोकने संबंधी प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या नतीजे सामने आए हैं ? और क्या सरकार इस व्यवस्था को अन्य नहरों में भी लागू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह ––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के इब्राहिमाबाद माइनर में झाबियापुर के निकट पुल बनवाने की मांग

30––श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत इब्राहिमाबाद माइनर में झाबियापुर के निकट पुल न होने से 10 गांवों को आवागमन की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो तत्काल पुल बनवाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं।

ग्राम झाबियापुर से 400 मीटर दूरी पर इब्राहिमाबाद माइनर के कि0 मी0 2.729 पर एक ग्रामीण सड़क सेतु बना हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के सेमरी माइनर की सिंचाई नहर की टेल की मरम्मत की मांग

31---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत समेरी माइनर से किसानों की सिंचाई नहर की टेल तोड़ दिये जाने से गत तीन वर्षों से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार टेल बनवाने के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह----

जी नहीं। टेलवाल तोड़ी नहीं गई है। सिंचाई हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

32---श्री काशी सिंह ऐरी---

(7वें सोमवार में अता० प्र० सं० 59के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नलकूप मण्डल, बरेली के अन्तर्गत कार्यरत मुख्य मुंशी का स्थानान्तरण

33---श्री राधे श्याम---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मंडल बरेली के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे कितने मुख्य मुंशी हैं जो निरन्तर एकही खण्ड में 10 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत है ? क्या शासन इन मुख्य मुंशियों का स्थानान्तरण अविलम्ब करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह----

नलकूप मण्डल, बरेली के अन्तर्गत एक मुख्य मुंशी 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है। आगामी सामान्य स्थानान्तरण के समय इसके प्रकरण पर विचार कर लिया जायेगा।

सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों की प्रमुख मांगे तथा उन पर कार्यवाही

34---श्री सुखपाल पाण्डे----

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रमुख अभियंता सिंचाई 10-6-85 से सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों के संबंध में अनिश्चित कालीन क्रमिक धरना कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या हैं ? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिये विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

दिनांक 10-6-85 से सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ तथा विद्युत एवं यांत्रिक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अपनी मांगों के संबंध में धरने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जो अब समाप्त हो गया है और संघ को उनकी मांगों की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इनकी मुख्य मांगें विनियमितीकरण, स्थायीकरण समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करना, पदोन्नति तथा आवास समस्या आदि के विषय में है। इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र, मऊ में सक्रिय एवं निष्क्रिय राजकीय नलकूपों की मरम्मत की मांग

35---श्री अकबाल अहमद अंसारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं ? इनमें से कितने सिंचाई कार्य में सक्रिय है कितने यंत्रों की खराबी से तथा कितने टूटी फूटी नालियां के कारण बन्द पड़े हैं ? सभी नलकूप कब तक सक्रिय हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ के मऊ विधान सभा क्षेत्र में कुल 40 राजकीय नलकूप है। इनमें से 35 नलकूप सिंचाई कार्य में सक्रिय हैं। पांच नलकूप फेल हो गये हैं।

दिनांक 24-8-85 की रिपोर्ट के अनुसार 2 नलकूप विद्युत दोष से बन्द है। यांत्रिक तथा टूटी फूटी नाली के कोई कारण नलकूप बन्द नहीं है।

विद्युत दोष से बन्द नलकूप को ठीक कराने के लिये विद्युत विभाग से सम्पर्क बनाये रखा गया है। टूटी नालियों की मरम्मत नलकूपों पर त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है

36-38--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा...

(7वें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 64-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिंचाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का मांग-पत्र

39 --श्री किशन लाल दिलेर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने विभाग के कर्मचारियों की मांगों का मांग-पत्र दिनांक 8-6-85 को दिया है ? यदि हां,तो उसमें क्या-क्या मांगें हैं और उन पर क्या निर्णय लिये जाने का विचार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में रिंग मशीनों पर कार्य करने वाले श्रमिक

40--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत रिंग मशीनों पर ठेकेदारों द्वारा लेबर किस-किस कार्य पर लगायी जाती है और उन लेबरों की अलीगढ़ मण्डल की हाजिरी कौन सा कर्मचारी लेता है ? क्या वह कार्य स्थल पर स्वयं हाजिर रहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विभाग में रिंग मशीनों पर तकनीकी कार्य विभागीय कुशलएवं अर्द्धकुशल श्रमिकों द्वारा सम्पन्न कराये जाते हैं। शेष आवश्यकतानुसार समस्त सामान्य प्रकृति के कार्य जैसे राहते को ठीक करना, छिद्रण स्थल पर भूमि समतल करना, गड्ढेखोदना, सामान को उतारना चढ़ाना, ईटों के चट्टे लगाना, जल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाना हटाना,बजरी छानकर डालना तथा ड्रिलिंग आपरेशन एवं असेम्बली- लोअरिंग संबंधी कार्य जो अकुशल श्रमिकों द्वारा कराये जाने होते हैं, वे कार्यादेशों के माध्यम से अनुसूचित दरों पर ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं। ये श्रमिक ठेकेदारों के होते हैं। अतः विभाग द्वारा इनकी हाजिरी लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, शाखा अलीगढ़ एवं अधीक्षण अभियन्ता पब्लिक नलकूप मण्डल अलीगढ़ के मध्य हुए कथित समझौते की जानकारी

41--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश शाखा अलीगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता पब्लिक नलकूप मण्डल अलीगढ़ के मध्य हुए समझौता दिनांक 11-2-85 को अंशकालीन कूप चालकों को 402 रुपये मासिक व अन्य सुविधायें देने के संबंध में हुआ था ? यदि हां तो उसे अभी तक लागू न करने का कारण क्या है ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था । दिनांक 11-2-85 को आन्दोलनकारी संघ के खण्डीय मंत्री को अधीक्षण अभियन्ता, पब्लिक नलकूप मंडल अलीगढ़ द्वारा पत्र के माध्यम से केवल यह सूचित किया गया था कि मासिक वेतन, साप्ताहिक व पर्वों के अवकाश तथा नलकूप के अधिक चलने पर अतिरिक्त भुगतान की मांगों के सम्बन्ध में शासन के आदेशानुसार ही कार्यवाही की जावेगी तथा बदले की भावना से कोई कार्यवाही न करने, यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान करने, स्टेशनरी देने, वेतन भुगतान में सुधार व सेवा पुस्तिकाओं को खोलने आदि मांगें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकार की गयी थीं, जो इन्हें दी जा रही हैं ।

पब्लिक नलकूप मण्डल, एवं नलकूप मण्डल, अलीगढ़ के अधीन बोर हुए नलकूप

42--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप मण्डल अलीगढ़ एवं नलकूप मण्डल अलीगढ़ में कितने नलकूप 30 जून 1975 तक बोर हुए हैं और उनमें से कितने चल रहे हैं तथा जो बन्द पड़े हैं उनके बन्द होने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल, अलीगढ़ के अधीन 30-6-85 तक कुल 430 नलकूप बोर हुए हैं इनमें से 315 नलकूप चल रहे हैं शेष नलकूपों का उर्जीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से कोई नलकूप बन्द नहीं पड़ा है।

2---नलकूप मण्डल, अलीगढ़ के अधीन दिनांक 30--6--85 तक 1447 राजकीय नलकूप बोर हुए थे इनमें से 157 नलकूपों का परित्याग कर दिया गया था। शेष 1290 नलकूपों में से 1171 नलकूप चल रहे हैं। 42 नलकूप विद्युत दोषों से 38 नलकूप यांत्रिक दोषों से बन्द हैं। 5 नलकूप निर्माणाधीन हैं तथा 34 नलकूप विफल हो चुके हैं।

श्री सत्येन्द्र कुमार, जू0 ई0, गंगा कैनाल, मुजफ्फरनगर का स्थानान्तरण

43--श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जगवीर सिंह तथा श्री अमीर आलम खां--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकारी नियमों के अनुसार कोई जूनियर इंजीनियर एक जोन में 7 वर्ष रह सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुजफ्फरनगर में गंगा कैनाल सिंचाई विभाग पर श्री सत्येन्द्र कुमार जू0 ई0 को 9 वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री सत्येन्द्र कुमार को अन्यत्र स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। प्रचलित आदेशों के अनुसार जूनियर इंजीनियर सामान्यत: खण्ड में 5 वर्ष, मण्डल में 7 वर्ष तथा जोन में 15 वर्ष तक रह सकता है। श्री सत्येन्द्र कुमार जैन जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) के अधिक्षेत्र में किया गया था और कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें दिनांक 30-4-85 को कार्य मुक्त मान लिया गया है।

जनपद वाराणसी तहसील ज्ञानपुर में पम्प कैनाल के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

44--श्री मूलचन्द--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के अन्तर्गत किसानों की जो जमीन करीब 8 वर्ष से नहर (पम्प कैनाल) में ले ली गई है उसमें कितने किसानों को मुआवजा दिया गया है और कितने लोगों को अब तक नहीं दिया गया ? क्या सरकार द्वारा मुआवजा देने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां तो उसे कब तक दे दिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत तहसील के 49 ग्रामों के 1675 कृषकों को मुआवजा दिया जा चुका है तथा 95 ग्रामों के लिये प्रतिकर कागजात तैयार किये जा रहे हैं तथा उनमें प्रभावित कृषकों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत यथाशीघ्र मुआवजा वितरित किया जायगा।

जनपद देहरादून एवं सहारनपुर में पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत प्रस्तावित नलकूप एवं कार्य की प्रगति।

45--श्री किशोरी लाल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक द्वारा नलकूप द्वितीय योजना के अन्तर्गत देहारदून व सहारनपुर जिलों के लिये कितने ट्यूबवेल लगाने प्रस्तावित हैं और ट्यूबवेल में से किन-किन विकास खण्डों में कितने ट्यूबवेल लगाये जाने हैं तथा इस कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत जनपद देहरादून में 25 तथा सहारनपुर में 50 नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित था। जनपद देहरादून के पछवादून विकास खण्ड में 25 तथा जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद विकास खण्ड में 40 नलकूप लगाये जाने प्रस्तावित हैं। इस जनपद के छुटमलपुर कलस्टर के क्षेत्र में भूमि बड़े-बड़े बोल्डरों से युक्त होने के कारण

वहां छिद्रण संभव नहीं हुआ अतः लक्ष्य घटा दिया गया है । जनपद देहरादून में अभी तक प्रगति शून्य रही है जनपद सहारनपुर में 26 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य 14 छिद्रण तथा विकसन का कार्य पूर्ण हो चुका है । इनमें से 8 नलकूपों पर पम्पगृह का निर्माण हो चुका है तथा अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जनपद सुल्तानपुर ब्लाक जामो ग्राम भीखीपुर के निकट भीखीपुर माइनर में साइफन का निर्माण

46--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर को सम्बोधित ग्राम भीखीपुर ब्लाक जामो जिला सुल्तानपुर के नागरिकों तथा प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 19-4-85 का प्रार्थना पत्र जिसमें जौनपुर माइनर से निकली भीखीपुर माइनर में ग्राम भीखीपुर के पास साइफन बनाने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी जांचकर साइफन बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । साइफन के औचित्य को देखते हुए साइफन के निर्माण के आदेश सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा दे दिये गये हैं ।

जनपद सुल्तानपुर में पूरो फाजिल व कुंडा सड़क पर पुल निर्माण की मांग

47--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक 49 सुल्तानपुर को सम्बोधित जामों ब्लाक जिला सुल्तानपुर के ग्राम एंधी के नागरिकों सर्वश्री चन्द्र भानसिंह व फूल चन्द्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित कोई प्रार्थना पत्र जिसमें सुल्तानपुर रोड से निकली पुरो फाजिल व कुंडा सड़क पर एक पुल बनाने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पुल की जांच के बाद बनाने का आदेश दिया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । पुल के औचित्य को देखते हुए पुल के निर्माण के आदेश संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा दे दिये गये हैं ।

श्रीमती रुपदेवी, ग्राम रशीदाबाद तिवारियन 'जला फर्रुखाबाद का वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र

48--श्री राजेन्द्र सिंह--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रूपदेवी ग्राम रशीदाबाद तिवारियन तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना पत्र वृद्धावस्था पेंशन फरवरी मार्च, 1985 में स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रूपदेवी ने अपना प्रार्थना पत्र वास्ते वृद्धावस्था पेंशन कब प्रस्तुत किया और भुगतान कब से प्रारम्भ हुआ तथा लम्बे विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर में सिंचाई विभाग के तालाबों का मत्स्य पालन हेतु पट्टा, अनुसूचित जाति/जनजाति को देने की मांग

49--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के सिंचाई विभाग के तालाबों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को मछली पालने हेतु पटटे पर देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1984 प्राप्त हुआ है यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर अधीक्षण अभियन्ता ओबरा की रिपोर्ट मांगी गयी है ।

कनहर सिंचाई परियोजना मिर्जापुर के अन्तर्गत लेबरहट को डिस्मन्टल करने संबंधी आदेश

50--श्री विजय सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि जनपद मिर्जापुर के कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत लेबर हट व शेड व अन्य मकानात डिसमेन्टल कराने हेतु मस्टर रोल के आधार पर कार्य करानेकेलिये सन् 1983 से 1985 तक अधिशासी अभियन्ता कनहर निर्माण खंड (प्रथम एवं द्वितीय) के यहां से कितने आदेश निर्गत हुए हैं और उनमें से कितने आदेशों की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता से ले ली गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कनहर निर्माण खण्ड प्रथम पिपरी द्वारा मस्टर रोल से केवल एक लेबर हटडिस्मेन्टल किया गया था जिसमें खण्ड द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसमें अधीक्षण अभियन्ता से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

तरसड़ा, ब्लाक बड़ागांव, जनपद वाराणसी का नलकूप

51-श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 89 तरसड़ा ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी दिसम्बर 84 से कई माह तक खराब था और मई 85 के आखीर से 28 जून, 85 तक खराब रहा ? यदि हां, तो इतने दिनों तक ट्यूबवेल को न बनाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और रीबोरिंग किए हुए ट्यूबवेल का पम्प हाउस मशीन ट्यूबवेल नं0 89 को समर सेबूल पम्प लगवा कर तुरन्त चलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

नलकूप संख्या-89 जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी थी का पुनः छिद्रण कराया गया है तथा विकसन 2/85 में कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

रीबोरिंग किये हुए नलकूप का पम्प हाउस, मशीन एवं पम्प लगाकर शीघ्र चलाने की व्यवस्था की जायेगी।

सचिवालय के गन्ना विकास अनुभाग में कार्यरत लिपिकों का कार्यकाल

52--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय स्थित गन्ना विकास अनुभाग में कार्यरत लिपिक वर्ग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही सीट पर कार्य रत है तथा विगत वर्षों में उनके स्थानान्तरण होने पर उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है? इसका क्या कारण है तथा इनके कब स्थानान्तरण किए जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित --

ऐसा केवल एक कर्मचारी है जिसका स्थानान्तरण दिनांक 13-5-1982 को हुआ था लेकिन उस विभाग द्वारा प्रश्नगत कर्मचारी को ग्रहण न करने के फलस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा सका। अब जब भी उनका स्थानान्तरण किया जायेगा उन्हे कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या 6 जो आज लगा हुआ था, 9वें बुधवार के लिये स्थगित कर दिया गया है। अब इस सत्र में 9वां बुधवार तो आनेवाला है नहीं, यह इतन महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इसे स्थगित नहीं होना चाहिए था। सिंचाई विभाग ने करोड़ों रुपय सेतु निगम को दिया और पुल निर्मित किया गया और वहां पर टोल-टैक्स वसूला जा रहा है, जनता पर ज्यादती हो रही है। सिंचाई विभाग ने पैसा इसलिये दिया था कि गण्डक समादेश की नहरों से जिन नदियों-नालों पर आवागमन रुक जाता है, वहां के लिए दिया था, तो उसका टौल-टैक्स नहीं लेना चाहिये था। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस तरह की चीज क्यों रही है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे मंगवा कर देखूंगा।

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, एक मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारे प्रश्न हैं अतारांकित, तारांकित, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो ये प्रश्न हैं उनकी सूचनायें भिजवा दें, जो प्रश्न हमारे सदन में नहीं आ पाये हैं और आपके कार्यालय में पहुंच गये हैं, उनका उत्तर दिलवा दें क्योंकि नियमानुसार सदन के समाप्त होने पर सारे प्रश्न व्यपगत हो जायेंगे, तो ऐसी व्यवस्था देकर सारे प्रश्नों के जवाब हमें सदन की समाप्ति के बाद मिल जायें।

श्री अध्यक्ष--

मै इसको देखूंगा।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 5 को देखने का कष्ट करें। यह पिछली बार भी आज के लिये स्थानान्तरित हुआ था और इसे फिर 34वें मंगलवार के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसलिये मेरे दो तारांकित प्रश्नों का समय निकल गया पहले हफ्ते और इस हफ्ते, और फिर इसका जवाब नहीं आया। इनका संबंध बहुत ही लोक महत्व के विषय से है, हजारों जानवर गंदा पानी पीकर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इसके बावजूद इसेदो-दो बार डाल कर हमारा समय खराब किया गया है और एक तरहसे मेरे अधिकारोंको,जो अन्य प्रश्न करने का है, समाप्त हो जाता है, तो इसपर आप अपनी व्यवस्था दें दो-दो बार टालने के बावजूदहै जवाब क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस को देखूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

जो नियम 301 के अन्तर्गत आज 59 सूचनायें प्राप्त हुई हैं और उनमें से मैंने 23 स्वीकार की हैं....

श्री मित्र सेन--

कितनी प्राप्त हुई हैं और कितनी स्वीकृत हुई ?

श्री अध्यक्ष--

जितनी सूचनायें आयी है, सब को मैं दे रहा था, इतनी सूचनायें कभी नहीं आयी थीं.....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

चर्चा नहीं हो पाती है इसलिये इतनी सूचनायें आयी हैं.....

एक अन्य सदस्य--

नियम 56 आज कल स्थगित है उसके कारण, जनता कोई महत्वपूर्ण मद्द थे, हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिये 301 की संख्या बढ़ी है, सब को स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

आखिरी दिन की स्वीकार हुई है, पहले। यह कार्य मंत्रणा ने किया है, जो आपके सामने है।

नियम 301 के अन्तर्गत 59 सूचनाएं आयीं थीं, जिसमें से 23 सूचनाएं स्वीकार की गयी है जो सर्व श्री माता प्रसाद पाण्डे श्री मोहम्मद ममूद खां, श्री मनोहर लाल, श्री बुनयाद हुसैन अंसारी, श्री सरदार सिंह, श्री मित्रसेन, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अचलसिंह, श्रीधनराज यादव,श्री हरेन्द्र सिंह, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री बदन सिंह, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, डा0दिनेश जौहरी, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह, चौधरी महाराज सिंह तथा श्री हर्ष बर्धन की हैं।

यदि आप लोग सहमत हों तो इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

इटावा, जनपद बस्ती में हैजे के प्रकोप की उपचार व्यवस्था शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[मान्यवर,बस्ती जनपद के मेरे निर्वाचन क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत विकास खण्ड भनवापुर, इटवा तथा खुनियांव में हैजे का भीषण प्रकोप फैल रहा है। विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम सोहना व कमतार में 20 मौतें हैजे से हुई है तथा इटवा के ग्राम संकटपुर के आस पास के गांव में भी लगभग 10 मौते खुनियांव में भी हैजे से कई व्यक्तियों की जाने गयी है। हैजे के प्रकोप से बचने के लिये हैजे का टीका लगवाने का निरन्तर प्रयास हो रहे हैं परन्तु सम्पूर्ण जनपद में हैजे के टीके का अभाव है। प्रभावित गांवों में भी प्रत्यक परिवार के प्रत्येक सदस्य को टीके के अभाव में टीका नहीं लगाया जा सका है। कुछ गांव में मलेरिया का भी प्रकोप फैल गया है। उसकी भी दवा का अभाव है। हैजे व मलेरिया से निरन्त लोग मर रहे हैं परन्तु किसी प्रकार से कारगर कार्यवाही शासन के स्तर से अभी तक नहीं हो सकी है।

अस्तु आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि हेजे से बचाने के लिये हैजे का टीका पर्याप्त मात्रा में तथा अन्य उपाय शीध्र ही जिले में उपलपध करायें।]

शिक्षा विभाग, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मसूद खां--

[मान्यवर,मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आजमगढ़ जनपद में शिक्षा विभाग में सारा कार्य भार रुका पड़ा हुआ है। कुछ लोग शिक्षा विभाग के कार्यालय में धरना दिये हैं। जिससे जिला विद्यालय निरीक्षक दो महीने से जाते नहीं। दफ्तर के क्लर्क इधर-उधर टहलते हैं, कहा जाता है जिन कामों के लिये गलत अन्दाज से पेश आते हैं। उनको जिला विद्यालय निरीक्षक आदेश पारित करते हैं। पिछले साल जिला विद्यालय निरीक्षक को कुछ लोगों ने इतना मारा कि हाथ पांव टूट गया। परन्तु प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया। मगरावां हायर सेकेण्डरी स्कूल आजमगढ़ जो अल्पसंख्यक संस्था है। अगस्त, 1983 को कृषि विज्ञान की प्रार्थना-पत्र पड़ी जिस पर अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी से बार-बार रिमाइण्डर आ रहे हैं परन्तु कोई रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर से नहीं जा रही है और कोई भी कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। जिसकी वजह से जनता के अन्दर असन्तोष व्याप्त हो गया है।

अब मैं मांग करता हूं कि सरकार ध्यान दे और जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर मे ऐसी व्यवस्था करें कि काम धाम पूरी तौर से होने लगे। मंगरावां हायर सेकेण्डरी स्कूल, मंगरावां के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी रिपोर्ट अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् वाराणसी को तुरन्त भेजें।]

जनपद उन्नाव में जल भराव एवं गन्दगी से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल--

[मान्यवर, उन्नाव जनपद में बाढ़ के पानी के भराव एवं ड्रैनेज सिस्टम न होने की वजह से कई महामारियां फैल रही हैं। हर जगह गंदा पानी भरा हुआ है, जो सड़ रहा रहा है। उन्नाव शहर में गंदे पानी का किसी प्रकार का भी निकास नहीं है। घरों तक गंदी नालियों का गंदा पानी भर रहाहै जिसमें बड़े-बड़े कीड़े व मच्छर हैं बहुत से लोगों ने अपने-अपने मकान छोड़ दिये हैं और दूसरी जगह बीमारी की वहज से जाने के लिये मजबूर हो रहे हैं।

जनपद के मुख्य चिकित्सालय में महामारियों से निपटने के लिये किसी भी प्रकार की विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चिकित्सा एवं नगर विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए शीध्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

टिप्पणी:-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फतेहपुर जिले की पुरानी कचहरी के समीप स्थित मस्जिद में पी० ए० सी० द्वारा नमाज पढ़ने पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

[मान्यवर, फतेहपुर जिले की पुरानी कचहरी के समीप स्थित मस्जिद में पी० ए० सी० द्वारा नमाज पढ़ने पर रोक लगा देने से स्थानीय अल्प संख्यकों में भारी उत्तेजना व्याप्त है। यही नहीं इस मस्जिद के समीप से गये मार्गों को पी० ए० सी० ने अवरुद्ध कर दिया है। जिसके कारण जनता को भारी असुविधा है।

शासन इस ओर अविलम्ब ध्यान दे तथा इस मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की सुविधा प्राप्त करायें।]

टाउन एरिया गोकुल, महावन मथुरा में व्याप्त गन्दगी एवं अव्यवस्था से तीर्थयात्रियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल जनपद मथुरा के टाउन एरिया गोकुल, महावन, बल्देव व रोया की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान गत कई माह से नहीं हो पा रहा है। इस कारण उन मजदूरों में असन्तोष व्याप्त है। उक्त टाउन एरियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है। इस कारण इन बस्तियों में गन्दगी सड़ान तथा अनेक बीमारियों का साम्राज्य हो गया है। हरिजन बस्तियों व अल्प संख्यक बस्तियों का तो और भी बुरा हाल है। इन टाउन एरियों में हरिजन एवं अल्पसंख्यक बस्तियों में बिजली के खम्भों की भी व्यवस्था न होने के कारण सदैव अन्धेरा छाया रहता है। तीर्थ स्थल महावन, गोकुल व बल्देव का बुरा हाल है। इन टाउन एरियों मे पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। महावन में पेयजल सप्लाई का सबसे बुरा हाल है। प्रभारी अधिकारीगण पर अत्यधिक काम होने के कारण इन बस्तियों को नहीं देख पा रहे हैं। गोकुल, महावन व बल्देव में देश विदेश से बहुत से तीर्थ यात्री दर्शन हेतु आते हैं और प्रदेश सरकार के बारे में बहुत बुरा ईम्प्रेशन (विचार) इन तीर्थ स्थानों के सम्बन्ध में लेकर जाते हैं। आजकल इन तीर्थ-स्थानों में सफाई, बिजली और पेयजल की व्यवस्था बुरी चल रहा है।

मेरी आप एवं सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है उक्त तीर्थ-स्थानों में व्यवस्था सुचारु बनायें।]

थाना इन्चार्ज कुमारगंज, फैजाबाद, द्वारा ग्राम पूरे बख्तावर (फुन्दुनपुर) सुल्तानपुर के श्री राम नवल पुत्र श्री राम प्यारे की गर्भवती पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिव सेन--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना शासन एवं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। थाना इन्चार्ज कुमारगंज फैजाबाद ने 12/13-8-85 को ग्राम पूरे बख्तावर (फुन्दुनपुर) थाना शुकुल बाजार सुल्तानपुर निवासी श्री राम नवल पुत्र राम प्यारे के घर पहुंचकर किसी मामले की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का कारण पूछने पर उसकी गर्भवती पत्नी को थाना इन्चार्ज कुमारगंज ने लात घूसों से बुरी तरह मारा जिससे किसी गम्भीर चोट के कारण उसे रक्त श्राव होता रहा और तीसरे दिन उसका गर्भपात हो गया पति की अनुपस्थिति तथा उचित चिकित्सा के अभाव में उसकी हालत निरंतर बिगड़ती गयी। उसकी गम्भीर दशा को देखकर निराश्रित अवस्था में उसे दिनांक 21-8-85 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुकुल बाजार में भर्ती कराया गया जहां उसकी उसी दिन दर्दनाक मृत्यु हो गयी।

दूसरे दिन पति के फैजाबाद से पैरोल से छूटने के बाद उक्त घटना की सूचना जिला पुलिस प्रशासन/प्रशासन, सुल्तानपुर को टेलीग्राम द्वारा दी गयी तथा लिखित सूचना सूचना रिपोर्ट शुकुल बाजार थाने पर अंकित

टिप्पणी--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करायी गयी। तीन दिन लाश पड़ी रहने के बाद दिनांक 24-8-85 को उसके शव का विच्छेदन हो सका। थाना इन्चार्ज कुमार गंज ने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर बगैर सुल्तानपुर की स्थानीय पुलिस को सूचना दिये ही जघन्य अपराध किया है। इससे वहां की जनता में गहरा आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।

में शासन से तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित कर गिरफ्तार करने तथा तत्काल किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायें जाने जाने की मांग करता हूं।]

कस्बा औरैया, जनपद इटावा में अस्पताल की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमलेश कुमार पाठक--

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस समय कस्बा औरैया (जनपद-इटावा) में लगभग (60) हजार जनसंख्या है। यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हो चुकी है, एक महाविद्यालय, 6 इण्टर कालेज, तहसील मुख्यालय व तहसील स्तर के सभी विभागों के कार्यालय औरैया में स्थित हैं। इन सब के होते हुए भी औरैया में कोई चिकित्सालय नहीं है। मामूली रोगों के इलाज के अभाव में प्रतिवर्ष हजारों की मृत्यु होती है सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि औरैया से एक सौ किलोमीटर की दूरी पर कानपुर में व 70 कि0 मी0 की दूरी में इटावा में ही अस्पताल है। इस समय औरैया क्षेत्र में मलेरिया, हैजा आदि के रोगियों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो रही है।

अतः कस्बा औरैया में स्टेट प्लान के अन्तर्गत पचास शैय्या का एक चिकित्सालय जो अब तक बन जाना चाहिए था बनवाया जाय।)

नरैनी, बांदा में सहकारी सहायता के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

(मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक में वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के क्षेत्र निधि के धन के वितरण में भीषण घपला किया गया तथा शासन की नीतियों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है। नियमानुसार बी0 डी0 सी0 की राय के अनुसार धन का वितरण नहीं किया गया। मीटिंग में केवल औपचारिकता बतौर भोले-भाले ग्राम प्रधानों पर नाजायज दबाव डाल कर उनसे हस्ताक्षर करा कर मनमानी ढंग से ब्लाक प्रमुख अपने पद का दुरुपयोग करके पक्षपात पूर्ण ढंग से धन का वितरण विकास खण्ड अधिकारी की सांठ-गांठ से किया गया है। ब्लाक के अनेक गांवों में अलाभकारी एवं गैर जरूरी योजनाओं को बिना तकनीकी स्टीमेट का धन आवंटित किया है, जब कि तमाम ग्राम सभायें जनहित की अति आवश्यक योजनाओं हेतु धन नहीं प्राप्त कर पायी। बहुत सी ग्राम सभाओं में आजादी के बाद से आज तक विकास कार्य शून्य है। तथा कथित निर्माण-कार्यों की प्रगति शून्य है, तथा उसमें घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग की जा रही है। बहुत से निर्माण कार्य ऐसे हैं जो असरदार व्यक्तियों ने अपने निजी प्रयोग के लिए अपने हाते के अन्दर निर्माण-कराया जैसे ग्राम सभा मड़ा में (गंगापुरवा) में पंचायत घर का निर्माण वस्तुतः बी0 डी0 सी0 ब्लाक नरैनी टू मैन सोसायटी बन कर रह गयी है।

अतः उपरोक्त कार्यों की जांच टेक्निकल सेल से करायी जाय। भविष्य में क्षेत्र निधि का विवरण बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में जिला स्तर के अधिकारी की उपस्थिति में की जाय ताकि मनमाने ढंग से नाजायज दबाव पर प्रधानों के हस्ताक्षरों का दुरुपयोग न हो सकें।)

टिप्पणी--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बाराबंकी बहराइच सीमा पर कृषकों को घाघरा नदी के कटान से खाली जमीन पर ए0 आर0 ओ0 द्वारा फर्जी कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनीप्रसाद वर्मा---

[मान्यवर, बाराबंकी, बहराइच सीमा पर इस समय घाघरा नदी की कटान से गत वर्षों में खाली जमीन पर किसानों को कब्जा दिलाने व सीमांकन का कार्य चल रहा है। यह कार्य एक पी0सी0एस0 अधिकारी ए0 आर0 ओ0 की देख-रेख में हो रहा है। सीमांकन कार्य में उक्त अधिकारी भ्रष्ट तरीके से लोगों से पैसा लेकर वास्तविक किसानों को कब्जा न दिला कर सामन्तों से सांठ-गांठ करके अन्य लोगों को काबिज करता रहा है। ग्राम माझा, दरिया बुर्द तहसील नानपारा जिला बहराइच व इस जनपद की कैसरगंज तहसील के ग्राम मझारा तोकली के 200 से अधिक हरिजनों व अन्य गरीब लोगों की जमीन पर पैसे के बल पर अन्य लोगों को काबिज करवा दिया गया है। ग्राम तपेसिवाह तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच का एक बार नक्शा बनाया गया परन्तु कुछ लोगों से सांठ-गांठ करके नक्शा गायब कर दिया गया और अब दुबारा नक्शा बनाया जा रहा है। जिसमें लाखों रुपयों की हेरा-फेरी हो रही है। यह सब भ्रष्टाचार ए0 आर0 ओ0 के कारण है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच ए0 आर0 ओ0 को हटा कर करवाई जाय तथा गरीब किसानों को न्याय दिलाया जाय।]

मेसर्स क्वालिटी ट्यूबफैक्ट्री प्रा0 लि0 बिन्दकी रोड, फतेहपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में मेसर्स क्वालिटी स्टील ट्यूब फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बिन्दकी रोड एक वृहद् औद्योगिक इकाई है। उक्त फैक्ट्री में पिछले एक वर्ष से फैक्ट्री मालिक ने ले आफ कर रखा है जिससे उक्त फैक्ट्री में पिछले सात-आठ वर्षों से कार्य कर रहे मजदूरों को भी ज्यादातर अस्थायी रूप से मजदूरों को रखा जाता है। फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली कोई भी सुविधा मजदूरों को नहीं दी जा रही है। ज्ञात हुआ है कि पिछले एक वर्ष से जो कच्चा माल राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया है उसे भी मालिक ने चोर बाजारी में बेच लिया है। एक वर्ष से चल रहे ले आफ के कारण मजदूर एक-एक रोटी को मोहताज हो गये हैं और भूख से मरने के करीब पहुंच रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि उक्त फैक्ट्री में चल रहा ले आफ अविलम्ब समाप्त कराया जाय और फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।

नौगढ़ जनपद बस्ती में कतिपय गांवों को उजाड़ने हेतु सुपर वाइजर कानूनगों तथा लेखपाल द्वारा पैमाइश किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री अनराज यादव---

[मान्यवर, बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बर्डपुर नं0 1 पिपरहवा (जहां खुदाई से भगवान बुद्ध की राजधानी कपिल वस्तु प्रमाणित हो चुकी है) में गत सप्ताह सुपरवाइजर, कानूनगो एवं लेखपाल वर्डपुर नं0 1 टोला पिपरहवा, अली गढ़वा, गनवरिया, सरदार नगर इत्यादि 10 गांव की पैमाइश किया तथा परिवार, पशु, मकान नोट किया और यह भी प्रचारित किया कि यह गांव उजाड़े जायेंगे।

मान्यवर, इस कार्यवाही से उक्त 10 गांव के अतिरिक्त पास-पड़ोस के पच्चासों गावों में भय, आशंका, एवं असंतोष व्याप्त है।

टिप्पणी :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके पहिले कुछ जमीन पुरातत्व विभाग ने अधिग्रहीत किया है। जिस पर बिना मुआवजा दिये कब्जा कर लिया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में ला कर मांग करता हूं कि तत्काल जांच करके समुचित कार्यवाही करे।]

मुजफ्फरनगर में विद्युत् आपूर्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय अति लोक महत्व क विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे जनपद में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गयी है। बड़े मिल मालिकों को विद्युत सप्लाई नियमित रूप से मिलती है परन्तु किसानों एवं छोटे उद्योगों को बिजली नहीं मिल पाती है, किसानों को अत्यन्त पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर महीनों-महीनों फुंके पड़े रहते हैं। बिना रिश्वत के कोई ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है, लाइनें महीनों खराब पड़ी रहती हैं। चारों को रिश्वत की बाजार गर्म है। किसानों से कोई सुनने को तैयार नहीं है। मान्यवर, सिकन्दरपुर बड्स सब-स्टेशन का जूनियर इन्जीनियर मि0 खोखा वहां पर नहीं रहता यहां से कल्याणपुर रोड, टाण्डा माजरा आदि ग्रामों में जाने वाली विद्युत लाइन पिछले एक माह से खराब है। इसी प्रकार काजी खेड़ा व लिहमाह आदि ग्रामों में एक माह तक विद्युत की सप्लाई नहीं हुई।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दोषी अधिकारी को दंडित कर किसानों को राहत दिलाने की कृपा करें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0 एन0 तिवारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

[मान्यवर, मैंने माननीय सदन के माध्यम से कई बार ग्रामीण अभियंत्रण के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0 एन0 तिवारी द्वारा भ्रष्टाचार एवं सहकारी धन का दुरुपयोग किये जानेका मामला उठायाहै उनके तथा उनके सहयोगियों के ऊपर जांच के बाद कई लाखरुपये के दुरुपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। जिसकी जानकारी शासन ने मुझे कराई है, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उन्हें यहां सरकार जो स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने का ढिंढोरा पीटतीहै चुपकेसे बहाल करके किसी जनपद में नियुक्त करना चाहती है। क्या उनका प्रकरण समाप्त कर देना चाहती है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि कई सहायक अभियन्ता जिनके विरुद्ध मामला साबित हो चुका था उनके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही रोक दी गई है। मेरे क्षेत्र में टी0ए0सी0 की टीम ने पिछले महीने जांच करनेके बाद यह पाया है कि किसी पुलिये में गिट्टी नहीं डाली गयी है और काम घटिया स्तर का किया गया है। मैं मांग करता हूं कि मेरे द्वारा उठाये गये बिंदुओंपर जांच करके दोषी व्यक्तियोंके खिलाफ कार्यवाही की जाय और शासन जो मामला दबाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है उसपर अंकुश लगाया जाय।

गंगा और रामगंगा नदियों में बाढ़ से मुरादाबाद के कतिपय गांवों की तबाही होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौशिक रमा शंकर---

[मान्यवर मुरादाबाद जनपद में विगत दिनों में आईगंगा और रामगंगा की बाढ़ से लाखों लोग बुरी तरहप्रभाविहत हुये हैं। विशेषरूप

टिप्पणी :--- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से गंगा की बाढ़ से आयी तबाही ने हजारों हजार लोगों की जिन्दगी को दूभर बना दिया है पपसरी, मुकारमपुर, देवीपुरा, सुल्तानपुर, बाजिदपुर, ढाकवाली, सीसोवाली, पपसरा, खादर, सीकरी, सिहालीमेव आदि गांवों में हजारों मकान गिर गये या कट गये हैं। फसल सब चौपट हो गयी है। चारा नष्ट हो जाने से पशुओं का जीवन खतरे में है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से निम्नलिखित व्यवस्थायें तुरन्त करने के लिये शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—(1) मकान की क्षति की प्रतिपूर्ति, (2) व्यक्तियों को मुफ्त राशन; (3) मक्खी, मच्छर मार दवाओं का छिड़काव व अन्य दवाओं की व्यवस्था, (4) पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था (5) प्रभावित लोगों को बिना ब्याज के तकावी (6) हसनपुर बांध तथा गंगा के बीच में बसे ग्रामों को बांध के पूर्व व उत्तर में आबादी के लिये भूमि आवंटन (7) जिनकी कृषि योग्य भूमि गंगा में कट गई है उनको कृषि योग्य भूमि आवंटित करने की व्यवस्था तत्काल की जाय]

बरेली महानगर के विकास हेतु मुख्य मंत्री द्वारा घोषित धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह—

[मान्यवर, आठ माह पूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बरेली के त्रिशूल हाई अड्डे पर पत्रकारों के सामने घोषणा की थी, कि बरेली महानगर के विकास के लिये 50 लाख रु0 का अनुदान सरकार से तुरन्त दिलवायेंगे। किन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक उक्त धनराशि नहीं मिल पाई। समय-समय पर मुख्य मंत्री जी को याद भी दिलाई जाती रही है। दिनांक 29-8-85 को बरेली महापालिका पर हजारों नागरिकों ने धरना दिया और जिला प्रशासक के माध्यम से एक ज्ञापन दिया जिसमें 50 लाख रु0 मुख्य मंत्री जी से तुरन्त दिलाये जाने की मांग की गई है। महोदय, उक्त घोषित राशि न मिलने के कारण बरेली के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं। सरकार द्वारा आश्वासन पूरा न किए जाने के कारण जनता में क्षोभ बढ़ रहा है और सरकार के प्रति विश्वास दिनों-दिन घटता जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी से उक्त धनराशि तुरन्त दिलवाने की कृपा करें।]

आगरा जनपद के कतिपय गांवों में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत किये गये कार्यों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[आगरा जनपद के जगनेर ब्लाक के गांवों रिछोहा, गुगांवद और तातपुर में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग आगरा द्वारा हाल में ही काम कराया गया था। रिछोहा की बन्धी की दीवार लोकल लैण्ड में चुने जाने के कारण पहली बरसात में चुलाही नदी में बह गयी। गुगांवद की बन्धी पर भेजी गयी मिट्टी और सीमेन्ट तथा चम्बल मैण्ड लुहाई नदी में बही हुई दिखाकर लाखों रुपये में बेच दी गयी। तातपुर के तालाब के सुदृढ़ीकरण हेतु तालाब से पानी निकालने, किसानों पानी खरीदने और मिट्टी निकालने के नाम पर लाखों रुपया डकारा गया। जबकि तालाब से न पानी निकाला गया न कहीं से खरीदा गया और पहाड़ पर बने तालाब में मिट्टी का प्रश्न ही नहीं था। उक्त ग्रामों में कामों में आवंटित 2060 सीमेन्ट की बोरियों में से 1700 बोरी सीमेन्ट ब्लैक में बेचकर केवल 360 बोरी सीमेन्ट कामों में लगाया गया है। 100 लेबर मुश्किल से इन कामों में लगाये होंगे। और 500-500 लेबरों का फर्जी मस्टर रोल बनाकर 6 लाख रुपये से ऊपर धनराशि का भुगतान कर दिया गया। इस तरह बीस लाख रुपया डकार लेने पर तीनों जनहित के कार्य अधूरे पड़े रह जाने से क्षेत्र चिंतित है। उक्त कामों की जांच, तकनीकी सेल से कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर

टिप्पणी :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही करने तथा उक्त कार्यों को पूरा करवाने की मांग करता हूं ।]

श्रीमती प्रकाशवती पाल की तरफ से न्यायिक मामलों में शासन द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

[माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन, रेन्ट कन्ट्रोल न्यायालयों में लम्बित मामलों में अपना एक्जीक्यूटिव प्रभाव डालकर न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया अपनाये हुये हैं, जिससे जनता में रोष और असंतोष व्याप्त है । यह हस्तक्षेप केवल मौखिक ही नहीं बल्कि लिखित भी होने लगा है, जिससे लोगों का विश्वास न्यायपालिका से हटता जा रहा है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, भवन सं0 21, शिवाजी मार्ग लखनऊ के बेसमेन्ट का एलाटमेन्ट एक बेरोजगार स्नातक के पक्ष में न्यायालय जिलाधिकारी अन्तर्गत अधिनियम 13 वर्ष 1972 (एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट प्रथम) लखनऊ द्वारा विधिवत किया गया, जिसको निरस्त करने के लिये आउट गोइंग किराये दार---श्रीमती प्रकाशवती पाल शासन के खाद्य विभाग द्वारा उनके पक्ष में निर्णय देने के लिये न्यायालय पर प्रभाव डलवा रही हैं । यहां तक कि अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2829 / उन्तीस-11-84, दिनांक 12 जुलाई, 1985 तथा पत्र संख्या 1483, उन्तीस-11-3818-84, दिनांक जुलाई 20, 1985 खाद्य एवं रसद अनुभाग द्वारा न्यायालय को भिजवाया जिनमें एलाटमेन्ट को निरस्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है । अतः आप इसकी जांच करायें और न्यायपालिका को कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचायें ।]

बरेली में रबर फैक्टरी में गैस के रिसाव से मजदूरों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी---

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । बरेली जनपद में स्थित रबर फैक्ट्री (सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स) में गत सप्ताह लेटेक्स प्लान्ट से विषैली गैस विनाशक पैराडीन लीक हुई जिससे 15 श्रमिक प्रभावित हुए और अनेक बेहोश हो गए जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा । इसी फैक्ट्री में दो माह पूर्व ब्यूटडीन नामक गैस लीक हुई जिससे 6 मजदूर प्रभावित हुए । इन गैसों से श्रमिकों में कैंसर आदि भयंकर बीमारियां होने का डर रहता है । फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने आगे गैस का रिसाव रोकने का कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध अभी तक नहीं किया है। जिसके कारण श्रमिकों में भय, आतंक एवं असन्तोष का वातावरण व्याप्त हो गया है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि सरकार को निर्देशित करें कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस फैक्ट्री में दुबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो एवं फैक्ट्री प्रबन्धकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ।]

फैजाबाद जनपद के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों के अध्यापकों के प्राविडेन्ट फण्ड, जीवन बीमा फण्ड, कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम में जमा धन में लाखों का गबन है । अभिलेख भी सही और अपटूडेट नहीं हैं । मान्यता प्राप्त स्कूलों को क्षतिपूर्ति देने, उनके अनुदान सूची में आने पर अध्यापकों वेतन लगाने, सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बनाने, स्थानान्तरण प्रोन्नति की सूची बनाने, कर्मचारियों को उनके फण्डों से कर्ज देने तथा नियुक्तियों में पांच से पच्चीस हजार रुपये तक अनुचित धन लिया जाता है । अधिकारियों की साजिश से माधुरी बालिका विद्यालय, कटेहरी को नियम विरुद्ध दस मील की दूरी पर स्थानान्तरित किया गया और प्रबन्धक को विद्यालय का भवन गिराकर सामान ले जाने दिया गया । प्रबन्धक के

टिप्पणी :---[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भ्रष्टाचार में शामिल कुसुम श्रीवास्तव, फैजाबाद में ही एस० डी० आई० थीं वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) रहीं और आज राजकीय कन्या इण्टर कालेज, फैजाबाद की प्रधानाचार्या हैं क्योंकि उनके भाई श्री गौड़ पहिले अतिरिक्त निदेशक (बेसिक शिक्षा) थे और आजकल निदेशक उर्दू हैं।

अतः इस विषय को सदन में संज्ञान में लाकर सारे मामले की उच्चस्तरीय खुफिया जांच की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद, आगरा में सूखा राहत कार्य की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि तहसील फिरोजाबाद में गत वर्षों की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होने के कारण समूची खरीफ की खड़ी फसल सूख रही है। वर्षा न होने से बाजरा और दलहन आदि के पूरी तरह से सूख जाने से किसानों में बेचैनी फैल गयी है जिससे किसानों का जन मानस हिल उठा है।

तहसील के दक्षिणी भाग में तो बेहड़ी जमीन के कारण फसल में शत प्रतिशत नुकसान हो चुका है जिससे किसानों में भय पैदा हो गया है कि इस फसल के बर्बाद होने पर रबी की भी फसल नहीं होने को है। वर्षा के अभाव में दोनों फसलें बर्बाद होने लगी हैं।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि तहसील फिरोजाबाद को सूखा पीड़ित घोषित किया जाये और नहरें चालू की जाएं तथा राजकीय नलकूपों को चालू कराया जाय और बिजली आपूर्ति 24 घण्टे की जाये। सूखा राहत कार्य तेजी से शुरू किया जाय ताकि किसानों की फसल बचाई जा सके और लगान माफ किया जावे तथा सरकारी देयों का ब्याज माफ की जाय।]

मुहल्ला खोजनीपुरा, फैजाबाद में बम विस्फोट की घटना से सबंधित दोषी व्यक्तियों को दंडित न किये जाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह--

[मान्यवर, नगर फैजाबाद की घनी बस्ती के कारण बीच अर्धरात्रि में मोहल्ला खोजनीपुरा में 25 मई, सन् 1985 को भयानक बम विस्फोट हुआ। 3 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गये भारी बम बनाने में लिप्त मोहम्मद तोफीक खां, रईस खां, रफीक खां, असलम खां, सलीम खां, जो इसी घर में रहते हैं, मौके का लाभ उठाकर भाग गये। आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं की है। विस्फोट के समय कमरे की छत उड़ गयी थी और दीवालें टेढ़ी हो गयीं। सारा मुहल्ला स्तब्ध रह गया। यह लोग पहले भी इन बमों का परीक्षण मोहल्ले के बाहरी भागों में करते थे। शिकायतों पर कभी कार्यवाही नहीं की गयी। आज वही मुलजिम मार डालने की धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने राज खोला या इन बम विस्फोट के खिलाफ कार्यवाही की तो उसे जान से उड़ा दिया जायेगा। इससे सारे फैजाबाद नगर की जनता आतंकित है।

अतएव लोक महत्व के प्रश्न पर मांग करता हूं कि घटना में लिप्त उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

भरथना, इटावा के अहनैया नदी में जल फैलाव होने से जनता में तबाही होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महाराज सिंह--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना जो जनपद इटावा विधान सभा क्षेत्र भरथना जसवन्त नगर

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान गया।

विधूना से सम्बन्धित है उसे लाना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद इटावा में पूर्व पश्चिम अहनैया नदी बहती है। इसके जल फैलाव के कारण लगभग 10 हजार एकड़ भूमि जल-मग्न रहती है। जल-मग्न रहने के कारण इस पर कृषि नहीं हो सकती है। सन् 1978 में जनता शासन के अन्तर्गत इस नदी को चौड़ा, गहरा करने की योजना स्वीकार की गयी थी और उसी के अनुसार 5-6 कि0 मी0 कार्य भी हुआ लेकिन सिचाई विभाग के अधिकारी ठेकेदारों ने मिलकर उस योजना के अन्तर्गत सारा धन बर्बाद कर दिया। आज दसों हजार परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं तथा गांव छोड़कर भाग रहे हैं और ऊपर से उसी भूमि की आमदनी आबपासी वसूल की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है।

अतः आपके माध्यम से सरकार व शासन से मांग करता हूं कि अविलम्बनदी को गहरा चौड़ा कराया जाय और दोषी अधिकारियों की जांच करवा कर दण्डित किया जाय एवं जब तक नदी के किनारे की भूमि कृषि योग्य न हो जाय आमदनी आबपासी माफ की जाय।]

फरेन्दा गोरखपुर में बाढ़ के प्रकोप से बचने हेतु कूड़ा नदी पर बांध बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हर्ष वर्धन—

मान्यवर, मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय को सदन में संज्ञान में लाना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद की तहसील फरेन्दा के बृजमनगंज एवं धानी विकास खण्डों के अधिकांश गांव बाढ़ आने पर त्रस्त होने की स्थिति में हैं। गोरखपुर जनपद के बृजमनगंज स्टेशन से बस्ती जनपद के उस्का स्टेशन को जाने वाली रेलवे लाइन बस्ती जिले में जहां "कूड़ा" नदी को पार करती है उस पुल के पूर्वी किनारे से उत्तर तरफ कूड़ा नदी पर बांध न होने के कारण बाढ़ का पानी बृजमनगंज विकास खण्ड के अधिकांश गांवों एवं धानी विकास खण्ड के अनेक गांवों में विनाश करता है। सम्बन्धित बांध का निर्माण न होने पाने का कारण उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग रेलवे से विवाद को बताता है। रेलवे विभाग का कहना कि कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग नियमानुसार कार्य कर बांध बना सकता है। वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए क्षेत्र की जनता बाढ़ से त्रस्त होने की दशा में है। ऐसी दशा में सम्बन्धित क्षेत्र की जनता की परेशानी, क्षोभ व संत्रास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं लोक महत्व के इस इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित बांध के निर्माण की मांग आकर्षित करते हुए सम्बन्धित बांध के निर्माण की मांग करता हूं।]

नियम 301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिये जाने की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, कल ही आपने कहा था कि कल जितनी भी सूचनाएं आयेंगी, हम सभी स्वीकार कर लेंगे, परन्तु मान्यवर, आपने ऐसा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, मैंने कहा था परन्तु आप स्वयं देख लें कि आज 59 सूचनाएं आयी हैं, इससे पहले किसी सत्र में भी इतनी अधिक सूचनाएं नहीं आयी क्योंकि आज आखिरी दिन था इसलिए इतनी सूचनाएं आ गयीं, जिन्हें नियमों के अन्तर्गत स्वीकार कर पाना सम्भव नहीं है।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कल ही आपने कहा था कि हम स्वीकार कर लेंगे जितनी भी सूचनाएं आयेंगी, इसलिए हम लोगों ने कुछ कहा

टिप्पणी— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं। दूसरे मान्यवर, नियम 56, 51 सभी बन्द हैं और यह नियम 301 की भी जितनी सूचनाएं हैं, यह भी सब बढ़ी हुई मान ली गयी हैं और इस पर अधिक समय भी लग रही रहा है, तो मान्यवर, सभी स्वीकार की जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की 11 सूचनाएंप्राप्त हुई हैं जो श्री शतरुद्ध प्रकाश की श्रीसुनील शास्त्री तथा श्री संजय सिंह की विदेश यात्रा के बारे में है, यही सूचना सर्वश्री रेवतीरमणसिंह, श्री रवीन्द्र नाथतिवारी तथा श्री रमा शंकर कौशिक ने दी है। तीसरी सूचना श्रीअशोक बाजपेई की है जो माननीय सदस्यों की सुविधाओं के सम्बन्ध में और थी सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा की है, जिसमें मा0 सदस्य ने गीतास्वरूप निर्णय तथा दयानन्द गाली पुराण नामक दो पुस्तकों की प्रतियां भेज कर यह चाहा गया कि इनके लेखकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। पांचवा मामला श्रीरामसरन ने किसी केन्द्रीय मंत्री की कार पर राष्ट्रीयध्वज के उल्टेलगे होने का उठाया है। और श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने यू0पी0 बोर्डके अधूरे परीक्षाफल के बारे में मामला दिया है। श्री सरदार सिंह द्वारा मा0नरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री की मनीला यात्राके बारे में मामला दिया गया है। श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा ने बांदा जनपद अध्यापकों की नियुक्तियां न होने के बारे में मामला प्रस्तुत किया है। श्री सत्यपाल सिंह ने 16 जून, 84 की श्री बदन सिंह पर पुलिस द्वारा प्राणघातक हमले की सूचना दी है। श्री कुशल पाल सिंह ने 31-7-85 को नियम 56 के अन्तर्गत बस्ती के पत्रकार के उत्पीड़न का मामला दिया है तथा श्री गौरी शंकर भइया ने एक मामला उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता शासन के विरुद्ध किसी न्यायालय में पैरवी कर सकते हैं

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, श्री रेवती रमण सिंह जी, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी और रमा शंकर कौशिक जी का एक ही विषय पर है। दो माननीय सदस्य या नेतागण बोल लें।

सत्र के दौरान परिवहन मंत्री राजकुमार, संजय सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

हम लोगों ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है। यह संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं में अवरोध हो और सरकार इसका पालन करे, इसका आदर करे, इसी नीयत से रखा गया है। इसमें तीन प्रश्न मुख्य आधार पर है। संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं के अनुसार जब सदन चल रहा हो तो किसी भी माननीय मंत्री को विदेश में यदि दौरा करना है तो उसकी इजाजत माननीय अध्यक्ष से या सदन से लेनी चाहिये और इसके साथ ही साथ मंत्रि-परिषद् का संयुक्त दायित्व है सदन के प्रति और उसके निर्वहन में उसकी प्राथमिकता सदन के प्रति है। अगर किसी मंत्री को या मंत्रि-परिषद् के सदस्य को विदेश जाना हो और सदन चल रहा हो तो जब तक विशेष परिस्थिति न आ जाय तब तक सदन की कार्यवाही छोड़कर बाहर के कार्य को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिये। इसके अलावा मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य विदेश जाता है तो सदन को अधिकार है कि वह जानकारी करे कि किस प्रयोजन के लिये विदेश यात्रा की गयी है। मेरी जानकारी है कि माननीय परिवहन मंत्री और ऊर्जा मंत्री विदेश गये हैं। कल ही एक मंत्री विदेश यात्रा से वापस आये हैं। यही कहना चाहूंगा कि दोनों में से किसी ने भी माननीय अध्यक्ष से इसकी इजाजत नहीं ली। इसके अलावा मुझे यह जानकारी मिली है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इनकी यात्रा का प्रयोजन एक्स पो-85, जो जापान में टेक्नालाजी और विज्ञान की नुमाइश लगी है, उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना है ताकि यहांके विकास के लिये उस जानकारी का सहयोग ले सकें। 3 सितम्बर से यह प्रदर्शनी शुरू हो गयी है, इस सदन का 5 सितम्बर को आखिरी उपवेशन है, ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री यदि चाहते तो 5 तारीख के बाद जा सकते थे। यह सदन का अधिकार है, अगर इससे वंचित कर दिया जायगा तो सदन की सर्वोच्चता नहीं रह जायगी। वह एक टेक्नीकल और वैज्ञानिक प्रदर्शनी है। मेरी जानकारी है कि माननीय ऊर्जा मंत्री बी0ए0 पास है और माननीय परिवहन मंत्री को किसी ऐसे विषय से डाक्टरेट की उपाधि दी गयी है जो विज्ञान का विषय नहीं है बल्कि तुलसीदास के विषय में शोध है।

मैं कहना चाहता हूं कि दोनों मंत्रियों की पत्नियां साथ गयी हैं, कुछ अधिकारी भी जाने वाले थे लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। इनको तीन हजार रु0 प्रति दिन जेब खर्च दिया गया है। एक व्यक्ति के आने-जाने का खर्च चालिस हजार रु0 है। मैं यह नहीं कहता, दुनिया को देखने से जानकारी होती है, ज्ञान होता है यह बात सही है, इसके बारे में दो राय नहीं रखता हूं, लेकिन किसी जिम्मेदारी के पद को ग्रहण करते हुए अगर कोई जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा, उससे प्रदेश को क्या फायदा होगा, इसको भी देखना चाहिये। कोई वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ चला जाता तो ठीक था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो वह तकनीकी और विज्ञान के सम्बन्ध में जानकारी करने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है, लेकिन हिन्दी साहित्य से शोध या बी0 ए0 करने के बाद कोई किसी वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विदेश जाय, यह बात समझ में नहीं आती। सरकार को सदन में बताना चाहिये कि कौन सी ऐसी आवश्यकता थी कि उनका विदेश दौरा कराया गया। हर आदमी अगर इस प्रकार पद का सत्ता का दुरुपयोग करके विदेश जायगा, मुझे जानकारी मिली है कि वित्त विभाग ने पहले सहमति नहीं दी थी लेकिन केन्द्र में एक मंत्री बैठे हैं जो कि वित्त विभाग से सम्बन्धित हैं, उन्होंने अपने प्रभाव से उन लोगों को जाने की सहमति दी है। तो इस तरह से रिश्तेदारी के आधार पर क्या सरकार चलेगी? मैं चाहता हूं कि सदन की सर्वोच्चता बरकरार रहे। जब सदन चल रहा है तो उसकी कार्यवाही को प्राथमिकता न देकर विदेश यात्रा को प्राथमिकता देना कहां तक उचित है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, उनकी पत्नियां किस लिये गयी हैं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, अभी जो विषय माननीय शतरुद्र प्रकाश ने उठाया है उन सब तथ्यों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की गरीबी से आपा भी अवगत हैं और सरकार भी इसका रोना रोती रहती है। सरकार, प्रदेश में लैण्ड रेवन्यू को इनहांन्स करने जा रही हैं। जिस देश की जनता 50 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है वहां मंत्रियों का विदेश का दौरा आयोजित किया जाय, इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिये थी।

दूसरे इस समय सदन चल रहा है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि बिना उनके गये कोई इन्टरनेशनल मामला सुलझ नहीं रहा था। जहां प्रदेश की जनता गरीबी से दुखित है वहां कम से कम हमको इस तरह के शहाना खर्चे जैसे कि मंत्रि परिषद् कर रही है, मंत्रि परिषद् के मंत्रियों को इस पर अंकुश लगाने के लिए आप जरूर निर्देशित करें। सरकार द्वारा जहां एक तरफ वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये गरीब लोगों से वसूली बरकरार रखी जा रही है, तो वहां वे भी अपने खर्चों पर रोक लगावें।

*संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य शतरुद्र प्रकाश और रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने जो मुद्दे यहां उठाये हैं और संसदीय परम्पराओं का हवाला दिया कि मंत्रिपरिषद् के दो मंत्री विदेश गये हुए हैं और यह भी कहा कि माननीय अध्यक्ष से अनुज्ञा मांगने के बाद ये लोग जा सकते थे। मेरा नम्र निवेदन माननीय सदस्यगणों से है कि न तो नियमों में ऐसा कोई प्राविधान है, न कहीं संसदीय परम्पराओं में ही इसका उल्लेख है। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कौल और शकधर की पुस्तक में से चार लाइनें पढ़ देना चाहता हूं इसके संबंध में कि इस पुस्तक के पृष्ठ 317 पर लिखा है कि मिनिस्टर्स नीड नाट अप्लाई फार परमिशन आफ द हाउस फार देयर एब्सेन्स फ्राम दि सिटिंग देअर आफ हवेनइवर दे आर रीक्वायर्ड टू परफार्म देयर ड्यूटीज आउट-साइड द हेडक्वार्टर्स आर आर अनेबुल टू अटेन्ड द हाउस इन सर्कमस्टैन्सेज बीयान्ड देयर कन्ट्रोल। किसी भी मंत्री को इस बात के लिये आवश्यकता नहीं है कि वह अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दे, यदि उन्हें किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है। तो मान्यवर, मेरा आग्रह है कि यह परम्पराओं के बाद ही इस बात का उल्लेख किया गया है। केन्द्र में भी ऐसे विषय उठते हैं कि संसद चलती रहती है और माननीय मंत्रीगण देश के हित में या राष्ट्र के हित में बाहर जाते रहते हैं। इस बात की आवश्यकता कभी समझी नहीं गयी कि मंत्री जब बाहर जायं तो अनुज्ञा लेकर जांय।

दूसरी बात कही गयी थी कि सदन की गरिमा के अनुकूल यह बात नहीं है। सदन की गरिमा की जितनी चिन्ता उनको है उतनी सरकार को भी है। सदन की गरिमा के लिये ही माननीय नेता सदन जिनके ऊपर तमाम प्रदेश का कार्यभार है, उसका निर्वाहन करते हुए भी उन्होंने अपना अधिकतम समय सदन में बैठ कर दिया है ताकि यहां कोई बात आये तो वे उसका उत्तर दे सकें, वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ही यहां बैठे हैं। इससे ज्यादा, मेरे ख्याल में किसी पहले के नेता सदन, भूतकाल में शायद ही किसी नेता सदन ने बैठकर इतना समय दिया हो, जितना हमारे नेता सदन ने दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता सदन की है। कहा गया कि बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, 12 करोड़ आबादी का यह प्रदेश हैं, दो वरिष्ठ मंत्री जो प्रदेश के महत्वपूर्ण विभागों का संचालन कर रहे हैं, विद्युत विभाग तकनीकी विभाग है, वह अपने विभागों का बजट पास कराकर गये हैं। विद्युत के सम्बन्ध में यह जानकारी हासिल करेंगे, जिसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा, हमारी जनता को होगा, इसी प्रकार से परिवहन विभाग का भी है, उन्होंने यह यात्रा प्रदेश के हित में की है और इस प्रकार से पहले भी लोग जाते रहे हैं। तो यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मा0 शतरुद्र प्रकाश जी और मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने कहा, और मैं भी कहता हूं कि विदेश जाना बुरा नहीं है, लेकिन इस समय कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, सदन चल रहा था, अगर परम्परा नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि कोई इस प्रकार की परम्परा डालें। लोकाचार के लिये कुछ आदर्श जनता के सामने प्रस्तुत करें, इसलिये इन लोगों को विदेश नहीं जाना चाहिए था। मान्यवर, आप कितने चिन्तित रहते हैं, विधायक फिजूल खर्ची कर रहे हैं, कूपन की फिजूल खर्ची कर रहे हैं, दवाओं में फिजूल खर्ची कर रहे हैं, टेलीफोन की समस्या पैदा है, तो क्या सारा अकुश विधायकों पर ही है, जितना खर्चा है उससे ज्यादा मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों पर खर्च हो रहा है। आप देखेंगे कि एक मामूली अधिकारी को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जा रही हैं, आप देखेंगे तो पता चल जायेगा, मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब ज्वाइन्ट सेक्रेटरी को हवाई जहाज से यात्रा करने का प्राविधान कर दिया गया है और आप केवल विधायकों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। हमारे सारे विधायक तैयार हैं, यह बड़ा गम्भीर मसला है।

दूसरी बात यह है कि प्रदेश की स्थिति क्या है, विदेश में रखा क्या है, अपने घर, अपने देश और अपने गांव को देखें, बाढ़ आई हुई है उसको आप देखें, लोगोंको बिजली नहीं मिल रही है और सारा प्रदेश परेशान है, 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनको भर पेट रोटी नहीं मिलती है, महात्मा गांधी का चित्र आपके ऊपर टंगा हुआ है, वह नंगे रहते थे, हमारा देश गरीब है, इसलिये उन्होंने अपने शरीर को नंगा रखा, क्या इस तरह का आदर्श हमें नहीं पेश करना चाहिये, तो अगर आप उनके अनुरूप कार्य नहीं कर सकते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेना बन्द कीजिये, गरीबी है, हमारी क्षमता नहीं है, तो क्या जरूरत पड़ गयी कि वह विदेश जायें। आपको इस पर अंकुश लगाना होगा। मान्यवर, यह फिजूल खर्ची है, इसको आप रोकें, वह कम से कम 10 लाख रुपया खर्च करके आयेंगे। हमारे देश में सड़कों की जरूरत है, तो उसके लिये इंजीनियर पर्याप्त हैं, कितने आज रोगी हैं, डाक्टर अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, तो मान्यवर, यह जो भी सीखने गये हैं, मेरा कहना है कि सीखने नहीं मौज मस्ती के लिये गये हैं और इस पर अंकुश लगना चाहिये।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह ठीक किया कि पत्नियां साथ ले गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी विद्वतापूर्ण बात कही कि विधायकों के ऊपर अंकुश लगाने की बात है और मंत्री बाहर जा रहे हैं। मान्यवर, कोई अंकुश लगाने की बात नहीं है। जहां तक विधायी कार्यों के संचालन का कार्य है, हमारी दसियों समितियां ह, बाहर जाती हैं, तमाम प्रदेश का भ्रमण भी करती है और अपनी रिपोर्ट भी देती हैं और जो भी व्यय होता है, शासन आपकी आज्ञा से हमेशा उसका पालन करता है। अंकुश लगाने की बात न विधायकों के व्यय पर है केवल नियंत्रित करने की बात है। वह भी आपकी आज्ञा से जो दिशा आप देंगे उस दिशा से हमें आगे बढ़ना है लेकिन जहां तक यह है कि मजा करने के लिये गये हैं, घूमने के लिये गये हैं, सैरसपाटे के लिये गये है ऐसा नहीं है। वह गये हैं सोचने समझने के बाद प्रदेश सरकार के और केन्द्र सरकार के।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, एक भी वैज्ञानिक नहीं गया।

श्री हुकुम सिंह---

इस निष्कर्ष के बाद कि जाना हमारे प्रदेश और देश के हित में है जब हम इस बात से संतुष्ट हो गये तभी हमारे दोनों मंत्री बाहर गये हैं।

(व्यवधान)

श्री राम सरन--

एक मोटर बिजली का बना दें तो जानूं। यह तो मौजमस्ती करने, सैरसपाटे करने, हाथ में हाथ लेकर घूमने गये हैं।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मित्रसेन जी, यह आपके नाम से नहीं है, इसलिए आप बैठें।

श्री मित्रसेन---

[××]

टिप्पणी--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। मित्रसेन जी आप बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री यदुनाथ सिंह के भी खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यदुनाथ जी आप बैठें। मित्रसेन जी आप बैठे, मैंने आपको बुलाया ही नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न और स्पष्टीकरण में मित्रसेन जी, अन्तर होता है। मैं भी जापान गया था।

(व्यवधान)

मान्यवर, सुनील शास्त्री जी की क्वालीफिकेशन का उत्तर प्रदेश को ज्ञान है, 12 करोड़ जनता को ज्ञान है, यह असेम्बली 12 करोड़ जनता की असेम्बली है। मान्यवर, परिवहन मंत्री संजयसिंह न मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और न फोरमैन हैं, न सुनील शास्त्री जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वह जापान में जाकर, साइंस के मैदान में जाकर क्या शिक्षा लेकर आयेंगे। इसलिए अगली बार जब सदन में बैठेंगे तो, इसकी जानकारी करा करके हम लोगों को लाभान्वित करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जापान बम बनाने की जानकारी करने गये होंगे।

मैंने इस विषय में दोनों पक्षों को सुना है, इक्जीक्यूटिव का प्रिविलेज है बाहर जाने का।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

[××]

टिप्पणी--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

लिखा नहीं जायेगा।

जहां तक यात्रा का सवाल है, यही समझता हूं कि विदेश की यात्रा से कुछ जानकारी हासिल करके ही आयेंगे और मैं समझता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत आता नहीं। यह जरूर मैं आशा करूंगा कि विदेश यात्रा अगर सदन के दौरान में न हो तो अच्छा है। लिहाजा अस्वीकार करता हूं।

अधिकारियों एवं मंत्रियों द्वारा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग एवं फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अशोक वाजपेयी--

मान्यवर, आज इस प्रदेश में मा० मंत्रियों जन प्रतिनिधियों की बढ़ती हुई फिजूल खर्ची को देखते हुए प्रदेश की जनता में क्षोभ एवं चिंता व्याप्त है।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके दो मिनट से ज्यादा समय न लें।

श्री अशोक बाजपेयी--

ठीक है। मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्ता में बैठने वाले लोगों से हमारा समाज प्रेरणा लेगा। उनका जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए। जो हम लोग जनता के बीच से चुनकर आते हैं प्रदेश की जनता एवं प्रशासन के सामने हमें कोई आदर्श उपस्थित करना चाहिये।

मान्यवर, इस पूरे सत्र में लगातार अधिकारियों की फिजूलखर्ची और उनके ऐशो-आराम के ऊपर बढ़ते खर्चों पर चर्चा हुई है। यहां पर निगमों के घाटे के बारे में भी चर्चा हुई है। यहां क निगमों के वरिष्ठ अधिकारी अपनी सुख-सुविधा पर बहुत धन खर्च कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो मंत्रीगण हैं जिनके ऊपर सरकार का दायित्व है। उनका निजी जीवन और उनके निजी खर्चे सबके लिये आदर्श होना चाहिये जिससे सारे प्रदेश के लोग उससे प्रेरणा ले सकें। लेकिन मान्यवर,

आज स्थिति यह है कि मंत्रियों के निजी खर्चों के ऊपर प्रतिवर्ष लाखों रुपये का वित्तीय भार प्रदेश की जनता पर बढ़ता चला जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें । आपने जो दिया है वह चर्चा के लिये दिया हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, स्थिति यह है कि दिल्ली में जो इस प्रदेश का अतिथि निवास उत्तर प्रदेश भवन और यू0पी0निवास बना हुआ है उसमें हमारे मंत्रिगण नहीं रहते हैं बल्कि अशोका और ताज जैसे पांच सितारा होटल में रहते हैं जिसकी सिंगिल बैड (रूम के चार्जेज 700 रुपये हैं तथा डीलक्स कमरों में जहां हमारे मंत्रीगण रहते हैं जिनका किराया दो हजार रुपया प्रतिदिन है ।

श्री अध्यक्ष--

लम्बा भाषण देंगे तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा । आपको ग्राह्यता पर बोलने के लिये दो मिनट का समय दिया है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि हमारे अतिथि निवासों के पास दिल्ली में राज्य सम्पत्ति, विभाग की 8/10 गाड़ियां मौजूद हैं लेकिन हमारे मंत्रीगण के लिए यह गाड़ियां अपर्याप्त होती है अतः घूमने और अपने सैर सपाटे के लिये बड़ी संख्या में प्राइवेट टैक्सियां ले लेते हैं और इस तरह से लाखों रुपये प्रतिवर्ष उनके किराये के रूप में भुगतान किया जाता है । मैं चाहूंगा कि मंत्रियों के इस निजी खर्चे पर रोक लगायी जाय । जैसा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मंत्रीगण सरकारी काम से वहां जाते हैं । लेकिन यह विडम्बना की बात है कि मंत्री लोग शाम को हवाई जहाज से दिल्ली जाते हैं,रात में ताज होटल में रहते हैं और सबेरे ही यहां लखनऊ वापस आ जाते हैं तो ये सरकारी मीटिंग में किस समय भाग लेते हैं । यह एक गम्भीर विषय है। मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में जब हम दुबारा यहां बैठें तो उस समय मंत्रियों के निजी खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाय कि दिल्ली के प्रवास पर उनके ऊपर कितना खर्च किया गया उनकी सुख-सुविधा पर कितना खर्च किया गया । हमारा कहना है कि निश्चित रूप से उन लोगों के ऊपर प्रदेश का दायित्व है, अंकुश लगना चाहिए, उनके खर्चों में कटौती होनी चाहिये । मान्यवर, जो चिन्ता आपको है उस चिन्ता से हम भी सहमत हैं । जन-प्रतिनिधियों का जीवन सन्देह से परे होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । आपने जो सूचना दी थी उसमें अपने चर्चा की मांग की थी । इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, प्रवक्ता मेरठ कालेज, मेरठ द्वारा लिखित पुस्तक 'दयानन्द गालीपुराण' एवं 'गीता स्वरूप निर्णय' के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने पुस्तकों के संबंध में दिया है । मैं इसे सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देता हूं ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । मान्यवर, महर्षि दयानन्द जी ने समाज के लिये बड़ी सेवायें की हैं । एक राजेन्द्र प्रसाद गर्ग प्रवक्ता, मेरठ कालेज, मेरठ ने दो किताबें उनके ऊपर लिखी हैं--एक का नाम है दयानन्द गाली पुराण और दूसरी गीता स्वरूप निर्णय । इन दोनों किताबों में महर्षि दयानन्द जी के लिये बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको बताया कि मैं इसे आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनीप्रसाद वर्मा--

मान्यवर, हम इस पर क्या चाहते हैं, आप सुन लें। एक किताब में लिखा है कि दयानन्द जी व्यभिचारी और लम्पट थे और गीता स्वरूप में लिखा है कि उनको रावण की तरह पुतला बना कर जलाया जाना चाहिए। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत भी यह नहीं आता है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होता है। हमारी जो आई0पी0सी0 की धारा है उसके अन्तर्गत भी यह अपराध है धारा 153 (क) में दिया हुआ है--कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय भाषाई या प्रादेशिक समूहों जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभाव्य हो, उसे दंडित किया जा सकता है। वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जायेगा। इसी तरह 295 में भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी मैं खुद कह रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह बहुत गम्भीर मामला है इसको जरा सुन लीजिये, करोड़ों लोगोंके सम्मान को इन किताबों से ठेस लगती है। उत्तर प्रदेश और देश के अन्दर इन पुस्तकों को पढ़ कर लोक आंदोलित हो सकते हैं, और शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि इन पुस्तकों को तुरन्त जब्त कराये और मा0 राजेन्द्र प्रसाद गग जिसने यह धृष्टता की है उसके खिलाफ मुकदमा चला कर जेल भेजा जाय। यह किसी मामूली व्यक्ति के संबंध में नहीं है। महर्षि दयानन्द जो स्वतन्त्रता के प्रणेता रहे हैं जिहोंने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप सुन लीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप सरकार को सख्त निर्देश दें यह औचित्य के नियम के अन्तर्गत आता है अगर नहीं भी आता है तो नियमों के परे आपको इसको देखना चाहिये। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री को लिखा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को जांच करवाने और इस पुस्तक को जब्त करने के लिये लिखा है। 26 जुलाई को श्री एस0 बी0 चह्वाण, को लिखा है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप सरकार को निर्दिष्ट करें कि इन दोनों पुस्तकों को जब्त करे और श्री गर्ग के खिलाफ मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलायें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मुझे एक ही बात कहनी है। जब केन्द्रीय गृह मंत्री ने पत्र लिखा और आदरणीय चौधरी साहब को भी उन्होंने लिखा जैसा माननीय वर्मा जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट कर दिया है कि तुरन्त इन किताबों को बन्द कर दें। इसलिये हम चाहते हैं कि अभी तक जो कार्यवाही की गयी हों वह इस सम्मानित सदन को माननीय संसदीय कार्यमंत्री बतायें। यह गम्भीर मामला है महर्षि दयानन्द जी के समर्थक इस देश और प्रदेश में बड़े से बड़ा खतरा उठा सकते हैं लेकिन उनका अपमान नहीं बरदाश्त कर सकते हैं। इसलिए इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है यहां पर उस पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दीजिये और इस किताब को बन्द कराइये। इस पर क्या कार्यवाही हुई माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बतायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी खुद कह चुके हैं कि नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आता है।

श्री अध्यक्ष--

आप सुन लीजिये। इस चीज की गंभीरत को देखते हुये इन दो किताबों को माननी

मुख्य मंत्री जी के पास नियमानुसार कार्यवाही तुरन्त करने के लिये भेज रहा हूं। आप सुनते नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--
अब नहीं।

केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनी कार में उलटा लगाये जाने तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा अपनी कारों में ध्वज लगाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम सरन दास जी ने झंडे के बारे में कहा है यह कहीं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसको मैं अस्वीकार कर रहा हूं। अब माता प्रसाद पाण्डेय जी का जो है..

*श्री राम सरन--

मान्यवर, मुझे सुन तो लीजिये एक सेकेन्ड के लिये यह राष्ट्र ध्वज का मामला है जिसके नीचे आप बैठे हैं इसका अपमान हो गया तो फिर यहां होगा। यह एक संवैधानिक मामला है।]

श्री अध्यक्ष--

आप बुजुर्ग आदमी हैं मैं आपसे ज्यादा क्या कह सकूंगा ?

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, इसे आप अस्वीकार कर चुके हैं उसके बात बोलने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

श्री राम सरन--
मैं केवल दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसे भेज रहा हूं।

ी राम सरन--
मैं कह तो लूं, आप क्या भेज रहे हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में औचित्य के जरिये बात कहना चाहता हूं कि आपकी केन्द्रीय मंत्री मेरठ में बाढ़ देखने गयी थीं तो उनका झंडा उल्टा था, लोगों ने कहा क्या कर रखा है, उसकी उन्होंने परवाह नहीं किया। बाद में पुलिस ने समझाया तो किया। इसलिये इससे ज्यादा गंभीर घटना क्या हो सकती है कि राष्ट्रीय ध्वज का वह अपमान करें यह सारे राष्ट्र का अपमान करना है। श्रीमती मोहसिना किदवाई यहां आकर गलत काम करें, वह इस सदन की सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिये लेकिन गलत काम किया है इसलिये नाम लेना पड़ा, उनको यहां तक नहीं पता कि राष्ट्रीयध्वज का कौन हिस्सा ऊपर होता है और कौन हिस्सा नीचे होता है, इस तरह उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। मान्यवर, यही नहीं छोटे-छोटे अधिकारी नेशनल फ्लैग कारों पर लगाकर घूम रहे हैं और इस तरह स्मगलिंग करते हैं। इनके कार्यकर्ता इसी तरह मंत्रियों की हैसियत से कारों पर जाते हैं ताकि पुलिस उनको सलूट करे। मैं चाहूंगा इस पर रोक लगावें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, नियम 300 की उदार प्रवृत्ति के लिये मैं धन्यवाद देते हुये श्री राम सरन, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, कानून और नियमों के ज्ञाता हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पता नहीं कहां से उनको ऐसी जानकारी मिल गयी जो पूर्ण नहीं थी अपूर्ण थी और मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ खंडित करता हूं कि जिन मंत्री का वह जिक्र कर रहे हैं उनके संबंध में मैंने जानकारी किया तो झंडा सीधा लगा था और जो मा० सदस्य ने कहा वह भ्रामक प्रचार किया गया जिसका आपको शिकार नहीं होना चाहिये। कभी-कभी आप विचलित हो जाते हैं वैसे आम तौर पर ठीक रहते हैं। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप भ्रम के शिकार नहीं होंगे और भविष्य में बात को तस्दीक करके कहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामनगर, वाराणसी में श्री यदुनाथ सिंह को आतंकवादियों द्वारा गंगा नदी में डुबाने के षड्यन्त्र को शासन के संज्ञान में लाने पर भी उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरी बात को सुन लिया जाये, मेरी जिन्दगी का सवाल है। मैं 17 तारीख को जब यहां बोला, 19 को बोला अपने बारे में जो घटना घटी उसके संबंध में तो बनारस की जिला पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया उसको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या व्यवस्था के संबंध में कहना चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह--

हां मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि आज वहां की पुलिस ने हमारे 42 लोगों पर, धारा 395/397 आदि हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मेरे ऊपर धारा 395, 360, 397 अनेक धाराओं और मेरी पत्नी के ऊपर इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

मान्यवर, हम किसी प्रकार 11, 12, 13, 14 अगस्त को चलकर 15 अगस्त को पटना पहुंचे। आज भी मेरी जान का खतरा है। गृह सचिव, मुख्य सचिव पुलिस के आदमी हैं, श्री हुकुम सिंह, संसदीय कार्य और सूचना राज्यमंत्री हैं उन्होंने मेरी सुरक्षा के संबंध में अभी तक क्या उपाय किये हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा के कोई उपाय अभी तक नहीं किये गये हैं। मेरी जिन्दगी खतरे में है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। अब आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय यदुनाथ सिंह जी की हर बात मजाक में न ली जाय। इससे पहले यह बात उठी थी परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कोई उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं कराया। एक इतने बड़े बनारस के सम्मानित आदमी हैं और वह मजदूरों और मल्लाहों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाराणसी का एक बहुत बड़ा सामन्यवादी है और वह मा0 यदुनाथ सिंह की हत्या कराना चाहता है इसलिए इनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह--

ये 4-5 दिन गंगा में बहते रहे और गाजीपुर से गुजरे, मेरे क्षेत्र बलिया से भी गुजरे और भी कई जगह से गुजरे लेकिन शासन ने कोई तवज्जो नहीं दिया आप कम से कम शासन को इस बारे में निर्देशित करने की कृपा करें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय यदुनाथ सिंह के व्यक्तिगत मामले में यह घटना जो घटी है वह मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से सटी हुई सीमा पर घटी है और यह मैं कह सकता हूं कि यदि इनके मामले में विचार नहीं किया जायेगा तो उनके साथ अन्याय हो सकता है। 11 अगस्त को जो घटना घटी है वहां पर इनकी बिल्कुल जान जाने वाली स्थिति थी और यह बुरी तरह से पुलिस और सिपाहियों से घिरे हुए थे और इनको जान से मार दिये जाने का अंदेशा था लेकिन किसी तरह खुशकिस्मती से यह बच गये। इसी तरह से स्टीमर की बात को यह कहकर उड़ा दिया गया कि यह स्टीमर लेकर चले गये हैं जबकि मैं जानता हूं कि यह किस तरह से गये थे और जो इनके साथ गये थे उनको भी जानता हूं। इसी तरह से इनकी पत्नी और बच्चों के नाम 395 और 307 का मुकदमा कायम किया जाय, यह कहां तक सही है। इनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्नी और बच्चों ने क्या किया है। मान्यवर, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इसको आप ऐसे न लें। मैं चाहता हूं कि इस मामले को आप सी0 आई0 डी0 को भिजवा दें क्योंकि थानाध्यक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से सदन में चल रहा है उसमें कुछ कहना बेकार है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस की दर्ज रिपोर्ट 80 सैकड़ा तो क्या 20 सैकड़ा भी सही नहीं है। इस पर आप सरकार को निर्देश दें कि इसकी खुफिया जांच करा ली जाय नहीं तो वहां पर बड़ा अन्याय और जुर्म हो जायेगा और वहां पर दुर्भावना से ग्रसित होकर इनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात चल रही है।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। माननीय रघुवर दयाल जी अब आप बैठें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय शतरुद्र प्रकाश और माननीय नेता विरोधी दल ने इसी बात की मांग की है कि जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं उनकी जांच करा ली जाय। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सबकी जांच के आदेश हम दे रहे हैं और जो भी परिणाम होंगे उससे माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जायेगा लेकिन एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही कि हम गम्भीरता से इसको नहीं ले रहे हैं और इनकी जान को खतरा है। मान्यवर, हम तो इसे गम्भीरता से ले रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य स्वयं इसको कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं, इसे देखें। माननीय सदस्य खुद 17 तारीख को बयान देने के बाद लेट शो में मेफेयर में जायें और सारे सिनेमा को डायनामाइट से उड़ा देने की बात कहें तो आप देखें कि हम इनकी सुरक्षा के लिये कितने गम्भीर हैं और खुद यह कितने गम्भीर हैं। उनसे भी हम गम्भीरता की अपेक्षा करते हैं। आप देखें, वह किस हद तक है, रात में गये तो एक सीन क्रियेट कर दिया, एक सीन क्रियेट किया हो और डायनामाइट से सिनेमा उड़ाने की बात हो और उसकी एफ0 आई0 आर0 हो। जिलाधिकारी को उसकी सूचना जाए, हमारे पास उसके बारे में सूचना आए और आपके पास भी आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गम्भीर हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मंत्री जी ने कहा कि हम जांच करायेंगे, लेकिन चूंकि यदुनाथ जी का मामला लोकल है, रामनगर की लोकल पुलिस से उसका सम्बन्ध है, इसलिए आप कृपया सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश देने की कृपा करें और उससे प्राप्त रिपोर्ट पर आप अग्रिम कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष--

हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है, विशेषकर माननीय सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, मैं समझता हूं कि वह इस पर शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

माता प्रसाद जी की जो सूचना है, उसी पर आज चर्चा लगी है, इसलिये इसको अस्वीकार किया है। मद नं0 21 पर इसी पर चर्चा लगी है। जो सूचना नम्बर सात है....

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पांडेय--

कोई जरूरी नहीं कि वह उस पर चर्चा आ जाए, आप हमें सिर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए, अपनी बात कहने के लिए।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं। सरदार सिंह का यह मामला सदन में उठाया जा चुका है...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सरदार सिंह--

हमारा यह नहीं है, माननीय कृषि मंत्री के बयान में . . .

श्री अध्यक्ष--

हम इसको उठाने की आपको अनुमति नहीं देते हैं, अस्वीकार करता हूं . . . .

(व्यवधान)

कैसे सुन लूं, जब कल इस पर चर्चा हो चुकी है। फिर उठाना चाहते हैं तो नियमानुसार ही उठायें। श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना जो जिला बांदा में डाक्टरों की नियुक्ति के बारे में है, यह नियम 300 में नहीं आती है। सत्यपाल सिंह का जो मामला है, वह भी नियम 300 में नहीं आता है, मगर . .

श्री सत्यपाल सिंह--

नहीं आता है, किन्तु हमें सुनने की आप कोशिश तो कीजिए। यह बिल्कुल नियम 300 में आता है।

श्री अध्यक्ष--

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। अब इस विषय पर नहीं सुनूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, हमारे एक सदस्य बार-बार व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हो रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन आप उनको सुन नहीं रहे हैं। आप उनको सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कल इस पर चर्चा हो चुकी है। यह उसी पर है, मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है।

मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी बाढ़ से घिरे बहराइच जिले के मुंशियारी गांव में घरों की पुनः जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मयंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्रीगण सदन में आपके द्वारा दिए गए निर्देश पर कार्यवाही करने का यहां आश्वासन दे देते हैं--कहते हैं कि जांच करवा कर उस पर कार्यवाही की जायगी। लेकिन यह देखा जा रहा है कि वास्तव में मंत्री लोग उस पर कोई कार्यवाही करने के न आदेश देते हैं, न वह स्वयं उस पर कुछ करते हैं। इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है और सदन की गरिमा गिरती है। उदाहरण के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जब राजस्व मंत्रालय की ओर से यहां एक पत्रक बांटा गया, जिसमें प्रदेश में किन किन जिलों में कहां कहां घर गिरे, उसका ब्यौरा दिया गया था। उस पत्रक में शासन की ओर से लिखा गया था कि बहराइच में एक भी घर बाढ़ में नहीं गिरा है। लेकिन बहराइच में घाघरा की भीषण बाढ़ में मुंशियारी ग्राम में 50 घर बाढ़ में बह गये थे और 50 घरों की जलसमाधि हो गई थी, इस सूचना के आधार पर जब मैंने सरकारी सूचना का विरोध किया और सही स्थिति सामने रखी तो आपने निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि इसमें पुनः जिले स्तर पर कार्यवाही होगी और उसकी रिपोर्ट आपको भी मिलेगी और उसे सदन को भी, अब स्वागत कराया जायगा लेकिन उसे 15 दिन हो गये, जिले में पता चलाया, तो हमें मालूम हुआ है कि यहां से कोई निर्देश, राजस्व मंत्री जी के यहां से वहां नहीं गया है और न कुछ मुझे अवगत कराया गया है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। इस तरह से मंत्रीगण मैं सदन खड़े होकर कहते हैं कि मैं कार्यवाही का आदेश कर रहा हूं और उसके बाद न कोई आदेश भेजे जायेंगे और न हमको अवगत कराया जायगा तो फिर सदन में कहने और आश्वासन देने का औचित्य क्या रह जायगा। आप हमारे संरक्षक हैं। इस पर व्यवस्था दें, न तो आदेश गया है और न मुझे अवगत कराया गया है। कल सदन उठ रहा है। इस प्रश्न पर आपकी तरफ से शासन को कोई निर्देश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना चाहिये । हमारे अधिकारों की रक्षा की जाय ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, अब सदन समाप्त होने वाला है । व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कहने की जो यह परम्परा है तो क्या माननीय सदस्य ने जो आज व्यवस्था का प्रश्न उठाया उसकी आपको लिखित सूचना दी है कि वह इस चीज को उठाना चाहते हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो सदन है और सदन का कोई कार्य चलता है उसमें यदि अव्यवस्था हो, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई फैसला दे रहे हैं तो उसमें कहां से व्यवस्था अन्तर्ग्रस्त हो जाती है । मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य इधर से भी खड़े होंगे और व्यवस्था के नाम पर सारी बातें कहेंगे । इसलिये अव्यवस्था न पैदा हो और व्यवस्था को व्यवस्था के मामले तक सीमित रखने की अपनी संसदीय कुशलता का परिचय माननीय सदस्य दें तो अच्छा होगा । मैं इसमें न पड़ता लेकिन हमारे जानकारी सदस्य गुप्त जी व्यवस्था के मामले पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे अध्यक्ष महोदय कुछ परम्पराओं और मान्यताओं पर हम लोग कहेंगे और आपका संरक्षण चाहेंगे । हर रोज किसी न किसी मंत्री पर आरोप होता है और आरोप की कोई सूचना नहीं दी जाती है । व्यवस्था के नाम पर, बीच में, बहस के दौरान जो आरोप लगाये जाते हैं तो हम लोग उसका कैसे जवाब दें यह भी सोचने की बात है । (मेजों की थपथपाहट) ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपने इस प्रवचन में मेरा नाम ले लिया इसलिये मुझे मौका दे दें ।

मान्यवर, मैं इसलिये खड़ा हुआ था कि माननीय भयंकर सिंह इस माननीय सदन के नये सदस्य हैं । उन्होंने बार-बार आपका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की इसलिये मैंने उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया । एक गंभीर बात उन्होंने कह दी कि आपके निर्देशों का पालन माननीय मंत्रिगण नहीं करते । सदन में घोषणा कर देते हैं । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे राजस्व मंत्री ने तत्काल इस पर कार्यवाही करने और जानकारी करने की बात कही थी । लेकिन आजतक अगर उनके सचिवालय से जिलाधिकारी, बहराइच को टेलेक्स या कोई सूचना नहीं गयी तो यह चिंता की बात है । हमारे अधिकारों के संरक्षक आप हैं। मेरा निवेदन है कि आप पत्रावली मंगवा लें राजस्व मंत्री जी के यहां से, आप सक्षम हैं पत्रावली देखने के लिये । जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये हैं अगर यह सही है तो यह गम्भीर चिंता की बात है । आप इस संबंध में कार्यवाही करें यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री शत्रुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

हमारे माननीय सदस्य खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम आपके संरक्षक हैं और हमारी बात आप जब नहीं सुनते हैं तो कैसे काम चलेगा । आप एक तरफ तो यह दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप सुनते नहीं हैं । माननीय मैनेजर सिंह जी मेरी बात से सहमत होंगे । इस तरह से कैसे चलेगा ।

आगरा जनपद के थाना फतेहपुर सीकरी में पुलिस कर्मियों की सांठ-गांठ से विधायक श्री बदन सिंह के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के विरुद्ध शासन के आश्वासन के बावजूद भी सख्त कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, आपने आदेश दिया था कि नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात कहें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि नियम 300 के अन्तर्गत आता है। मा0 बदन सिंह जी हमारी विधान सभा के सदस्य हैं। आगरा जनपद से वह आते हैं। उन पर थाना फतेहपुर सीकरी में 16 जून, 85 को प्राणघातक हमला हुआ और उसमें उनके साथी बुरी तरह से घायल हुये थे और घायल होने के बाद जब इस समस्या को नियम 56 के अन्तर्गत माननीय किरनपाल सिंह ने सदन में उठाया और माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि जो भी दोषी पुलिस कर्मी है, उनको निलंबित करके स्थानांतरित कर रहे हैं। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने यह जानना चाहा है कि सी0 आई0 डी0 की जांच का आदेश जो था उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। सी0आई0 डी0 की जांच के बाद उन पुलिस कर्मियों के ऊपर यदि कोई जुर्म साबित होता है, तो उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0दर्ज की जायगी, यह माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था परन्तु बजाय एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के बजाय, उल्टे यह किया गया कि उनको दुबारा बहाल करके आगरा भेज दिया गया, जहां पर वे दोनों थानेदार माननीय बदन सिंह को आतंकित करते रहे हैं और इनके सामने फिर प्राणघातक हमले की बात आ रही है।

मान्यवर माननीय बदन सिंह को मानसिक वेदना है। मान्यवर, जब इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ सी0आई0 डी0की जांच आने पर एफ0आई0 आर0 दर्ज करा दी जाय की और प्रागदर्शन में उनके खिलाफ जुर्म साबित हो गया, तो उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज कराई गयी ? मान्यवर, माननीय गृह मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि जब तक सी0आई0डी0 की रिपोर्ट नहीं आयेगी, तब तक उन पुलिस कर्मियों को बहाल नहीं किया जायगा, लेकिन उन थानेदारों को बहाल कर दिया गया और उन्हें आगरा में ही भेज दिया गया। वे थानेदार माननीय बदन सिंह को आतंकित कर रहे हैं, मान्यवर, माननीय बदन सिंह को उन पुलिस कर्मियों से बहुत बड़ा खतरा है। इसलिये मेरा इस नियम 300 के औचित्य के प्रश्न के संबंध मेंअनुरोध है कि आप मान्यवर शासन को सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट मंगवाने के लिये आदेश दें और माननीय बदन सिंह कल से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, इनको वे पुलिस कर्मी मरवा डालने की धमकी दे रहे हैं, उससे उनको बचाने का प्रयास करें।

यह मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह माननीय बदन सिंह के साथ जो पुलिस कर्मियों द्वारा ज्यादती हुई, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मान्यवर, उस थानेदार को मुअत्तल किया गया और उसे स्थानांतरित किया गया और फिर उसे बहाल करके आगरा में ही रख दिया गया, जोकि माननीय बदन सिंह को आतंकित कर रहा है। मान्यवर, उन पुलिस कर्मियों को पुनः आगरा भेजने से साफ जाहिर होता है कि शासन विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की रक्षा के लिये कुछ करना नहीं चाहता है। मान्यवर, इसी सदन के माननीय सदस्य माता प्रसाद पाण्डेय को पुलिस कर्मी ने अपमानित किया, विशेषाधिकार समिति ने उन पुलिस कर्मी को दोषी पाया और फिर उसी थानेदार को बहाल करके बस्ती भेज दिया गया। इसी तरह से मान्यवर, आप करना चाहते हैं, मैं बोलूं क्या? कोई मर्यादा, कोई पकड़ नहीं रह गयी है। इस कारण क्या है ? जिस दरोगा को निलंबित किया गया और उसे स्थानान्तरित किया गया, उसे पुनःआगरा भेज दिया गया और वह माननीय बदन सिंह को आतंकित कर रहा है।

इस सदन में ऐसा मत समझिये कि आप लोगों पर ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी यह नौबत नहीं आयेगी, हम लोग तो निपट लेंगे, यहां पर आकर, गाली खा-खाकर आपके दर्जनों माननीय सदस्य हैं, जिनको अपमानित किया गया है और रोते हैं, मुझसे अकेले में आकर, मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान के लिये यह बात कह रहा हूं कि तरीका क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं जानता हूं कि सरकारी जानकारी में नहीं आया था, अब आ गया है। विशेषाधिकार समिति ने उस दरोगा को दोषी पाया और उसे फिर बस्ती भेज दिया गया। जिस अधिकारी ने ऐसा किया उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? जिस दरोगा के खिलाफ सी0 आई0 डी0 ने रिपोर्ट दिया है वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश कर दी जाय, यदि वह दोषी नहीं पाया गया, तो भी सदन के समक्ष बात आ जायगी। माननीय बदन सिह के साथ कितना जुल्म हुआ था, ऐसा किसी माननीय सदस्य के साथ हो सकता है। थाने में ले जाकर पीटा। वहां कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने भी स्वीकार किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इरादा क्या है। संसदीय कार्य मंत्री इस पर बोलेंगे ही, मेरी मांग है कि जिन अधिकारियों ने बस्ती में और आगरा भेजा है उनको आप दंड दीजिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप सब बैठें। मैंने इस मामले को गम्भीरतापूर्वक देखा है। मैं सरकार को निर्देश देता हूं कि शीघ्र ही इस मामले को देखें ताकि माननीय बदन सिह जी को कोई हानि न पहुंचे। बाकी सूचनायें मैंने अस्वीकार की हैं।

केन्द्रीय कक्ष, विधान भवन में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश से असुविधा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक निवेदन है माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि यदि किसी बात से सदस्यों के कार्य में बाधा पड़ रही हो तभी व्यवस्था के रूप में उठायें तो उचित होगा। मेरा निवेदन है मैं पीड़ित मन से यह बात उठा रहा हूं। आज करीब दो महीने सदन को चलते बीत गये, लेकिन सरकारी अधिकारियों का रेला ट्रान्सफर रुकवाने के लिये विधायक निवासों पर आपके सचिवालय में और कैफटेरिया सेन्ट्रल हाल जो है उसमें लगा रहता है और हर समय नान मेम्बर मौजूद रहते हैं। लाबी तक में आ जाते हैं। कल एक घटना हुई एक दरोगा को हर्षवर्धन जी ने दिखाया। वह बगैर अधिकारियों की इजाजत के इस सचिवालय में घूम रहा था इस काम के लिये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं आप मार्शल को भेजकर जो सदस्य नहीं हैं उनको दिखवायें आपके बनाए हुए नियम हैं कि सेन्ट्रल हाल में नान मेम्बर नहीं जायेगा। मान्यवर, वहां जाना तो दूर, वह कभी-कभी लोबी में भी आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिह--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने मामला उठाया है कि सरकारी कर्मचारी, और अधिकारी घूमते रहते हैं एक प्रश्न तिवारी जी ने आपके सामने रखा है। आप इसे दिखवा लें सेन्ट्रल हाल जो बला है, आपके सचिवालय से हमारे पास नोटिस आ चुक हैं कि नान मेंबर नहीं जाएगा। तिवारी जी के साथ मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी अधिकारी को भेजकर दिखवा लें और आप यह भी दिखवा लें कि किन माननीय सदस्यों के साथ यह आए हैं ताकि उचित व्यवस्था इस पर दे सकें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी और माननीय दिवाकर विक्रम सिह जी, मैंने एक रजिस्टर वहां रखा दिया है। आप उस रजिस्टर को देखेंगे, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि माननीय सदस्यों के साथ कितने सदस्य और वहां पहुंचे हैं। मैं खुद चाहता हूं कि एक दिन रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की ड्यूटी वहां लगा दी जाए वह देख लेंगे जो गैर सदस्य जाते हैं वह किन माननीय सदस्यों के साथ गये हैं।

(शोर)

*श्री शतरुद्ध प्रकाश--

अगर कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के चार लोगों को सदन में लेकर चला आर्य तो क्या आप आने देंगे। आपके जो मार्शल हैं वह चुस्त नहीं हैं। वह काम ही नहीं करना चाहते हैं मैं कल आपसे कहने लगा कि चार सदस्य बाहरी मेरे साथ आयेंगे और मेरे बदले सदन में बोलेंगे तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे। आप कड़े होइये।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं व्यवस्था चाहता हूं। इस सेन्ट्रल हाल की परिकल्पना लोक सभा में जो सेन्ट्रज हाल है उसकी परिकल्पना पर बना था। वह इसलिये बना था कि इस विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य फुरसत के समय में वहां आकर बैठें, अध्ययन करे आप से बातचीत करें। सेन्ट्रल हाल में चाहे विधायक हो या भूतपूर्व सदस्य हों बिना पास के नहीं जा सकते हैं। आपने खुले आम एक रजिस्टर रखवा दिया है, एक नहीं अनेकों बार बाहरी लोग वहां भरे रहते हैं। अधिकांश संख्या उनकी होती है। इसको रोका नहीं गया तो कुछ दिनों में सेन्ट्रल हाल उनके काम कराने का अड्डा हो जायगा। आप निर्देशित करें कि जिसके पास-पास न हो चाहे कोई आदमी हो या कोई माननीय सदस्य उनको न ले जायें, एलाऊ नहीं करना चाहिये। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो लोग बाहरी आदमी को विधान सभा में लाकर कहेंगे कि यह हमारे क्षेत्र के सदस्य हैं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जो भावना तिवारी जी ने, माननीय शतरुद्ध जी ने और रेवती रमण सिंह ने व्यक्त की है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस दल के सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सेन्ट्रल हाल की गरिमा बनी रहे। मेरा आग्रह है कि आप कड़ाई से काम लें। ढिलाई से नहीं। स्टाफ कम हो तो और बढ़ा लें। सेन्ट्रल हाल की गरिमा बनाना हमारा सब का कर्तव्य है। जो पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हाल की गरिमा है वही इस सेन्ट्रल हाल की होनी चाहिये। बाहरी लोग जो नियमानुसार सेन्ट्रल हाल में जाने के पात्र नहीं है उनको पूर्णतया बन्द किया जाना चाहिये। जो व्यवस्था है, परसों मैं गया, अखबार में भी निकला, सबको पढ़कर दुख होता है। मेरा अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था अवश्य करें।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने इसको इतने हल्के ढंग से लिया कि आपने कहा कि तिवारी जी देखें, ड्यूटी दें। आपकी आज्ञा होगी तो हम ड्युटी देंगे और सख्ती से ड्युटी देंगे। आपको मार्शल को भेजकर जांच करानी चाहिये। इस समय कौन-कौन लोग किस-किस माननीय सदस्य के साथ वहां मौजूद हैं। उसको पढ़कर सुना दें। जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा इस बात पर गम्भीरता से कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री राम सरन--

मान्यवर, जो वाकया सेन्ट्रल हाल में हुआ, हुल्लड़ हुआ, एक विधायक एक टेबुल पर और 12 पिछलग्गू उसके साथ। अखबार में तो मैंने यह पढ़ा कि राम सरन ने एक आदमी को चाटा मारा। आज तक मैंने किसी को चांटा नहीं मारा। मेरा नाम बदनाम किया गया पता नहीं किसने निकलवाया। हुकुम सिंह ने मेरा नाम निकलवा दिया मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें खुद करना चाहिये। ऐसे नहीं होगा। आप हमें मंत्री बना दें देखिये एक भी गन्दा आदमी नहीं जाने पायेगा और यही नहीं मान्यवर, बीबी को नहीं ले जायेंगे। दोस्तों की दूसरों की बीबी को ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

हम आभारी हैं कि आपने इस विषय को उठाया, इससे हमको मदद मिलेगी। इस तरह की कोई बात आई ..

(तत्काल चेक कराने के लिये कई सदस्यों द्वारा कहे जाने पर)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

हम आपके इस सहयोग के लिये आभारी होंगे ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के नियम के विरुद्ध उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के महाधिवक्ता द्वारा पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री किरन पाल सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक औचित्य का प्रश्न आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी यूनियन का एक वाद-विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया था। उसका एवार्ड कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के हित में दिया गया । उन्होंने एवार्ड को गवर्नमेन्ट के पास भेजा । उसके बाद श्रम विभाग ने अपने आदेश संख्या 5527/एस0ए0/31-1-दि0 27-8-83 को गजट में प्रकाशित किया । उसके बाद कोआपरेटिव बैंक ने गजट में प्रकाशित होने के बाद अपील दायर की हाईकोर्ट में । उसके बाद मान्यवर, कोआपरेटिव बैंक ने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता को जो छोटे सरकारी वकील होते हैं, उनको वकील बना लिया । और उस अपील में पार्टी बनाया यूनियन को, औद्योगिक न्यायाधिकरण को और लेबर कमिश्नर को । मान्यवर, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को, जिसको गवर्नर एप्वाइन्ट करते हैं, जो महाधिवक्ता हमारे सदन का पदेन सदस्य होता है, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं है । मान्यवर, उनकी सरकार को कानून के सम्बन्ध में राय देने की ड्यूटी है । मैं जानना चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कि क्या महाधिवक्ता, प्रदेश की इसी सरकार के खिलाफ वकील हो सकता है और इसी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में पैरवी कर सकता है । क्योंकि उसमें कोआपरेटिव बैंक ने लेबर कमिश्नर को पार्टी बनाया है हाईकोर्ट में । एक तरफ लेबर कमिश्नर है और दूसरी तरफ कोआपरेटिव बैंक । तो सरकार के खिलाफ महाधिवक्ता पैरवी कर सकता है । यह विषय परम्परा के रूप में भी एडवोकेट कान्डक्ट के खिलाफ है । अतः मैं इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1985 को पारित संकल्प जिसकी संसूचना इस सचिवालय में 3 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हुई है, की सूचना सदन को देता हूं ।

(संकल्प के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 145 पर)

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री भगवती सिंह विशारद---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन, जो अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । †छापा नहीं गया ।

जनपद शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उखरो के भवन निर्माण तथा रामगंगा व बहगुल नदियों पर पुल के निर्माण के संबंध में याचिका ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद शाहजहांपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उखरो जनपद शाहजहांपुर के भवन निर्माण विषयक श्री शिव चरण सिंह आदि निवासीगण शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा व बहगुल नदियों पर पुलों के निर्माण विषयक श्री दामोदर दास गंगवार आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बस्ती में डुमरियागंज को टाउन एरिया घोषित करने विषयक सैय्यद मो0 इलियास आदि, निवासीगण डुमरियागंज जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद फर्रुखाबाद में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, बद्रीविशाल डिग्री कालेज, फतेहगढ़ में विज्ञान कक्षायें खुलवाने तथा फर्रुखाबादमें आलू पर आधारित एवं फैक्ट्री स्थापित करने के सम्बन्ध में याचिका ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, फर्रुखाबाद में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना विषयक डा0 बृजेन्द्र प्रताप गौतम तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद फर्रुखाबाद में बद्री विशाल डिग्री कालेज फतेहगढ़ में विज्ञान की कक्षायें खुलवाने विषयक श्री शमीम अहमद तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से जनपद फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित एक फैक्ट्री स्थापित करने विषयक श्री अरुण प्रकाश तिवारी तथा अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए) ।

बरेली जनपद के चन्दपुरी बिमपुरी मार्ग पर नकटिया नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका ।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बरेली जनपद के चन्दपुरी बिजपुरी मार्ग पर नकटिया नदी में पुल बनाने विषयक श्री विनोद पाण्डेय तथा अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आगरा में दरी कालीन के उद्योग के विकास हेतु एक दरी कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने तथा यमुना पार क्षेत्र में गर्ल्स इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध याचिका ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से, जनपद आगरा में दरी कालीन उद्योग के विकास हेतु एक दरी कालीन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने विषयक श्री खचेर मल शर्मा आदि निवासीगण आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा यमुना पार क्षेत्र में गर्ल्स इण्टर कालेज खोलने विषयक श्री राम चतुर चौधरी तथा अन्य निवासीगण आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिक उपस्थित करता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

†छापी नहीं गयी ।

कार्य-सूची में आये हुए सभी संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने की मांग

श्री अधिष्ठाता--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विवाद जारी रहेगा ।

(नियोजन मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आप इस पर पहले माननीय सदस्यों के विचार सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

नियोजन मंत्री कल अपने विचार प्रकट कर रहे थे, उसी के कंटीन्यूशन में वे अपने विचार रखेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज 5 संकल्प नये इस कार्य सूची में आये हुए हैं । 3 बजे तक ही केवल असरकारी दिवस है, उसके बाद सरकारी दिवस प्रारम्भ हो जायेगा । अगर आज यह पांचों संकल्प इस सदन में प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो वह व्यपगत हो जायेंगे । मैं यह चाहूंगा कि आप इन पांचों संकल्पों को पहले प्रस्तुत करा लें, ताकि यह व्यपगत न हों । उसके बाद जो चर्चा चल रही है, उसको जारी रखें ।

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, जब तक एक संकल्प पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक दूसरा आईटम कैसे लिया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

जो विवाद चल रहा था वह विवाद जारी रहेगा । यह तो माननीय सदस्यों के ऊपर है कि वह उस विवाद को कहां पर खत्म करना चाहते हैं । और दूसरे संकल्प को कब प्रस्तुत करने का समय देते हैं ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

हमें कोई दिक्कत नहीं है जितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वे बोल सकते हैं, चूंकि वक्तव्य जारी था, इसलिये माननीय मंत्री जी उस पर बोलने के लिये खड़े हुए थे ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही विभिन्न प्रदेश को धन आवंटित करने की केन्द्रीय सरकार से मांग का संकल्प । (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता--

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अपना भाषण शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें ताकि दूसरे माननीय सदस्य भी उस पर अपने विचार रख सकें ।

*नियोजन मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

श्रीमन्, मैं उस दिन उत्तर दे रहा था, लेकिन उसे आज के लिए टाल दिया गया था कि मैं अपने शेष उत्तर को आज दूंगा । अगर नियमानुसार कार्यवाही की जाय तो मेरा वक्तव्य जारी रहना चाहिये, उसके बाद माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उस दिन निवेदन कर रहा था, कि केन्द्रीय सरकार की ओर से धन का, विकास योजनाओं के लिये जो आवंटन किया जाता है, उसमें करीब-करीब वही नियम है, जिसे माननीय सदस्यों ने कहा है । 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत प्रदेशों के पिछड़ेपन के आधार पर धन का आवंटन होता है । शेष 20 परसेन्ट में 10 परसेन्ट कराधान के प्रयासों के आधार पर और 10 परसेन्ट विशिष्ट समस्याओं के आधार पर धन का आवंटन होता है । जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, विशिष्ट समस्याओं के आधार पर हमको धन मिल जाता है । क्योंकि

---

†दिनांक 5 अगस्त, 1985 की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। कर प्रयासों के आधार पर भी हमको धन मिल जाय, इसका प्रयास भी हम करते हैं। पिछले आयोग ने भी जो संस्तुति की थी, उसके आधार पर भी इस प्रदेश ने प्रयास किया कि हम अपने संसाधनों को बढ़ायें। चौथी कमेटी फफोला की जोथी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि हम संसाधनों में वृद्धि करें। जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, उसका पूरा प्रयास है कि हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये और विनियोजन के लिये काफी धन प्राप्त कर सकें। उधर के माननीय सदस्यों को इस बात की चिन्ता है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। हमें पूरी आशा है कि उनका पूरा सहयोग हमें मिलेगा जिससे हम अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें। और मुझे यह भी आशा है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। तो श्रीमन् दो खास कारण हैं जिससे हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। पहला है कि हमें जितना संसाधन जुटाना चाहिये उतना नहीं होता इसलिये हमारी पंचवर्षीय योजनायें जितनी बड़ी होनी चाहिये नहीं हो पाती हैं। इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग हमें मिल सकता है, अगर वह सहयोग दें तो हमारे संसाधन बढ़ सकते हैं। अल्प बचत योजना में जो धन जिलों में एकत्रित होता है, उसमें सहयोग दें तो और ज्यादा धन इकट्ठा हो सकता है। 6वीं पंचवर्षीय योजना के लिये 4 सौ करोड़ का लक्ष्य था, 7वीं के लिये इस पहले वर्ष में 6 सौ करोड़ का अल्प बचत योजनाओं से धन इकट्ठा करने का है उसमें से दो तिहाई रुपया ऋण के रूप में केन्द्रीय सरकार से मिलता है। इसमें हम जितना इकट्ठा करेंगे उसी हिसाब से हमें केन्द्र से मिल सकेगा। इसमें हमें सदस्यों का सहयोग मिले और राज्य सरकार का प्रयास है, जो केन्द्र सरकार इकट्ठा किये हुए धन का दो तिहाई देती है, हमारे मुख्य मंत्री का प्रयास है कि तीन चौथाई मिले लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद् उसका निर्णय करती है, आगे जब बैठक होगी, उसमें विचार पेश होगा और जो निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्य वाही होगी।

इसके अतिरिक्त और भी तरीके हैं जिसमें माननीय सदस्यों का सहयोग मिल सकता है। हमारे प्रदेश में काफी बकाया है। जो धन बकाया है सिंचाई विभाग, बिजली, कोआपरेटिव बैंक का, अगर ज्यादा वसूल हो सके तो ज्यादा संसाधन मिल सकेंगे इसमें आश्वासन दे रखा है कि काफी वसूली करेंगे। तो अगर यह वातावरण बन सके बकाये को अदा करने का, सब को फिक्र होनी चाहिये, आदत होनी चाहिये कि बकाया दें। कोआपरेटिव बैंक से जितना लाभ उठा सकते हैं, जितना धन प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं। जो कर्ज दिया जाता है तो कम लोग इसको अदा करने की फिक्र रखते हैं। आमतौर से तो जब बकाया ज्यादा हो जाता है तो बकायेदार को दे नहीं सकते इसलिये जितना उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो पाता। माननीय सदस्य इसमें भी सहायता कर सकते हैं और यह आदत पैदा कर दें कि जो लोग ऋण लेते हैं उस को अदा करने की आदत बनानी चाहिये। इससे ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव बैंक का लाभ उठा सकते हैं इसके अतिरिक्त जो बैंकों में रुपया जमा होता है, हमारे प्रदेश में, उसका केवल 51 प्रतिशत हम उनसे ले कर अपने काम में लाते हैं जब कि राष्ट्रीय स्तर 70 प्रतिशत है और कुछ प्रदेश तो 95–96 प्रतिशत तक इस्तेमाल करते हैं किन हमारे यहां केवल 51 प्रतिशत इस्तेमाल हो पाता है। इससे हमारे प्रदेश को हानि पहुंच रही है। लोग उसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिये हम केन्द्र सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि जो 19 प्रतिशत की कमी है यह जो कमी राष्ट्रीय स्तर से है 19 प्रतिशत की, इसके आधार पर भी जो ऋण लेने की इजाजत देते हैं इसका भी ख्याल करके ऋण की रकम बढ़ा दें तो संसाधन बढ़ जायेंगे। मैं यह कह रहा था कि इस तरह हमारे संसाधन काफी बढ़ सकते हैं और उसमें माननीय सदस्य सहयोग कर सकते हैं। एक तो संसाधनों की बात है, दूसरे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे इस प्रदेश की जनसंख्या की जो वृद्धि है, वह राष्ट्रीय वृद्धि से ज्यादा है। जो उन्नतिशील प्रदेश हैं, उनके मुकाबिले तो ज्यादा है, राष्ट्रीय वृद्धि से भी ज्यादा है। इसलिये हमारा जो विकास का आधार है वह 'न्यूट्रिलाइज' हो जाता है। जनसंख्या

वृद्धि से। माननीय सदस्य इस विषय में सहयोग करें और लोगों को परिवार नियोजन बतायें ताकि आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, न बढ़े जिससे विकास की दरें जो ज्यादा करना चाहते हैं और जनसंख्या से जो न्यूट्रिलाइज हो जाती है, न होनेपाये। परिवार नियोजन के लिये इसमें और लोगों का सहयोग मिल सके इसके लिये काफी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है। अगर माननीय सदस्य, जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, अगर इस तरह की बात कहें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करना चाहिये क्योंकि इससे केवल उन्हीं का लाभ नहीं है बल्कि प्रदेश का लाभ है, जनसंख्या के बढ़ने से प्रदेश को हानि पहुंच रही है। अगर यह एक परम्परा बन जाय तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। जो नियम बनाये गये हैं, बहुत प्रोत्साहन दिया गया है कि लोग इसका प्रयोग करें तो कितना लाभ होगा। जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धांत की बातें थीं उसके बारे में कुछ थोडा सा माननीय सदस्यों के सामने निवेदन कर दिया। जो दूसरा बिन्दु है वह यह मांग की गयी है कि जिस जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर जो हम मांग करते हैं केन्द्र सरकार से आयोजनागत धन की किन आयोजनागत धन का आवंटन करे, उस आधार को मानकर प्रदेश सरकार जिलों के लिये धन का आवंटन करे, जिससे जो जनपद जिस क्षेत्र में पिछड़े हुए हों उस क्षेत्र में ज्यादा धन लगाने के लिये पैसा मिल सके और विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति आय में जो विषमता है, वह दूर हो सके। इस सम्बन्ध में जो आयोजनागत कुल धन है उसका करीब 30 प्रतिशत जिलों को आवंटित होता है, यह अभी तक का निर्णय और वह आवंटन राष्ट्रीय होता है, उसके लिये आर्थिक, सामाजिक और पुरस्थापना सम्बन्धी जिन संकेतों का आधार लिया जाता , उनका विवरण निम्न है। 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर होता है, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के आधार पर होता है 10 प्रतिशत सीमान्त कृषकों और भूमिहीन मजदूरों की संख्या के आधार पर,– 5 प्रतिशत खेती में पिछड़ापन के आधार पर उद्योग में पिछड़ापन 5 प्रतिशत, सड़कों में पिछड़ापन, 5 प्रतिशत, विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या के आधार पर, 5 प्रतिशत, अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत, पेयजल अभाव-ग्रस्त ग्रामों की संख्या के आधार पर 5प्रतिशत इस तरह 95 प्रतिशत का बटवारा उसी सिद्धान्त के आधार पर होता है, जिसके आधार पर होता है जिसके प्रतिपादन की मांग की गयी है। 50 परसेन्ट जो नचता है उसमें से 2 परसेन्ट जिलों से अल्प बचत योजना के आधार पर धन एकत्रित होता है और उसी आधार पर 2 परसेन्ट का बटवारा किया जाता है। तीन प्रतिशत जो बचता है वह विशिष्ट कामों के लिये और जो विसंगतियां शुरू में जिलों में पैदा हो जाती हैं उसके निराकरण के लिये हैं। इस तरह से 100 प्रतिशत का बंटवारा इस तरह से है जिसके आधार पर माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव के द्वारा मांग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें लेकिन मैंने शुरू में ही यह कहा था प्रस्ताव के सम्बन्ध में कि यह सिद्धान्तों और नीतियों पर है इसलिये विशेष स्थान के बारे में या विशेष समस्या के बारे में कुछ कहना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें उठायीं, उन सबका उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। लेकिन एक बात जो कही गयी कि विशेष जिले के साथ कोई विशेष सहायता दी जा रही है, उसका ज्यादा ख्याल किया जा रहा है।

खासतौर से यहां पर फैजाबाद और सुल्तानपुर का मुकाबिला किया गया था और यह कहने की कोशिश की गयी थी कि फैजाबाद के साथ अन्याय हो रहा और सुल्तानपुर के साथ ज्यादा सुविधा की नीति अपनायी जा रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा धन आवंटित किया जा रहा है। माननीय तिवारी जी अगर आप बुरा न मानें तो मैं तो यह कहूंगा कि शायद आपने फैजाबाद को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिये यह कहा है। एक कहावत है कि दानेदार दुश्मन तो अच्छा

है लेकिन नादान दोस्त नहीं । फैजाबाद के साथ अन्याय नहीं हो रहा है ।

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी को खुद अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि फैजाबाद से सुल्तानपुर काफी पिछड़ा हुआ है, वह फैजाबाद से पिछड़ेपन में आगे हैं और अब छठीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर पहले जहां विकास की दृष्टि से कमिश्नरी में बाराबंकी नम्बर 1 पर था वहीं अब बाराबंकी नम्बर 2 पर आ गया है और फैजाबाद नम्बर 1 पर हो गया है ।

सिद्धांतों के आधार पर आवंटन करने से 50 प्रतिशत आबादी के आधार पर फैजाबाद में आबादी के आधार पर 50 प्रतिशत में से 1.3 प्रतिशत मिलता है । सुल्तानपुर को 0.96 प्रतिशत मिलता है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आधार पर सुल्तानपुर को 0.10 प्रतिशत और फैजाबाद को 0.13 प्रतिशत मिलता है । लेकिन जो 40 प्रतिशत का बटवारा पिछड़ेपन के आधार पर हुआ था उसमें इस साल सुल्तानपुर को 1.56 परसेन्ट मिला है और फैजाबाद को 0.71 परसेन्ट, इस प्रकार करीब दूना मिला है । जैसा कि आपने सिद्धान्त की बात की, यह उसी सिद्धान्त का प्रयोग है । इसी प्रकार से और भी आंकड़े हमारे पास हैं वर्ष 1982-83 में 592.4 लाख रु0 फैजाबाद को मिले और 983.3 लाख रु0 सुल्तानपुर को क्योंकि वह कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ है । वर्ष 1983-84 में फैजाबाद को 622.02 लाख रु0 और सुल्तानपुर को 1036.66 लाख रु0, वर्ष 1984-85 में फैजाबाद को 665.56 लाख रु0 और सुल्तानपुर को रु0 1109-23 लाख रु0 मिले । यही नहीं मान्यवर छठीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल में फैजाबाद को जो हिस्सा मिला है वह 719.42 लाख का है और सुल्तानपुर को 1183.34 लाख रु0 का तो इस प्रकार से साफ तौर पर स्पष्ट है कि पहले की पंचवर्षीय योजनाओं में जो अन्तर था वह अब नहीं रह गया है और सुल्तानपुर का काफी हिस्सा बढ़ा है । इस लिए आप जिस सिद्धान्त की बात कह रहे हैं, उस ओर सरकार स्वयं अग्रसर है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

बस्ती के बारे में भी माननीय मंत्री जी कुछ प्रकाश डालें ।

श्री जयराम वर्मा--

आप जिस जनपद के बारे में पूछें मैं बताऊंगा । तो मान्यवर, मैं यह कहने जा रहा था कि 30 परसेन्ट तो जिले की विकास योजनाओं के लिये दिये हैं और 70 फीसदी राज्य सेक्टर में रहता है । यह पैसा जिले की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये रहता है जैसे सिंचाई विद्युत है और स्वास्थ्य विभाग आदि में । यह योजना किसी एक जिले के लिए निर्धारित नहीं होती, यह आवश्यकता की दृष्टिकोण से तथा भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से व अन्य और भी बातें हैं, उस हिसाब से होता है, किसी एक जिले के हिसाब से धन का निर्धारण नहीं होता । जैसा कि माननीय तिवारी जी को यह शिकायत थी कि फ़ैजाबाद में शिक्षा पर कम खर्च हुआ या स्वास्थ्य में कम खर्च हुआ । यह तो जिलों को जो रुपया दिया जाता है, यह वहां की समिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से पैसे का इस्तेमाल करें ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी का भाषण जल्दी समाप्त हो जाय तो अन्य माननीय सदस्य हैं, जिन्हें समय नहीं मिला है वह भी बोलना चाहेंगे ।

श्री जयराम वर्मा--

अवश्य माननीय सदस्य बोलें, मैं हर बात का जवाब नहीं दे रहा हूं सिर्फ़ उन बातों को कह रहा हूं, जिनकी जानकारी मुझसे चाही गयी है । तो मैंने चाहा कि जिला समिति को अधिकार है, जो धन आवंटित होता है, उसका जिस तरह से प्रयोग करना चाहें, करें उस समिति के विधायक और संसद सदस्य मेम्बर होते हैं, उस धन का वहीं पर बटवारा किया जाता है, वह सलाह देकर बटवारा करा सकते हैं ।

जहां तक बड़ी-बड़ी योजनाओं का सवाल है, जो योजनायें जिस स्थान के लिये उपयुक्त होती हैं, वहीं पर खोली जाती हैं । जैसे

फ़ैजाबाद है वहां पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उसके लिये सुल्तानपुर उपयोगी नहीं है। इसके अतिरिक्त फ़ैजाबाद में 3 कृषि विश्वविद्यालयों में से एक कृषि विश्वविद्यालय वहां पर है और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी है तो अयोध्या के लिये मांग हो रही है कि वहां पर राम की पौड़ी बनायी जाये यह उत्तर प्रदेश में कहीं पर नहीं हो सकता है। वहां पर सरजू नदी बहती है अयोध्या में सरजू नदी पर पुल बनाया गया है तो यह पुल सुल्तानपुर में नहीं हो सकता है और सरजू नदी पर दूसरा पुल बनाये जाने की संभावना है और बन सकेगा। यह मांग है कि सरजू पर एक रेलवे पुल बनाया जाये और मनकापुर से जो छोटी लाइन आती है, उसको बढ़ाकर अयोध्या तक कर दिया जाये, उसमें बहुत खर्च होगा। फ़ैजाबाद जिले में सूती कताई मिल है, वह सुलतानपुर में नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनको वहीं पर स्थापित किया जाता है जहां पर वह सफ़ल हो सकें, यह तो स्थान की दृष्टि से शुरू की जाती हैं।

इसी प्रकार से सुलतानपुर में कई योजनायें शुरू की गयीं, वहां खाद का कारखाना शुरू किया गया, वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और स्थान की उपयोगिता के आधार पर किया गया है। इसलिये यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि सुलतानपुर के साथ कोई विशेष रियायत हो रही है या किसी विशेष नियम का पालन किया जारहा है और उनके हक से ज्यादा देने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह का किसी का इम्प्रेशन है, तो वह सही नहीं है। और यह कहना कि फ़ैजाबाद के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, यह सही नहीं है।

इस तरह से सदस्य ने जो इस प्रस्ताव के जरिये जानने की कोशिश की थी, उसको मैंने बताया, तो इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को वह वापस ले लें और जिस तरह से सदस्यों ने इसमें दिलचस्पी दिखलायी तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश 1974-75 से आगे बढ़ना शुरू हुआ है और राष्ट्रीय स्तर तथा हमारे प्रदेश के स्तर का अन्तर कम हुआ है। 6ठीं योजना के पहले 4 वर्षों में, हमारे प्रदेश के विकास की दर 5.9 थी और राष्ट्र स्तर पर 5 प्रतिशत थी। हम अपने विकास दर को ज्यादा करना चाहते हैं कि जो हम पिछड़ गये हैं उसको पूरा कर सकें। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने अपनी विकास दर लक्ष्य 6 प्रतिशत और केन्द्र ने 5 प्रतिशत रखी है। जब तक हम अपनी विकास दर ज्यादा नहीं रखेंगे तब तक जो गैप बन गया है वह घटेगा नहीं। इसलिये हम यह कर रहे हैं। इसलिये हम सभी का सहयोग चाहते हैं अगर वह मिलेगा तो जरूर हम कामयाब होंगे। इसलिये मैं तिवारी जी और दूसरे माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह देश के विकास के महायज्ञ में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है उसमें शरीक हो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने हाथ उठायेंगे, तो आप देखेंगे कि भगवान की कृपा से हमारे प्रदेश और दूसरे प्रदेश में जो खाई है वह तेजी से घटती हुई दिखाई देगी। और साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपके सहयोग की जरूरत है। मैं समझता हूं पूरा सहयोग मिलेगा और तिवारी जी सहर्ष ही अपने प्रस्ताव को वापिस लेंगे।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाया है। जिस तरह से मान्यवर, केन्द्र से उत्तर प्रदेश की आबादी, गरीबी और पिछड़ेपन के हिसाब से विकास के लिये धन नहीं मिला और लगातार प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण कुर्सी में बैठने के लिये सौभाग्य प्राप्त होता रहा। उसी प्रकार से मान्यवर, प्रदेश की सरकारों से भी प्रदेश के कुछ हिस्सों को समान रूप से न तो व्यवहार मिला न धन मिला और न ही आबादी और पिछड़ेपन के हिसाब से धन

मिला विकास के लिये । माननीय मंत्री जी 2 दिन से एक तस्वीर सदन के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं । किस के साथ न्याय नहीं हुआ जिसके साथ भेदभाव नहीं हुआ । प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं । केन्द्र से इस प्रदेश के सांगोपांग विकास के लिये कितना धन मिला और उसी प्रकार से इस प्रदेश का है । पूर्वी प्रदेश में समान विकास के लिये क्या कुछ किया गया । माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, प्रदेश में विकास में कोई संतुलन नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब भी मान्यवर, वह इस बातके लिये गौर कर लें और हमारा एक सुझाव है कि प्रदेश में असमान विकास पर जांच कराने के लिये एक आयोग गठित करें और उस आयोग के जिम्मे एक काम सुपुर्द करें और वह प्रदेश के विभिन्न अंचलों का दौरा करें । प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जायें और देखें कि प्रदेश की असली तस्वीर क्या है । उत्तरांचल से लेकर पहाड़ी अंचल, बुन्देलखण्ड और पूर्वी जिलों की जिस तरह से दयनीय स्थिति है, जो जीवन स्तर है गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबी से जूझ कर सड़कों पर मरने वाले की जो तादाद है उसको देखने की मान्यवर, नितान्त आवश्यकता पैदा हुई ।

(2 बज कर 20 मिनट)

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा पश्चिमी जिलों का विकास हुआ है, उसी तरह से पूरे प्रदेश का विकास हो, हर जिले का विकास हो । बुलन्दशहर को जब हम लोग देखते हैं और बुन्देलखण्ड और पूर्वी जिलों के गांवों के लोगों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग एक ही युग, एक ही समय और एक ही प्रदेश के निवासी नहीं हैं । हम लोग विभिन्न युगों के लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं । माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपको दावत देना चाहता हूं कि प्रदेश की गरीबी आपको देखनी हो तो मैं जिस जनपद से आता हूं बांदा जनपद से, वहां के पाठा क्षेत्र में आदिवासी, हरिजन भूमिहीन लोग आजादी के 38 साल पूरे होने के बावजूद भी मैंने खुद देखा है कि वे जाड़ों में मात्र आग के सहारे रात गुजारते हैं । लकड़ी लेने के लिये भी वन विभाग ने मना कर दिया है । लकड़ियां बेच-बेच करके वहां की जवान औरतें और लड़कियां अपना गुजर-बसर करती हैं, चूल्हा जलाती हैं । लकड़ी नहीं उठी तो चूल्हा नहीं जलेगा ।

पाठा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जनपद में पीने के लिये पानी नहीं है । उसके विकास के बारे में जिसके बारे में हम गर्व करते हैं कि हमारा देश और प्रदेश काफ़ी आगे गया है, गर्व करना चाहिये । जो क्षेत्र आगे बढ़े हैं उनके लिये हमें गर्व होना चाहिये । लेकिन आज जो दयनीय स्थिति है उसके विषय में आंख नहीं मूंदी जा सकती है । वहां पर पीने के लिये पानी नहीं है । विकास की जो स्थिति है बुन्देलखण्ड में वह किसी से छिपी नहीं है । कोई भारी उद्योग बुन्देलखण्ड में नहीं है । आपकी सरकार ने कई बार यह घोषणा की है कि प्रदेश की हर तहसील केन्द्र पर एक करोड़ रुपये का कारखाना हम बनायेंगे । इसी उम्मीद में तमाम बेरोजगार लोग आज भी बैठे हैं कि कब कोई कारखाना तहसील में जनपद में खुलने वाला है । आज तक कोई कारखाना जमीन पर नहीं उतरा है । केवल घोषणायें होती रही हैं और बेरोजगारी भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । मैं और जिलों के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता लेकिन बांदा जनपद के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टैटिस्टिक्स पेश किये गये हैं उसमें 20 प्रतिशत के आस-पास लिटरेसी मानी है । उसके बावजूद भी वहां पर लगभग 1 लाख एम0 ए0 पास बी0 ए0 पास, बी0 टी0 सी0 पास युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि पंजाब में खालिस्तान सम्बन्धी आतंकवाद का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पहले हमारे यहां के हजारों भूमिहीन मजदूर जो वहां जाते थे, लेकिन जब से यह आतंकवाद शुरू हुआ वहां से ये लोग गायब हो गये । पता नहीं कहां चले गये । उनका क्या हुआ ।

ललितपुर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी श्रीमती बेनी बाई बुन्देलखण्ड का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहां पर आज यही स्थिति है, झांसी की यही स्थिति है, हमीरपुर की यही स्थिति है और मान्यवर. ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक चलना उचित नहीं है। पानी के संबुध में हम कह चुके हैं कि खेतों के लिये आज हमारे यहां पानी नहीं है। अभी प्रश्न काल में माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे कि हमारे यहां मध्य प्रदेश जल विवाद के कारण खेतों में पानी नहीं जा रहा है, खेत सूख रहे हैं।

अभी आपके कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि जो लोन लेते हैं वह देते नहीं उसकी आदत डालिये। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बैंक से कर्ज ले और उसे अदा न करे क्योंकि उसके ऊपर ब्याज का भार पड़ता है। लेकिन जिस तरह से घर में फांका कसी हो रही है उस स्थिति में कहां से कर्ज दे। बैंकों के कर्ज से आज बुन्देलखण्ड में लोगों के लिये मुसीबत हो गयी है। बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस की सहायता से वसूल किया जाता है। जमीन जायदाद की नीलामी हो रही है। जिस जमीन को सींचने के लिये पम्प खरीदने के लिये कर्ज लिया था वह जमीन नीलाम हो रही है। ललितपुर के कई सौ किसान दरखास्त लेकर आये थे वे कर्मचारियों और पुलिस की गिरफ्तारी के डर से घर छोड़ कर भाग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में असंतुलित विकास की स्थिति है उसको सब के समान लाने के लिए वहां के लिये फौरी योजनायें बनाई जायं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो डाकू प्रभावित जिले हैं उनके विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि करीब 290 करोड़ रुपया देंगे इसमें बुन्देलखण्ड के 5 जिले भी आते हैं। लेकिन उस योजना की कोई रूपरेखा हमारे सामने नहीं रखी गयी है कि कब से वहांपर काम शुरू किया जायगा। अपराध का इलाज केवल पुलिस की गोलियां नहीं होती हैं उसके लिये आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं। आज लोगों के पास काम नहीं है इसलिये एक नया ट्रेण्ड शुरू हो गया है नौजवान लड़के बी0ए0 एम0ए0 पास करने के बाद जब रोजगार नहीं पाते हैं तो बेटेनों में डकैतियां डालते हैं या जेब काटते हैं। इस तरह से तरह तरह के सामाजिक अपराध करके अपनी जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं।

इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे प्रदेश के असंतुलित विकास के लिये एक आयोग गठित करें और उस आयोग की रिपोर्ट पर अमल करे। अगर पूरे प्रदेश के स्तर पर नहीं गठित कर सकते हैं तो जो हमारी पुरानी मांग है, जिस तरह से पूर्वी जिलों के विकास के सम्बन्ध में एक पटेल आयोग बना था उसी तरह से बुन्देलखण्ड की 50, 60 लाख जनता की समस्याओं के समाधान के लिये बुन्देलखण्ड विकास कमीशन गठित करें जिसकी रिपोर्ट पर विकास की योजनाओं पर अमल करें।

मान्यवर, समय ज्यादा नहीं है और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मैं एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा के संबंध में। हमारे जनपद में स्कूल पेड़ों के नीचे लगते हैं इसी तरह से सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और कोई बड़ा उद्योग नहीं है। एक सूती मिल माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब तिंदवारी से चुनाव लड़ना था तो उन्होंने एक सूती मिल देने का वायदा किया था तो वह सूती मिल लगी। लेकिन मिल लगाने के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन ली गयी उनके लिये कहा गया कि जिनकी जमीन ली जायगी उनके बच्चों को काम से कम उसमें रोजगार दिया जायेगा। तथा स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी। लेकिन यहां से एम0डी0 साहब के या दूसरी अधिकारियों के लोगों को उसमें भर दिया गया। और एक मजदूर की नियुक्त के लिये 10, 10 हजार रुपये लिये गये। हम लोगों ने आन्दोलन चलाया और उस पर एक चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर को बरखास्त किया गया। लेकिन वह सिलसिला फिर भी जारी है। जो वह छोटी मिल लगाई गयी है उसमें बुन्देलखण्ड के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

इसी तरह से बेरोजगारी और भुखमारी, गरीबी की समस्या बढ़ रही है। इसलिये अंत में कहूंगा कि बुन्देलखंड एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में डकैती प्रभावी क्षेत्रों में कुछ ऐसा करें जिससे गरीबी और असंतुलन दूर हो, उसके लिये केन्द्र से धन मांगे। श्री तिवारी जी ने बहुत आंकड़े रखे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा किन्तु सदन इस संकल्प को पारित करे और केन्द्र सरकार से आग्रह करे कि हमको गरीबी, पिछड़ेपन और आबादी के हिसाब से धन मिले और उसी सिद्धांन्त को लागू करके पिछड़े क्षेत्रों में बराबर विकास करें। मान्यवर, जहा जिन जिलों में कोई उद्योग नहीं हैं वहां, कम से एक-दो भारी उद्योग आवश्य दें अन्यथा बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता है। अंत में पुन: सदन से आग्रह करता हूं कि वह इस संकल्प को पारित करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, श्री रत्रीन्द्रनाथ तिवारी ने प्रदेश सामयिक आवश्यकता पर बल देते इस प्रस्ताव हुए को प्रस्तुत किया है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है जिससे प्रदेश की 12 5 करोड़ लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जा सकता है। ऐसे गंभीर समस्याओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के लिये बजट में संतुलन होना आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी भारतवर्ष में सर्वाधिक है, गरीबी और पिछड़ापन भी अधिक है, इसलिये श्री तिवारी जी का विचार है कि इन तीन कारणों से इस धन का आवंटन होना चाहियें जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल और आबादी। पहले तो पिछड़े जिलों का विकास हो सके, इस परिप्रेक्ष्य में जब विचार होगा तो जनसंख्या से ज्यादा आबादी वाले पिछड़े जिलों के लाभान्वित होने की संभावना बनेगी और धन आवंटित हो सकेंगा और तीसरा इसलिये कि प्रदेश के जिलों में आम आदमी की आय में जो अंतर जिलेवार है यह जिलेवार अतर समाप्त हो सकेगा। इसलिये यह प्रस्ताव इसलिये भी आवश्यक है कि जब केन्द्रीय सहायता की ओर ध्यान देते हैं तो 1978-79 की योजना में उ0 प्र0 के बजट का 62 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिली थी। 1979-80 में वह घटी और 59.6 हुई, 1980-85 की पंचवर्षीय योजना में 59.06 से घटकर 33 प्रतिशत पर आयी।

मैं पूंछना चाहता हूं कि 12 करोड़ आबादी का विकास इस तरह कैसे होगा। इस पिछड़ेपन, गरीबी के आकलन के दो आधार है। एक आधार शिक्षा है। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो पाता चलता है कि भारत की औसत शिक्षा 36.23 प्रतिशत है। केरल में 67.17 प्रतिशत शिक्षा, महराष्ट्र में 47.37 प्रतिशत, मद्रास में 45.78 प्रतिशत शिक्षा है।

वहीं उत्तर प्रदेश की शिक्षा 27.54 है। दूसरी तरफ मान्यवर, हम अपने जिले की हालत देखें तो दिखाई देगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वहां के कई जिले ऐसे है जहां पर शिक्षा 10 प्रतिशत से भी कम है जैसे गोरखपुर की शिक्षा 10.36 है, देवरिया में 9 7, बस्ती में 7 94 तथा आजमगढ़ में 12.30 है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह पिछड़ेपन का द्योतक नहीं है। जब धन का आवंटन होता है तो आबादी के आधार पर नहीं होता है। वहां जहां पर आबादी 10 लाख है वहां पर प्रत्येक को 10 रु0 पड़ता है परन्तु वहीं पर पूर्वी जिलों पर प्रति व्यक्ति 3 रु0 खर्चा होता है। यह भारी असमानता इस बजट में है। क्योंकि देवरिया गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद की आबादी 25 लाख से अधिक है इसमे बलिया भी शरीक है और आजमगढ़ और बहराइच भी इसी में शरीक है।

इसी तरह से विद्युत की स्थिति है। आज के भौतिकवादी जमाने में विद्युत जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता हो गई है और इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्थिति आज अत्यन्त दयनीय है। विद्युत के क्षेत्र में जहां आन्ध्र में प्रति व्यक्ति उपयोग का प्रतिशत 134 किलोवाट है, गुजरात में 252 है, हरियाणा में 253 है, महाराष्ट्र में 251 है वहीं उत्तर प्रदेश में

97 है। माननीय नियोजन मंत्री जी कहा करते हैं कि नियोजन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। मैं नियोजिन मंत्री से कहना चाहता हूं कि नियोजन मंत्री सठिया गये हैं, उनकी सरकार सठिया गई है। आपने जो पुस्तिका दी है, यह सारे आंकड़े उसमें विद्यमान है। यही स्थिति सिंचाई विभाग की है। आपके विभाग को जो डायरी है इसको आप पढ़िये। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खाली अत्याचार हो रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को सबसे कम पैसा प्राप्त हुआ मात्र 166 करोड़, जिसमें एक आदमी के ऊपर खर्चा किया जाता था 25 रु0 और इस समय मान्यवर, सिर्फ 33 परसेंट होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों के ऊपर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार विचार किया जाय इन दोनों दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। वहां पर नहरों की आवश्यकता है, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता है, वहां पर सड़कों की आवश्यकता है, वहां पर खेती के साधनों का खेती के लिए बहुत आवश्यकता है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का आदमी, उसकी औसत आयु, शिक्षा, विकास के साधन निरंतर गिरावट की ओर जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त सामयिक है आज उसकी आवश्यकता है और यह बात कही जा रही है कि आप समान रूप से जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर योजनाओं की क्रियान्वित नहीं करते हैं। यदि आपने इसके ऊपर विचार नहीं किया, यह निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश के बंटवारे का खतरा पैदा हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बटवारे की बात आ सकती है आप इस असमानता को खत्म करने का प्रयत्न करें अन्यथा आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं शिक्षा की दृष्टि से बाकी प्रदेशों से हम एकदम पिछड़े गये है। हाईस्कूल तक की शिक्षा आन्ध्र प्रदेश, बिहार जम्मू कश्मीर, नागालैंड, और तामिलनाडु आदि 11 प्रदेशों में और 7 केन्द्र शासित प्रान्तों में फ्री यानी नि:शुल्क हो गई है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट तक की शिक्षा बिहार त्रिपुरा व तामिलनाडु आदि आठ प्रदेशों में फ्री हो चुकी है। और हमारे यहां कक्षा 8 तक भी फ्री शिक्षा नहीं है। इस कारण यह है कि जो केन्द्रीय सहायता मिलती है, वह कुछ चुने हुए छोटे पावरफुल राज्यों को अधिकाधिक मिलती है। महाराष्ट्र और केरल ऐसे राज्य में जहां पर सौ सौ परसेंन्ट केन्द्रीय राशि का अनुदान मिला करता है। इसलिये मंत्री जी इसको स्वीकार करें और वह भारत सरकार से मांग करें कि जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर बजट का आबंटन हो, सहायता राशि का वितरण हो।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

मान्यवर, हमारे नियोजन मंत्री जो हमारे जनपद के है और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, जिन्होंने यह संकल्प रखा है, वह भी हमारे ही जनपद के हैं अर्थात नियोजन मंत्री जी और माननीय तिवारी जी एक ही जनपद के हैं और हम भी उसी जनपद के हैं। नियोजन मंत्री की जो हमार जिले में सब हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। कहीं कोई गरीबी कोई पिछड़ापन और कोई गिरा हुआ स्कूल उन्हें नहीं दिखाई पड रहा है।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

इतना ही नहीं, स्वास्थ्य में भी यह सब एक से हैं।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

सुल्तानपुर जनपद की जहां तक बात है, हमारे नियोजन मंत्री ने कहा है कि वह बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और फैजाबाद उसके मुकाबले में कुछ आगे है। हमारे जिले में मंत्री जी गांधी जी बोले जाते हैं, हम सब उनका बड़ा आदर करते हैं। वह पितामह हैं हमारे फैजाबाद में सैकड़ों स्कूल गिरे हुए हैं और हजारों द्रोपदी नंगी ह और उनके सामने हमारे पितामह वही काम कर रहे है, जो भीष्म पितामह ने किया था। द्रोपदी नंगी थी तो भीष्म पितामह चुप हो गये थे। उसी प्रकार आज के पितामह यह हमारे मंत्री जिले की सैकड़ों नंगी द्रौपदी के रहते बिल्कुल चुप है। आज तो

जब उन्होंने कहा कि अपना संकल्प वापस ले लो तो हमें द्रोणाचार्य की याद आ गई, जैसे द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा मांग रहे हों अपनी सामर्थ्य के बल पर।

आज हमारे मंत्री जी महाभारत की कहानी को दोहरा रहे हैं। एक एक गांव में हमारे मंत्री जी घूमे है, उन्होंने एक एक स्कूल देखा है, वहां हजारों बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। टांडा में सैकड़ों जर्जर स्कूल गिरने की हालत में है, बच्चे उसके नीचे बठकर पढ़ते है, जिससे हर समय उनके प्राणों को खतरा बना रहता है। जब सुल्तानपुर ने मांगा शिक्षा भवनों के लिए तो हमारी सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपया दे दिया और रायबरेली को भी डेढ़ करोड़ इसके लिए दे दिया और जबकि आपने केवल 15 लाख इसके लिए मांगा, तो वह भी हमें नहीं मिला। शिक्षा भवनों के लिए डेढ़ करोड़ रुपया जनपद सुल्तानपुर और रायबरेली को मिल सकता है, लेकिन हमको नहीं मिल सकता है, फैजाबाद को नहीं मिल सकता है।

रायबरेली और सुल्तानपुर को इसलिए मिल सकता है, मुसलमान भाई पके है विशमिल्ला ए रहमाने रहीम यानी खुदा तू ही सब कुछ है उसी तरह से उधर बैठे हमारे कांग्रेसी भाई' राजीव गांधी। राजीव गांधी कहते है। उधर से जब जब जितने भी सदस्य बोलते हैं एक लाईन राजीव गांधी की पहले और एक लाइन बाद हमें राजीव गांधी की कहना कभी नहीं भूलते हैं बस राजीव गांधी कह दिया समझो सब कुछ कह दिया। धरम करम समाप्त हो जाएगा, राजीव गांधी का नाम न लें। सुल्तानपुर को डेढ़ करोड़ इसलिए दिया कि अमेठी हरा भरा हो जाए और हमारे यहां की औरतें लड़कियां नंगी रह जाएं भले ही हमारे यहां की सारी सारी अमेठी पहुंच जाएं। हमारे बेटे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल गिर रहे हैं और उनकी किताब छीनी जा रही है। वह सारी किताबें उनसे छीन कर अमेठी भेजी जा रही है।

हमारे यहां बूसे टूटी है। मंत्री जी हमारे यहां की एक एक सड़क को एक एक नहर को देखें है और उनके बारे में जानते हैं। मझुई, विसुई, तमसा जो नदियां है उन पर पुल नहीं हैं जिससे आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। बाज गाव ऐसे है जो नदी बन जाते हैं और 4 महीने पानी में डूबे रहते हैं। मंत्री जी की रिश्तेदारियां उन गांवों में है। वहां पर आने जाने का रास्ता नहीं है। स्वयं मंत्री जी टांडा क्षेत्र की सड़कों के बारे में जानते हैं उन पर चलना मुश्किल है। टांडा हंसवर सड़क पर आपकी जीप तो निकल जायगी लेकिन सायकिल वाले का घुटना टूट जायगा।

हमारे जनपद की स्थिति के बारे में नियोजन मंत्री जानते हैं जो उन्होंने भाषण दिया है उससे कहा है कि फैजाबाद जिला आगे है। तो मैं बस्ती, आजमगढ़ और दवरिया की बात क्या करूं जब वह अपनी आंख के नीचे अपने जिल को नहीं देख पा रहे हैं। पूर्वी जिले कितने पिछड़े हैं उसके बार में मैं मंत्री जी को क्या बताऊं। अस्पताल नहीं है। अकबरपुर में लडी डाक्टर नहीं दे और सारे अस्पतालों में डाक्टर गायब है। गोसाईगंज में डाक्टर नहीं है। तो मंत्री जी जानकर अंजान बने हुय है। भीष्म पितामह की तरह इनको तब ज्ञान आयेगा जब यह बाण शैय्या पर होंगे। राज अन्न खाये हैं इसलिये द्रौपदी के नंगे होने का ज्ञान इनको नहीं है राजधन खाय है इसलिये इनको हमारे जिले की सुधि नहीं है और हमारे जिले में तबाही मची है। बच्चे नंगे घूम रहे हैं, पुल नहीं हैं। सड़क नहीं है लेकिन सारी बातें मंत्री जी भूल गये है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी द्वारा रख गये संकल्प का भरपूर समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी द्वारा रखे गयें संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस संकल्प की आवश्यकता आज न होती। यदि शासन में बैठे हुये लोगों ने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना से लेकर आज तक कुछ इस प्रकार की योजनायें न बनायी होती जिससे यह

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक विषमता बेरोजगारी, गैर बराबरी बढ़ी है। अगर इस तरफ ध्यान दिया गया होता तो संभवतः इस संकल्प को लाने की आज आवश्यकता न होती। इस संकल्प के माध्यम से माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार को बल्कि उत्तर प्रदेश में बसने वाले उन तमाम पिछड़े निरीह, दबे हुये लोगों के लिये जिनकी सरकार ओर उपेक्षा कर रही है, उनके विकास की मांग की है। साथ ही केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि उत्तर प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर सबसे उपेक्षित, प्रताड़ित रहा है उसकी सहायता भी बढ़ाने की मांग इस संकल्प द्वारा की है। इसलिये यह संकल्प न केवल हमारे लिये बल्कि सत्तापक्ष में बैठे हुये लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इसके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की गयी है। रोज सिंचाई मंत्री अपना भाषण करके रोना रोते रहते हैं कि हम किसी ग्राम को पाटने की स्थायी योजना नहीं बना सके। आपकी जो भी योजनायें हैं चाहे वह सिंचाई की हों या विद्युत की हो उनका लाभ जितना मिलना चाहिये नही मिल सका है। तो इस संकल्प के द्वारा पिछड़ेपन को दूर करने की मांग की गयी है। यह संकल्प अति उत्तम है।

मान्यवर, मैं बस्ती जिले या पूर्वी जिलों के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे भाई जो पश्चिमी जिलों के हैं वह नाराज हो जाते है और हम लोगों को कहना शुरू कर देते हैं। मान्यवर, इसका लाभ जो सतत प्रयत्नशील रहे हैं और शासन के निकट रहे हैं उनको मिला है और शासन के लोग जहां पर रहे है वहां पर तमाम उद्योग लग गये हैं। मैं आंकड़ों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि शाहीजी ने सारे आंकड़े अभी पेश किये हैं। जो योजना बनाई गयी, उसमें उद्यमों के क्षेत्र में रायबरेली और सुल्तानपुर को ज्यादा स्थान दिया गया और बस्ती जनपद को कम स्थान दिया गया। इससे क्षेत्र में आर्थिक गैरबराबरी में बढ़ोत्तरी होगी और जब आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी में और लोगों के विकास में विषमता पैदा होगी तो फिर समाज में हिंसक क्रांति उत्पन्न होगी जो सम्पूर्ण व्यवस्था को तहस नहस कर देगी।

महात्मा गांधी ने इस देश को अहिंसात्मक ढंग से समाज में और आर्थिक क्षेत्र में क्रांति की तरफ प्रेरित किया था, परन्तु भोग की संस्कृति में लिप्त यह वर्तमान कांग्रेस के लोगों ने इसे भुला दिया, जिसके फलस्वरूप समाज में कठिनाई उत्पन्न हो गयी, होना तो यह चाहिए था कि सम्पूर्ण प्रदेश के पिछड़ेपन का आबादी के आधार पर सर्वेक्षण करा कर योजनाएं बनाई जायं, जिससे कि सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रदेश में पश्चिमी, पूर्वी बुन्देलखंड और मध्य क्षेत्र में योजना के दृष्टि कोण से बांटा गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश को लोग पिछड़ा कह दिया करते हैं, परन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, क्योंकि इसकी संस्कृति बड़ी गौरवमय रही है, साहसिक दृष्टि से भी यह बहुत सम्पन्न रहा है, फिर भी आम योजना के धनांरशि के बराबर बटवारा न होने के कारण पिछड़ गये हैं। बस्ती जनपद पूरे हिन्दुस्तान का ही नहीं, एशिया का ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा जिला है। उद्योगों के मामले में यह सबसे पिछड़ा जिला है, जिससे यहां पर गरीबी बेरोजगारी छायी हुई है।

मेरा सरकार से इस संकल्प के जरिए अनुरोध है कि जहां जिलों की जनसंख्या व आकार के आधार पर योजना के लिए धन आवंटित करती है, वहीं इस संकल्प के जरिये केन्द्रीय सरकार से प्रदेश को भी अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग करता हूं। इसलिए सम्पूर्ण क्षेत्र के सर्वेक्षण कराया जाय, और सर्वेक्षण करा कर जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर योजना की धनराशि आवंटित की जाय, जिससे कि आर्थिक विषमता दूर हो सके।

श्री सीता राम निषाद--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, सिद्धान्त रूप में इस सदन के हर माननीय सदस्य उनके संकल्प में सहमत होंगे। मान्यवर, हमारी सरकार उनकी भावनाओं के अनुकूल ही केन्द्रीय सरकार से 16,000 करोड़ रु0 सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये मांगा था, लेकिन केवल 11000 करोड़ रु0 हमारी

उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं । निश्चित रूप से केवल 2/3 धनराशि हमारे उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है, जिससे हमारी सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिस तरीके से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, उससे तीव्र गति में हमारा प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकेगा उसमें अवरोध उत्पन्न होगा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक कठिनाई थी कि जो संसाधन हमारी सरकार के पास होना चाहिए, उसके संसाधनों के अनुसार ही जैसा कि केन्द्रीय सरकार धनराशि देती है, हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया, किसी प्रकार का कर नहीं लगाया, जिसकी वजह से हमारी प्रदेश की जनता आज नये करों से मुक्त है उसकी वजह से हमारी सरकार का संसाधन जो है वह आवश्यकतानुसार बढ़ा नहीं, जिससे केंन्द्र सरकार से सहायता जितनी मांगी गयी थी, उतनी नहीं मिली है। लेंकिन फिर भी हमारी सरकार का यह प्रयास है कि और अधिक से अधिक धन केन्द्रीय सरकार से मिले, [इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफराम जाहिदी पीठासीन हुए ।] यह हमारे प्रदेश की आवश्यकता है । हमारे प्रदेश का इतना बड़ा आकार है इतनी बड़ी जनसंख्या जिसकी वजह से और अधिक की हमारे प्रदेश सरकार को आवश्यकता है और इस दिशा में हमारे नियोजन मंत्री और मुख्य मंत्री जो अभी केन्द्र सरकार से बराबर सम्पर्क स्थापित करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक धन दिया जाए जिससे हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ सके ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले निश्चित रूप से इस प्रदेश में पिछड़े हुए हैं । इन जिलों के विकास के लिए विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है बिना केन्द्र सरकार की सहायता के, जो पूर्वांचल के अविकसित जिले हैं उनका विकास नहीं हो सकता है पूर्वांचल का जिला वाटर लागिंग एरिया है । यह बहुत सी नदियों से घिरा है जिस कारण करोड़ों की फसल नष्ट होती है । जल निकासी के लिये, विभिन्न योजनायें लागू करने की आवश्यकता है फैजाबाद जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि घाघरा नदी, तमसा (मड़हा) विसुही मझुही नदियां है जिनकी वजह से हजारों गांव जल प्लावित हो जाते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है । ऐसे कई जिले पूर्वांचल के है, जहां चल प्लावन से फसल नष्ट हो जाती है जल निकासी के लिए बड़ी बड़ी योजना और छोटी छोटी नदियों के नहरीकरण की योजना विना केन्द्र सरकरी के सहयोग के सफल नहीं हो सकती है इसलिए हमारी प्रदेशीय सरकार को चाहिये कि वह केन्द्र सरकार से और अधिक सहायता की मांग करें । जिससे जल प्लावित क्षेत्रों की समस्या को निपटाया जा सके ।

फैजाबाद पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इसको जितना धन मिलना चाहिए उतना धन नहीं मिला है । वहां मेडिकल कालेज नहीं है वहां की जनता इस बात की मांग कर रही है कि मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए । इंजीनियरिंग कालेज नहीं है मंडल क मुख्यालय है किन्तु बिना केन्द्र सरकार की सहायता के इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज हीं खोला जा सकता है । बीकापुर तहसील है जहां किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं है वहां बहुत गरीबी है, बिना केन्द्र सरकार की सहायता के वहा भारी उद्योग नहीं लगाये जा सकते हैं । मैंने सदन में इस बात की मांग की थी कि भारी उद्योग धन्धे वहां लगाए जाएं बीकापुर की आबादी आठ लाख है और एक भी बालिका हायर सेकेडरी स्कूल वहां नहीं है यह उसकें पिछड़ेपन की निशानी है वहां की आठ लाख जनता की मांग है कि एक हायर सेकेन्डरी स्कूल वालिकाओं का खोला जाए, जिससे वहां का पिछड़ापन दूर हो । जो विकेन्द्रीकरण के योजनायें है, उसमें पिछड़े क्षेत्रों को अधिक धन दिया जाए, ऐसा प्राविधान है लेंकिन पूर्वांचल जिलों को जितने धन की आवश्यकता है उतना उनको नहीं दिया गया है । मैं नियोजन मंत्री जी ने अनुरोध करूंगा कि इस प्रदेश की योजनायें इस तरह से बनाई जाय जिससे पूर्वांचल जिले जो अधिक पिछड़े हुए है उनको अधिक धन दिया जा सके । भवनविहीन विद्यालय इस प्रदेश में पाए जाते है । मैं समझता हूं कि विना केन्द्र सरकारी की मदद के भवन विहीन विद्यालयों को भवन नहीं दिए जा सकते हैं । इसलिये आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश

सरकार केन्द्र सरकार की मदद से विश्व बैंक-से इस प्रदेश क लिय अधिक सहायता प्राप्त करे जिससे इस प्रदेश में विद्यालयों के भवन बनाये जा सकें। केंद्र सरकार की मदद से ही इस प्रदेश में जो विद्यालयों के भवनों की बहुत बड़ी समस्या है वह हल हो जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मा0 नियोजन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो संकल्प की भावना है, उसका आदर करते हुये भारत सरकार से मांग करें कि इस प्रदेश को अधिक धन दिया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

दो मिनट का समय देंगे।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

तीन बजे तक का समय निर्धारित था। अगली बार बोलियेगा। इस पर चर्चा जारी रहगी।

श्री मैनेजर सिंह---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

इस समय नहीं हो सकता है।

श्री मैनेजर सिंह---

मंत्री जी ने कहा फैजाबाद पिछड़ा नहीं है। निषाद जी ने वहां की दर्द की कहानी सु[illegible] निषाद की शरीर देख लें, हरदेव को देख ले कितना अन्तर है।

श्री अधिष्ठाता---

शरीर जितना हल्का होता है उतना ताकतवर होता है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

हम लोगों का संकल्प नहीं प्रस्तुत कराएंगे।

श्री अधिष्ठाता---

अब नहीं हो सकता है। वह लैप्स होंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

लिखकर भेज दें।

श्री अधिष्ठाता---

जब सदन शुरू हो तो 15 दिन पहले लिख कर दें।

उत्तर प्रदेश आमोद और पण कर (संशोधन) विधेयक, 1985।

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)---

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा बिल है। इसमें उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। मैं सोचता हूं इसमें अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जिस समय यह विधेयक विचार के लिये मंत्री जी ने प्रस्तुत किया मेरी जिज्ञासा थी उद्देश्य और कारण के बारे में कुछ बताते। जो मेरे मन में शंका थी वह सही साबित हुई। मंत्री जी इस बात से सहमत हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह संशोधन लाया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। यह बात सही है कि अगर करवंचना कोई करता है तो उसको कठोर से कठोर दण्ड दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने जो प्रयास किया, मैं उससे सहमति प्रकट करता हूं। लेकिन देखना यह होगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह किया जा रहा है, उसकी पूर्ति होगी? अभी मान्यवर, बजट में चर्चा होती रही तो शासन की ओर से मंत्रियों ने कहा कि हमें टैक्स बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन संसाधनों की चर्चा हुई तो अनेकानेक वित्तीय कराधन की प्रक्रिया आ रही है। इसमें केवल पैसा

†दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घसीटने की प्रक्रिया दी जा रही है। एक आदमी गलत तरीके सिनेमा में घुस जाय तो जेल जाने का प्राविधान है। इसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति जो धारा 5 के उल्लंघन में किसी आमोद का आयोजन करता है तीन मास तक सादा कारावास सहित या रहित एक हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा। इसी में आगे है कि कोई व्यक्ति जो धारा 7 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी आमोद में प्रवेश करता है या प्रविष्टि प्राप्त करता है, अपने द्वारा देय कर की राशि के अतिरिक्त ऐसी देय कर राशि के बीस गुने से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा आपकी कठोर दण्ड देने की नियत नहीं है। किस तरह से रुपया मिले, यह देखा है। यह सफल नहीं होगा। यह मेरी धारणा है, अधिष्ठाता महोदय, आप भी इससे सहमत होंगे कि ऊपरी कठोरता दिखाई गई है। प्रशासन में, नेतृत्व में कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है, उसके कारण उसे रोक नहीं पायेंगे। एक और बढ़ता जायगा। आवश्यकता इस बात की है कि इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाना है इसको देखना होगा कि जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसके बाद उसे देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और क्या आमदनी बढ़ेगी। उससे ऐसा तो नहीं है कि आमदनी घट गयी हो। इन बातों पर विचार के बाद रास्ता निकालना होगा।

उत्तर प्रदेश में जहां तक इन्टरटेनमेंन्ट टैक्स का सवाल है, यह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है केवल 50 पैसे तक माफ है, तो पचास पैसे का कहीं टिकट नहीं होता। एक रूपये पर सवा सौ नहीं है। उसके बाद डेढ़ सौ गुना है। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली में वहां के नागरिकों को देख लें वहां बिजली सस्ती है, घर छोड़ कर रहने वालों की संख्या अधिक है। हमारे यहां ढाई सौ गुना इन्टरटेनमेंट टैक्स है फिर भी दिल्ली की आमदनी बढ़ी है तो यह विचार करना होगा कि उसकी आमदनी कैसे बढ़ी है। मान्यवर, आप आंकड़े देख लें तो पता चलेगा। सन् 84 में उत्तर प्रदेश में 795 सिनेमा थे। जो अब 813 हो गये। एक साल में उत्तर प्रदेश में केवल 18 सिनेमा बढ़े। जबकि आन्ध्र प्रदेश में 100 बढ़े। कर्नाटक में भी हमसे ज्यादा बढ़ें। उत्तर प्रदेश में टूरिंग सिनेमा 119 था जो घटकर इस साल 109 हो गये। इस तरह से ग्रामीण अंचल में मनोरंजन के साधनों की संख्या घटती जा रही है। यहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिये, जो व्यवस्था होनी चाहिये, उसका पूरी तरह से अभाव दिखाई पड़ता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सिनेमा की समस्याओं को समझें।

मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तार में मनोरंजन का सस्ता और सुलभ साधन सिनेमा है। उसक द्वारा कोई संस्कृति मिली या नहीं मिली यह दूसरी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी समस्याओं को देखना होगा। इनको सही मानों में ठीक से देख लें तो सिनेमा बढ़ सकते है और उससे आमदनी बढ़ेगी। राजस्व बढ़ेगा। गत 13 मार्च को विशेष सचिव शुक्ला जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। उसमें विचार विमर्श हुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला मुझे याद है कि जब ब्रह्मदत्त जी वित्त मंत्री थे उस समय भी एक कमेटी बनी थी 79 में जब भगवानदीन जी सचिव थे। उसमें विचार विमर्श होता रहा। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला।

109 सिनेमा रह गये हैं। बिल्डिंग आप बना नहीं सकते। उनको सिनेमा का लाइसेंस आप नहीं देते हैं भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि 3 साल के बाद उनको जो लाइसेंस मिलना चाहिये था, उसे आप 6–6 महीने के बाद नवीनीकरण करते हैं। यह सब इसलिये किया गया है कि सिनेमा की व्यवस्था को देखने वाले जो लोग हैं इनकी जेब गरम की जा सके। इस प्रकार बहुत सारी समस्यायें हैं सत्ता में प्रभाव रखते हुए उनके द्वारा किस प्रकार नियमों का दुरुपयोग होता है। इस पर पहले भी चर्चा हुई थी। मैं अपने सीतापुर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सत्ता पर प्रभाव रखने वाले उन लोगों ने कानून के बहाने किस प्रकार का काम वहां पर किया है इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, सीतापुर शहर में नगर-पालिका का जहां बेरियर लगा हुआ है उससे पहले ही वहां एक सिनेमा घर बना हुआ है इसकी सुविधा एक लाख से कम आबादी के लोग ले रहे हैं जबकि सीतापुर की आबादी

एक लाख से भी ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

मान्यवर, कुछ समस्यायें कर्मचारियों की भी हैं। आपका जो इन्टरटेनमेन्ट इंस्पेक्टर होता है उसे अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं मालूम होती है। 1979-80 पे इन्टरटेनमेन्ट इंस्पेक्टरों की तदर्थ नियुक्ति की गयी थी उस समय उनका ग्रेड 280-460 पर था उसके बाद 1979 में वेतन आयोग ने इस ग्रेड को 470-735 रु0 में बदल दिया। लेकिन, इनका वेतनमान 1-4-84 से निर्धारित किया गया। यही नहीं 1983 में कमीशन के द्वारा इन लोगों का एप्रूवल भी कर दिया गया था और वे अपने पदों पर कन्फर्म भी हो गये थे। इसके बावजूद भी उनका वेतनमान 1-4-84 से निर्धारित किया गया है जो एक अत्यन्त विसंगति है। मैं चाहूंगा कि उनका वेतनमान 1979 से ही लागू किया जाय। उनको तब ही से इन्क्रीमेन्ट दिया जाय और उसी आधार पर पे फिक्सेशन किया जाय। केवल पेनाल्टी चार्ज बढ़ाने से ही आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। इस बात की भी आवश्यकता है कि सिनेमाघरों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। जब कोई सिनेमा देखने जाता है तो उसे वहां पर सफाई मिलनी चाहिये अच्छा फर्नीचर मिलना चाहिये और शौचालय की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये जिससे आपका रेवन्यू भी बढ़े। प्रवर समिति में इसे भेजने पर माननीय मंत्री जी को भी असहमति नहीं होगी प्रवर समिति में जाने पर इसमें विस्तार से विचार विमर्श हो जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रीमन्, जो वर्तमान नियम थे वे पर्याप्त थे। इसके लिये सिर्फ जुर्मानों को दुगुना तिगुना बढ़ा रहे हैं किसी में 30 गुना कर रहे हैं किसी में उससे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखना यह है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं। इनके अधिकारी मनोरंजन इंस्पक्टर, मनोरंजन कर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मान्यवर, वे धन उगाही किया करते हैं। उनकी साजिश की वजह से सिनेमा के टिकट ब्लेक मे बिका करते हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की जनता का सुझाव टेलीविजन के कारण वीडियो कैसेट आ जाने के कारण सिनेमा की तरफ से कम हो रहा है। दूसरी तरफ यह अधिकारी साजिश के द्वारा वहां पर मान्यवर, दुर्व्यवस्था पैदा किये हुए हैं। कई सिनेमा घरों में तमाम गन्दगी व्याप्त रहती है सीटें फटी होती हैं, पान की पीकें पड़ी रहती है, वहां सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब सिनेमाहालों में नयी सिनेमा फिल्में आती है तो कुछ पेशेवर आदमी हैं, जिसकी साजिश से टिकट ब्लैक हुआ करती हैं। पहले से ही इसमें प्राविधान रहा कि 200 रुपये एक ब्लेक टिकटार्थी पर दण्ड हो सकता है, उसको 500 रुपये कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ब्लैक टिकट करने वालों को पकड़ा गया? लखनऊ में नहीं पकड़ा जाता है। हमारी विधान सभा के इर्दगिर्द जो सिनेमा हाल हैं, वहां टिकट ब्लैक हुआ करते हैं। इसमें इस बात के जो 1979 के नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों पर कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय, तो भी इसमें बहुत फर्क पड़े। हमारे अधिकारी कर्मचारी इन नियमों का पालन ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं इसको देखने की बात है। 50 गुना बढ़ाने का प्राविधान लाये हैं, यह उचित नहीं है। इसको निश्चित रूप से प्रवर समिति में जाना चाहिये। इस स्थिति पर ठीक ढंग से विचार होना चाहिये।

अभी पिछले दिनों लगातार 3 महीने तक बिहार के कुछ सिनेमा हाल के मालिकों ने हड़ताल किया। लगातार मनोरंजन कर से करोड़ों रुपये की क्षति सरकार को हुई है। शायद उस खतरे को उत्तर प्रदेश में भी पैदा करना चाहते हैं। आप इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करदें, ताकि इस पर पूरी तरह से विचार हो सके तब यह विधेयक लाया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो बातें इसमें निहित हैं, उसको देखते हुए प्रवर समिति के सुझाव पर माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति

नहीं होनी चाहिये । जहां तक भावना का सवाल है, उसमें कोई विरोध नहीं । लेकिन जनता के हित में, सिनेमा दिखाने वालों के हित में, प्रदेश का राजस्व बढ़े, सस्ता मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो---इन सब बातों को देखने के लिये इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय । मैं पुनः प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा उनकी भावना इस संशोधन विधेयक के साथ है । श्रीमन्, इसमें जो दण्ड व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा टाइट किया गया है । यह आर्थिक अपराध है इसलिये अर्थ पर ही आधारित दण्ड पर जोर दिया गया है । केवल इतना ही नहीं इसमें प्रयास किया गया है कि यदि वह एक बार चेक हो गया, उसको दण्डित कर दिया गया, यदि वह पुनरावृत्ति करता है, करवंचन की, तो उसमें डेढ़ गुना दण्ड किया जायगा । साथ ही उसका लाइसेंस कैंसिल करने का और जो जेल जाने की व्यवस्था है, वह तो दण्ड है ही । यह केवल इसलिये किया गया कि जो सारी बातें आपने कहीं, डुप्लीकेट टिकट के या बिना इन्टरटेनमेन्ट टैक्स दिये ही लोग बैठे रहते हैं, टैक्स वगैरह में जो चोरियां होती हैं । उसका ह्रास हो, लोग करने से डरे, इसलिये यह लाया गया है।

मान्यवर, मैं कुछ राजस्व की बाबत बता दूं 1980-81 में 3275.75 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था आमोद कर में ।

(3 बजकर 20 मिनट पर)

यह बढ़कर 1984-85 में 5 हजार 97.23 लाख रुपया तक हो गया । तो इसमें भी बढ़ा है । इसी तरह से विज्ञापन पर पहले कर नहीं लगता था, यह तो 83-84 में किया गया 10.67 लाख, 84-85 में 13.85 हो गया । इस तरह से निश्चित रूप से बढ़ा है । सिनेमा की [illegible] त कही, तो संख्या को देखें, 80-81 में [illegible]52, 81-82 में 680, 82-83 में 69[illegible] 83-84 में 701 और इसी तरह से वर्तम[illegible] में 733 है । जो अस्थाई सिनेमा के बारे में कहा था वह 100 रह गये हैं 109 से । उसमें कुछ कमी हो गई है । यह कहा कि उन पर निरीक्षण की व्यवस्था एकदम से टाइट की जानी चाहिये, तो इस को टाइट किया गया है । उदाहरण के लिये 82-83 में निरीक्षण किया गया 8811, 83-84 में 9664, 84-85 में 12 हजार 18 तो इसी तरह से किया गया । इसमें 120 ऐसे मामले थे जिनमें दण्ड दिया गया, 48 लाइसेन्स निरस्त किये गये और इस प्रकार करीब एक लाख 12 हजार की पेनाल्टी एम्पोज की गई । तो दिन प्रति दिन सख्त किया जा रहा है । एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल बनाया गया है । इसी तरह से सारी बातें हैं और यही आपकी भावना भी है कि ऐसा किया जाना चाहिये, तो अब मैं समझता हूं कि आप मुझ से सहमत होंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

वापस लेने का सवाल तो इसलिये नहीं है कि यह भावना सरकार ने प्रकट की है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से खण्ड 9 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 028 सन् 1959 की धारा 12 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा

(1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे

धारा 24 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर थान शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में, शब्द "बीस गुने" के पर शब्द "पचास गुने" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में खण्ड, (ख) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 27 में, शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 30 में, शब्त "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 0 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखि धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

पूर्व-दोष सिद्धि के पश्चात् बढ़ी हुई शस्ति

"30-क--कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 24, या धारा 25 की उपधारा (1), या धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (क), या धारा 27, या धारा 29 या धारा 30 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, उसी उपबंध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का पुनः दोषी पाया जाय, तो वह ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये, ऐसे उपबन्ध में उपन्धित कारावास के दण्ड यदि कोई हो, के अतिरिक्त जुर्माना से, जो ऐसे उपबन्ध में उपबंधित जुर्माना की धनराशि का डेढ़ गुना तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985†

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

†दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। व्यापरियों के हित में भी नहीं है और न ही समाज के कमजोर वर्ग के लिये भी ठीक है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त हो, लेकिन इन आय के श्रोतों को जब हम लागू करें तो कम से कम यह जरुर देखें कि इससे सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें इस सोच से काम नहीं लिया गया है। साथ ही बिक्री-कर प्रणाली को बदलने के लिये जो कमेटियां बनायीं गयी थीं, उनकी रिपोर्ट का भी इन्तजार नहीं किया गया। अगर आपने ऐसा किया भी था तो कम से कम जनता के हित को ही सामने रखकर किया होता, इन सारी चीजों को सोचे बगैर तथा पहले से परेशान व्यापारियों को अब कुछ राहत दिये जाने की भावना को इस्तेमाल किये बगैर यहां रख दिया गया है इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मान्यवर, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की बात मैंने कही है। यदि सरकार पहले से एक अच्छी सी कमेटी इसपर नियुक्त करती और उसके विचारों के बाद यहां आता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मान्यवर, धारा 2 में जो संशोधन किया गया है, यह जो हमारा भारत का संविधान है, उसका छियालिसवां संशोधन होगा। इसमें मान्यवर, बिक्री और खरीद की परिभाषा में ही परिवर्तन कर दिया गया है। यह परिवर्तन मान्यवर, इसलिये ले आए कि एक मामले पर नार्दन इण्डिया कैटरर्स लि0 का सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया जिसे हाईकोर्ट ने भी माना कि जब तक सरकार बिक्रीकर अधिनिरम, 1948 में माल के क्रय और विक्रय की परिभाषा में परिवर्तन नहीं करती है तब तक यह प्रभावी नहीं हो सकता है, इसलिए यह संशोधन यहां ले आए और जनता के हित को सामने नहीं रखा और किस चीज पर कितना टैक्स होना चाहिये और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरे धारा 4 की धारा 3 ङ के रूप में यह संशोधन किया कि ऐसी दर से, जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, देय होगा और ऐसे विक्रय धन की भिन्न-भिन्न धनराशि के संबंध में भिन्न भिन्न दरें निर्दिष्ट की जायेंगीं, तो मान्यवर, यह बात भी स्पष्ट नहीं हुयी कि 8 परसेंट होगा, 9 या 10 परसेंट होगा, कोई सीमा तो निर्धारित होनी चाहिये। इसी प्रकार के करों को लेकर व्यापारीगण पहले भी बहुत आन्दोलित हुए थे फिर यदि आपने इस प्रकार का कोई कदम उठाया बगैर सोचे समझे तो इससे जिनका अहित होगा, वे फिर अपनी बात को लेकर आपके सामने आयेंगे।

मान्यवर, जिस समय एजेण्डे में देखा कि बिक्री-कर संशोधन विधेयक आया हुआ है तो मुझे मनमें बड़ी खुशी हुई कि जैसाकि विगत वार्ताओं में, सभाओं में माननीय मुख्य मंत्री जी, विगत मंत्री जी बोलते रहे हैं उसके अनुकूल कोई अच्छी चीज आयेंगी लेकिन जब इसको पढ़ा तो बड़ी निराशा हुई क्योंकि इसके बारे में मुख्य मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि जहां तक बिक्री-कर का ताल्लुक है, और इनके मैनीफेस्टो में भी है कि बिक्री-कर की वर्तमान प्रणाली ठीक नहीं है, यह जो नई धारा एक जोड़ी गई है, 3—च, जिसमें कहा गया है कि किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तग्रस्त माल पर कर की दर—धारा 3-क, या धारा 3-ककक या धारा 3-घ, धारा 3-छ सें किसी बात के होते हुये भी, किसी प्रयोजन के लिए किसी माल का उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण या किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व के अन्तरण के व्यापार से संबंधित विक्रय-धन निर्धारित रीति से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवधारित किया जायगा और उस पर 15 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर देय होगा । इस प्रकार आपने 15 प्रतिशत कर दिया, अभी तक 12 प्रतिशत था । लक्जरी गुड्स पर आप टैक्स बढ़ा देते तो बात समझ में आती थी । उसके आगे बिक्री कर अधिकरण के बारे में चर्चा की गयी है । अधिकरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया है । माननीय मन्त्री जी को पता होगा जनवरी, 85 में इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने जजमेन्ट दिया और उस मामले में कहा गया था कि जो अधिकरण बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, किसी में भी 82–83 से जुडिशियल मेम्बर्स नहीं हैं, सरकारी आदमी काम कर रहे हैं । इस मामले को लेकर कोर्ट में गये । माननीय न्यायाधीशों श्री पी0 एन0 सप्रू एवं अन्य ने निर्देशित किया कि दो महीने में सब जगह नियुक्त कर दिये जायें । जनवरी के आदेश हैं, किन्तु आज तक नियुक्त नहीं किया गया है । आज भी किस भी अधिकरण में न्यायिक मेम्बर नहीं हैं ।

क्लासीफाइड गुड्स की सूची दी गयी है । उनमें 8 प्रतिशत बिक्रीकर लगता है । उसमें आपने मेवा बढ़ा दी है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने पीतल और जर्मन सिल्वर के बर्तनों को भी लगा दिया है । मुरादाबादी बर्तन और पीतल के बर्तन गरीब लोग ही खरीदते हैं, अमीरों में अब इसका प्रचलन बन्द हो गया है । मैं समझता हूं कि यह इण्डस्ट्री वैसे मर रही है इन बर्तनों का गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने हैं आपने 8 प्रतिशत टैक्स लगा दिया ।

फूड प्रिवेशन का काम हो रहा है, एग्रो बेस्ट उत्पादन है, इस पर भी आपने 8 प्रतिशत टैक्स लगा दिया, किन्तु दिल्ली में कोई टैक्स नहीं हैं । यदि किसी को आवश्यकता होगी तो वह जाकर दिल्ली से ले जायगा, नजदीक ही है । इस प्रकार, अर्थव्यवस्था पर विपरीत परिणाम डालने वाली चीजों को लिया है ।

इसमें आपने नये उद्योगों को 6–7 वर्ष तक छूट की बात की है । आपने नये उद्योग की परिभाषा तो परिभाषित कर दी लेकिन आप देखें कि नये उद्योग को छुट देने से ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है कि नये उद्योग के कारण पुराना उद्योग मर रहा हो । मैं उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां सीतापुर में आइल मिल का बहुत काम है । मूंगफली का मिलना खत्म हो गया । आज सीतापुर में सवा सौ डेढ़ सौ तेल की इकाइयों में कठिनाई से 25–30 चालू हालत में है । अगर नई इकाइयों को छूट दे दी तो मान लीजिये "ए" ने दूसरे नाम से "बी" इण्डस्ट्री लगा ली । ऐसी स्थिति में उसकी तुलना में पुराने कारखाने बन्द हो जायेंगे । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि नये उद्योगों की परिभाषा में यह बात देखने की है । कोई नई इकाई तेल या साबुन की स्थापित होगी तो जो लोग पहले से उद्योगों में काम पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनके हित का नाश हो जायेगा इसलिये उद्योग विभाग को और वित्त विभाग को इस पर विचार करना चाहिए ।

मैं भी यही कहता हूं कि प्रदेश की आमदनी बढ़नी चाहिये लेकिन आमदनी को बढ़ाने के लिये और भी तरीके हैं । पहले आपको बिक्री-कर विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, इससे भी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकती है । पिछली बार जब मैं यहां बिक्री-कर पर बोल रहा था तो कुछ नमूने पेश किये थे । आज भी मैं यह कहता हूं कि रेलवे की सांठ गांठ से बराबर चोरी हो रही हैं । लोग फर्जी नाम से बुकिंग कराते हैं बिना इस बात को ध्यान दिये कि बिक्री कर का भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है और वहां भुगतान हो जाता है । लखनऊ में ही ऐसा मामला प्रकाश में आया है और पकड़ा गया है । ऐसे ही कानपुर में फार्म नं0 21 की चोरी होती है और फर्जी पंजीकरण के नाम पर व्यापार होता है । लेकिन मैं यहां यह पूछना चाहूंगा कि कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? नहीं कर सकते हैं ।

इसी तरह से आपने जो इन्टेरेस्ट काटने की व्यवस्था कर रखी है कि इन्टरेस्ट काट

लिया जायेगा तो किसी को आपने आज तक इन्टरेस्ट दिया नहीं है । यह तो व्यवस्था नही होना चाहिये कि इन्टरेस्ट टिया जायेगा और यदि दिया जायेगा तो अधिकारियों से कटौती की जायेगी ।

बिक्री-कर की चोरी का एक नया सिस्टम और जारी हो गया है कि जैसे सामान 20 रु0 का है तो उस पर कीमत 12 रु0 डाल

(इस समय 3 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

दी जायेगी अभी कानपुर में ऐसे हीं एक सिगरेट का रैकेट पकड़ा गया । आप बिक्री-कर की व्यवस्था करते समय इस बात को देखें कि इसमे छोटे उद्योग पनपें बड़े उद्योगों के कारण उनका नाश न हो ।

आपने सालवेन्ट प्लान्ट में रा मैटिरियल पर छूट दे दी है । आपने तिलहन को भी कच्चा माल मान लिया है और छूट दे दी । छोट उद्योमो को आपने छूट नहीं दी बल्कि बड़े-बड़े सीड प्लान्ट को छूट मिल जायेगी । जो स्पीलर्स हैं उनको सीड पर 2 परसेन्ट देना पड़ेगा । मान लीजिये कि आज हमने आयल सीड ले लिया और दो महीने में उसके तेल नहीं बना सके और यदि मान लीजिये कि तेल भी बना लिया तो उसकी बिक्री सीतापुर में नहीं हुई तो कंसाइनमेन्ट साईन करके हमने उसे दिल्ली भेज दिया । कायदे से हम ऐसा नहीं कर सकते थे ।

अपेक्षित यह था कि 2 प्रतिशत और ले लें कि 4 प्रतिशत पूरा हो जाये । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सीतापुर के एस0 डी0 ओ0 अब तक पास करते रहे, और अब एक नये सज्जन आ गये, उन्होंने उसको रिओपन कर दिया । एक छोटा सा स्पेलर वाला आदमी , हजारों की चपेट में आ गया, इसलिये आप इस पर विचार करें कि इसको रिओपन न किया जाये । एक साल का समय हो गया है, आप दो परसेन्ट और ले लें, जिससे कि 4 परसेन्ट पूरा हो जाये और जो एक साल का समय हो गया है तो आप उस पर ब्याज ले लें । इस प्रकार से उनको प्रताड़ित करना उचित नहीं है । मैं चाहता हूं, आवश्यकता इस बातें की है कि बिक्री कर के समाप्त कर दिया जाये, आप एक कम्प्रेहेन्सिव विधेयक लावें, तो ज्यादा अच्छा होगा । आपने टुकड़ों में व्यवस्था की है और वह इसलिये की है कि बिक्री कर की व्यवस्था को दुरुह कर दिया जाये, जो बिक्री कर व्यापारी देता है, उसको वह खरीदार से वसूल कर लेता है । बिक्री कर का उस व्यापारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव खरीदार पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है, गरीब जनता पर पड़ता है और इसके महंगाई बढ़ती है । यह छोटे आदमियों की आमदनी को प्रभावित करता है । इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है और मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे सारा सदन सहमत है कि जो कुछ किया जा रहा है, वह ठीक है । मा0 गुप्ता जी भी इससे सहमत हैं, केवल कुछ स्थानों पर उन्होंने एतराज किया है । उन्होंने मूलत: एक-दो बातों पर चिन्ता प्रकट की है, आपने कहा कि होटलों में सर्विस पर भी बिक्री कर लगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, जो सेल होती थी उस पर लिया जा रहा है, सर्विस तो मिडियेटर है, इसको खाद्य सप्लाई पर ले रहे हैं, भोजन सप्लाई पर ले रहे हैं, सर्विस पर नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैंने यह कहा था कि आपको परिभाषित करना था, आपने परिभाषित नहीं किया है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, इससे गरीब लोगों को नुकसान हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, ब्याज की बात कही गयी, तो इसमें ब्याज का प्राविधान है, ब्याज सुनिश्चित रूप से दिया जाये, इसके लिये इस बिल में प्राविधान किया गया है । इस तरह से एक सुविधा और देखिये जो दी गयी है,

विभिन्न व्यापारिक लोगों ने बताया कि जो छूट दी जाती है वह जो सरकारी निगम है, यह जो कच्चा माल खरीदते हैं उनको 4 परसेन्ट का सेल्स टैक्स देना होता था, उनको यह छूट इसलिये दी गयी है कि वह माल प्रदेश के व्यापारियों से ही खरीदें और उनको दो महीने के अन्दर इस बात का सर्टीफिकेट देना होता था, व्यापारी को दिक्कत हो जाती है, जब सर्टीफिकेट नहीं मिलता है और पूरा टैक्स लग जाता है। अब संशोधन करके यह कर दिया गया है कि वह निश्चित रूप से टाइमली 2 महीने के अन्दर सर्टीफिकेट दे दें। यदि वह सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उनको टैक्स का जो 4 प्रतिशत है वह उनको देना होगा सरकारी विभाग को। यह जो कहा गया है मैं समझता हूं कि गुप्ता जी इस पर सहमत होंगे और मैं चाहता हूं कि गुप्ता जी संशोधन को वापिस लें लें।

श्री अधिष्ठाता--

गुप्त जी, आप इसको वापिस ले रहे है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त --

मान्यवर, जो बाद में आशंकाए उठायी गयी विभागीय अक्षमता, भ्रष्टाचार, 10 लाख की लिमिट हटाकर एक तरह से 10, 12, 15 प्रतिशत कर दिया। इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर अभी बल देता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मंत्री जी जितने भी विभाग रहते है सबका यहां बजट प्रस्तुत करते है। मैं यह जानता चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को कौन सा विभाग मिला है और यदि इस विभाग के नहीं है तो क्या लिखित सूचना आपको दी है कि इस बिल को यहां प्रस्तुत करें ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पाण्डे जी, वित्त राज्य मंत्री जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैं चाहता हूं मान्यवर, कि सब विभाग इनको दे दिये जायें, मुख्य मंत्री बना दिया जाय मुला यह उत्तरदेयी मंत्री है, मजबूरी यह है कि दैनिक वेतन भोगी की तरह से है। संसदीय कार्यमंत्री कितने होशियार है कि उनके पास एक ही विभाग है और इनको दुनिया भर का बवाल दिया गया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री भी हड़कू मंत्री हैं जब कल यहां न्याय से सम्बन्धित विधेयक आदि था और न्याय मंत्री बैठे थे तब भी जवाब इन्होंने ही दिया था।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक 1985 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड 18 तक तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 का कतिपय प्रयोजनों के लिये अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम 1985 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा, सिवाय धारा 4 और 15 के जो ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत करे और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में --

(1)--खण्ड (कक) में उप-खण्ड (2) में शब्द "जो ऐसे व्यापार वाणिज्य, निर्माण प्रोद्यम या संस्थान से अनुषंगी हो या उससे संमद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो, खरीदने, बेचने या संभरण करने का कोई संव्यवहार" के स्थान पर शब्द "खरीदने, बेचने या संभरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कोई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान से अनुसंगी हो या उससे संबद्ध हो या उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो" रख दिये जायेंगे, और 1 अप्रैल, 1982 को रखे गये समझे जायेगें

(2) स्पष्टीकरण सहित खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और 2 फरवरी, 1983 को रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:--

"(ज) 'बिक्री' का, उसके व्याकरणिक रूप-भेद और सजातीय पदों सहित तात्पर्य ऐसे माल के स्वामित्व के (बन्धक, दृष्टिबंधक, प्रभार या गिरवी के भिन्न रूप में) अन्तरण से है जो नकद रुपये या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया जाय, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

(1) नकद रुपये, अस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल के स्वामित्व का, संविदा के अनुसरण से भिन्न रूप में अन्तरण,

(2) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व का अन्तरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ;

(3) अविक्रय या किस्तों में भुगतान की किसी प्रणाली के आधार पर माल का परिदान करना ;

(4) नकद रुपये, आस्थागित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल का किसी प्रयोजनार्थ उपयोग करने के अधिकार का (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) अन्तरण ;

(5) नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी अनियमित संघ (एसोसियेशन) या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को माल का सम्भरण ; और

(6) सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से माल का, जो मानव उपभोग के लिये खाद्य या कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय हो (चाहे मादक हो या नहीं), सम्भरण जहां ऐसा सम्भरण या सेवा नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये हो ;"

(3) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्,--

"(ड) 'संकर्म संविदा' के अन्तर्गत नकद रुपये, आस्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के लिए, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण करने, बनाने, परिनिर्माण करने, लगाने, सज्जीकरण, सुधार, परिष्कार, मरम्मत या चालू करने के लिये कोई अनुबन्ध भी है ।"

धारा 3--का संशोधन

3--मूल अधिनियमाकी धारा 3-क में उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) "घोषित माल" के संबंध में विक्रय-धन पर, उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 में तत्समय विनर्दिष्ट अधिकतम दर पर या जहां राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कोई अन्य एकल स्थल या कम दर घोषित करे, वहां ऐसे अन्य स्थल पर या ऐसी कम दर पर लगाया जायगा,"

धारा 3ङ-का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 3-ड़ में प्रतिबन्धात्मक खण्ड सहित उपधारा (2) के

पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, निदेश दे सकती है कि अतिरिक्त कर--

(क) प्रत्येक व्यापारी द्वारा भले ही उसके विक्रय-धन का कुल योग कुछ भी हो, या

(ख) प्रत्येक व्यापारी द्वारा जिसके धारा 3 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट विक्रय-धन का कुल योग ऐसी धनराशि से, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय, अधिक हो, ऐसे दिनांक से, ऐसी रीति से और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर पर (दस से अनधिक प्रतिशत की) ऐसी दर से, जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय, देय होगा और ऐसे सक्रिय-धन की भिन्न-भिन्न धनराशि के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी द्वारा देय ऐसे अतिरिक्त कर की गणना करने में--

(1) "घोषित माल" के विक्रय या क्रय,

(2) उस दिनांक के, जब से ऐसा अतिरिक्त कर देय होगा पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित अन्य माल के विक्रय या क्रय, के सम्बन्ध में देय कर पर विचार नहीं किया जायगा।"

नई धारा 3-च का बढ़ाया जाना।

5--मूल अधिनियम की धारा 3-ड़, के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"3--च--किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर कर की दर--धारा 3-क, या धारा 3 ककक, या धारा 3 घ, या धारा 3-छ में किसी बात के होते हुए भी किसी प्रयोजन लिये किसी माल का उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण या किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व के अन्तरण के व्यापार से सम्बन्धित विक्रय-धन निर्धारित रीति से अवधारित किया जायगा और उस पर पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, कर देय होगा और भिन्न-भिन्न माल या भिन्न-भिन्न वर्गों के व्यापारियों के लिये भिन्न-भिन्न दरें घोषित की जा सकती हैं।"

धारा 3-6 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3-छ में,

(क) उपधारा (2) में, शब्द "बिक्री के लिये" के पश्चात् शब्द "विद्युत ऊर्जा से भिन्न" बढ़ा दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "यदि उपधारा (1) में" के स्थान पर शब्द "ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी ऐसे व्यापारी को माल क्रय करने के दो मास के भीतर उपधारा (1) निर्दिष्ट घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, या यदि उपधारा (1) में" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 4 में, खण्ड (ख) में, शब्द "उनकी शाखाओं द्वारा की गयी हो या" के पश्चात् शब्द "ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 4-क का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 4-क में,

(क) उपधारा (2) में,--

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "किसी कर निर्धारण वर्ष में" निकाल दिये जायेंगे

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(घ) केवल उस स्थिति में जब निर्माता कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनिर्दिष्ट की जाय, स्वीकृत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी अर्थात्--

"(3) यदि बिक्रीकर कमिश्नर की यह राय हो कि उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट पात्रता के प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का किसी भी रीति से दुरुपयोग किया गया है तो वह पात्रता के प्रमाण पत्र

को लिखित आदेश द्वारा ऐसे दिनांक से चाहे वह ऐसे आदश को दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय रद्द कर सकता है :

परन्तु इस उपधारा अधीन कोई आदेश संबद्ध व्यापारी के सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा।"

(ग) स्पष्टीकरण में खण्ड (1) में उप खण्ड (क) में शब्द "न तो पहले से ही प्रयोग में लाये गये हो और न ही" के स्थान पर शब्द "पहले से प्रयोग में लाये गये हों या रख दिये जायेंगे और 19 जनवरी 1985 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 4-ख का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 4ख में,--

(क) उपधारा (2) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में, शब्द "विज्ञापित माल के बिक्री के लिये निर्माण या पैकिंग में, यथास्थिति, प्रयुक्त सहायक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों या कन्टेनरों, या पैक करने का सामान" के स्थान पर शब्द "किसी व्यापारी द्वारा बिक्री के लिये विज्ञापित माल के निर्माण या यथास्थिति, पैकिंग में प्रस्तुत सहायक पुर्जों और संघटक पुर्जों या कन्टेनरों या पैक करने के सामान, और नई इकाइयों की स्थिति में जिनके उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 1 अक्टूबर, 1982 को या उसके पश्चात् पड़ता हो, ऐसे निर्माण में प्रयोग के लिये अपेक्षित उपभोज्य स्टोर और उप समुच्चयों को" रख दिये जायेंगे और 29 जनवरी, 1985 से रख गये समझे जायेंगे :

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (1) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(खख) इस अधिनियम के अधीन देय योग्य किसी कर, अर्थ दण्ड या अन्य देयों का भुगतान, ऐसे कर, अर्थ दण्ड या अन्य देयों के संदेय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नहीं किया है ; या"।

धारा 8-का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(क) उपधारा (1-ख) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--उपधारा (1 क) और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये निर्धारित कर के अन्तर्गत धारा 3-ख के अधीन देय धनराशि भी समझी जायगी।" ;

(ख) उपधारा (1 ग) में, शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-ख) और (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-क का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 8 क में, उपधारा (-ख) में, शब्द "अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है" के स्थान पर शब्द "या उसने कर, अर्थ दण्ड या अन्य देयों का भुगतान ऐसे कर, अर्थदण्ड या देयों के संदेय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नहीं किया है या कोई अन्य पर्याप्त कारण है" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-ग का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 8-ग में,--

(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

(3-क) उपधारा (2) या उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, बिक्री-कर कमिश्नर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञापित किसी माल के संबंध में, सामान्य लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यापारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी रूप-पत्र की आवश्यकता हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जितनी ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा की जायगी,"

(ख) उपधारा (4) में, जहां-जहां भी शब्द "व्यापारी" आया हो, उसके पश्चात् शब्द "या संबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायेंगे, और शब्द "प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रूप-पत्र जारी करने वाले" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (5), (6) और (8) में, जहां-जहां भी शब्द "व्यापारी" आया हो, उसके पश्चात् शब्द "या संबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायेंगे ; और

(घ) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "उपधारा (2)" के पश्चात् शब्द और अंक "या उपधारा (3-क)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 10-ख के अधीन दिये गये आदेश से" के पश्चात् शब्द और अंक "या बिक्री कर कमिश्नर द्वारा धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन दिये गये आदेश से" बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी आदेश या धारा 35 के अधीन किये गये किसी विनिश्चय" रख दिये जायेंगे,

धारा 29 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में, शब्द "ऐसे आदेश के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति ऐसे आदेश के दिनांक से या वापसी के ऐसे आदेश की कर निर्धारक अधिकारी द्वारा प्राप्ति के दिनांक से" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

15--मूल अधिनियम की अनुसूची में,--

(क) क्रम संख्या 6 और 26 की प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्

स्तम्भ-1 में	स्तम्भ-2 में
(क्रम-संख्या)	(माल का विवरण)
"6-क	पीतल क कलात्मक पात्र और पीतल, कांसा, फूल या जरमन सिलवर के बर्तन और उनक भाग"
"26-क	मेवा"

(ख) क्रम संख्या 44 के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जायगी।

विज्ञप्ति का संशोधन

16--(1) सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 4064/दस-960-(4)-58, दिनांक 25 नवम्बर, 1958 में, सूची की मद 3 में, शब्द "सिले हुए वस्त्र (रेडी-मेड गारमेन्ट्स)" के स्थान पर शब्द "सिले-सिलाये परिधान, हैसियन या जूट क्लाथ" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904

(2) उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित विज्ञप्ति तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित मूल अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन अधिकार का प्रयोग करके संशोधित या विखण्डित न कर दी जाय।

बधीकरण

17--(1) किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण होगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

(2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय या अधिकारी ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थ-दण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो, या ऐसे कर निर्धारण उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थ-दण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर-निर्धारण या अन्य आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणाम स्वरूप, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाय, वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री-कर कमिश्नर, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर कर-निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये ऐसे न्यायालय या अधिकरी को प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा न्यायालय या अधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम के, उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण अधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में, इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जिसका प्रभाव निर्धारित कर, अर्थ-दण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबद्ध अधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना संबद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सम् 1979 की धारा 6 का संशोधन

18--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, शब्द "छः वर्ष" के स्थान पर "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 2 से खण्ड 18 तक तथा खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

काशीविद्यापीठ के अध्यापकों पर हुए हमले के सम्बन्ध में चर्चा

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय का संचालन 1973 के अधिनियम के तहत एक परिनियमावली के तहत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप होना चाहिये । मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय आज एक शिक्षा की दुकान जैसा विश्वविद्यालय बन कर रह गया है....

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । एजेन्डे में लिखा है कि काशी विद्यापीठ के अध्यापकों के ऊपर हमले के सम्बन्ध में चर्चा । और माननीय सदस्य कुछ और बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

यह उसी से सम्बन्धित है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

वे सभी बातें आ जायेंगी । मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस समय जो काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से चल रहा है वह शिक्षा की दुकान बनकर रह गया है, यह बड़े अफसोस की बात है । और यह अफसोस और भी ज्यादा हो जाता है जब हम इस बात पर सोचते हैं कि काशी विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जिसको महात्मा गांधी ने 1921 में स्थापित किया था और जिसके साथ हमारी राष्ट्रीय चेतना के युग की अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं । इन हालत में जब हम काशी विद्यापीठ के मामले में विचार करते हैं तो बड़े अफसोस की बात होती है । मान्यवर, इस समय वहां पर कोई अधिनियम लागू है जो कि 1973 का यूनिवर्सिटी ऐक्ट है, शासनादेश जो शासन से जारी होते हैं वह माने नहीं जा रहे हैं । न वहां पर शिक्षा आज जिस प्रकार से होनी चाहिये वह दी जा रही है और न ही उसके लिये जो परियिमावली बनी हुई है उसके नियमों के तहत ही कोई काम वहा पर हो

रहा है। मान्यवर, इस सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि काशी विद्यापीठ की सभा जिसको कोर्ट कहते हैं, उसकी बैठक पिछले तीन वर्षों से एक भी नहीं हुई। जब कि नियमावली के अनुसार, परिनियमावली के अनुसार और अधिनियम के अनुसार ये बैठकें होनी जरूरी हैं। इस कोर्ट में 7 सदस्य विधान-मंडल की ओर से भी जाते हैं। लेकिन आज तीन वर्ष हो गये, इन तीन वर्षों में एक बार भी इस कोर्ट की बैठक नही हुई। यह भी नियम है कि इस कोर्ट की बैठक में जो बजट प्रस्तुत होगा उसी के तहत इस विश्वविद्यालय के कार्यकलाप होंगे। साथ ही जो उसके लिये जो वित्तीय प्राविधान प्रस्तुत होगा उस पर बैठक में चर्चा होगी और उसी के अनुसार उसके खर्चे निर्धारित किये जायेंगे। लेकिन यह सब कुछ नहीं किया गया। यही नही, वहां जो एक्जीक्यूटिव है, उसकी बैठक भी नही हुई और अगर हुई भी है तो ऐसी बैठक हुई है जिसको बुलाने के लिये उचित समय नही दिया गया और जो लोग बाहर के थे उस कमेटी में, उसमें वे नही पहुंच सके। श्रीमन्, 26 मई, 85 को जो उसकी बैठक हुई उसमें यह हालत हुई कि 4 आइटम्स के बाद लोग चले गये। कुछ लोगों ने इसका बहिष्कार किया। 5 सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया और उसके बाद परिपूर्णानन्द वर्मा तथा कैलाश पति भी चले गये। तथा वहां के डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक पत्र में लिखा है कि बैठक में सिर्फ 4 आइटम्स पर चर्चा हुई थी उसके बाद की बैठक की मुझे जानकारी नहीं है।

मान्यवर, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस 26 मई, 1985 की बैठक में उन चार आइटम्स के अतिरिक्त भी कुलपति ने अपने घर में जाकर पूरा कार्यवृत्त लिख दिया और एक आइटम के तहत उन्होंने एक समिति भी बनायी है। स्थिति यह है कि इस विश्वविद्यालय के 5-5 विभागाध्यक्ष हैं जिनको अनुभव है, जो योग्य हैं, उनके मामले में निलम्बन की कार्यवाही हो रही है। उनको नोटिस दे रहे हैं, 17 अध्यापकों को नोटिस दे रहे हैं। यह सारे काम तब किय जा रहे हैं जब कि किसी नियम परिनियम, अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का काम वहां नहीं चल रहा है।

मान्यवर, 26-5-85 की जो बैठक हुई उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। उसमें अनुशासन समिति किस लिये बनाई और किन-किन लोगों की बनाई। समिति के पांच सदस्यों न गवर्नर साहब को लिख कर दे दिया कि हमने उस बैठक का बहिष्कार किया और हम उठ कर चले आये। डिपुटी रजिस्ट्रार ने भी लिख कर दिया है कि श्री परिपूर्णानन्द जी और कैलाश पति जी चले गये थे और उनका कहना है कि 4 आइटम के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर जब कुलपति ने जो अनुशासन समिति बनाई उसमें ज्ञानदत्त चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया। जब ज्ञानदत्त चतुर्वेदी जी का नाम आता है तो उनके साथ श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी का नाम भी मैं लेना चाहूंगा। कुलपति ने एक आदेश दिया कि श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी को पी0 एच0डी0 की थीसिस को जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यह कर दिया। जब कि नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो पी0 एच0 डी0 करना चाहता है उसको पहले पंजीकरण कराना होता है और उसके लिए एक रिसर्च डिग्री कमेटी होती है जो तय करती है कि इस व्यक्ति का पंजीकरण किया जाय या न किया जाय। और पंजीकरण होने के दो वर्ष बाद उसको थीसिस जमा करनी होती है। लेकिन वहां पर कुलपति ने थीसिस को विशेष परिस्थितियों में जमा करने के आदेश प्रदान कर दिये। मेरे पास कुलपति का आदेश है इसे मैं आपको दिखा दूंगा। यह किस लिये हुआ? श्रीमती कुसुम उनकी पत्नी हैं जिन ज्ञानचन्द्र चतुर्वेदी को अनुशासन समिति का सदस्य बनाया गया। यह सब बिना बैठक के मान लिया गया तो किस ढंग से वहां पर काम चल रहे हैं, किस ढंग से श्रीमती कुसुम चतुर्वेदा को थीसिस जमा करने की अनुमति दी गयी, कोई विधान, कोई तरीका, कोई हिसाब किताब वहां पर नहीं है। इसी प्रकार वहां पर जो शिक्षा परिषद् होती है उसकी भी बैठक नहीं होतीहै वित्तीय समिति होती है उसकी भी बैठक नहीं

होती है तथा जो अन्य संकायों की समितियां होती हैं उनकी भी कोई बैठक नहीं होती है, इसी तरह से प्रवेश समिति की भी कोई बैठक नही होती है।

आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां पर 50 विभाग ऐसे खोल दिये गये हैं जिनकी अनुमति शासन ने नहीं दी। बड़े अफसोस और लज्जाजनक बात है कि यहां से शासनादेश जाता है कि आप कोई भी इस प्रकार के कोई विभाग नहीं खोल सकते हैं, कोई पद सृजित नहीं कर सकते हैं लेकिन उन सारे आदेशों को कुलपति तिरस्कार करते जा रहे हैं और 50 विभाग ऐसे खोल दिये गये हैं जिनकी अनुमति शासन से नहीं है जब कि स्पष्ट आदेश है कि इस प्रकार के विभाग खोलने के लिये शासन से पूर्वअनुमति लेनी होती है, कोई भी पद सृजित किया जाता है तो उसके लिए अनुमति लेनी होती है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 21(3) में दिया है--

"नो पोस्ट शैल बी क्रीएटेड आइदर इन द यूनिवर्सिटी आर इन इन्स्टीट्यूट आर कान्सटीट्यूएन्ट कालेज मेन्टेन्ड वाई द यूनिवर्सिटी इक्सेप्ट विथ द प्रायर अप्रूवल आफ द स्टेट गवर्नमेन्ट"

तो इस नियम के अनुसार विश्वविद्यालय में कोई अध्यापक या कर्मचारी के पद बिना अनुमति के सृजित नहीं किये जा सकते हैं। लेकिन वहां 100, 150 कर्मचारी नियुक्त कर लिये गये हैं तथा सुरक्षा गार्डस की नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी का टेलेक्स गया था, जिसकी प्रति मेरे पास है, उसका नं0 है--शिक्षा (15)अनुभाग सं0 3939 (1) 15-715-83, दिनांक 19 जुलाई, 1983 इसमें लिखा है कि--यह मेरिट प्रमोशन योजना बिना शासन की स्वीकृति के विद्यापीठ में लागू करना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। तत्काल कार्यवाही स्थगित की जाये। अनियमित तदर्थ नियुक्तियां समाप्त की जायं। जन संपर्क अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी आदि के पदको जो शासन द्वारा सृजित नहीं है, पर की गयी नियुक्तियां तत्काल निरस्त की जायं। कुल कार्यवाही से कृपया तत्काल शासन को अवगत करायें। यह टेलेक्स भूतपूर्व शिक्षा सचिव ने भेजा था इसके बावजूद कोई भी कार्यवाही इस टेलेक्स के अनुसार कुलपति ने नहीं किया और शासन चुप है। इसके क्या कारण हैं जिनके तहत इस ढंग की बातें हो रही हैं। मान्यवर, 1984-85 में बी0 एड0 में 120 विद्यार्थियों को प्रवेश लेने की अनुमति दी गयी थी लेकिन 400 एडमीशन वहां हुए। इसी तरह 1985-86 के लिये निश्चित किया गया कि 120 को लें किन्तु 600 के करीब प्रवेश पा चुके हैं। तो जब सभी जगह मानक निश्चित है, कमेटी की संस्तुति है कि किस स्टैंडर्ड के विद्यार्थियोंको प्रवेश दिया जायगा तो शासन उसी ढंग से प्रवेश लेने के लिये कदम नहीं उठाती है? शासन के इसी ढंग से बी0एड0 के जरिये अपने यहां अध्यापकों की भर्ती की जायेगी तो आने वाले भविष्य में जो अध्यापक होने वाले हैं वह कैसी शिक्षा बच्चों को देंगे।

इसलिये यदि इसी प्रकार से किया जाता रहेगा, किसी मानक का ध्यान नहीं रखा जायगा और सिर्फ मनमानी ढंग से रुपये के बल पर एडमीशन होते रहेंगे तो प्रदेश के भविष्य का क्या होगा। मान्यवर, यही नहीं वह अध्यापक कोई 100 रुपये में कोई 300 रुपये में और कोई 500 रुपये में रखे गये हैं और कुलपति ने कह दिया कि तुम पढ़ाओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है कोई नियम नहीं है। इसका नतीजा है कि छठीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलता है उसके लिये आयोग ने कहा कि हम कोई भी विकास का अनुदान काशी विद्यापीठ को नहीं देंगे। चूंकि परीक्षा में गड़बड़ियां हैं, प्रवेश में गड़बड़ियां अध्यापकों की नियुक्तियां, गड़बड़ियां और इसके अलावा तमाम अनियमिततायें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने 8 अगस्त, 1984 के पत्र में लिखा है।

'एनी असिस्टेन्ट्स टु काशी विद्यापीठ शुड बी कन्सीडर्ड ओन्ली आफ्टर एक्शन टेकेन बाई द विद्यापीठ एण्ड द स्टेट गवर्नमेन्ट हैज रिपोर्टेड टू द कमीशन' जब शासन से इस प्रकार की रिपोर्ट आयोग को मिल जायेगी कि वहां की स्थिति को सुधारा है तभी इनको विकास अनुदान देंगे। इस प्रकार छठीं पंचवर्षीय योजना में विकास अनुदान नहीं मिला। मान्यवर, जो आज स्थितियां हैं उनके रहते सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास का अनुदान भी खतरे में है चूंकि शासन की तरफ से ढील होती जा रही है, पता नहीं किन राजनीतिक कारणों से हो रहा है या अन्य कारणों से। वाराणसी के जो लोग हैं वह इस तरह की चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं। वह कौन से कारण हैं, जिनके कारण शासन एकदम चुप है? जबकि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है और उसने विचार भी किया है। शासन के आदेशों की हर जगह वहां अवहेलना हो रही है, हर दृष्टि से अवहेलना हो रही है, फिर भी शासन उसे सुधारना नहीं चाहता है। पता नहीं कैसे इन चीजों को सरकार चलाना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता—

कौशिक जी, इस चर्चा पर एक घंटा का समय नीयत किया गया है। 15 मिनट आप के हो चुके हैं, और भी बहुत से माननीय सदस्य बोलनेको इच्छुक हैं जैसा मैं समझता हूं। इसलिये आप सूक्ष्म में ही कहें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

ठीक है, और भी लोग बोलेंगे मुझे इस बात का ख्याल है और खुशी भी होगी। तो मैं आपका ध्यान विशेषकर राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 73 की धारा 21(3) की ओर दिलाना चाहता हूं। जो इस तरह की अनियमिततायें हो रही हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, पुराने अध्यापक हैं वह उसका विरोध कर रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप 17-7-85 को वहां पर के नये-नये अध्यापकों ने जिनको कुलपति ने नियुक्त किया है, किन्तु 4 नको किसी नियम के अन्तर्गत नहीं किया गया है और वह कुलपति के ही आदमी कहे जाते हैं, कुछ लोगों को तैयार किया और उन्होंने पुराने अध्यापकों के साथ मार-पीट की। श्री विजय नारायण सिंह एक अध्यापक थे, उनके साथ मारपीट हुई और विद्यार्थियों ने उसका विरोध किया और यह सारी चीजें वहां हो रही हैं। वहां पर जो अध्यापक नये नये नियुक्त किये गये हैं, एक अध्यापक जो अभी हाल में वहां पर नियुक्त किये गये हैं उनकी हालत यह है कि वह दफा 302 के मुलजिम हैं और उनकी दफा 302 में सजा भी हुई है और इस वक्त वह हाईकोर्ट से जमानत पर छूटे हुए हैं। हाईकोर्ट से रिहा होते ही उनको चार-पांच सौ रुपये में वहां पर काम कराने लिये नियुक्त पत्र दे दिया गया है। ऐसे सारे मामलों में जो कि एडमीशन के नाम पर वहां धन जमा किया जाता है, वह सारे का सारा कुलपति जी अपने ढंग से खर्च कर रहे हैं। न उसका शासन को पता चलता है न वहां की जो विभिन्न समितियां और कोर्ट हैं, उसको भी इसका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया जाता है।

शिक्षा के साथ ऐसा मजाक किया जारहा है, पढ़ाई ऐसे माहौल में क्या होगी, जहां 100 रुपये में, विश्वविद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहा होगा। इस प्रकार से जो वहां पर नियुक्तियां है, उनमें भी यह बात है। इन सारी बातों को शासन देखे। शासन यह कह सकता है कि एक हमने श्रीवास्तव कमेटी बना रखी है, श्रीमन् कमेटी बना रखी है। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में वहां पर कमेटी बनाने या न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि वह शासनादेशों और अधिनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का पालन नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे जो विभाग खुले हुए हैं, उसकी आपकी जिम्मेदारी है, सब चीज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यहां शासन की नीयत पर शक होता है, जब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिपोर्ट इनके पास है, जब इनके अधिनियमों का पालन नहीं हो रहा है तो किसी भी कमेटी के वहां पर बिठाने का कोई

औचित्य नहीं है । सीधे कुलपति के खिलाफ कार्यवाही हो और जो वहां पर इस ढंग के विभाग खुल गये हैं, उनको बन्द किया जाय । जो वहां इस ढंग से दूसरी क्लासेज में एड-मीशन हुए हैं, उनको बन्द किया जाय ताकि शिक्षा का स्तर उठे और काशी विद्यापीठ की जो गरिमा है वह कायम रह सके । 17-5-81 को वहां पर मास्टरों को मारा गया और उन मास्टरों द्वारा मारा गया जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के मास्टर कुलपति द्वारा भर्ती कर लिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कौशिक जी, आपको दुबारा समय मिलेगा । मैं समझता हूं कि अब आप अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, जो बातें मैंने कही हैं इन्हीं बातों को आधार मानते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादकीय ने अपनी बात कही है । सम्पादकीय में लिखा है कि--

"टाक आफ टीचिंग शाप्स । इट मेक्स शार्किंग रीडिंग दैट द काशी विद्यापीठ वाराणसी फाउण्डड बाई महात्मा गांधी हैज बीन रीडड्यूस्ड टू वन ।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कौशिक जी आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दें ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मैं इसका हिन्दी अनुवाद भी बतः देता हूं । वह इस प्रकार है कि--
"आजकल शिक्षा की दुकानों की बड़ी चर्चा है । यह एक चौंकाने वाली बात है कि महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित काशी विद्यापीठ, वाराणसी भी एक शिक्षा की दुकान हो गई है ।" यह पूरा है, इसको मैं आपके पास भिजवा दूंगा । मान्यवर, इस तरह से सब लोग काशी विद्यापीठ की स्थिति को देख ही रहे हैं । आज उसकी स्थिति सारी रिपोर्टों के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट है । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आप बहुत संक्षेप में अपना वक्तव्य दे दें ।

*शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, समय कम है, एक घंटे की चर्चा है । काफी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । मैं अन्त में एक साथ ही सब बातें रख दूंगा ।

*श्री रजनीकान्त--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । माननीय कौशिक जी ने काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, काशी का विधायक होने के नाते मैं भी वहां की परिस्थितियों के बारे में कुछ जनकारी रखता हूं । मान्यवर, मैं कुछ तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा । मान्यवर, काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई और 1964 में वहां पर 10 विभाग आरम्भ किये गये ।

श्री अधिष्ठाता--

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना प्राप्त हुई थी और जिसके संबंध में आज चर्चा हो रही है, उसमें संबंधित अध्यापकों पर कातिलाना हमले आदि के सम्बन्ध में यह चर्चा हो रही है । मैं निवेदन करूंगा कि उसी तक सीमित रहें ।

श्री रजनीकांत--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां 10 विभाग 1964 में थे और 10 विभाग 1974 में थे । इन विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, जो मुकतलिफ कार्य समितियां थीं उनके ऊपर उनका आधिपत्य था । मैं बताना चाहता हूं कि 1983-84 और 1984-85 में अत्याधिक उपद्रव की घटनायें काशी विद्यापीठ में हुयीं । पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश क अपराधी तत्व यहां क होस्टलों में संरक्षण पाते थे । शिक्षा के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थान पर काशी विद्यापीठ में तरह-तरह के हिंसात्मक उपद्रव होते थे और कुछ अध्यापक जो इन तत्वों को वहां भर्ती करवाते थे और भर्ती से लेकर इम्तहान पास कराने का ठेका लते थे तो जब 1984 में दूधनाथ चतुर्वेदी काशी विद्यापीठ के कुलपति हुए तो उन्होंने इस पर नियंत्रण किया ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य को प्रोत्साहित कीजिये उनको निरुत्साहित करन का कष्ट न करें ।

श्री रजनी कांत--

1982 में मान्यवर, 950 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया । 1983 में 550 छात्रों को पकड़ा गया और 1984 में 655 छात्रों को पकड़ा गया और 1985 में 285 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा गया । 1985 में 2 अप्रैल, 85 से परीक्षायें आरम्भ होकर 12 मई, 1985 तक परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं, और परीक्षाफल घोषित हो चुका है और नये एडमीशन हो चुके हैं और कक्षाओं में पढ़ाई आरम्भ हो चुकी है । तो मान्यवर, यह सारे अभियोग और यह सारी बातें इसलिये आयीं कि काशी विद्यापीठ में एक सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हुई । वे विद्यार्थी जो तरह तरह के उपद्रव फैलाकर विद्यापीठ के सत्र को अनियमित कर रहे थे उनका निष्कासन हुआ और उनका विद्यालय परिसर में घुसना बन्द कर दिया गया और मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि कौशिक जी ने कहा और जिन लोगों के नाम बताये जिन पर कातिलाना हमला हुआ है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ उन्होंने क्या कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है ।

श्री गौरी शंकर भइया--

वहां के कुलपति ने गुंडों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लिखाई है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको जब अवसर मिलेगा तब आप अपनी बात रखियेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । चर्चा के लिये सिर्फ एक घंटा समय रखा गया है । कौशिक जी ने 20 मिनट का समय लिया है । 10 मिनट माननीय सदस्य के होने वाले हैं तो कैसे अन्य तथ्य उजागिर किये जायेंगे इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य 5, 5 मिनट बोल लें ।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

श्री रजनी कान्त--

उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा अनुभाग-10 संख्या 4104/15-10-84-4 (6)/84, दिनांक 25 मई, 1985 के तहत जितने भी विभाग खुले है, उन्हें मान्यता दे दी गई है । नो लास, नो प्राफिट के बेसिस के ऊपर सांध्य विद्यालय और कई कक्षायें चल रही है, जिनसे प्राप्त राजस्व इलाहाबाद बैंक के काउन्टर पर जमा होता है । काशी विद्यापीठ के समस्त आय-व्ययक एवं अन्य वित्तीय मामलों पर प्रदेश द्वारा नियुक्त वित्त अधिकारी अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है । शासन द्वारा नियुक्त आन्तरिक लेखा परीक्षक एवं स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा प्रति दिन निरीक्षण होता है । अतएव वित्तीय अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता विभिन्न पत्रों में प्रकाशित आडीटोरियल से कुछ अंश आपको पढ़ कर सुना रहा हूं । जिससे स्पष्ट होता है कि वही अध्यापक जो काशी विद्यापीठ को ठीक से चलने नहीं देना चाहते और जिनके संरक्षण में गुण्डा-गर्दी पनप रही थी और हैं, उसके समर्थन में गांडीव दनिक के सम्पादकीय के कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं :--

"उनके कुछ निजी तुच्छ स्वार्थ कुलपति प्रो0 डा0 दूधनाथ चतुर्वेदी द्वारा गत वर्ष से आरम्भ किये गये अनेक नये-नये रोजगार परक शिक्षा पाठ्यक्रमों के चलते पूरे नहीं हो पा रहे है । पहले तो वे लोग स्वयं कुलपति के विरुद्ध धरने आदि का नाटक किये, उसमें विफल रहने पर गत सप्ताह से चल रही वार्षिक परीक्षाओं में बाधा डालने और उन्हें

रुकवा कर कुलपति को अयोग्य सिद्ध करने की कोशिश में लग गये हैं। कल बी0 ए0 प्रथम वर्ष की परीक्षा के समय उन्हीं तत्वों के इशारे पर कुछ लोगों ने परीक्षा की कापियां फाड़ दीं तथा विरोध करने वाले प्राध्यापकों को बुरी तरह पीटा और उनके कपड़े फाड़ डाले। उपद्रव करने वाले छात्रों को परीक्षा में गलत साधनों का प्रयोग करने से उड़ाका दस्ते ने रोका था, जिसे ही उन्होंने बहाना बना कर न केवल अपनी ही कापियां फाड़ीं, अपितु छात्राओं के परीक्षा कक्षा में भी घुस कर उनकी भी उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ना चाहा पर छात्राओं ने जब उनका डट कर विरोध किया तो मुख्य भवन का द्वार तोड़ कर ही उन्होंने अपना गुस्सा उतारा। मगर इस व्यवधान के बावजूद कुलपति के आदेश से परीक्षा थोड़ी ही देर बाद पुनः जारी हो गयी और सम्पन्न हुई।

तो श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि काशी विद्यापीठ में जिन अध्यापकों के ऊपर कातिलाना हमले की बात है, ये वह लोग है, जो कि कातिलाना हमला करवा रहे है, जो कि सत्र को चलने नहीं देना चाहते हैं। काशी विद्यापीठ के बारे में भ्रांतियां फैला कर उसके स्वरुप को कलंकित करना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इस सूचना पर जिनके हस्ताक्षर है, उनको पहले मौका दिया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों की बातों को सुना। मैं आपकी अनुमति से केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मंत्री जबाव दें, उनसे एक बात जानना चाहूंगा, कि वे अपने जवाब में यह बताने की कृपा करें कि क्या यू0 पी0 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट, 1973 सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज इसी ऐक्ट के तहत काम करती है। यह सही है कि यूनिवर्सिटीज आटोनामस बाडी है और साधारण स्थिति में सरकार या प्रशासन उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन उनके अटानामी की बात तभी तक जायज होगी, जब तक वे यू0 पी0 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट 1973 की परिधि में काम करें। लेकिन जब कोई यूनिवर्सिटी इस ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने लगे, तो शासन का दायित्व उस यूनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप करने के लिये उसे बाध्य करेगा। जहां पर इस ऐक्ट का वाइलेशन होगा, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को इन्टरफियर करना पड़ेगा।

सेक्शन 21, सब-क्लाज (iii) यूनिवर्सिटीज ऐक्ट में यह प्राविजन है कि बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के कोई पोस्ट क्रियेट नहीं की जायेगी। लेकिन जब तक उसकी प्रायर सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट से न ले ली जाय, तब तक न तो कोई पद सृजित किया जा सकता है और न कोई नियुक्त की जा सकती है। इसके बावजूद काशी विद्यापीठ में में बिना सरकार की पूर्वानुमति के 150 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी।

इसी तरह से सेक्शन 31 का भी वाइलेशन हुआ है। सेक्शन-31 में एप्वायन्टमेंट का प्राविजन है, जिसके अनुसार कोई भीअध्यापक इक्जीक्यूटिव कौंसिल या मैनेजमेंट द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर ही नियुक्त किया जायगा। लेकिन इसका भी पाल न नहीं किया गया। इसी तरह से सेक्शन-55, सब-क्लाज (8) का भी वाइलेशन हुआ है, क्योंकि इसके अनुसार वाइस चांसलर या इक्जीक्यूटिव कौंसिल कोई भी खर्च नहीं कर सकती, जब तक कि वह बजट द्वारा-स्वीकृत न हो या यदि कोई अनुदान विश्वविद्यालय को मिला हो, तो उसके खर्च के लिये सहमति न मिल गयी हो। लेकिन बिना किसी परमीशन के 37 विभाग इस विश्वविद्यालय में खोले गये। इन सारी बातों का ज्ञान शासन को है, जैसा कि श्री कौशिक ने चर्चा प्रारम्भ करते हुए तत्कालीन सचिव श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी के 19-7-83 के टेलेक्स मेसेज को पढ़ कर बताया था। इस से साफ है कि सारी अनियमिततायें शासन व सरकार और शिक्षा विभाग के पूरे संज्ञान में है और समय समय पर शिक्षा विभाग ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया है। मान्यवर, यू0 जी0 सी0 की रिपोर्ट अभी कौशिक जी ने पढ़ी। उसकी सेकेन्ड कमेटी गई थी। उसकी रिपोर्ट का थोड़ा

अंश मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। पेज–5 पर लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है––

"दि, विद्यापीठ मे बी एडवाइज्ड टू अप्रोच द स्टेट गवर्नमेंट एण्ड ओन्ली आफ्टर द न्यू कोर्सेज हैव बीन अप्रूब्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट एण्ड बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फार देम, द क्वेश्चन आफ डेवलपमेंट ग्रान्टस में बी कन्सीडर्ड बाई द कमीशन।"

इसका मैं हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं।

विद्यापीठ को सलाह दी जाती है कि वह स्टेट गवर्नमेंट को एप्रोच करे और जब स्टेट गवर्नमेंट नये कोर्स की मान्यता दे दे, और उसके लिये जो मिनीमम फेसिलिटीज है उसको प्रोवाइड कर दें, तभी कमीशन डेवलपमेन्ट ग्रान्ट देने पर विचार कर सकेगी। श्रीमन्, सिस्क्थ प्लान में काशी विद्यापीठ को एक पैसा नहीं मिला और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो उनको सेविन्थ प्लान में भी पैसा नहीं मिलेगा। मान्यवर, डा0 सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 भगवानदास और श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों का इससे संबंध रहा है। आजादी की लड़ाई से इसका सीधा संबंध रहा है। इसकी इस तरह से अवहेलना हो रही है। सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस काशी विद्यापीठ के इतिहास को अक्षुण बनाने के लिये हरकत में आये और अपने दायित्वों का निर्वाहन करे।

*श्रीमती कमला साहनी––

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे काशी विद्यीपीठ के मसले पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। काशी विद्यापीठ भारत की आजादी के इतिहास में अपना सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस विद्यापीठ ने हमारे हिन्दुस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जैसे सपूत दिये। ईमानदार और कर्मठ नेता दिये। तमाम ऐसे नेता दिये जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, लेकिन काशी विद्यापीठ एक व्यक्ति के पैरों तले कराह रहा है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इतनी अनियमितता व्याप्त है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। मान्यवर, चूंकि मैं विद्यापीठ से संबंधित रही हूं, वहां, की छात्रा रही हूं। मान्यवर, चूंकि इसलिये वहां के अध्यापक समय-समय पर मेरे पास आते रहते है और मैंने उनसे साक्षात्कार करके शासन को लिखा है। उसमें कार्यवाही हुई है, लेकिन उतनी कार्यवाही नहीं हुई है जिससे भ्रष्टाचार के मैल को धोया जा सके। वहां तमाम अनियमिततायें हुई हैं। मान्यवर, वहां डेढ़ सौ लिपिक की नियुक्ति हुई और कुलपति महोदय ने मनमाने ढंग से नियुक्तियां कीं। शर्म की बात तो यह है कि एक व्यक्ति की ऐसी नियुक्ति की गई, जो गांधी विचार पढ़ाने के लिये, जिस पर कत्ल का आरोप है। सत्र न्यायाधीश ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं श्रीमन्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी उसके खिलाफ शासन को लिखा है और यह लिखा है कि उसके खिलाफ जांच कराई जाए बिना जांच के कोई अनुदान नहीं दिया जा सकता है।

श्रीमन्, छात्रों के शोध प्रबन्ध प्रकाशित करने के लिये अनुदान आयोग ने 30 हजार रुपये का अनुदान दिया था। जिसको कुलपति महोदय ने 10 हजार अपने बेटे सत्येन्द्र नाथ को दिया और 20 हजार अपने जाति के दो और व्यक्तियों को दिया और आज तक शोध ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ।

कुलपति महोदय ने 90 नियुक्तियां कीं जिसमें से 60 लोगों स्वजातीय को किया और 30 अन्य बड़ी जाति के लोगों को किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो नियुक्तियां की गयी है, उसमें कितनी नियुक्तियां पिछड़ी जाति के लोगों की, हरिजनों की और अल्पसंख्यकों की की गई है। विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट है कि वहां पर अनियमितता है। इन चीजों को देखते हुये आवश्यक है कि इस भ्रष्ट तंत्र को समाप्त किया जाय। इस भ्रष्ट तंत्र ने समितियों की बैठक कभी नहीं बुलाई सभा के 7 सदस्य दोनों हाऊसों को मिलाकर हैं। तीन साल बीत गये कभी-भी सभा की बैठक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं बुलायी गयी। उसके सदस्य नाम के सदस्य बनकर रह गये। ऐसे भ्रष्ट कुलपति को हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही में माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहती हूं। ताकि काशी विद्यापीठ अपने नाम के अनुरूप प्रतिष्ठा पा सके और ऐसे छात्रों को जन्म दे सके जो न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिये काम कर सकें।

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय काशी विद्यापीठ की स्थापना पूज्य महात्मा गांधी जी ने 1921 में की थी। इस विद्यापीठ से हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की महान विभूतियां सम्बद्ध रही है। आचार्य नरेन्द्र देव जो बहुत बड़े समाजवादी विचार धारा के व्यक्ति थे, डा0 सम्पूर्णानन्द, लालबहादुर शास्त्री, डा0 भगवान दीन आदि सभी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध रहे। खेद की बात है कि काशी विद्यापीठ की जो पवित्रता थी हमारे कुलपति दूधनाथ चतुर्वेदी ने उसको नष्ट कर दिया। सच तो यह है कि काशी विद्यापीठ में विश्वविद्यालय अधिनियम का कोई भी हिस्सा लागू नहीं हो रहा है। वहां पर पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी का अधिनियम चल रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विजिटिंग कमटी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि काशी विद्यापीठ में आर्थिक अनियमितता ह, शक्षिक अनियमितता है और वह रिपोर्ट हमारी सरकार के पास भेजी गयी है लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्य नहीं की। उसके बाद वहां के अध्यापकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये अनशन और धरना का आयोजन किया। 25-6-85 को अध्यापकों के ऊपर हमला हुआ और उनको दूधनाथ चतुर्वेदी ने जेल भिजवाया। एक हफ्ते तक वह लोग जेल में बन्द रहे। यह वह अध्यापक हैं, जो काशी विद्यापीठ की गरिमा को ऊंचा करने में लगे है, वहां की पवित्रता को कायम करना चाहते हैं। पंडित दूधनाथ चतुर्वेदी ने काशी विद्यापीठ को अपने निजी स्वार्थ का अड्डा बना लिया है। उन्होंने 60 विभाग खोले जो बिना प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति के है। उन्हों ने लाखों रुपया कमाया है। यह खेद की बात है कि डा0 साहब कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है और सब ठीक ठाक है। अफसोस होता है डा0 साहब मूर्खों की दुनिया में विराजमान है। उन्हों ने जितनी नियुक्तियां की हैं वह सब उनकी जाति बिरादरी के है या उनके रिश्तेदार है या उनके नाती पोते या भाई भतीजे हैं। ऐसे लोगों की भरती की जा रही है। मुझे मालूम है कि ऐसे लोग वहां पर है जो गुण्डे, बदमाश और डकैतों के संरक्षक हैं। वह काशी विद्यापीठ के अध्यापक बने बैठे हैं। इसमें जो विजिटिंग कमेटी का रिपोर्ट है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भेजा है, उसमें साफ लिखा है कि काशी विद्यापीठ को प्रान्तीय सरकार के बिना आदेश के कोई भी मदद नहीं दी जानी चाहिये। उसके बाद भी हमारी सरकार उसको मान्यता दे रही है और कह रही है तो जो विभाग खोले हैं, ठीक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और काशी विद्यापीठ के वर्तमान कुलपति को फौरन हटाकर दूसरे की नियुक्ति की जानी चाहिये। तभी काशी विद्यापीठ की स्थिति बदल सकती और अच्छी हो सकती है और पठन-पाठन अच्छी तरह से हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि 4.50 बजे यह चर्चा समाप्त होगी। अभी माननीय कौशिक जी दो-तीन मिनट बोलेंगे, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे। इसलिये आप दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चर्चा थी इस बात की कि काशी विद्यापीठ के कुछ अध्यापकों पर कातिलाना हमला हुआ। क्यों हुआ? मैं इस क्यों के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, कोई भी विश्व-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालय हो या शिक्षा देने वाला केन्द्र हो, उसका दर्जा मान्यवर, मंदिर से कम नहीं होता हमला क्यों हुआ । इसलिये कि मुट्ठी भर लोग, यानी 17 अध्यापक है जिनसे सभी त्रस्त रहते हैं। कुछ ऐसे लोग है जिन्होंने विश्वविद्यालय में चोरी, तस्करी और गुण्डई का केन्द्र खोल रखा है । यह सही है कि मौजूदा कुलपति ने उनपर रोक लगाने की कोशिश की तो उन पर कातिलाना हमला हुआ और उनके समर्थकों पर हुआ। हमारी सरकार क्या करें, इस पर चर्चा हो रही है । यह एक एनानिमस बाडी है । सरकार वहां पर तभी जा सकती है, और तभी वहां जाना चाहिये, जब ऐसा करने के लिये कोई निमंत्रण मिले या अनुरोध मिले । सरकार की ओर से कोई कमी नहीं हुई । जब भी पुलिस मंगाई गई या प्रशासन के साथ सहयोग करने की बात कही गयी, सरकार पीछे नहीं रही, आगे आई । लेकिन, कुछ लोग चाहते है कि उन्हें छूट मिल जाय कि काशी विद्यापीठ आतंक का अड्डा बना रहे, राजनीति का अड्डा बना रहे तो इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । हमारे साथी कौशिक जी बतायें कि कितने विश्वविद्यालय ऐसे उत्तर प्रदेश में है, जहां सत्र नियमित है । कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका सत्र नियमित है । वहां सत्र तो नियमित है । राज किशोर सिंह जी एकबात कह रहे थे कि कुछ नये विभाग खोले हैं । तो मैं समझता हूं कि विभाग खोले हैं तो तारीफ की जानी चाहिये, आलोचना क्यों । आलोचना करना हो तो उन 17 अध्यापकों की कीजिये जो राजनीति चलाने के लिये गुण्डई करना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस बात को देखे कि कुलपति विश्वविद्यालय को सही ढंग से चला रहे है उन्हें सहयोग दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित सहयोग मिलना चाहिये । एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं हुई । तो उसके लिये यह फोरम नहीं है । हाईकोर्ट जाना चाहिये । वहां कुछ नहीं कहते, यहां कहना चाहते हैं । यह सही है कि वहां आतंक और गुण्डई होती है, उसके लिये सरकार की ओर से सहयोगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिये । ।

*श्री गौरी शंकर भैइया--

माननीय अधिष्ठाता जो, अभी माननीय सदस्य ने भाषण किया, मेरी जानकारी के अनुसार काशी विद्यापीठ की स्थापना ही राजनीति करने के लिये हुई थी ।

और इसलिये हुई थी कि उसमें अच्छे अच्छे देश के राज नेता पैदा किये जायं--हम उस मूल भावना से सहमत है अगर विद्यापीठ उस मूल भावना से काम करे देश के अच्छे नागरिक और अच्छे राज नेता पैदा किये जायं तो कोई एतराज नहीं है । एक आदमी को हत्या में आजीवन कारावास हुआ वह अदमी अपराध शास्त्र नहीं पढ़ा रहा था वह गांधी वादी दर्शन पढ़ा रहा था । एक आदमी ने जो गांधीवादी दर्शन पढ़ा रहा था हत्या की, और कितने लोगों को आप इस तरह हिंसक पैदा करेंगे । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि वहां व्याप्त अनियमितताओं की जांच के लिये एक भीमन जांच आयोग की स्थापना हुई । इस जांच आयोग की परिधि क्या है । जांच आयोग से कहा गया है कि आप 1984 तक की अनियमितताओं की जांच करेंगे । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके यहां समय-समय पर लोग मिलते रहे है और जो पैम्फलेट बटते रहे उसमें 1984-85 के कार्यकाल तक की अनियमिताओं की जांच की बात कही गयी है । शिक्षा मंत्री जी बैठे हुये है । भीमन जांच कमेटी जो बैठी हुई है उससे आप कहें कि 1984-85 तक के कार्य, काल की भी वह जांच करे ।

तीसरी बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है यह जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पैसा देने का काम करता है उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्पष्ट लिख दिया है कि काशी विद्यापीठ को एक पैसे की भी ग्रांट इस तरह तारीख के बाद से नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दी जायगी। अगर वह बात सही है तो उसके पीछे छिपे तथ्यों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस तरह से एक अर्द्ध सरकारी संस्था विद्यापीठ की नकल बनकर खड़ी है। मान्यवर, एक कुलपति की अनियमितताओं की वजह से इस विद्यापीठ का स्तर गिरता जा रहा है। जो अध्यापकों पर हमले हुए, उसकी जो रिपोर्ट की गयी, उस पर कार्यवाही हुई। मान्यवर, यही नहीं दूधनाथ चतुर्वेदी का विरोध करने वाले अध्यापकों को प्रताड़ित करना आरम्भ कर दिया गया है। इस क्रम में 17 जुलाई को अध्यापक परिषद के मंत्री डा0 विजय नारायण सिंह पर प्राणघातक हमला किया गया। उन्होंने आक्रमणकारी गुण्डों और कुलपति के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखायी लेकिन उन कुलपति के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ यह मैंने एक रिपोर्ट बतायी। पंडित जी पता नहीं क्यों उनके फेवर में बोल रहे है। मैं अब उस तरफ आना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद का इसमें कितना बोलबाला है। मान्यवर, इन दूधनाथ चतुर्वेदी के कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी बाबत मैं कुछ बताना चाहता हूं। इनके कार्यकाल में नियमित विभागों तथा सांध्य बिभाग के 81 अध्यापकों की नियुक्तियां हुई है जिनमें 53 कुलपति के स्वजातीय हैं। इसी प्रकार नये विभागों में 90 अध्यापकों की नियुक्ति हुई है जिसमें 60 कुलपति के स्वजातीय हैं।

मान्यवर, यही नहीं नये विभागों के अध्यापकों को मनमाने ढंग से वेतन दिया जा रहा है। कुछ अध्यापकों को 500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है तो कुछ अध्यापकों को 700 रुपये वेतनमान दिया जा रहा है। मान्यवर, एक शैक्षणिक संस्था जिसका दायित्व अच्छे नागरिक अच्छे राजनेता पैदा करना हो उस संस्थान का कुलपति गुण्डों को भर्ती करके अध्यापक को पिटवाने का काम करता है। उनको जेल भिजवाने का काम करती है। तमाम कानून और मान्यताओं को नष्ट करने का काम करती है और यह शासन ऐसे भ्रष्ट कुलपति को संरक्षण देने का काम करती है। यह बात समझ में नहीं आती है। जहां कुशल नागरिकों को पैदा किया जाता था आज वहां पर इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं को चौपट कर दिया है और किस प्रकार का वहां पर माहोल पैदा कर दिया है। इसलिये मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल उस कुलपति को बर्खास्त किया जाय। शिक्षा मंत्री जी खुद वहां पर जाकर इसकी जांच करें जो सूची मैंने इस आदरणीय सदन में दी है और जो तथ्य सामने आयें उन पर कड़ी कार्यवाही करें।

श्री अमिताभ अनिल दुबे--

मान्यवर, मैं गाजीपुर जनपद से आता हूं। गाजीपुर के तमाम लोग बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ–इन दो विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। लेकिन आज जो काशी विद्योपीठ में घटनायें घट रही है उससे मुझे भी चिन्ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, कि आज काशी विद्यापीठ में हो रही घटनाओं के पीछे कुछ चन्द प्रोफेसरों और हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स का हाथ है। आज काशी विद्यापीठ में अराजक-तत्वों का बोल बाला है, जिनके माध्यम से ये घटनायें करवाई जाती है। कितने शर्म की बात यह है। विद्यापीठ के प्रोफेसरों तथा वाइस चांसलर पर कातिलाना हमला होना, रजिस्ट्रार का गला दबा देना आदि इस प्रकार की घटनायें आये दिन हो रही हैं। आज यही कारण है कि इन चन्द प्रोफसरों की वजह से विश्वविद्यालय में अशान्ति का माहौल पैदा हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ अच्छे काम भी हुये है जिसकी मैं तारीफ करता हूं। एक तो वहां पर नियमित सत्र हुआ है, जबकि आज पूरे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं है, वहां पर अनुशासन आया है और नकल पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इसी को वजह से कुछ चन्द प्रोफेसर तिल-मिला गये हैं। इसलिये मेरी शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि आज यहां पर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे है और जिस तरह से आज काशी विद्यापीठ में

नंगा नाच हो रहा है। कुछ दिनों से लखनऊ में 20–25 प्रोफेसर घूम रहे हैं, कुछ इस समय यहां पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, जिससे अनुशासन गिरता जा रहा है, इन सारे मामलों की जांच की जाय और ऐसे प्रोफेसरों और हेड आफ दि डिपार्टमेंटस के खिलाफ कार्यवाही की जाय जो काशी विद्यापीठ के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता---

यदि सदन सहमत हो तो इस पर 20 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

(सदस्यों द्वारा सहमति प्रकट की गयी)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रीमन्, आज सरस्वती का पावन काशी विद्यापीठसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और आर्थिक अनियमितताओं की गंगोत्री में डूब गया है। इस चर्चा में इधर के पक्ष के लोगों ने और। उधर के पक्ष के लोगों ने जिन-जिन बिन्दुओं को यहां पर इंगित किया है, वह बात सही हों या नहीं है लेकिन मेरा कहना यह है कि निश्चितरूप सेकाशी विद्यापीठ मेंअनियमितता है। इस लिये मान्यवर, दोनों पक्षों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाय। मेरा तो सुझाव यह है कि इस सदन का एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया जाय जो इस सारे प्रकरण की जांच करे। मान्यवर, शिक्षा का क्षेत्र राजनैतिक दल से उपर है। लेकिन आज इसी राजनीति की वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज वह राजनैतिक अखाड़ा बन गया है। मान्यवर, जिस शिक्षण संस्थान का उप-कुलपति आचार्य नरेन्द्रदेव हुआ करते थे और पंडित कमला पति त्रिपाठी हुआ करते थे। जहां उन लोगों में राष्ट्रीयता स्वतंत्रता, राष्ट्रभाषा को विकसित करने का उसे समृद्धिशाली बनाने के लिये एक अच्छी परम्परा की शुरुआत की थी, राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत, चरित्र निर्माण का जहां काम किया गया हो वहां गुण्डई हो, कत्ल हो गोली-बारी हो, कतली गांधीवाद की शिक्षा देने के लिये नियुक्त हों और आश्चर्य तो तब होता है जब इतिहास विभाग में ऐसे अध्यापक की नियुक्ति कर दी जाती है जो संस्कृत के एम0 ए0 है और यही नहीं मेरा आरोप है कि उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री जो वाराणसी के रहने वाले हैं, के रिस्तेदार हैं। दो साल पहले इतिहास विभाग के इस पद के लिये विज्ञापन किया गया और इस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई है जबकि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के बाद दिया गया। तो इस तरह से तोभ्रष्टाचार को किया जा रहा है। अर्थशास्त्र में दो पद सृजित किये गये, वहां 9 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। संस्कृत में एक पद के सृजन के स्थान पर 4 लोगों की नियुक्ति की गई है और कुलपति, पता नहीं कितने बड़े खतरे में है, हमारे मंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनकी हो रही है और 11 बन्दूकचियों को नियुक्त करके अपनी सुरक्षा करा रहे हैं बिना राज्य सरकार की अनुमति के डेढ़ लाख का खर्चा हो रहा है। जो प्राविधान है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत कुलपति और कार्यकारिणी 10 हजार तक खर्च कर सकते हैं लेकिन पचासो लाख रुपया बिना राज्य सरकारी की अनुमति के खर्च किया गया है, तो इस तरह से भ्रटाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक वर्ष पूर्व वहां के अध्यापकों ने कुलाधिपति से, शिक्षा मंत्री से, शिक्षा सचिव से मिलकर एक ज्ञापन दिया था लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। असंतोष बढ़ रहा है किन्तु कुलपति को हटाया नहीं जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत को साफ रखें, स्वच्छ रखें तो वहां के कुलपति को हटाने का निर्णय आज ही करें। चाहे अध्यापकों अथवा कुलपति के द्वारा आरोप लगाये गये हों, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, इन सभी आरोपों की जांच एक उच्चस्तरीय जांच समिति बिठा कर इसकी जांच करावें।

श्री कौशिक रमा शंकर---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रमोद तिवारी से अनुरोध करूंगा

(व्यवधान)

जो उन्होंने शिक्षा का स्तर, वहां की बुराई भलाई और परीक्षाओं के संबंध में बात कहा है उसके सन्दर्भ में खाली मैं दूधनाथ चतुर्वेदी जी का बयान, जो 22-3-85 को, 'आज' में दिया है, उसके संबंधमें ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कम्प्यूटर साइंस के बारे में पूछे गये सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि इस विभाग में 18 छात्र थे, इनमें से 10 छात्रों ने आकर मुझ से विनम्रतापूर्वक कहा कि हम लोगों को डिग्रियां दे दी जायें हम सभी लोगों की नौकरी लग गई है, इस पर हमने उन सभी लोगों को डिग्रियां दे दी। यह दूधनाथ चतुर्वेदी का बयान है और आज अखबार में छपा है जिसका न कोई खंडन इस संबंध में सरकार से आया है न ही दूधनाथ चतुर्वेदी की ओर से आया है। तो इस तरह से डिग्रियां बंट रही है। 10 लोगों ने आकर कहा कि डिग्री दे दीजिये और उन्होंने दे दी। तो यह है वहां की परीक्षाओं के संबंध में, तिवारी जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ इन्हीं डिग्रियों का सवाल नहीं है, सारी की सारी डिग्रियों के मामले में इसी ढंग से चल रहा है। इसी तरहा की परीक्षायें चल रही है। इस प्रकार से वहां की परीक्षाएं चल रही हैं।

यहां पर प्रश्न किसी भी प्रकार से सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष का नहीं है सवाल एक ऐसी संस्था का है, जिस संस्था के बारे में आपकी भी और हम लोग भी चिंतित है समान रूप से। आप भी चाहते है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, एक ऐसी शिक्षा हो जिससे समाज का स्तर ऊंचा हो, समाज के लोग आत्म-निर्भर बनें, और एक अच्छे नागरिक बनें और हमारे जो नियम है, अधिनियम, 1973 है, यूनिवर्सिटी ऐक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रन्ट कमीशन हैं, उन सभी का सही रूप में पालन हो और शिक्षा पद्धति में पूरी तरह सुधार आये, इसके लिये हम प्रयत्नशील है और आप भी, यहां पर इस पक्ष और उस पक्ष की बातनिहित नहीं है और यदि आप यह समझते है की इसके पालन और अनुपालन की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं समझता हूं किइन नियमों और अधिनियमों को आप हटा दीजिए और यदि आप किसी भी दिशा में इन तथ्यों को मानते हैं तो आपको इन बातों को निश्चित रुप से देखना होगा कि कहां पर क्या हो रहाहै और किन नियमों के तहत हो रहा है। मान्यवर, धारा 21 (3) और (4) का पूर्णरुपेण कौन कहे कुछ भी पालन नहींहो रहा है, बल्कि पूर्णरुपेण उल्लंघ न हो रहा है। शासन की बिना अनुमति के अध्यापकों को वेतन व अन्य भत्ते दिये जा रहे है किसी अध्यापक को 100 रु0 किसी को 400 रु0, किसी को कुछ। परीक्षाएं ऐसे ढंग से चल रही है जिस ढंग से कुलपति चाहते है, परीक्षाफल दिन पर दिन गिरता जा रहा है इसके अलावा आपको मालूम होता है कि वहां परीक्षा हो रही है, लेकिन वहां परीक्षा हो ही नहीं रही है। मालूम हुआ कि सामाजिक शास्त्र की मौखिक परीक्षा हुयी लेकिन वहां परीक्षा हुयी ही नहीं और विद्यार्थी अच्छे नम्बर भी पा गये। तो यह चीजें आप देखें। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जो गैर-कानूनी और गलत ढंग से काम हो रहा है, वह गलत है, इसको आपको मानकर चलना होगा, और ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना होगा ताकि अधिनियम जो वहां पर लागू है तथा समय समय जो शासन आदेश हैं, उनका पालन हो और शिक्षा स्तर में सुधार आवे और विवविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट का भी सम्मान किया जाये उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। इस लिये मैं चाहता हूं श्री दूधनाथ चतुर्वेदी जी की सेवायें समाप्त कर उन्हें कहा जाय कि वे अब अपने घर जाएं और इनके विषय में अन्य सम्मानित सदस्यों ने जो बातें कहीं है, मैं माननीय मंत्री जी ने आशा करता हूं कि वे श्री चतुर्वेदी जी को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए एक समिति का गठन करेंगे। जो दोनों सदनों के सदस्यों की गठित अथवा विधान सभा की ही हो उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुये यहां की व्यवस्था को सुचारु बनायेगी।

श्री सिब्ते रजी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था संबंधी चर्चा की बात

पर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जो पढ़ाई लिखाई के कार्य में रत हैं कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक होता चला जा रहा है और जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई के अन्दाज में बोलते हैं। स्पष्ट है कि विश्व-विद्यालय किसी अधिनियम के तहत चलते हैं, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। हमारी पार्टी के शासन का हमेशा यह नियम रहा कि स्वायत शासी जो संस्थायें है जो पठन-पाठन के कार्य में लगी हुयी हैं जहां तक सम्भव हो, उनकी स्वायत्तता पर आक्षेप न हो, इसलिये कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते है, उनकी एप्रोच में, दृष्टि में वक्ती तौर पर बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जिसमें वे इस बात का अन्दाजा नहीं कर पाते हैं उनके बहुत दूरगामी प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो पढ़ाई के काम में लगे हुये हैं, वे विश्व-विद्यालय के माहौल को, पाठन की प्रक्रिया को, संस्थायें कैसे चलती हैं, इन सब विषयों में काफी मालूमात रखते हैं।

काशी विद्यापीठ के सिलसिले में बताना चाहूंगा कि तत्कालीन कुलपति श्री आर0 एन0 सक्सेना जब थे, उनके काल में कई प्रकरण और अनियमितताओं की शिकायतें शासन तक आयीं। उनके बाद दूधनाथ जी, जिनके बारे में चर्चा में जिक्र किया गया, वे कुलपति बन कर आये। 35 वर्षों तक वे इस विद्यापीठ की सेवा अर्थ-शास्त्र के प्रोफेसर की हैसियत से कर चुके हैं। उनके आने के बाद कलह बढ़ी और गुटबाजी उभरकर सामने आयी। शासन को जब अनियमितताओं की सूचना मिली तो जैसा कहा गया भीमन साहब के नेतृत्व में जांच कमीशन बैठाया, उसका टर्म आफ फरैंरेन्स था, उक्त अधिकारी निम्नलिखित आरोपों के संबंध में जांच करेंगे। 13 अप्रैल, 1982का जो शासनादेश है, उसके तहत कहना चाह रहा हूं ---अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति को कई वर्षों तक बनाये रखना, विहित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना चयन समितियों का गठन, चयन समितियों में मन माना परिवर्तन करना, चयन और नियुक्तियों में पक्षपात और प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में इस गजट में उल्लेख किया गया है। अब दूधनाथ चतुर्वेदी जी 1 जनवरी, 82 को वहां कुलपति बने। इस कमीशन का समय 31 दिसम्बर, 85 तक इसी माननीय सदन ने बढ़ाया हुआ है। इसके कार्य क्षेत्र का समय 31-1-84 तक कर दिया गया है। 1 नवम्बर, 82 से 31-1-84 तक की साल की अवधि है, जो दूधनाथ जी के कार्यकाल की है। जैसा कई मा0 सदस्यों ने कहा है कि चावल को यह देखने के लिये पूरा पका है या नहीं, पूरेदेग को खंगालने की जरूरत नहीं है बल्कि एक दो चावल निकाल लिये जाते हैं, उनकी स्थिति से पता लग जाता है कि पूरी पतीली का चावल पक गया है या नहीं

(व्यवधान)

एक साल की कार्यावधि यदि व्यक्ति की गलत है तो उसने प्रारम्भ से ही गलतियां की है और आदत है गलत काम करने की, भीमन साहब का जो कमीशन है, तो वह चाहे वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित हो या प्रशास-निक अनियमितताओं से संबंधित हो या नियुक्तियों से संबंधित हो, वह सारी की सारी चीजें सामने आ जायेंगी। इसके अतिरिक्त और जो बहुत सारी बातें यहां हुई, तो उस विषय में मुझे यह कहना है कि कुला-धिपति के निदेश से उस डिवीजन के कमिश्नर की इन्क्वारी रखी गयी ह जिसके अन्तिम आदेश 30-7-84 को हुये थे। वहां के बहुत सारे अध्यापकों की बात आयी और मैं उन सबका नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह सही है कि वहां गुटबाजी की स्थिति है। शासन अपना दायित्व समझता है और गुटों से ऊपर उठ कर वह अपने दायित्व को निभायेगा इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

यहां कई अध्यापकों का नाम लेकर बद-कारी की बात कही गयी, तो इस बदकारी के सिलसिले में जो कुछ अध्यापक है उनकी जांच हुई, जांच गोपनीय है, जांच की रिपोर्ट कुलपति को मिली है कि वहां कुछ अध्यापकों के द्वारा असामाजिक तत्वों को शरण

दी जा रही है। वहां गांजा, अफ़ीम और चरस आदि का प्रयोग हुआ करता है, और छात्रावास में विदेशी असामाजिक तत्वों को शरण दी जाती है वे वहां आकर रहते हैं।

इस संबंध में कड़ाई से कदम उठाये गये और 35 विद्यार्थियों को वहां से निष्कासित कर दिया गया है। वह इस स्थिति को सुधारने के प्रयत्न कर रहे है। शासन ने भी इसको देखा है जिससे पता चलता है कि कहीं न कही इसमें सत्य अवश्य है।

यहां कातिलाना हमले की बात कही गयी है और कहा गया कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखते समय नान कागनीज़ेबिल आफ़ेन्स माना। मैंने एस0 एस0 पी0 से रिपोर्ट मंगायी है। कुलपति ने कहा कि 2 अगस्त, 1984 को प्रोफ़ेसर बृज बिलास श्रीवास्तव, चीफ़प्राक्टर पर हमला हुआ, फ़िर 16 जुलाई को गोली मार कर उन्हें मार डालने की कोशिश की गयी जिसकी एफ़0 आई0 आर0 लिखायी गयी। डाक्टर गिरजा प्रसाद, सहायक प्राक्टर पर कातिलाना हमला किया गया इसकी भी एफ़ 0 आई0 आर0 दर्ज़ करायी गयी थी। शारीरिक विभाग के काशीनाथ खन्ना को मारा गया और इसकी भी एफ़0 आई0 आर0 दर्ज हुई। कुल सचिव को गोली दाग कर डराने और धमकाने का प्रयास किया गया। कुलपति पर 7 बार कातिलाना हमले किये गये। 6-6-84 को उनके दफ्तर में बम चला कर उन्हें मार डालने का प्रयास किया गया। अब इसे आप खुशकिश्मती कहिये या बदकिस्मती कि वह उस समय अपने कार्यालय में नहीं थे इसलिये वे बच गये। यह स्थिति उस विश्वविद्यालय के अन्दर उभर कर सामने आयी है।

श्री गौरी शंकर भैइया--

एक स्पष्टीकरण और दीजिये कि जिन लोगों के नाम आपने लिये कि उन लोगों ने अपने ऊपर कातिलाना हमला किये जाने की रिपोर्ट दर्ज़ कराई कि उन पर हमले हुये, तो क्या ये अध्यापक दूधनाथ चतुर्वेदी के समय में नियुक्त किये गये थे डेली वेज़ेज़ पर जो वहां काम कर रहे थे ?

श्री सिब्ते रज़ी--

जिसकी सूचना मेरे पास है, वह मैं आपको बतला रहा हूं। अब यह बात कि वे अध्यापक चतुर्वेदी के समय के नियुक्त हैं या नहीं, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। एक पक्ष के लोगों का नाम आपने लिया जो आपसे रह गया था, वह मैंने यहां पर प्रस्तुत कर दिया।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मेरा निवेदन यह है, खैर जो बात आप बता रहे हैं, वह भी हम सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुनने की बात है लेकिन जो मूल बाते हैं कि वहां पर अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, नियमावली का पालन नहीं हो रहा है वहां पर ऐसे विभाग खोल दिये गयेहै,जिनको आपकी अनुमति नहीं है, इसको आप बतायें आप तो आरोपित कुलपति की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।

श्री सिब्ते रज़ी--

इतनी ज़रुरी बात पर आप इतना खफ़ा न हों। आपका नाम याद था, आपका नाम ले लिया। मान्यवर, संकाय की बात आयी तो यू0 जी0 सी0, जिस पत्र का उल्लेख किया है, उसमें लिखा है कि जो संकाय हैं, विषय हैं, बिना अनुमति के कायम कर लें, तो प्रदेशीय शासन उस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि यह 25 मई, 1985 को गजट में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये निकाला। उन्होंने बिना अनुमति के संकाय खोल लिया है और विद्यापीठ में जाकर छात्रों ने प्रवेश ले लिया, वह नहीं जानते थे कि अनुमति है या नहीं है। कई महीनों तक वह पढ़ते रहे और परीक्षा भी दी, तो या तो सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को भूल जायं, या उनकी गलती को रेगुलाइज किया जाये। शासन ने यह जो वाणिज्य संकाय है, शिक्षा संकाय है, विधि संकाय है, 25 मई, 1985 से अनुमति देदी है। अंग्रेज़ी के साथ अन्य विदेशी भाषाओं को शुरु कर दिया गया है, उसकी अनुमति दे दी है, हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषायें पढ़ाना शुरु कर दिया था, उसकी अनुमति दे दी है और संस्कृत के साथ प्राच्य भाषाओं को पढ़ाना शुरु कर दिया है, उसकी भी अनुमति दे दी है। शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, ललित कला, पुस्तकालय विज्ञान को भी परिनियमों में संशोधन करके अनुमति दे दी है। अब

पद सृजन और पदों पर नियुक्तियों की बात आयी, तो मान्यवर, वह स्वायत्त शासी संस्था है और शासन का उसमें हस्ताक्षेप करना उचित नहीं है, मैं इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पदों का सृजन शासनस्तर से होता है और यह चीज शासन के स्तर पर विचाराधीन है, यदि शासन ने अनुमति दे दी तो जो नियम, परिनियम और अधिनियम बने हैं,उनके लिहाज से सारी नियुक्तियां की जायेगी और शासन देखेगा कि इसमें कोई गड़बड़ी न हो। मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक साथी ने कहा परीक्षाओं में प्रगति हुई है, अच्छी परीक्षायें हुई हैं और सत्र निश्चित हुआ है, इस बात से तमाम सदस्य सहमत होगे दूधनाथ जी के कार्यकाल में जो नकलची पकड़े गये वह 1983 में 550, 1984 में 655 और 1985 में 282 है। इस तरह से सारे रिजल्ट समय से निकले है, परीक्षायें ठीक से चली हैं, सत्र पूर्व निर्धारित है और स्थिति में सुधार के लिये शासन उस पर नजर रखे हुये है। मान्यवर, जिस प्रकार के दायित्व को निभाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अधिनियम के अन्तर्गत निभाया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन में इसके पहले भी इस बात पर चिन्ता प्रकट की गयी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा अपूर्ण परीक्षाफल और विकास से परीक्षाफल आने का जो दुष्परिणाम हमारे प्रदेश के छात्रों पर पड़ता है उस सम्बन्ध में कई बार चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है। यह बात सही है कि जो अपूर्ण परीक्षाफल है मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने परीक्षार्थी बैठे और कितने अपूर्ण रहे, पिछले कई वर्षों से यह बात देखने में आ रही है। जो भी परीक्षा होती है परीक्षाफल देर से निकलते है और परिणाम यह होता है कि हो हार बच्चे परीक्षाओं से बंचित रह जाते हैं और सरकार से उत्तर देते समय ऐसा लुभावना रूप प्रकट किया जाता है कि लगता है कि कोई समस्या है ही नहीं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं मेरे जनपद सीतापुर में आर्य कन्या इन्टर कालेज में वर्ष 73 की परीक्षा में एक लड़की थी सीतारामी श्रीवास्तव वह उत्तीर्ण घोषित हुई। 73 की परीक्षा में बैठी और परीक्षाफल मिला 76 में और 81 में बी0 टी0 सी0 भर कर दिया और अब 85 में जब बी0 टी0 सी0 में चयन हो गया और जब परवाना लेकन बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंची, 85 लगने के बाद अभी तक उसको सार्टी फिकेट नहीं नहीं मिला। सब कुछ हो जाने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 84 का मामला है यदि चाहे तो रोल नम्बर भी नोट कर लें 55,837 है और नाम है अरुण कुमार सिंह। वह सभी विषयों में परीक्षा में एडमिट हुआ लेकिन जो मार्कशीट मिली उससे सभी विषयों पर अवसेन्ट लिखा हुआ है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण दिये जायेंगे। हमें विचार करना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है इसके पीछे साजिश क्या है, कौन जिम्मेदार है। यहां पर बोर्ड की जिम्मेदारी है।

बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई। 2 वर्ष तक वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेज है उसमें परीक्षा होती रही। 23 में खुद परीक्षा ली उस समय 500 छात्र और 50 कालेज रहे होगों जो बढ़ते हुए 19 लाख के करीब अब बैठते है। बोर्ड में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह भ्रष्टाचार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपूर्ण परीक्षाफल की। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बोर्ड के अधिकारी ने सचिव तक ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो कम्प्यूटर की प्रणाली की स्थापना की गयी है तो उससे खर्च बढ़ा है। लेकिन बोर्ड के पास खर्चे की कमी नहीं है यह 20 रु0 की जगह 50 रुपये फीस लेते है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और 25 रुपये की जगह 75 रुपये फीस लेते हैं।

कम्पप्यूटर का परिणाम यह हुआ है कि मार्कशीट आती है तो कभी नम्बर ज्यादा है कभी कम है, कभी अबसेन्ट है, कभी प्रजेन्ट है। इस बात को सचिव है बोर्ड के, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कम्प्यूटर की प्रणाली से भी अहित हो रहा है।

(5 बजकर 20 मिनट पर)

कंप्यूटर की विधि ऐसी है कि जिसको पहले से फीड करना पड़ता है और तब उसके परिणाम निकलते हैं। उसके लिये अलग-अगल उप केन्द्र बने हुये हैं। उसके जो कार्ड होते हैं उनका 13/13 बार परीक्षण होता है। लेकिन आज यह स्थिति है कि फीडिंग में गल्ती हो रही है। इसके तहत बोर्ड में जोभ्रष्टाचार है उससे फीडिंग गलत हो रही है। लोग क्या करते हैं कि तुरन्त इलाहाबाद चले जाते हैं पैसा खर्च करते हैं और परिणाम ले आते हैं। केन्द्रों पर चार्ट पहले आ जाता है। जब वहां पर हल्ला-गुल्ला होता है तो लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है औरपरीक्षा परिणाम ले आते हैं इससे स्थिति और भयावह होती जा रही है।

आपने उस केन्द्रों में मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की है। वह भी इस दोष के लिये जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से यह मूल्यांकन प्रणाली लायी गई थी। अब उन्होंने इस प्रणाली को छोड़ दिया। वहां पर होता क्या है कि लोग 11 बजे इकट्ठा होते हैं। जब उन्हें कापियां मिलती हैं। दो-ढाई घंटा उन्हें कापियां जांचने का काम मिलता है। 50 कापियां जांचनी होती हैं। इस तर से इतने कम समय में इतनी कापियां जांचने में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। भष्टाचार का एक कारण यह भी है कि जाली प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं। अभी इसी सदन में एक जाली प्रमाण पत्र के बारे में बात आयी थी। यह बात सही है कि वहां पर एक पैरेलल शिक्षा बोर्ड चल रहा है। अलग-अलग जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में ऐसा हो रहा है। सीतापुर के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर एक लड़का है, मैंने उसके बारे में रिपोर्ट भी की थी। आपके बोर्ड द्वारा अनेक जगहों पर एफ0 आई0-आर0 लिखाई गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एक लड़का आया, उसने कहा कि मुझे 250 रुपये में मार्क-शीट मिल गई। वह एक इन्टरव्यू में शरीक हुआ। उससे जब सर्टिफिकेट मांग जाता है तो देखिये कितने हिम्मती लोग हैं, वह कहता है कि मुझे प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया था, उसका प्रमाण-पत्र आ गया था लेकिन उसमें कुछ गल्ती रह गई थी लिहाजा उसको ठीक करने के लिये इलाहाबाद भेज दिया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह हैक जब तक आप इसको प्रामाणिकता से नहीं देखेंगे तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

मान्यवर, एक 16 सी0सी0 का फार्म आपके बोर्ड मेंहोता है उसकी चोरी हो जाती है। इसलिये ऐसा होता है। सरकार को इस सम्बन्ध में जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को होगी। मान्यवर, 1969 में एक शाही कमेटी गठित की गई थी यह देखने के लिये कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाय। मान्यवर, उसने सुझाव दिया था कि चार उपकेन्द्र बनाये जांय सरकार ने तत्परता से 72 में मेरठ और सन् 82 में बरेली कर दिया और सन् 84 में सरकार ने विचार किया कि परीक्षा का सम्पूर्ण कार्य इन उपकेन्द्रों में होना चाहिये, लेंकिन वह क्रियान्वित नहीं हुआ इसका इतनाबड़ा स्वरूप हो गया कि जिससे इसमेंभ्रष्टाचार बढ़ गया है। परीक्षा अगर 4 स्थानों से होगी तो बोर्ड पर लोड भी कम होगा। साथ ही जो कम्प्यूटर की गल्ती मैंने बतायी वह भी नहीं होगी, अन्यथा उसको ठीक किया जाय। ऐसा कार्य करें जिससे बच्चों का अहित न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आप बोलेंगे। क्योंकि कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हो रहा है।

(श्रीमाता प्रसाद पांडेय के खड़े होने पर)

आप बहुत देर में खड़े हो रहे हैं। 25 मिनट से ज्यादा इस पर हो गये हैं

(श्रीमती कमला साहनी के खड़े होनपर)

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, इन्हीं से बुलवा लीजिये। आप प्रिंसिपल हैं। . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने माता प्रसाद जी को बुलवा लिया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बहस माननीय गुप्ता जी ने प्रारम्भकी है और जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उन पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् जो परीक्षा संचालित करती है इसमें जिधर से हाथ डालिये उधर से घोटाला ही घोटाला निकलता है। आज उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान इस अपेक्षा से परीक्षा में बैठते हैं कि उनका भविष्य सुधरेगा, रात दिन किताबें पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि गरीब घर के बच्चे जिनके मां बाप जमीन बेच कर, अपने जेवर बेच कर बच्चों को पढ़ाते हैं, चिराग में रात दिन एक करके बच्चे पढ़ते हैं और इस विश्वास के साथ पढ़ते हैं, कि बोर्ड में परीक्षा शुल्क जमा किया है उसके चलते समय से परीक्षाफल बोर्ड घोषित कर देगा जिससे उनके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा और वे आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। जिस उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन हुआ था वह पूरा नहीं हो रहा है। परीक्षाफल अधूरे आते हैं और विद्यार्थी अकारण ही फेल हो जाते चाहे वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो कहीं का परीक्षाफल समय से नहीं निकलता है और वह रोक दिया जाता है उसका कारण यह होता है कि वहां लोगों को अच्छी खासी धनराशि मिलती है। यहां तक कि रातों रात पूरे के पूरे परीक्षा केन्द्र बदल दिये जाते हैं। मैं आपको बस्ती का उदाहरण देता हूं वहां 12 बजे रात में केन्द्र बदल दिया जाता है और जब विद्यार्थी सुबह 6 बजे परीक्षा देने जाता है तो उसे कहा जाता हैकि दूसरे केन्द्र में जाओ तो स्वाभाविक है कि वह 50 कि0 मी0 दूर नहीं जा पायेगा। उसका फायदा उठा कर उसका परीक्षा फल रोक दिया जाता है। यह शर्म की बात है कि आज हजारों लड़कों का परीक्षाफल अधर में लटका पड़ा है।

बहुत से संस्थागत छात्र हैं जिनका विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने परीक्षा शुल्क नहीं भेजा है। आज तक ऐसे किसी विद्यालय की मान्यता नहीं छीनी गयी है और किसी प्रधानाचार्य को दंडित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि इनके बाबू प्रधानाचार्य से, प्रधानाध्यापक से और परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक से किसी न किसी प्रकार संबद्ध रहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि नैपाल के, हजारों लड़के जिन्होंने कभी परीक्षा नहीं दी उनको हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट का सर्टिफिकेट बिना परीक्षा दिये मिल गये हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसका कोई लेजो-खाखा नहीं होता है और जब फार्म जाते तो केन्द्र व्यवस्थापक के बिना हस्ताक्षर के, बिना किसी लेखा जोखा के बंडल के बंडल फेंक दिये जाते हैं।

आपके यहां इस समय कम्प्यूटर व्यवस्था चल रही है। आज पूरी की पूरी शिक्षा कंप्यूटराइज हो रही है उसको कायदे से फीड नहीं किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उसमें गड़बड़ी होगी जैसे अगर मंत्रिमंडल में कंप्यूटर में नाम ठीक से फीड न किये जांय तो माननीय शिक्षा मंत्री जी के नाम की जगह माननीय हरदेव जी का नाम आ सकता है। तो यह जो कंप्यूटर सिस्टम है यह भी एक व्यवधान डलता है। महाराष्ट्र और गुजरात में यह चला लेकिन यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सफल नहीं हुआ। मूल्यांकन प्रणाली भी दोषपूर्ण है जिसके कारण भी समय से परीक्षाफल/नहीं घोषित होते हैं। एक जिले में परीक्षा केन्द्र बना दिया और उसमें दूर-दूर से अध्यापक आते हैं। 10 बजे से 5 बजे तक उनको कापियां देखनी होती है और उसी में भोजन का अवकाश मिलता है। इन चार पांच घंटों में 60-60 पुस्तकें जांचनी होती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति इतना काम कर पायेगा। तो स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी।

मान्यवर, जो फार्म जाते हैं उनका सही परीक्षण नहीं होता है और बाद में पता चलता है कि टी0 सी0 के साथ सनद नहीं आयी। इस तरह शिक्षा परिषद् के लोग रूपये लेने के लिये यह सब करते हैं। यही नहीं रुपया न मिलने से व्यवस्थापक से रिपोर्ट लिखवाकर भिजवा देते हैं कि नकल हुई है। इस तरह दो प्रकार से परीक्षाफल रोके जाते हैं। एक तो शिक्षा विभाग के निकम्मेपन से और भ्रष्टाचार के कारण, दूसरे नियमों में शिथिलता लेकर समय से न आकर, परीक्षाफल रोके जाते हैं।

मान्यवर, इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो आप किसी पर जिम्मेदारी डालें परिषद् का सचिव या जहां का परीक्षाफल रुकता है नकल के कारण तो उस विद्यालय को डिबार ही नहीं बल्कि अनुदान उसका रोकें और प्रिन्सिपल को हमेशा के लिये डिबार कर दें। दूसरा सुझाव है कि परिषद् का मंडलवाइज विकेन्द्रीकरण करें। प्रत्येक मंडल पर परीक्षा संचालित हो और पर्चे चाहे जहां से बनवायें लेकिन परीक्षा फल मंडलवाइज घोषित होने चाहिये। तीसरा सुझाव है कि आप उन विद्यालयों की जांच करें जहां कक्षा 8 में कम बच्चे होते हैं जैसे 100 लेकिन हाई स्कूल में 500 छात्र आ जाते हैं। मैं दावें के साथ कहना चाहता हूं कि गौरा बाजार और ओदही स्कूलों को आप दिखवा लें और उसके बाद कह दें कि यह स्कूल है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो स्कूलों में फर्जी नाम लिख जाते हैं। इन सारी बातों की आप छान बीन करा कर परिषद् को मंडलवाइज विकेन्द्रित करें।

मान्यवर, मेर यह भी सुझाव है कि कम्प्यूटरीकरण की प्रणाली को समाप्त करके जिस तरह गुजरात में जो प्रणाली लागू है उसको यहां भी लागू करे।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, परीक्षाफल जो रुके हुए हैं उनके बापे में विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों ने कहा लेकिन मैं तो शिक्षा मंत्री जी को अपने क्षेत्र के गरीब लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूं कि मेरा क्षेत्र शोहरतगढ़ बहुत पिछड़ा है और हर साल बाढ़ की चपेट में कंगाल हो जाता है, इसलिये वहां के लोग प्रदेश से बाहर मजदूरी करने जे लिये जाते हैं, उनके दिलों में तमन्ना होती है कि वह अपने बच्चों को पढ़ायें। लेकिन मेरे क्षेत्र शोहरतगढ़ में शिवपति इंटरकालेज है उसमें 62 बच्चे इंटर में बैठने वाले थे किन्तु वहां के प्रिन्सिपल ने उनसे व्यक्तिगत लाभ चाहा और वह न मिलने के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र नही दिये गये और जब हंगामा बच्चों ने कया तो एस0 डी0 एम0 ने पहुंचकर बीच बराव किया और कहा कि प्रवेश पत्र दिये जांय और परीक्षा उनकी ली जाये, तो प्रिन्सिपल ने कहा ठीक है। चूंकि उस समय क्लर्क उपस्थित नहीं था इसलिये प्रिन्सिपल ने कहा कि प्रवेश पत्र देना संभव नहीं है किन्तु परीक्षा दे दें। उसके बाद रेजल्ट निकला तो उन सभी 62 का रेजल्ट नहीं निकला तो वह विद्यालय में गये तो उनको कहा गया कि आपका परीक्षा फल निरस्त किया गया है। पता नहीं किस नियम के तहत तुम्हारा परीक्षाफल निरस्त किया गया। इसलिये शोहरतगढ़ की इस मिसाल पर जांच करायी जाय जिससे उन बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न हो। मैं चाहूंगी कि वहां के बच्चों का जावन बचायें वरना उनके अभिभावक और वह बच्चे बहुत गुस्से में है और पता नहीं कब कोई घटना घट जाये। इसी तरह औदह स्कूल में भी हुआ है। अत: मंत्री जी इसमें बीच बराव करें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि जो इन्टरमीडिएट बोर्ड है, इसमें कुछ तात्कालिक काम करने होंगे, लेकिन कुछ दीर्घकालिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

दिमाग भी बनाना होगा और इसमें एक जबरदस्त संकल्पशक्ति की जरूरत है क्योंकि कई शिक्षा मंत्री आये और चले गये लेकिन किसके बारे में क्या कहा जाय। हमारे यहां एक कहावत है कि कौन-कौन गुण बरनौ तो। यानी ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके बारे में वर्णन किया जाय और क्या-क्या वर्णन किया जाय, इसके स्वरुप को जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आप इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। जब तक आप परीक्षा प्रणाली को तब्दील नहीं करेंगे तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। यह कैसी विडम्बना है कि जो शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझता है, उसको जनता है, उसकी परीक्षा का पर्चा कोई और बनाता है और उसकी परीक्षा कहीं और किसी दूसरे शिक्षा केन्द्र पर ली जाती है और जो परीक्षा उसने दी है उसकी कापी नहीं और जांची जाती है। जो शिक्षक साल भर विद्यार्थी को पढ़ता है वह तो उसकी योग्यता का, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर ही नहीं पाता और जिसने न तो विद्यार्थी को देखा है और न उसके व्यक्तित्व से परिचित है और न उसको जांचा परखा है वह उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। अगर 3 घंटे के अन्दर कुछ निश्चित प्रश्नों को उसने हल कर लिया तब तो उसकी परीक्षा अच्छी तरह होगी लेकिन अगर वह प्रश्न उसकी परीक्षा में ठीक नहीं होते हैं तो उसके परीक्षाफल ठीक नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा ली जाती है वह जो साल भर पढाया जाता है उसमें से लिया जाय। अब यह नहीं रह गया है बल्कि स्मरण शक्ति के आधार पर 3–4, 5–6 साल के कुछ पुराने निश्चति प्रश्न पत्र ले लिये जाते हैं और उनसे 1520 सवाल बना लिये जाते हैं। 15–20 सवालों में देख लिया जायेंगा कि उसमें से 5 सवाल जरूर आ जायेंगे। अगर आप वास्तव में कुछ सुधार अथवा परिवर्तन की गुन्जाइश सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि यह असंभव नहीं है और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसकी कमी नहीं होगी।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में आजादी से लेकर आज तक केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कई शिक्षा आयोग का गठन हुआ जैसे डा0 जाकिर हुसैन आयोग, डा0 राधाकृष्णन, कोठारी आयोग आदि कई ऐसे आयोग हैं जिसमें साफ-साफ परीक्षा प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से विदेशों में भी कुछ ऐसे प्रगतिशील देश हैं जिनका कि उदाहरण दिया जा सकता है। मैं सिर्फ इस सन्दर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि यह बोर्ड का स्वरूप ऐसा हो गया है कि यह नियंत्रण के बाहर हो गया है। अब विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं होगी, वह बढ़ती ही चली जायेगी। यह 4 लाख होगी, 5 लाख होगी फिर 10 लाख होगी, इस प्रकार से बढ़ती ही चली जायेगी। एक तरफ तो यह है कि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल पारहा है। दूसरा यह है कि शिक्षा रोजगार नहीं दे पा रही है इसलिए यह बेरोजगारी इस शिक्षा के कारण सामनेआ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि एक इण्टरमीडिएट बोर्ड इलाहाबाद में है, वहां से पर्चे छपकर चारों तरफ जाते हैं इसलिए उसकी व्यवस्था तो अपने आप विसंगत हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारियों का सिर्फ प्रसार करना ही उचित नहीं है बल्कि शक्ति के बटवारे की आवश्यकता है। इस बड़ी इकाई की कोई जरूरत नहीं है।

चाहे आप कम्प्यूटराइजेशन कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रानिक व्यवस्था का प्रबन्ध कर लें या फिर आटोमेशन का सहारा ले लें लेकिन जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का संचालन मनुष्य ही करेगा। और इस ढांचे में मनुष्य की ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि वह आटोपेशन या कम्प्यूटराइजेशन का सही ढंग से इस्तेमाश कर सके इसलिए जितने भी परीक्षाफल इस समय रुके हुए हैं, उनको युद्धस्तर पर, तत्काल घोषित किया जाए। इसके अलावा आप परीक्षा प्रणाली को बदलिये, किन्तु इसमें हिम्मत से आपको काम लेना पड़ेगा। हिम्मत से और संकल्पशक्ति के साथ काम नहीं लिया गया तो आप कह कर रह जाएंगे काम नहीं हो पाएगा। आपको कितना मौका मिलेगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आनेवाले दो-तीन माह में आपने इसमें यदि कोई कार्य नहीं किया तो तीन-चार साल भी इसमें शिक्षा मंत्री जी रह जायेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगी। इसके साथ जो तथाकथित शिक्षक हैं,

जो शिक्षक का ढांचा ओढ़े हैं, उनकी ही इसमें राय न ली जाय, बल्कि नये-नये नवजवानों, जिन्होंने शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया है, अनुभव प्राप्त किया है, उनकी भी राय ली जाए, तब इसकी सफाई हो सकेगी, वरना इस शिक्षा प्रणाली को आप बदल नहीं पायेंगी।

आपने सदन में खुली किताब शिक्षाप्रणाली की घोषणा की थी। मैं चाहता हूं कि आप हिम्मत करके, एक नया संकल्प लेकर इसको अख्तियार करें। इसका नतीजा, नये प्रयोगों का नतीजा कभी-कभी खराब भी होता है, लेकिन आप एक जोखिम उठाइये, खतरा उठाइये और प्रयोग के तौर पर इन्टरमीडिएट बोर्ड में खुली-किताब-शिक्षा-प्रणाली को लागू कीजिए देखिए उसका अच्छा परिणाम आएगा। अन्त में जो परीक्षाफल रुके हुए हैं, उनके परीक्षाफल को तत्काल घोषित किया जाए।

*श्री नरेन्द्र देव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में जो परीक्षाफल रोके गये हैं, जिनसे प्रदेश के छात्र और अभिभावक प्रभावित हैं, हम इस बात से अवश्य सहमत हैं कि यदि शिक्षा परिषद् में रोके गये परीक्षाफल से प्रदेश का एक भी छात्र या अभिभावक प्रभावित होता है तो यह एक चिन्ताजनक बात है। निश्चित रूप से इस पर प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। और इस परीक्षाफल के रोके जाने के परिणाम स्वरूप यह बात भी सही है कि इलाहाबाद शिक्षा परिषद् के आस-पास दलालों की संख्या बढ़ी है। लोगों का शोषण किया जा रहा है और अभिभावक परेशान हो रहे हैं यह बात अपनी जगह एक सही बात है, लेकिन जब हम इस पर विचार करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हमको यह भी देखना होगा कि हमारी सरकार ने इस बारे में क्या प्रयास किये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं। गत वर्ष करीब 25 प्रतिशत परीक्षाफल रोके गये थे और इस वर्ष केवल 7 प्रतिशत परीक्षाफल रुके हैं। तो इस प्रकार घटाकर हम अपने प्रयासों से 7 प्रतिशत इसे ले आए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री और हमारी सरकार ने इसको 7प्रतिशत तक सीमित किया है। इसके साथ-मात्र सरकारी प्रयास चलें और उन्हीं से सुधार हो जाए, यह मैं समझता हूं संभव नहीं है।

(इस समय 5 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री प्रमोद कुमार पीठासीन हुए)

आज समाज में जिस तरह से चरित्रों में, नैतिक मूल्यों में और शिक्षा संस्थानों में लगे लोगों के नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, वह भी इसके लिए एक बड़ा कारण है। इन कारणों को दूर करने के लिए हमें निश्चितरूप से समाज में एक नये वातावरण का निर्माण करना होगा। हमें छात्रों के बीच में कुछ नये वातावरण का निर्माण करना होगा और छात्रों को संघर्षशील बनाना होगा। उन्हें दूसरे मुद्दों पर न घटाकर उन्हें राजनैतिक उद्देश्यों के लिए न प्रयोग करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा संस्थानों में नैतिक मूल्यों के गिरते मूल्य के खिलाफ हमें खड़ा करना होगा। यह भी हम नौजवान विधायकों की एक जिम्मेदारी होती है, उन सदस्यों की जिम्मेदारी होती है जो विश्वविद्यालयों और विद्यालयों से संबंध रखते है। मान्यवर, मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में रोके गये परीक्षाफल निश्चित रूप से इस सरकार के प्रयासों से जल्दी से जल्दी घोषित किये जायेंगें और प्रदेश में कोई अभिभावक और कोई भी छात्र परीक्षाफल रोके जाने से प्रभावित नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राकेश धर त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी द्वारा दी गयी सूचना पर जो चर्चा हो रही है, चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ बिंदुओं को रखना चाहूंगा। मान्यवर, जो परीक्षक नियुक्त होते हैं तो आप पता कराइये कि अगर वह हिंदी का परीक्षक है या इतिहास का परीक्षक है तो उस विषय के बजाय उसके पास कापियां-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

किसी दूसरे विषय की पहुंच जाती हैं। इसलिए परीक्षाफल अपूर्ण रहता है और आगे भी रहेगा आप यह भी पता लगवाइये कि पिछले दिनों कितने लोगों की वहां पर नियुक्ति की गयी दो तीन महीने के लिये ताकि परीक्षाफल घोषित हो सके और परीक्षा सुचारु रूप से हो सके। इसके लिये लोग नियुक्त किये जाते हैं लेकिन उनकी नियुक्ति कागज पर होती है। पता चलता है कि 700-800 लोग नियुक्त किये गये और हजारों लोगों की नियुक्ति केवल कागज पर कर ली जाती है। तो इसकी वजह आप जान लिजिये। जिस जमाने से वर्तमान शिक्षा परिषद् के सचिव आये हैं, माहेश्वरी जी, उनके समय से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। मैं तो इत्तफाक से इलाहाबाद का रहने वाला हूं। यू0 पी0 बोर्ड के कार्यालय में भ्रष्टाचार है। वहां पर ऐसे लोग इकट्ठे रहते हैं जो यदि कोई बाहर से आता है तो अपने काम के लिये तो उससे सौदेबाजी का काम करते हैं। तो इसको आप देखिए।

अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों तमाम ऐसे लोगों का परीक्षाफल अपूर्ण कर दिया गया और कहा गया कि आपके विद्यालय से रिपोर्ट आयी है कि मास कापीइंग हुई है। तो यह जानबूझकर किया जाता है। आपके विभाग के लोग जिस विद्यालय से व्यक्तिगत वजह से नाराज रहते हैं उनको चेतावनी देने के लिये मास कापीइंग की शिकायत करके परीक्षाफल रोक दिया जाता है तो परीक्षाफल इसलिये भी अपूर्ण रहता है और आगे भी सालों रहेगा। आपने कम्प्यूटर के जरिये इसमें जल्दी करने की बात की है तो जब तक आप विभाग को अच्छे और जिम्मेदार लोगों में से संचालित नहीं करवायेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। पिछले दिनों प्राइवेट फार्मों की दिक्कत पैदा हो गयी थी और अभी भी ब्लैक में फार्म मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में विकेन्द्रित करकें कार्यवाही करायेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं तो सफलता नहीं मिलन वाली है। आप अंतिम समय में व्यवस्थापकों और परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर देते हैं इससे बड़ी असुविधा होती है। मेरा निवेदन है कि केन्द्रों का परिवर्तन एक निश्चित अवधि और निश्चित सीमा के भीतर ही किया जाना चाहिये ताकि परीक्षा देने वालों को दिक्कत न हो। महीनों प्रेक्टिकल्स हुआ करते हैं जिससे दिक्कत होती है। मेरा निवेदन है कि मैंने जो बिंदु उठाये हैं उन पर ध्यान देते हुए अगर आप कार्यवाही करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षाफल अपूर्ण नहीं रहेगा।

(धन्यवाद)

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सम्मानित उपाध्यक्ष के पद के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम समय था 4 बजे तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसकी सदन को सूचना कब मिलेगी कि कितने लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसके लिये रिटर्निंग अफसर नियुक्त हैं, इसकी जानकारी कृपया आप वहां से प्राप्त कर लें।

श्री बसन्त सिंह गहलौत--

माननीय अधिष्ठाता जी, हाई स्कूल इण्टरमीडिएट बोर्ड का काम आज जिस तरीके से चल रहा है, लगता है कि बोर्ड में अधिक जिम्मेदारी महसूस नहीं की जा रही है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह बात जरूर है कि यह संसार का सबसे बड़ा बोर्ड है, 18 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होती है और उसका रेजल्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। यूनिवर्सिटी कुछ हजार लोगों का परिणाम घोषित करने में बहुत समय लगा देती है, जहां बहुत थोड़े छात्र होते ह। लेकिन बोर्ड में 18 लाख छात्रों का परिणाम घोषित किया जाता है, तो थोड़े बहुत अगर उसमें रह भी जाते हैं, तो यह एक स्वाभाविक सी बात है। परन्तु आज की स्थिति में यह जरूरी हो गया है कि हम इसमें सुधार करें और जिस तरीके से आज बोर्ड का काम चल रहा है, उसमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। यह जो अपूर्ण परीक्षाफल रहता है, यह तब से शुरू हुआ है, जब से इसका कम्प्यूटरीकरण हुआ है। मैं 8 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहा हूं। टीचर्स ही सारा रेजल्ट तैयार करते थे, समय पर परीक्षाफल निकलता था, उसमें गड़बड़ भी नहीं

होती थी। अब बहुत सारी नीतियां परिवर्तित कर दी गयी हैं। मुझे मालूम नही है कि इसका कारण क्या है ? इससे असुविधायें बढ़ रही हैं और उससे बोर्ड का स्टैंडर्ड भी गिरा है। बोर्ड का गठन बहुत दिनों से नही हुआ है और वहां कोई चिन्ता करने वाला भी नही है। जिन लोगों को यह काम दिया गया है, जिस तरह से और दफ्तरों का काम होता है, उसी तरह से वहां का काम भी चल रहा है, कोई भी काम ठीक ढंग से नही होता है। इसलिए बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाना बहुत जरूरी है। मेरे जमाने में इस तरह की बात नहीं थी। अगर नीतियों का परिवर्तन कर दिया जाता है, तो रेजल्ट भी अपूर्ण नहीं रहेगा, समय पर निकल जायगा।

जब तक मैं बोर्ड में था कम्प्युटरीकरण नहीं करने दिया। आज कल रेजल्ट बहुत गड़बड़ निकाले जाते हैं, मैनूपुलेशन भी होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। जिन लोगों के हाथ में वह काम होता है, उसमें बहुत कुछ रेजल्ट बदलने के बारे में भी किया जा सकता है। जो मूल्यांकन होता है, वह बहुत जल्दी-जल्दी होता है, जल्दी-जल्दी 50 कापियां रोज 2–3 घंटे में जांचनी होती हैं। अब पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गयी है, इसका परिणाम यह होगा कि यदि कोई लड़का फेल हो जाता है, तो फिर वह पूरे विषयों में परीक्षा देगा। यह बहुत गलत है।

माननीय अधिष्ठाता जी––

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आज कल हाई स्कूल की कोई कीमत नहीं रह गयी है, इसलिये हाई स्कूल परीक्षा स्थानीय बना दी जाय, जैसे जिले में जूनियर हाउ स्कूल परीक्षा होती है। इण्टरीमीडिएट की परीक्षा मंडलीय बोर्डों के माध्यम स संचालित हो। केन्द्रीय बोर्ड केवल नीति बनाये और प्रमाण-पत्र दे। बातें बहुत सी थीं, लेकिन आपने केवल एक मिनट दिया था, तो मैं आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विचार करें और सदन की एक कमटी बनाय जो बोर्ड की नीतियों के बारे में विचार करे। उस कमेटी में बहुत से सुझाव आयेंगें, जो इस समय थोड़े समय में नहीं दिये जा सकते। उस कमेटी में शिक्षा के जानकार लोगों को आमंत्रित किया जाय। इन शब्दों के साथ अधिष्ठाता जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सुखपाल पाण्डेय––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, जो पढ़ाई के मामले पर और परीक्षा के मामले पर मुझ कम पढ़े-लिखे को बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता––

हमने गलती तो नहीं की ?

(हंसी)

श्री सुखपाल पाण्डय––

आपने गलती नहीं की, अच्छा काम किया है।

एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो परीक्षा की व्यवस्था की है, यह शायद उनके लिये कलंक क टीके के सिवा कुछ नहीं हो सकती है। बच्चों के परीक्षाफल घोषित नही हुए हैं। मैं एक उदाहरण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर जिला बस्ती का देना चाहूंगा। 1985 में फीस जमा हुई 75 छात्रों की, 14 छात्रों का रोलनम्बर नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी के विभाग में जो परीक्षा परिषद् है वहां प्रिंसिपल चन्दा वसूल करके गये। एक हजार रुपया खर्चा भी कराया, ज्यादा तो नहीं दिया। लेकिन कई बार दौड़े कोई परिणाम नहीं निकला। मैं आपसे कहना चाहता हूं मैंने अल्पसूचित प्रश्न किया, तो बनारस के कोई बाबूजी हैं वह भगवानपुर आए। उन्होंने कहा हमारे कार्यालय से गल्तियां हुई हैं। मान्यवर, दो साल बच्चों के बेकार हुए हैं। लेकिन मंत्री जी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ? मान्यवर, लालबहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन दुर्घटना की वजह से अपना इस्तीफा देकर आदर्श स्थापित किया था। इन मंत्री जी को भी अपना इस्तीफा देकर आदर्श स्थापित करना चाहिए। आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं परीक्षा केन्द्र बनाये जाते हैं। पहले समय में कम लूट हुई थी कम बेईमानी हुई थी, जब बेईमानी हुई थी तो

बस्ती जिले में भी बेईमानी हुई थी यह मामला इतना फैला था कि वी0बी0सी0 से भी न्यूज आई थी। कमाल साहब ने भी इस मामले को उठाया था। फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास और थर्ड क्लास पास होने के रेट बन गये थे। उसके बाद यह हुआ कि किस ढंग से पैसा कमाया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक और परीक्षा परिषद ने शामिल होकर उसका बंटवारा किया.....

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

एक कृपा दृष्टि इधर भी डाल लीजिए।

श्री सुखपाल पाण्डे--

आंखें कमजोर हैं चश्मा लगा रखा है इसलिए कुछ वहां तक दिखाई नहीं दे रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सब जगह होड़ लगी हुई है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिन कर्मचारियों की प्रधानाचार्य की अनियमितताओं के कारण परीक्षाफल रुक गया, नकल कराई गई, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही आपके विभाग के द्वारा नहीं की गयी। आप क्या कार्यवाही करेंगे, आप तो खुद शामिल हैं। आप प्रोत्साहन दे रहे हैं इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इस्तीफा देकर आदर्श स्थापित करें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री सुखपाल पाण्ड--

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। लड़के के स्थान पर पिता के नाम पर परीक्षाफल घोषित हो गया है। परीक्षा दी लड़के ने और परीक्षाफल पिता के नाम पर निकला। यह कम्प्यूटर हैं हमारे मंत्री जी का। उसका एडमीशन नहीं हुआ। एक साल मंत्री जी खा गये। पिता एडमीशन ले या पुत्री एडमीशन ले। इसलिये चाहता हूं कि मंत्री जी इन त्रुटियों की ओर ध्यान दें। कम्प्यूटर सिस्टम सरकार का ठीक से नहीं काम कर रहा है। मैं एक कम्प्यूटर केन्द्र खोलना चाहता हूं जिसमें मंत्रियों को ट्रेनिंग दंगा। मंत्री जी में जरा भी नैतिकता होगी तो वह जरूर इस्तीफा देंगे।

डा0 दिनेश जौहरी--

जिस विषय पर आज चर्चा करने बैठे हैं यह पिछले 4-5 महीने से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। जिन परिवारों के बच्चों के परीक्षा फल रुके हैं, जिनके परीक्षाफल आज तक नहीं आये हैं वे सब दुःखी है। हम लोगों का समय था जून में रेजेल्ट आ जाता था और 8 जुलाई को स्कूल खुल जाते थे। आज 4 सितम्बर है कितने रेजेल्ट आज तक रुके हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने बरेली जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां पर कुंवर रंजीत सिंह इण्टर कालेज का पूरा रेजेल्ट रुका है। मनोहर भूषण इण्टर कालेज के एक सेक्शन का परीक्षा फल रुका है। जबकि बरेली का यह सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है।

मैं मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बरेली के बच्चे, उनके अभिभावक आपका स्वागत करने के लिये तैयार हैं। आप मेरे साथ बरेली चले आप देखें आपका कितना अभूतपूर्व स्वागत होता है आप उसको जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। जिन बच्चों के परीक्षाफल रुके हैं उनके अभिभावक और बच्चे परेशान हैं। हम लोगों ने तीन दिन पहले कहा था जिन बच्चों के रेजल्ट रुके हैं, उनके एडमीशन की क्या व्यवस्था है। एक तो 8 के बाद नवीं कक्षा में एडमीशन मुश्किल है, हाईस्कूल के बाद इण्टर में एडमीशन मुश्किल है। जिन बच्चों का रिजेल्ट रुका है उनका एक वर्ष खराब हो गया। आपने कोई व्यवस्था की है उनका वर्ष बचाने के लिये। मंत्री जी ने कहा आगे सुधार करेंगे। मंत्री जी यह बतायें इस वर्ष जो परीक्षाफल रुके हैं या पिछले वर्ष रुके थे उनके लिये क्या कर रहे हैं। उनके एडमीशन के लिये कोई योजना है। आपने कहा विकेन्द्रीकरण करते जा रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि एक मा0 बोर्ड का केन्द्र बरेली में भी खोला जा रहा है, उसके लिये जगह नहीं मिल रही है। मैं बताना चाहता हूं कि रामगंगा के पास आपके विभाग ने एक नार्मल स्कूल खोला था, वह बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी है आप उसको ले सकते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मैं इस चर्चा में भाग मात्र भाग लेने के लिये नहीं ले रहा हूं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा

जब से सदन की कार्यवाही शरू हुई है तब से परीक्षाफल अपूर्ण घोषित होने या देर से घोषित होना, प्रत्येक सदस्य का चिन्ता का विषय बना है और चिन्तित होना स्वाभाविक भी है। जैसा मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया हाईस्कूल और इण्टर की कक्षायें ऐसी होती हैं जहां से छात्र या छात्रा का भविष्य बनता या बिगड़ता है। उस स्टेज पर छात्र का एक साल या दो साल परीक्षाफल घोषित न होना अथवा अपूर्ण घोषित होना अथवा गलत घोषित होना, गलत परीक्षाफल घोषित होनेकी भी काफी घटनायें हैं,काफी उदाहरण हैं। इन सबको रोकनेके लिये सोचना पड़ेगा। जो शिक्षा आज प्रदेश की जनता को दी जा रही है, अगर यही व्यवस्था रही तो इस पूरी शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर फिर से सोचना पड़ेगा। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जैसा मंत्री जी ने कहा परीक्षाफल जल्दी घोषित किया जायेगा।

मेरे जनपद पिथौदागढ़ में एक राजकीय इंटर कालेज है, मोआनी, वहां के 25–30 छात्रों का परीक्षाफल 1983 से घोषित नहीं किया गया है। वे संस्थागत परीक्षार्थी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा एक संकल्प की जरूरत एक नीति निर्धारित करनी पड़ेगी और उसके अनुसार शीघ्रता से काम करना पड़ेगा। मान्यवर, आपने परीक्षा केन्द्र परिवर्तित करने संबंधी जो नीति बनाई है उसमें पर्वतीय क्षेत्रके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैदान में लखनऊ में दो विद्यालयों के परीक्षा केन्द्र बदल देते हैं और ज्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कालेज 5किलोमीटर भी दूर है तो 5किलोमीटर जाने आने में बहुत कठिनाई होती है।छात्राएं होती हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतीय विद्यालयों में केन्द्र परिवर्तन की नीति है, वह लागू न करें।

श्री अफसर यू अहमद––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सम्मानित सदन में चल रहे अपूर्ण घोषित परीक्षाफल के विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी चर्चा को मैं सुन रहा था, इस तरफ के सत्तापक्ष के लोग और उधर के विपक्ष के दोनों तरफ के लोगों की। यह बहुत ही तशफीस, चिंता का विषय है कि परीक्षार्थियों के परीक्षाफल समय पर एक साथ घोषित नहीं होते हैं। इससे जो तेज और होनहार प्रतिभावान विद्यार्थी है, उनको सही ढंग से अगली कक्षा में दाखिला लेने में दिक्कत होती है, जिससे उनका साल खराब होता है कैरियर ब्लाक हो जाता है और आइंदा जिन्दगी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जनाबेआला मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम ईमानदारी से हालात का जायजा लें और खुद मुन्सिफ बनकर फैसला करें जो यह परीक्षाफल घोषित करने में देरी होती है उसके लिये पूरी तरह से क्या शिक्षा परिषद् ही जिम्मेदार है। क्या सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या हम लोग यह नहीं देखते कि जिस समय इम्तहान होते हैं, उस समय विद्यार्थी के गार्जियन, अभिभावक और रिश्तेदार और हर तरह के लोग बाहर घंटों घूमते दिखाई देते हैं और यह महसूस होता है कि नकल कराने के लिये आए है। परन्तु जब हमने नीति निर्धारित की है कि देश के अन्दर अच्छे नागरिक बनाने हैं तो उसके लिये शिक्षा के स्तर को ऊंचा मजबूत और मुनासिब बनाना होगा। उसके लिये नकल की प्रथा को पूरी तरी के से रोकना होगा और इस सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वह सराहनीय है। यकीनन इस बात का इंतजाम होगा कि यदि वह पता लगे कि अमुक स्थान पर नकल की गई है या वहां नकल कराई गई है तो उसे रोकने के लिये, इंसाफ दिलाने के लिये रिजल्ट को रोकना होगा और उससे रिजल्ट में देरी होगी। इसलिये देरी को नहीं रोका जा सकता। बहरहाल, जो हमारा शिक्षा बोर्ड है काफी बड़ा है और उसके काम में तेजी लाने के लिये जो वहां पर मुलाजिमों की कमी है, उसे बढ़ाया जाय। अगर इम्तहानात एक सेन्टर से नहीं हो सकते तो उनको विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय। जिस तरह से कि दूसरे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। लेकिन नकल को रोका जाय। अगर नकल की वजह से परीक्षाफल रुकता है तो जल्दी न की जाय और यह देख लिया जाय कि सही ढंग से इम्तहान हुए हैं तो परीक्षाफल घोषित किया जाय, वरना रिजल्ट रोक लिया जाय। नकल

को सख्ती से दबा दिया जाय और परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय, उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं एक गम्भीर विषय पर चिंता व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री उधर मुंह करके बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, बातें सुन नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप कृपया माननीय सुखपाल पाण्डे जी की तरफ़ दृष्टि करके बैठे।

(हंसी)

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, यह विषय सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही उठाया गया था और इस पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपनी चिंता जाहिर की थी। आज उसको लगभग डेढ़ महीना हो गया समय को बीते हुए लेकिन अफ़सोस का विषय है कि माननीय मंत्री जी कि अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। आप सदन के उठने से पूर्व घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा रोके गये रिजल्ट कब तक घोषित होंगे। आप स्पष्ट घोषणा करें कि कल तक या कब तक उन्हें घोषित करेंगे। मान्यवर, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी यह रिजल्ट रोके गये थे, इस वर्ष भी वही चीज दोहरायी गयी है। आप द्वारा या पूर्वमंत्री द्वारा इन रुके रिजल्टों के सम्बन्ध में जिम्मेदारी सौंपी गयी होती, उसको दण्डित किया गया होता, तो शायद इस वर्ष रिजल्ट न रुकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि रिजल्ट किस स्तर पर रुके इसके लिये कौन दोषी है, उसको आप जरूर दण्डित करें। दूसरे, मान्यवर, आप देखें किस तरह से प्रवेश में दिक्कत हो रही है। अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं। तीसरे, बोर्ड इतना बड़ा है, परीक्षाफल समय से घोषित नहीं कर पाता है, इस बोर्ड के 5 सेंटर्स बना दिये जायं जो आटोनामस बाडी के रूप में कार्य करें और परीक्षाओं का संचालन करें और नतीजों को घोषित करें।

मान्यवर, सिर्फ़ रिजल्ट ही नहीं, प्रमाणपत्र भी नहीं जारी हो रहे हैं। हमारे जिले बुलन्दशहर में सन् 1977 से बोर्ड आफ़ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट ने छात्रों के सनद नहीं भिजवाये हैं। मान्यवर, वे लोग आगे की शिक्षा बी0एस0सी0 एम0एस0सी0 कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको हाईस्कूल और इंटर के सनद नहीं मिले। आप जल्द से जल्द रुके रिजल्ट घोषित करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़--

मान्यवर, हमारे जिले के अन्दर स्कूलों के अन्दर सेंटर दिये, उनकी क्या दशा हुई, उसकी बाबत मैं बताना चाहता हूं। बहुत से स्कूल फ़ूंक दिये गये, उनके छप्पर फ़ूंक दिये गये, उनकी डेस्कें फ़ूंक दी गयी क्योंकि भारी रकम लेकर वहां पर नकल करायी जा रही थी। आप यह निर्देश जारी करें कि जिनके लिये कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है, थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट दी है, जहां के लिये भी रिपोर्ट हो, उन सेंटरों को आप दोबारा सेंटर न बनाये और जिन सेंटरों पर कोई बवाल न हो, जिनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट न हो, उनको सेंटर दीजिये। मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उन स्कूलों के प्रधानाचार्य अभी से चक्कर काट रहे हैं, जिनके विरुद्ध रिपोर्ट हुई है, ताकि दोबारा सेंटर मिल जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि जो लड़के रेगुलर नकल में पकड़े गये थे, उन्होंने उसी माल प्राइवेट किसी तरह से फ़ार्म भरकर परीक्षायें पास की हैं। मेरा कहना है कि आप इसको कुछ टुकड़ों में बांट दीजिये, जैसे पूरब का अलग हो, पश्चिम का अलग हो। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड आफ़िस में तमाम लड़के भूखे प्यासे अपनी मार्कशीट के लिये घूमते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फ़िरते हैं और बेचारे वे परेशान लड़के आपके बोर्ड कार्यालयों में सक्रिय दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। मान्यवर, अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड के रुके नतीजों को शीघ्र घोषित करवाइये।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीयकरण और जो कम्प्यूटर की वर्तमान प्रणाली है और केन्द्रीय मूल्यांकन है--इन दोनों व्यवस्थाओं के पुनर्विचार पर लगभग सभी वक्ताओं ने एक मत से समर्थन किया है। जहां तक परीक्षा प्रणाली का संबंध है, परीक्षाफ़ल देर से निकलने में, नकल भी बहुत बड़ा कारण है इस पर पुनर्विचार होना चाहिये। इसके लिये भी सभी वक्ताओं ने सहमति दी। अभी इस आदरणीय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड के लिये विजिलेंस जांच की घोषणा की थी। विजिलेंस जांच के आदेश कागज पर हुये या नहीं लेकिन बोर्ड में इस प्रकार की जानकारी नहीं पहुंची है और, उसके परिणामस्वरूप जो अभिलेख सुरक्षित रखने चाहिये थे, वह अभिलेख नष्ट किये जा रहे हैं। तीसरी बात जो परीक्षाफ़ल रुके हुए वे तीन प्रकार के हैं। पहले तो वे, जो डिटेन किये गये हैं अनफ़ेयर मीन्स का इस्तेमाल करने के कारण। दूसरा, वे हैं, जिनके परीक्षाफ़ल अपूर्ण हैं। तीसरा, वे हैं, जिनके परीक्षाफ़ल त्रुटिपूर्ण हैं। वे इम्तिहान में तो बैठे थे, लेकिन अबसेन्ट दिखा दिया गया या फ़िर किसी अन्य विषय को लिख दिया गया है। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि जो मैंने वर्गीकरण बताया है, इस पर आप एक निश्चित सीमा निर्धारित कर उसे घोषित करने पर विचार करें। और जो नकल में पकड़े जाते हैं, उसके लिए भी बोर्ड को एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। इन सभी बातों पर माननीय मंत्री जी से मैं अलग-अलग जानकारी चाहूंगा।

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं। बोर्ड के यहां एक गोपनीय विभाग होता था। जिसके कर्मचारियों का चयन, उनकी सेवा शर्तें और सुविधायें अन्य कर्मचारियों से अलग प्रकार की होती थी। लेकिन आज वह गोपनीय विभाग बिलकुल बदल गया है। वहां के कर्मचारियों का ट्रान्सफ़र दूसरे विभागों को होता जा रहा है और दूसरे अनुभागों का कर्मचारी उस अनुभाग में आ रहा है जिससे गोपनीय नाम की कोई चीज वहां पर नहीं रह गई है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

मान्यवर, अन्त में मैं पूरक परीक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। कई हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं लेकिन किसी विषय में कम नम्बर आने की वजह से वे फ़ेल हो जाते हैं, उनका एक वर्ष बरबाद न हो वे, पूरक परीक्षा में बैठने थे। लेकिन अब आपने उस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करें।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट घोषणा चाहूंगा कि जिनका मैंने वर्गीकरण किया है, उन पर परीक्षाफ़ल कब तक घोषित कर दिया जायेगा। होता यह है कि प्रतिभावान छात्र जो अगली शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन परीक्षा फ़ल के अभाव में उनका वर्ष बरबाद हो जाता है। प्रमाण-पत्र न होने की वजह से उनके हाथ में आई हुई नौकरी चली जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(6 बजकर 20 मिनट पर)

*शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रज़ी)--

मान्यवर, अधिष्ठाता जी, मैं समस्त सदस्यों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने बड़े विवेकपूर्ण अन्दाज से माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कार्य विधि में और ज्यादा प्रगति लायी जाये, अच्छी तरह से काम कर सके, इस पर अपने विचार रखे। मैं चाहता था कि किसी भी काम के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोध पक्ष की ओर से सराहना न हो तो भी कोई निन्दा भी न की जाय। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने पहले ही कह दिया कि 5 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, तो दो-एक मिनट यदि ज्यादा हो जाये तो उस की अनुमति आप दे दें। वर्ष 1984 की परीक्षाओं का ही अगर हम आधार मान कर अपनी बात रखें तो 7,95,252 पंजीकृत थे और अपूर्ण थे घोषणा की तिथि पर 1,45,510 जिसका प्रतिशत आता है 18.31 यह है हाईस्कूल संस्थागत की बात। इण्टरमीडिएट संस्थागत में 3,52,199 पंजीकृत थे, 97, 929 अपूर्ण थे और इसमें प्रतिशत था 27.81 हाई स्कूल की व्यक्तिगत परीक्षा में 3,32,824 छात्र पंजीकृत थे और 35,584 अपूर्ण थे और 10.7 का प्रतिशत आता है। इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में 1,56, 238 छात्र पंजीकृत थे, 13,891 अपूर्ण थे और इसमें 8.8 का प्रतिशत आता है। इसी प्रकार 85 में जो घोषित हुआ है उसमें 8,56,447 में अपूर्ण थे 63,292 और प्रतिशत इनका आया 18.3 की जगह पर केवल 7.1 यह वर्ष 84, के प्रतिपेक्ष्य में अगर हम देखें तो....

एक सदस्य--

यह किसका बता रहे हैं ?

श्री सिब्ते रज़ी--

हाई स्कूल में। इसी प्रकार इण्टर्मीडिएट में संस्थागत 3,93,468 पंजीकृत म से 29, 262 अपूर्ण घोषित थे जिसका प्रतिशत 7 आता है। हाईस्कूल व्यक्तिगत में घोषणा की तिथि पर 3,43,384 छात्र पंजीकृत थे और 19,246 अपूर्ण थे और 5.6 प्रतिशत आता है। इसी तरह से इण्टरमीडिएट में 1, 74,915 में से 11,610 अपूर्ण थे और 6.6 ,प्रतिशत आता है। कल तक की स्थिति के लिहाज से 4,800 हाईस्कूल के संस्थागत छात्र रह गये हैं और इण्टरमीडिएट के केवल 29.262 अपूर्ण घोषित किये गये थे जिसमें 400 रह गये हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

1985 का भी बता दें।

श्री अधिष्ठाता--

जब मंत्री जी बैठ जायं तो स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा।

श्री सिब्ते रज़ी--

हाईस्कूल व्यक्तिगत के 12,840 घोषित नहीं हुए हैं और इण्टरमीडिएट में इस वर्ष 15 अगस्त, 1985 को जो घोषित किये गये थे, 7,949 रह गये हैं। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि यदि पिछले वर्षों में परीक्षाफ़ल के घोषणा की अन्तिम स्थिति को देखें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार हुआ है। हम प्रयत्नशील हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सुधार को और अधिक आगे बढ़ायें। गुप्ता जी ने चर्चा के दौरान कुछ सुझाव दिये थे कि इसका विकेन्द्री- करण निश्चित ही किया जाना चाहिए,शासन इससे सहमत है और मैं समझता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक टास्क-फोर्स इस संबंध में बनाया गया है, जो परीक्षा प्रणाली के ऊपर, विकेन्द्रीकरण के मामले में, और जल्दी परीक्षाफल की घोषणा करने में स्थिति को और अच्छा बना सकती है। इस संबंध में अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है।

उस पर हमने यह फ़ैसला कर लिया है कि जो 3 सुरक्षा केन्द्र के दफ्तर बनेंगे उसमें दोनों काम हाईस्कूल परीक्षा के पहले के कार्य और परीक्षा के बाद के समस्त कार्य होंगे। माननीय सदस्यों ने इम्तिहान में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उसी हिसाब से बढ़े हुए कार्य को स्वयं माना है। मैं किसी भी रूप में परिषद् को संरक्षण नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर है, इस सिलसिले में जितनी भी गलतियां हुई हैं, उन सब का जिम्मेदार केवल परिषद् ही नहीं है, इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग अपेक्षित है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग कृपया शांत रहें,जब मा0 मंत्री जी अपनी बात को समाप्त करें तब आप स्पष्टीकरण के रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं, परन्तु इस समय जबकि मा0 मंत्री जी बोल रहे हैं, तो विघ्न न डालें, कृपया शांत रहें।

श्री सिब्ते रज़ी--

मान्यवर, बोर्ड के भ्रष्टाचार की बातें काफ़ी आयीं, जहां तक इस संबंध में मेरी जानकारी है, ऐसी स्थिति वहांपर नहीं है और लोग कहते हैं कि इस संबंध में बहुत से घिराव हो रहे हैं, और ट्राऊट्स लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, यह तो शासन है, यहां पर बहुत से लोग आते हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत से लोग आते हैं अपने-अपने कामों के सिलसिले में, तो यह कोई ट्राउट्स की बात नहीं है। दूसरे जो मा0 गुप्ता जी ने कम्प्यूटर की बात कही इस सिलसिले में हम प्रयास कर रहे हैं।

(श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा सदन में इधर-उधर जाने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी थोड़ी देर के लिए कृपया अपनी बात रोक दें। माननीय सुखपाल पाण्डेय जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सिब्ते रज़ी--

मान्यवर, श्री सुखपाल पाण्डेय जी इस ओर आने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, परन्तु जो सरकार ने दल-बदल पर रोक लगा रखी है, उस की वजह से बेचारे नहीं आ पा रहे हैं।

(हंसी)

मान्यवर, कोई भी प्रथा या काम चालू किया जाता है तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बुरी भी। लेकिन जहां तक परीक्षाफ़ल की गोपनीयता के बारे में जो बात कही गयी, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रक्खा जाता है। दूसरे जो केन्द्र परिवर्तन के बारे में बातें कहीं गयीं, इस ओर भी जिला विद्यालय निरीक्षक व उप शिक्षा निदेशक बहुत प्रयत्नशील हैं, वैसे इस वर्ष बालिकाओं के ज्यादा केन्द्र परिवर्तन हुए हैं। भविष्य में इस ओर और कड़ाई कर दी जायेगी। पिछली बार पूर्व घोषित परीक्षाफलों की घोषणा अक्तूबर तक हो गयी थी और लगभग संस्थागत के 400 परीक्षाफ़ल रह गये हैं तथा व्यक्तिगत परीक्षाफ़लों की घोषणा भी जल्द से जल्द ही कर दी जायेगी। मान्यवर, यह इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, इस संबंध में माननीय सदस्यों की ओर से कई सवाल आए हैं तथा बोर्ड के गठन और उसमें अधिक सुधार लाने के लिए भी बहुत से सवाल आये हैं, और एक माननीय सदस्य जो लगता है कि शायद वह बोर्ड से बहुत नाराज हैं क्योंकि बोर्ड के संबंध में ही उनके 9-10 सवाल थे, मैं उनका इस संबंध में पूरा स्वागत करता हूं। निश्चय ही हम प्रयास करेंगे कि इस संबंध में और ज्यादा जल्दी से प्रगति हो।

अभी राजेन्द्र गुप्त जी ने जो चर्चा के समापन के समय अपनी बात रखी। जो परीक्षाफ़ल अन्य कारणों से रोके गये हैं जैसे नकल है या किसी और वजह से अनफ़ेयर मीन्स की बजह से 85 में 31,636 हाईस्कूल के और 18,053 इण्टरमीडिएट के संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफ़ल कुल 49,729 होता है, रोके गये। परीक्षाफ़ल रोकने का कारण परीक्षार्थियों का केन्द्र पर रंगे हाथों पकड़ा जाना इत्यादि।

33,730 प्रकरणों पर जांच का कार्य समाप्त हो गया है। अवशेष 15 सितम्बर, 85 तक पूर्ण करने की व्यवस्था कर दी गयी है। इसके साथ ही मैं समस्त मा0 सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, चूंकि समय कम है इसलिये एक-एक विचार पर विवेचना नहीं कर पाऊंगा। निश्चय ही बोर्ड के सुधार के प्रकरण में समस्त सुधार के कामों पर विचार किया जायगा। टास्क फ़ोर्स के सामने भी ये सब समस्यायें रखी जायेंगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने कहा था कि जिस प्रकार के वर्गीकरण से परीक्षाफलों का रुका होना बताया गया है, उसके अतिरिक्त एक अन्य भी वर्गीकरण है, वह यह है कि बोर्ड की गलती से जैसे कि "प्रेज़ेन्ट" को "एबसेन्ट" दिखा दिया, प्रैक्टीकल और थियोरी के पर्चे इधर-उधर हो गये। इसके बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री सिब्ते रज़ी--

मैंने पूरे प्रकरण के संबंध में अपनी बात

स्पष्ट कर दी, यदि कोई बात रह जाती है तो उसकी सूचना ग्रहण करके अलग से दे दूंगा ।

*श्री विजय सिंह राणा--

मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मन्त्री जी का पूरा वक्तव्य सुनने के बाद, वे कहते हैं कि बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है । मैं स्वयं शिक्षा जगत में हूं और मुझे मालूम है । मैं यह कहना चाहता हूं । कि माननीय मन्त्री जी भ्रष्टाचार का मापदण्ड क्या समझते हैं ? अगर आपके अन्दर हिम्मत है तो आप वादा करिये कि अगर भ्रष्टाचार है तो आप राजनीति से सन्यास लें लेंगे । आप कोई एक रोल नम्बर दे दीजिये, जिस डिवीजन का कहें उस डिवीजन का सर्टीफिकेट लाकर दे दूंगा । अगर दे दूं तो आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा ।

(व्यवधान)

मैं घोषणा करता हूं कि मैं सन्यास ले लूंगा । मैं फिर कहता हूं कि ये एक रोल नम्बर मुझे दे दें और कह दें कि इसको फर्स्ट सेकण्ड या थर्ड का रिजल्ट चाहिये, उसी का लाकर दे दूंगा । इस बोर्ड में, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नही है । इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह चर्चा एक घण्टे की थी और अब एक घण्टा पन्द्रह मिनट हो रहा है, स्पष्टीकरण के रूप में कोई बात हो तो पूछें, आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह जो बोर्ड है, उसकी अपनी रिपोर्ट रख दी कि इतने इण्टर में रोके गये हैं और इतने हाईस्कूल में रोके गये हैं । मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो परीक्षार्थी रोके गये हैं, वह क्यों रोके गये हैं, यह बात कहां सुनिश्चित की गयी है ? इसके लिये आपने किसी पर जिम्मेदारी डेप्यूट की है? आपने कहीं इसकी कोई जांच की है, कहीं किसी का कोई उत्तर-दायित्व निर्धारित किया है ? यदि किया है तो उसे सदन के सामने रखिये ?

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमारा मामला जो कि हमने बताया है, वह इससे हट कर है कि शोहरतगढ़ में शिवपति इन्टर कालेज के 62 विद्यार्थियों का रिजल्ट प्रिंसिपल के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न होने के कारण रुकवाया गया है । मैंने इस सम्बन्ध में कल मंत्री जी को दरख्वास्त भी दिया है तो उसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, यह बतला दें ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, इस सदन में 6 अगस्त को नियम 56 के अन्तर्गत हमने सूचना दी थी तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सुनिश्चित घोषणा की थी कि हमारा प्रयास होगा कि सदन के उठने के समय तक सारे परीक्षाफल घोषित हो जायं । तो माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट पढ़ी है उसमें बहुत से छात्रों के परीक्षाफल अभी भी रुके हुए हैं । दो-चार दिनों में जो परीक्षाफल घोषित किया गया है उन छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाने हेतु क्या आपने कोई नीति निर्धारित की है ?

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

उत्तर प्रदेश में शिक्षा परिषद् का कई सालों से गठन नहीं हुआ है । क्या उसके गठन कराने में आप शीघ्रता करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य राणा जी का बड़ा आदर करता हूं । लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ पैसे खर्चा करके फर्स्ट क्लास,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सेकेन्ड क्लास जिस तरह का प्रमाण-पत्र चाहिये, वह मिल सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि बोर्ड की कार्य-विधि में कोई भ्रष्टाचार है। इसका मतलब यह है कि हमारे आचरण में, हमारे किरदार में कहीं न कहीं गलती अवश्य है। जैसे कि आज देश में सौ-सौ रुपये के जाली नोट पकड़े गये हैं और पकड़े जा रहे हैं। तो क्या इसमें रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी हो सकती है? नहीं, इसमें रिजर्व बैंक की नहीं बल्कि हमारे देश में कुछ विदेशी ताकतें, कुछ विदेशी एजेंसियां सक्रिय हैं जो कि हमारे यहां मुद्रा-स्फीति पैदा करने के लिये जाली नोट फैला रही हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि जिस रोल नम्बर को मंत्री जी दें, उसके प्रमाण-पत्र निकलवाने की मैंने बात कही थी।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें, अभी मंत्री जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, पहले उन्हें अपनी बात को पूरा कर लेने दें, अभी आप बैठें।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, मैंने बड़े अदब के साथ प्रारम्भ में ही बड़ी विनम्रतापूर्वक अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी .....

(व्यवधान)

परीक्षाफल में दो प्रकार के वजूहात होते हैं। एक तो मानव जनित और दूसरा यन्त्र जनित। परीक्षाफल बनाने में तमाम लोगों से कार्य कराना पड़ता है। तमाम केन्द्र और उप-केन्द्र होते हैं, एक्जामिनर, उप एक्जामिनर आदि अनेक व्यक्ति होते हैं, जिन पर निर्भर रहना पड़ता है और उन लोगों की जरा सी शिथिलता विलम्ब का कारण बन जाती है। 7 हजार, लोग प्रतिवर्ष जुटाये जाते हैं, तो मानव जनित गलतियां हो सकती हैं, 'टु एर इज ह्यूमन'। उनकी गलती से परीक्षाफल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 17-18 लाख बच्चों के इम्तिहान एक ही जगह से होते हैं। एक ही जगह से उनका संचालन किया जाता है। जब इसका विकेन्द्रीकरण हो जायगा तो 3-3 और 4-4 लाख में यह बंट जायगा, तो हर प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है। अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि हिम्मत कीजिये, संकल्प लीजिये, तो मान्यवर, शासन का यह संकल्प है कि जहां-जहां पर कोई गलती है, उसको हटायें।

शिक्षा मंत्री द्वारा प्रदेश में विदेशी एजेंसियों द्वारा जाली नोटों को छापे जाने की बात अपने भाषण में रटे जाने पर आपत्ति।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में तमाम विदेशी एजेंसियां सक्रिय है और जाली नोट छाप रही हैं तो जब यह बात शासन के संज्ञान में आ गयी, यह बहुत ही गम्भीर बात है, तो माननीय मंत्री जी सदन को अवगत करा दें कि वह कौन-कौन सी विदेशी एजेंसियां हैं? क्या इसमें शासन की साजिश है? कौनसी वजह है कि यह चीज शासन के संज्ञान में होने के कारण भी वह विदेशी एजेंसियां पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पा रही है?

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

इन्होंने जानबूझकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये किया है, इनको पूरी जानकारी है, उसको यह बतायें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, जो मंत्री जी ने कहा है, वह कार्यवाही का अंग बन गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक व्यवस्था उठ गयी है, तो उस पर व्यवस्था दे देने दीजिये। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर निर्णय हो जाने दीजिये।

संसदीय कार्य राज्यमंत्री (श्री हुकुमसिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने विदेशी शक्तियों की ओर जो इशारा किया है, वह उन्होंने अपने उत्तर के तर्क के रूप में दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, उन्होंने उत्तर के तर्क के रूप में नहीं दिया है। आप व्यवस्था देने के पहले सुन लें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

अगर आप अपनी व्यवस्था दे देंगे, तो फिर क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय मंत्रीजी ने इसको गम्भीर बना दिया है, यह बात उनके संज्ञान में है तो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस एजेन्सी से और कैसे उनको मालूम हो गया कि विदेशी एजेन्सी फर्जी नोट छाप रही हैं यह तो गम्भीर मामला है, इसको मंत्री जी को बताना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मुझे पूरी बात कह लेने दीजिये।

श्री विजय सिंह राणा--

जब आप व्यवस्था दे देंगे, तो उसके बाद कोई अपनी बात कैसे कह सकेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र तिवारी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया उसके ऊपर संसदीय कार्यमंत्री हमेशा की तरह जवाब देने लगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक जानकारी दी उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने व्यवस्था उठा दिया। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद अपने मन की बात कहें।

श्री अधिष्ठाता--

इसके पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछने जा रहा था कि उनका इशारा किस ओर है लेकिन आप लोग बीच में इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि पूरी बात नहीं हो पाती है माननीय शिक्षा मंत्री आप स्पष्ट कर दें।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, केवल तर्क के लिये मैंने यह बात कही थी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह सदन है यह अपने घर की चौपाल नहीं है, यह पान की दुकान नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट आप मुझको भी सुन लें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

मेरा अनुरोध है श्री शतरुद्र प्रकाश जी आप सुने। आप बैठ जायं। मैं खड़ा हो गया हूं, आप लोग बैठ जायं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मेरा एक निवेदन सुन लें, व्यवस्था देने के पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों ने कुछ भावनायें अपनी रखी है माननीय संसदीय कार्यमंत्री को भी मैंने सुना। विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं अपनी व्यवस्था रिजर्व करता हूं, कार्यवाही को देखकर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

(मद संख्या 22 पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन--

यह मान्यवर, इस तरह से बोल सकते हैं, आप हमें गम्भीर होने के लिये कहते हैं और ये मंत्री लोग गम्भीर नहीं हैं। हर बात को हल्के फुल्के तरह से बोल देते हैं। इनको गम्भीर नहीं होना चाहिये। यह गंभीर बात है। यह इस तरह से बोलेंगे। यह सदन में ऐसे बोलेंगे।

(व्यवधान)

किसी भी स्तर से उनको यह जानकारी है। उन्हें इस्तीफा आज देना चाहिये यह तो सारी सरकार की डूब मरने की बात है।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो तर्क दिया है उस तर्क से इस प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि भारत सरकार का चरित्र कलंकित किया है। इन्होंने भारत सरकार के ऊपर दाग लगाया है। सरकार के रहते हुए फर्जी करेंसी यहां चल रही है। इससे बड़ी और कलंक की कोई बात नहीं हो सकती है। एक मंत्री के अन्तर्गत एक सरकार के अन्तर्गत जो फर्जी करेन्सी चल रही है, इतना बड़ा अपराध जहां चल रहा है, उस देश की सरकार को, उस प्रदेश की सरकार को एक मिनट के अन्दर इस्तीफा दे देना चाहिये।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि...

(श्री खान गुफरान जाहिदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जांय, श्री शतरुद्र प्रकाश ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने इसको सुरक्षित रखा है, यह आपका विवेक है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहां पर एक ऐसे तथ्य के बारे में अपनी बात रखी जो कि सदन के संज्ञान में आ चुकी है और उसके बाद माननीय रवीन्द्र नाथ जी ने एक जानकारी चाही। उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने तर्क के रूप में अपनी बात रखी थी। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को यहां पर जो भी तर्क देना चाहिये, वह सत्य पर आधारित होना चाहिये। सत्य के आधार पर ही सदन में कोई तर्क प्रस्तुत करना चाहिये। आज तक की ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है और न रहनी चाहिए। फिर भी मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्होंने तर्क के रूप में यह बात कही कि उत्तर प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर जाली नोट छापे जा रहे हैं और ऐसी कुछ विदेशी एजेंसियां यहां पर हैं। तो यह तो किसी भी देशभक्त का फर्ज है कि उसको यह जानकारी हो कि कौन-कौन सी ऐसी विदेशी एजेंसियां यहां पर सक्रिय हैं। अगर इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी न हो तो यह कोई तर्क नहीं हुआ। वे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और कई लाख विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सत्य पर आधारित तर्क दिया है तो निश्चित रूप से वे बतायें कि वे कौन-कौन सी विदेशी एजेंसियां हैं, चाहे वह अमेरिका की हों या रूस की हों या किसी और देश की हों, यह काम कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि यह देश हित में है, जनहित में है और तभी कार्यवाही आगे चलेगी।

श्री अधिष्ठाता--

जब मैंने व्यवस्था रिजर्व कर ली है और आपने जितनी भी बातें कही हैं, उन सब का ध्यान में रखूंगा। मैं कार्यवाही भी निकलवा कर देख लूंगा और उन्होंने जो कहा है उस पर भी गौर से विचार कर लूंगा। व्यवस्था देने से पहले माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए विचारोपरान्त रूलिंग दी जायेगी।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

कृपया बैठ जायें। रूलिंग रिजर्व हो गई है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के पदों पर चयन में धांधली के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हाल ही में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में अवर अभियन्ताओं की भरती सैकड़ों की तादाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में की गई है। इस संबंध में चर्चा हो चुकी है और उस पर चर्चा से यह निष्कर्ष निकला था और पूरा सदन इस बात से सहमत था कि इसमें धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिये इसमें 1 घंटे की चर्चा लगाई गई है।...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य पूरे सदन को संबोधित करें।

श्री राम सजीवन--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो भर्ती की गई उसमें भयंकर भ्रष्टाचार का नमूना इस तरह से प्रस्तुत करता हूं कि जो उसके लिये चयन बोर्ड बनाया गया है उसके पास लिखित परीक्षा में 50प्रतिशत और इंटरव्यू में 50 प्रतिशत यानी कुल 100 मार्क्स रखे गये। जो 50 प्रतिशत मार्क्स इन्टरव्यू में रखे गये उससे निश्चित रूप से बोर्ड को सारा अधिकार हो गया कि वह जिसका चाहे चयन करे चाहे चयन न करे। इसलिये इसमें गड़बड़ी हुई। शासन की नीति के तहत ऐसा हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अन्य विभागों में भी 50 प्रतिशत साक्षात्कार और 50 प्रतिशत लिखित परीक्षा के लिये दिये जाते हैं। मेरी मान्यता है कि शासन की जो गाइड लाइन्स हैं, जो मार्गदर्शक नीतियां हैं उसके तहत यह भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हुई है और सभी विभागों में यह प्रक्रिया चल रही है। इसीलिये आज लोगों में यह भावना पैदा हो गई है कि शासन के जरिये ही यह भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में जब 50 प्रतिशत इंटरव्यू के लिये रखे जायेंगे निश्चित ही सारा फैसला बोर्ड के हाथ में ही रहेगा और योग्यता का कोई प्रश्न नहीं रह जायेगा।

अब मान्यवर, आप देखिए कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा के लिए 800 प्राप्तांक निर्धारित हैं और 200 अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में 1800 अंक लिखित परीक्षा के लिये निर्धारित हैं और 200 अंक साक्षात्कार के लिये निर्धारित हैं, तो ज्यों-ज्यों साक्षात्कार के लिये अंक घटते जायेंगे तो योग्यता और क्षमता का निर्धारण निश्चित रूप से ज्यादा न्यायपूर्ण ढंग से हो सकेगा। इसीलिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने 1800 सौ अंक लिखित और दो सौ अंक साक्षात्कार के लिये रखे ह जिसका एवरेज मुश्किल से 10 या 12 परसेंट निकलेगा और यू0 पी0 लोकसेवा आयोग का 20 प्रतिशत निकलेगा लेकिन यहां तो 50 प्रतिशत लिखित और 50 प्रतिशत साक्षात्कार के लिये कर दिया गया जिसके कारण भ्रष्टाचार और धांधलियां हुई हैं इसके लिए शासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्योंकि यही प्रणाली सारे विभाग में लागू है। इसको खतम करना चाहिये और इस विभाग में चयन हुआ है, उसको भी खतम करना चाहिये और भविष्य के लिये नयी चयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। इस विभाग में सैकड़ों की संख्या में लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हुई है और हजारों की संख्या में अवर अभियन्ताओं की भर्ती हुई है तो लगातार धांधली यहां पर चल रही है। यह बात सही कि अभी श्याम सूरत उपाध्याय जी जवाब देंगे जो इस दौरान में मंत्री भी नहीं थे उस समय यह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास था।

श्री अफसर यू अहमद--

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में धांधली के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस विषय पर इस सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है उस विषय पर पहले ही हमारे सम्मानित ग्राम्य विकास मंत्री जी ने उच्च स्तरीय समिति जांच करने के लिये गठित कर दी है।

श्री विजय सिंह राणा --

यह क्या हो रहा है। मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर।

श्री गौरी शंकर भइया-

जरा एजेंडा देखें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है सुनने दें।

श्री अफसर यू अहमद--

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही उसमें अधिक से अधिक यह अंत में होगा कि इसकी इन्क्वायरी के लिये समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया है।

(व्यवधान)

राणा साहब आप तो सीनियर मेम्बर हैं मुझे बोलने दीजिये कृपया व्यवधान न डालें (व्यवधान) वर्ना कोई बोल नहीं पायेगा अगर मुझे नहीं बोलने देंगे, मुझे भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस चर्चा के बाद माननीय अधिष्ठाता जी या माननीय अध्यक्ष जी सरकार को निर्देश देंगे कि इस मामले की जांच कराई जाय। आर्डिनरी तरीके से या उच्च स्तरीय तरीके से तो इस पर पहले से ही जांच के लिये स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है पूरी जांच करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियंत्रण सेवा का एक टैकनिकल जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी है जो जांच कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन का अमूल्य समय खर्च करने की क्या आवश्यकता है जोकि पुनः चर्चा इस पर की जाय। इसमें अधिक से अधिक यही होगा कि जांच करवायी जाय। इसलिए मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि चर्चा न कराई जाय क्योंकि इसमें आलरेडी जांच चल रही है।

मान्यवर, मेरी अंतिम बात यह है कि या तो आप सरकार को निर्देश दें कि जो जांच चल रही है, उसको वापस लिया जाये तभी यहां चर्चा हो सकती है। दोनों बातें एक साथ हों यह न्याय संगत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि यह सदन सरकार के ऊपर है, तो जब कार्य मंत्रणा समिति में इसको स्वीकार कर लिया गया है, एजेन्डे में आ गया है तो सदन उसके प्रतिकूल निर्णय जब तक नहीं लेता है तब तक चर्चा होगा, माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है। हो सकता है कि चर्चा से नई बातें जानकारी में आयें।

श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न पर जब पहले चर्चा हुई थी तब सत्ता पक्ष के सदस्य इस बात का समर्थन कर रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार और धांधली हुई है, तभी अध्यक्ष महोदय ने इसको चर्चा के लिये स्वीकार किया था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 60 और 62 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया और भर्ती कर ली गई किन्त 80 प्रतिशत अंक से ज्यादा लिखित में पाने वालों को भर्ती नहीं किया गया है मान्यवर, उस समय यह विभाग श्री श्याम सूरत उपाध्याय, जो वतमान मंत्री हैं, उनके पास नहीं था, उस समय मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग था। उनके पास 14 विभाग हैं उनको विधायकों से मिलने की फुरसत नहीं तो अधिकारियों को कहां से गाइड करेंगे। फिलहाल शासन की ढिलाई और गलत नीति में यह भ्रष्टाचार संभव हो सका है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि 50 प्रतिशत साक्षात्कार में मार्क्स न दिये जायें और जिस तरह लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में और संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में साक्षात्कार के अंक जो तय होते हैं वह 10 प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा 20 प्रतिशत तय होते हैं तो उसी तरह यहां भी किया जाये, तो भ्रष्टाचार कम हो इसके साथ ही साथ इसका कारण यह है कि सरकार सिफारिशवाद के आधार पर अपने अपने उम्मीदवारों को रखना चाहती है, इसलिये इस तरह का, 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के, नियम सभी विभागों में सरकार ने बना दिया है। इसलिये प्रदेश की जनता को न्याय देनेके लिए जरूरी है कि जिस तरह दूसरे चयन बोर्डों में 10 से 20 प्रतिशत तक साक्षात्कार के लिये अंक रखे हैं उसी तरह साक्षात्कार के अंक यहां भी निश्चित किये जायं, जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

मान्यवर, अवर अभियन्ता एक-एक, दो-दो सालों तक वर्कचार्ज पर काम कर रहे हैं, डेली वेजेज काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, जो ज्यादा गरीब है वह डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं। उनकी

नियमित भर्ती पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये उनके अनुभव के आधारपर उनको महत्व दिया जाना चाहिये था,अलग अंक दिये जाने चाहिये थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। मान्यवर, आप जानते हैं कि अवर अभियन्ताओं की ट्रेनिंग में सरकार लाखों रुपये खर्च करती है। यह सरकार लाखों रुपया खर्च करतीहै और तमाम अभियन्ता ऐसे हैं जिनकी अधिकतम आयु सीमा समाप्त होने वाली है और एक साल उनका बाकी रह गया है और अगर एक साल में वह सर्विस नहीं पाते हैं तो वह सर्विस नहीं पायेंगे और अयोग्य हो जायगे। शासन को नियम बनाना चाहिये कि किसी अभ्यर्थी की, डिप्लोमा होल्डर की आयु सीमा अगर केवल वर्ष बाकी है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिये और साथ ही साथ वर्कचार्ज के अनुभवी अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिये। आपने जो 50 प्रतिशत साक्षात्कार के लिये दे दिया उस आधार पर सरकार के आदमी और सत्तापक्ष के लोग दबाव डाल कर अपने-अपने प्रिय जनों का चयन करवा लेते हैं और इसभ्रष्टाचार और धांधली के साथ ही साथ जब उनको अधिकार मिल गया शासन की ओर से तो वह खूब रुपया भी कमाते हैं। यह केवल इसी विभाग की बात नहीं है। यह नीति संबंधी मामला भी है इसलिये शासन को पूरी नीति बदलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप लगभग 20 मिनट बोल चुके हैं। इस पर और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिये आप संक्षेप अपनी बात कह लें।

श्री राम सजीवन--

मै कुछ बातें बाद में कहूंगा।

*श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आज का विषय, पर यह चर्चा हो रही है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं की जो नियुक्ति हुई,उसमें धांधली हुई और अनियमित नियुक्ति हुई,उस चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। साथ ही साथ जैसा कि हमारे एक मित्र ने यह बताया कि इसकी इन्क्वायरी सेट अप हो गई है तो वह इन्क्वायरी सेट अप हो हुईहै या नहीं, यहतो मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन्क्वायरी हो तो उसम सिर्फ अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति तक ही सीमित न रहें बल्कि उसमें यह भी चाहते हैं कि जिन टर्म्स आफ रिफरेन्स पर यह इन्क्वायरी सेंट अप हुई है उसके अतिरिक्त मैं जो सुझाव देना चाहता हूं, उनको भी उसमें जोड़ दिया जाय।

सबसे पहली बात है कि इनकी नियुक्ति ही अनियमित है। यह 1972 में सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर आये थे। सन 80 में अधीक्षण अभियन्ता बन गये और 11महीने के बाद मुख्य अभियन्ता बन गये। 8 जून, 1984 को इनको मुख्य अभियन्ता पर नियमित कर दिया गया। आप स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के अन्दर इतनी जल्दी तरक्की किसी अभियन्ता की नहीं हुई। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में जो शासन की खरीदारी हुई है, मैं कुछ उदाहरण आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं जैसे--पावर लिफ्टर, ग्राइडेस्ट, निशान तथा अमोनिया मशीन आदि जो खरीदी गई, आज भी स्टोर में सड़ रही हैं। पिछले सत्र इनके खिलाफ सदन में ढाई करोड़ रुपये की अनियमितता का प्रश्न आया था और उस बारे में सदन में मामला आने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है.....

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा सदन में अवर अभियन्ता की नियुक्ति के बारे है, तो आप लोग केवल अनियमित नियुक्ति के सन्दर्भ में ही प्रकाश डालें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार दीक्षित---

मैंने आपसे इस बारेमें पहले ही अनुमति मांग ली है कि मैं टर्म्स एण्ड कंडीशन में कुछ बातें और जोड़ने के बारे में अपनी बातें कहना चाहता हूं । सदन को विधिवत जानकारी हो चुकी है। उनके बारे में इन्क्वायरी सेट अप हो चुकी है तो मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि टर्म्स आफ रेफरेंस में यह और जोड़ दिया, जाये उन्हीं तथ्यों के बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं । इनके सामनेमें न जाने कितने फोर्थ क्लास कर्मचारी और क्लर्क एप्वाइन्ट हुए, जो सेवायोजन कार्यालय से नहीं आये और इन एप्वाइन्टस में, मेरी निश्चित जानकारी है कि लाखों रुपयों घपला किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब यह सेवायोजन कार्यालय बने हुये हैं और आज हर विभाग में बात की कोशिश की जाती है जिनकी भी नियुक्तियां की जायं वह सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की जायं, तो फिर वे औपचारिताएं इस विभाग में न बरतने का क्या कारण है ?

तीसरी बात यह है कि इनके यहां एक और अभियन्ता है, जो कि बहराइच में अपने अनैतिक कार्य से नैपाल से तस्करी के दोष में पकड़े गये थे और आज उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का कारण यही मुख्य अभियन्ता रहे ।उन्होंने इसको परस्यू करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने दी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ऐसेभ्रष्ट अधिकारीके खिलाफ जो शासनकी छवि को धूमिल करता है, अधिक सेअधिक कठोर कार्यवाही की जाए। उससेमैं ज्यादा सहमत हूंगा।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके जमाने में देहरादून से लाईम-स्टोन खरीदा गया और वह सीमेन्ट की जगह पर खरीदा गया, वह ठेकेदारों से खरीदा गया, किन्तु वह हमारी सीमेन्ट से ज्यादा मंहगा पड़ा। लेकिन चूंकि उसमें पैसे की गड़बड़ी थी, उसका प्रयोग किया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही जांच करने के बाद करें। आज मैं स्पष्ट शब्दों में यहां पर कह सकता हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके सचिव पर पूरी आस्था है, वह इस इन्क्वारी को अपने सचिव के माध्यम से ही कराये, तो इसमें सत्यता सदन में और पूरे समाज के सामने आ सकती है। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसेभ्रष्ट अधिकारी के प्रति कहीं-किंचित मात्र भी नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि चर्चा केवल अभियन्ताओं के बारे में है, जिनकी नियुक्ति अनियमित रूप से हुई है, आप अपने आप को उस तक सीमित रखें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चर्चा का आधा समय निकल चुका है, इसलिये अब आप लोग अपनी अपनी बात तीन तीन मिनट में समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा।

*श्री गौरी शंकर भइया--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस में चर्चा में भाग लेने का मुझे आपने मौका दिया। अभी रामसजीवन जी के प्रस्ताव पर जो बात आई, उसी सन्दर्भ में एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 75प्रतिशत अंक सामान्य के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित थे और जो निर्बल वर्ग केथे उनके लिये 73 प्रतिशत नम्बर निर्धारित किये गये थे। लेकिन जो नियुक्तियां की गयी है उनको आप देखे तो 60 प्रतिशत नम्बर वालों को नियुक्त किया गया है। मैं आपके सामने कुछ क्रमांक रखना चाहता हूं। क्रमांक 23, 40, 72, 74, 48, 87, 94, 101, 115, 131, 134, 135, 136, 178, 190, 212, 519, 520, 226, 231, 233, 241, 273, 278, 282, 287, 290, 307 इन लोगों के नवम्बर 60 प्रतिशत *60 प्रतिशत से नीचे थे लेकिन इनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियुक्ति दे दी गयी । मेरी पक्की जानकारी है कि 88 प्रतिशत जिसके नम्बर थे उनको इन्टरव्यू में नही बुलाया गया और यदि बुलाया गया तो उनको नियुक्ति नहीं दी गयी । यह उनका पहला अपराध होता तो ऐसी बात नहीं थी इसके पहले उनके संबंध मेंमामी ले ऐसी बात उठे है ।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि शासन ने इन्क्वायरी बिठा दी है । हम इन्क्वायरी का स्वागत करते हैं । लेकिन इस विभाग के अन्दर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की एक और इन्क्वायरी हो चुकी है और उसका हश्र जो हुआ था, जो रेजल्ट उसको जानकर आप ताज्जुब करेंगे । जनवरी और मार्च, 84 में अवर अभियन्ताओं के 200 पदों पर बिना विज्ञापन दिये नियुक्ति कर ली गयी और लोगों से 10 हजार से लेकर20 हजार रुपया नियुक्ति करने के लिये घूस ली गयी । यह शासन के संज्ञान में आया था । इसकी जांच कराने के लिये आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का नियुक्ति किया गया था । उन्होंने इसकी जांच की और सिद्दीकी और उनके पी0 ए0 विनोद कुमार जैन को दोषी पाया गया और 11 पृष्ठों की रिपोर्ट ए0 पी0 सी0 को भेजी गयी । सिद्दीकी के भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं । श्रीमन्, सिद्दीकी 1980 से मार्च 83 तक अधीक्षण अभियन्ता के पद पर थे । उस समय जो कार्य उन्होंने कराये उसकी जांच करायें तो पता लगेगा कि करोड़ों रुपयों का उन्होंने शासन का नुकसान कराया है और 3 करोड़ रुपये नाजायज तौर पर कमीशन लेने का किया है ।

अब हमारी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी कहते है कि यह नहीं बच सकते । हमने इन्क्वायरी कमीशन बैठाया है । जब भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है,एक बार इस आदमी के खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो क्या कारण है कि हुकूमत ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया और इन्क्वायरी का ड्रामा खोल कर सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है । जब एक इन्क्वायरी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है कि अनियमित नियुक्तियां इन्होंने की है तो मैं नहीं सोचता कि उपाध्याय जी सदन के अन्दर उसको बचाने का काम करेंगे । आप एक ऐसी कमेटी बनाने का हुक्म दें जो इस सारे प्रकरण को गंभीरता से जांच करे और इस आदमी को कड़े से कड़ा दंड दे और जेल भेजने का काम करे ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया । इस विषय पर पहले जबाव और सवाल हुये और फिर वक्तव्य के बाद, आज इसके ऊपर चर्चा का अवसर मिला जिसमें हम लोग भाग ले रहे हैं । विषय यह है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आई0 ई0 एस0 में होने वाली अनियमित नियुक्तियों के बारे में जो सवाल उठाये गये हैं उनके सिलसिले में जांच की जाय । इसकी बुनियाद यह बतायी गयी है कि जिन लोगों को ज्यादा नम्बर मिले थे, पास होकर आये थे, 80, 82 प्रतिशत नम्बर जिनको मिले थे वह नहीं चुने जा सके और वह चुन लिये गये जिनके नम्बर कम थे इनके अलावा यह भी बात आयी कि 50 प्रतिशत नम्बर इन्टरव्यू में रखे गये तो यह 50-50 प्रतिशत का रेशियो ठीक नहीं था ।

अभी कल एक चर्चा सामने आयी । जो ऊर्जा मंत्रालय का डिपार्टमेंट था जिसके बारे में हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य रवीन्द्रनाथ तिवारी नें उठाया था , वहां अनियमितताओं का पता चला । मिनिमम 23 प्रतिशत वालों को बुलाने की बात कही गयी लेकिन जब रिकार्ड देखा गया तो उसमें 20 प्रतिशत की बात थी । 20 प्रतिशत नम्बर वालों को बुलाया गया और ऊपर के लोग रह गये । तो ऐसी अनियमिततायें देखने में आयी है । पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नियुक्तियां होती है, उनके लिये भी एक क्राइटेरिया निर्धारित होता हैकि इतना

परसेंट मेरिट पर होगा और इतना परसेंट इन्टरव्यू पर नम्बर होगा, चाहे आई0ए0एस0 का अभ्यर्थी होगा या पी0 सी0 एस0 का अभ्यर्थी होगा सबके लिये परसेंटेज निर्धारित होते हैं। इस स्तर की बहूत सी नियुक्तियां इस स्तर की बहुत सी नियुक्तियां जल्दी-जल्दी कार्य पूरा करने के लिये की जाती है, ठीक है कि वह की जानी चाहिये, लेकिन मेरिट कैजुअलिटी बन गयी और इन्टरव्यू में 75 परसेंट कर दिया गया, तो इस तरह से हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस विषय पर जब हम सामने बैठ कर देखते है, तो देखते है कि एकाध और भी डिपार्टमेंट ऐसे है, जहां पर ऐसें हुआ है और उसमें इन्टरव्यू ही हुआ है, मैरिट का नहीं हुआ है। हमारे जो माननीय मंत्रीगण यहां पर है, मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें एकनीति बल्कि सम्पूर्ण स्थिति पर एक नीति बनानी चाहिये कि 25 परसेट से ज्यादा इन्टरव्यू पर नम्बर नहीं रखना चाहिये। अगर ऐसी नीति बना दी जाती है, तो यह बात हमेशा हमेशा के लिये खत्म हो जायगी।

जो हमारे सामने विषय आया है, उसमें मैं यह चाहूंगा कि जब इन्क्वायरी हो रही है, तो भले ही हम किसी परसेंटेज पर न जायं, लेकिन जिन्होंने गलतियां की है, उन्हें यकीनन सजा मिलनी चाहिये। जहां पर अनियमितता हुई है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिये। जिस आदमी ने बोर्ड बनाने के लिये यह प्रस्ताव किया, उसके खिलाफ भी इन्क्वाबरी होनी चाहिये। अगर 20 हजार रुपये पर आदमी लिया गया है, तो हिस्से दारी सबकी होगी, तो उसे भी इसमें लेना चाहिये, उसके खिलाफ भी इन्क्वायरी होनी चाहिये। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह बात कहना चाहता हूं कि यहां पर जब प्रमोशन्स होते है, माननीय शतरुद्र जी हम आप एकाध बार लड़ाई भी कर चुके है। नीचे के जो अधिकारी होते है, वे प्रोमोशन्स को रोकते है। हम आप सब आये दिन इसके बारे में लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। तो इसमें ये भी जो नीचे के अधिकारी हैं; वे भी शामिल किये जायं कि कहीं नीचे से जो साजिश नहीं हो रही है कि कहीं कोई आदमी ऊपर निकल गया, तो वह कैसे निकल जाय। हुआ कि नहीं हुआ, यह तो इन्क्वायरी बतायेगी, इन्क्वायरी जो है, उसकी परिधि को बढ़ाया जाय कि किन-किन लोगों ने किस-किस स्टेज पर क्या काम किया है। हम सभी लोगों को इस विषय पर चिन्ता है। जो लड़के 62 परसेंट पायें, वह इन्टरव्यू में बुलाये ही न जायं और जो 15 परसेंट आयें, उसे इन्टरव्यू में बुलाया जाय। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से से कहना चाहता हूं कि आइंदा 25 परसेंट से ज्यादा नम्बर इन्टरव्यू में नहीं होना चाहिये और मेरिट में 75 परसेंट नम्बर रखा जाय। इस सिलसिले में जो टर्म्स बनायेगये है, उसमें यह भी देखा जाय कि इसमें किस तरह से साजिश की गयी है और किस तरह से उनको प्रोमोट किया गया है। मैं चाहता हूँ कि हर तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो, ताकि नवजवान लड़कों को किसी बेइज्जती का सामना न करना पड़े

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, 309 नियुक्तियां हुई हैं। इस पर हाउस में भी कई दिन से विवाद चल रहा है। पहले भी विवाद चला और आज भी इस पर चर्चा हो रही है। संभवतः मैं अभी सदन में नहीं था, मंत्री जी ने इन्क्वायरी के आदेश दिये है। मैं चाहता हूं कि क्योंकि इसमें आरोप लगाये गये है जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्त में नम्बर देने में धांधली की गई है। तो जो टर्म जांच के लिये आपने रखा है मैं चाहूंगा कि उन सभी बिन्दुओं को देख लें कि सही मायने में इन्क्वायरी में धांधली हुई है, तो यह किस तरह की है। ऐसी धारणा रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट के साथ साक्षात्कार के नम्बर रह ते है दोनों की जोड़कर मेरिट-लिस्ट बनायी जाती है, तो जो परीक्षा हुई और उसकी मेरिट लिस्ट बनाई गई, तो क्या उनके मेरिट के नम्बर भी उसमें जोड़े गये थे, जो कहा जाता है कि साक्षात्कार में धांधली हुई है, तो इसकी भी जांच करा लें।

इससे पूर्व जो परीक्षा हुई थी उसमें जो अध्यक्ष थे, वह शासन के सचिव उप सचिव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि थे। मुझे इसमें निश्चित जानकारी नहीं है। उनसे भी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। जो रिपोर्ट आई है उसमें जो तथ्य माननीय सदस्यों ने कहा है, उसमें कहां तक सत्यता है। भविष्य के लिये जाहिदी साहब ने भी कहा इस बात का निश्चय अवश्य कर दें कि जो चुनाव होंगे उसमें मेरिट को वरीयता दी जाएगी और उसमें 25 नम्बर से ज्यादा मेरिट में साक्षात्कार के लिये नहीं रहेंगे। ऐसा कर देंगे तो इस तरह की बात नहीं आएगी। मेरा निवेदन है कि व्यापक तरीके से इन्क्वायरी में इसको देख लें। भविष्य में इस तरह के साक्षात्कार हों तो उसमें ऐसी गड़बड़ियां न हों।

श्री अफसर यू अहमद--

आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का हुकुम दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि शासन के माध्यम से प्रशासन काम चलाता है उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तथा इन कर्मचारियों की ज्यादातर नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है, लेकिन चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा काम नहीं कर पाता है इसलिये आवश्यकताओं को देखते हुए तदर्थ नियुक्तियों का प्राविजन किया गया है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं सख्ती के साथ कहूंगा कि गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिये। लेकिन नियुक्तियां नियमों, उप नियमों के अनुसार हुई है तो इसमें दोष नहीं देना चाहिये। जिस विषय में चर्चा हो रही है इसमें शासन के माध्यम से चयन समिति बनाई गई थी। चयनसमिति बनने के बाद उसके अधिकार क्षेत्र की बात है, इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता है। चयन समिति में सतर्कता बरतनी चाहिये थी। जहां तक चयन समिति की बात है कि इसमें किस तरह के मूल्यों का निर्धारण करें।

मान्यवर, इसी सदन में मैं कहना चाहता हूं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं अगर नियम कायदों की बात की जा रही है तो जो निर्दोष है उसका गला नहीं घोटा जाएगा। अभी विजय सिंह राणा ने कहा है कि फर्स्ट, सेन्डिक और थर्ड क्लास के सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूं तो इस बात की क्या गारन्टी है कि जो लड़का 80 प्रतिशत लेकर आया है, उसने नकल नहीं किया होगा। राणा जी, आपने खुद इस बात को कहा है। साक्षात्कार में लड़का जब जाता है तो उसका कलीवर चयन समिति द्वारा टेस्ट किया जाता है और ऐसी चयन समिति उसको टेस्ट करती है जिसका अनुमोदन शासन ने किया हो। दूसरी बात यह कही गयी कि इतनी कम उर्म में श्री एम० आर० सिद्दीकी को इतनी जल्दी तरक्की मिल गई। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी का प्रार्दुभाव राजनीति में बहुत अल्प समय में हुआ और आज वह देश के प्रधान मंत्री है। इतना ही नहीं वह 104 देशों के निर्गुट सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। बहुत से लोग है, जो उनसे अधिक उम्र के है, लेकिन मंत्री तक नहीं बन पाये। किसी की योग्यता को उम्र के आधार पर चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें द्वेष ....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

(* * *)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

माननीय राजीव गांधी के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मुईद अहमद--

जैसा माननीय सदस्य कह रहे है, अब तो शिक्षा प्रणाली बदल रही है कोई हो सकता है जिसने गलत तरीके से ज्यादा मार्कस ले लिया हो। जो माननीय सदस्य ने माननीय राजीव गांधी के बारे में कहा है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। एक इंजीनियर से माननीय प्रधान मंत्री की तुलना नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता है।

नोट--(* *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अफसर यू अहमद--

मैं स्वयं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मुईद अहमद ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम निकाल दिया जाय। मेरा निवेदन है कि इस सदन की कार्यवाही में कोई असंसदीय भाषा नहीं लायी जा सकती है या किसी एसे व्यक्ति के बारे में आरोप नाम लेकर नहीं लगाया जा सकता है, जो सदन का सदस्य न हो। अगर कोई व्यक्ति उदाहरण दे रहा है और सर्वमान्य मानकर पूजा के रूप में नाम ले रहा हो, तो उसे कार्यवाही से निकालने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मुईद अहमद--

राजीव गांधी सरकारी नौकर नहीं है कि उनका मुकाबला किया जाय। वह इस देश के नेता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य यह बहुत पुराना निर्णय है कि असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जो सदन का सदस्य न हो। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह कहे कि जो मैंने कहा है, उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अभी मैंने व्यवस्था पूरी नहीं की। माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय राजीव गांधी के सन्दर्भ में जो कहा है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैं कार्यवाही देख लूंगा। कार्यवाही देखने के उपरान्त यदि यह लगेगा कि किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो नहीं होना चाहिये, और जो माननीय सदस्य ने कहा है, उसको भी देख लूंगा और उसके बाद उचित निर्णय दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री असफर यू अहमद--

मान्यवर, मेरी बात समाप्त हो रही है। एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी की नियुक्ति की गयी जो इतनी जल्दी तरक्की कर गया। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक हायर पावर कमेटी, जिसमें स्वयं मुख्य सचिव और दो सचिव थे, उसने चयन किया था और जिसका एप्रूवल शासन के मंत्री जी ने किया था।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अफसर यू अहमद--

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आर0ई0 एस0 में अवर अभियन्ताओं का जो भी चयन हुआ है, चयन समिति द्वारा हुआ है ईमानदारी के साथ हुआ है और किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि इस विषय पर बोलने के लिये, चूंकि यह इंजीनियरों से संबंधित मामला है, इसलिये श्री यदुनाथ सिंह जी से बेहतर वक्ता और कोई नहीं होगा, अतः आप बोलें।

*श्री यदुनाथ सिंह--

अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो चयन ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अभियन्ताओं का हुआ है, उसके जो श्याम सूरत उपाध्याय जी मंत्री है, उनके बाहर से सुर्ती छोड़ी जाय तो अन्दर से निकल आती है। इनको मालूम है कि आर0 ई0 एस0 में क्या हो रहा है। मैं कई बार मिला लेकिन 309 इंजीनियर्स का जिस तरह से हैरसमेंट किया गया उसको देखने की इनको फुरसत नहीं है। भर्ती में जो प्रक्रिया अपनाई गयी....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अधिष्ठाता--

भर्ती के समय यह माननीय मंत्री जी नहीं थे। बाद में बने हैं। उस समय ग्रामीण अभियंत्रण सेवा इनके पास नहीं थी।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी के अन्तर्गत यह जानकारी थी कि सिद्दीकी साहब नीचे के लेवल से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कम से कम 20-20 हजार रुपया अवर अभियन्ताओं से लिया जा रहा है। इण्टरव्यू में 25 परसेंट रखा जाना चाहिये। सौ परसेंट नहीं रखा जाना चाहिये। इण्टरव्यू में 100 परसेंट दे दिया गया, जबकि मार्क्स कुछ नहीं हैं। जबकि डिप्लोमा देने में ही काफी खिचाई हो जाती है। काफी ट्रेनिंग हो जाती है और उसमें तमाम विषय ऐसे जिनमें इस तरह से कुछ नहीं होता है। कहा गया है कि इंजीनियर्स गो टु हेल, नटा इन्टू हेवेन। इंजीनियर्स शुड क्रीएट हेवेन इन दि हेल। इसका मतलब है कि इंजीनियर यदि नर्क में जायगा तो वहां भी स्वर्ग बन जायगा। इंजीनियर्स का इन्टरव्यू ब्यूरोक्रेसी के आधार पर हो, भ्रष्टाचार के आधार पर हो, रुपया लेकर हो तो आर0 ई0 एस0 का मतलब क्या रह जाता है।

मैंने मंत्री जी से कई बार कहा कि आर0 ई0 एस0 में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा देखने के बाद लगा कि यह पी0 डब्लू0 डी0 का पुछल्ला बन कर रह गया है। आप कोई भी आर0 ई0 एस0 की सड़क देखें। कोई 80 लाख का काम हुआ होगा तो उसका 10 परसेंट भी आर0 ई0 एस0 वाले नहीं किये होंगे। किसी जिले में आप देखें तमाम खराब कार्य हो रहा है। कहीं गिट्टी पूरी मात्रा में नहीं होगी, कहीं तारकोल दिये होंगे। आर0ई0 एस0 में इस लेविल के भ्रष्टाचार हुये हैं। कितने भू0 पू0 एम0 एल0 ए0, प्रभूनारायण सिंह जौनपुर वाले आर0 ई0 एस0 के कार्यों की शिकायत कर रहे थे। सिद्दीकी का भ्रष्टाचार काफी ऊंचे लेविल पर है। 9 करोड़ से ज्यादा कमाया है, उन्होंने अवर अभियन्ताओं के चयन में।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कुछ सुझाव भी दे दें कि भविष्य में किस तरह से चयन हो।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय श्याम सूरत जी समाजवादी वादी नेता रहे हैं, हमारे भी नेता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे किसी एजेंसी से इसकी जांच करायें। यह इंजीनियर रूपी बड़ी मछली इस तरह से छोटी मछलियों को निगल रही है। इसकी आप उच्चस्तरीय जांच करायें।

*श्री फजले मसूद--

मान्यवर, आर0 ई0 एस0 में जो जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्तियां हुई है, उसके संबंध में आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, किसी भी इल्जाम को लगाने से पहले उस उस इल्जाम की मंशा क्या, इसको मान्यवर समझ लेना चाहिये। मान्यवर, मिस्टर सिद्दीकी जब आर0 ई0 एस0 में आये थे, उस वक्त सिद्दीकी के खिलाफ कुछ इल्जाम लगाये गये थे, जब चीफ इंजीनियर बने, तब भी इल्जाम लगाये गये थे। आज मिस्टर सिद्दीकी के अधीनस्थ जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्तियां हुई हैं, तो फिर उन पर इल्जाम लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, इस तरह के इल्जाम पूरे प्रदेश में और भी विभागों पर लगते हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ इतनी चिन्ता बनी हुई है। मान्यवर, मिस्टर सिद्दीकी जो एक अल्प समुदाय से है और उच्च पद पर हैं, उन का पद किसी को पच नहीं पा रहा है मान्यवर, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मिस्टर सिद्दीकी ने नियमों से अलग हटकर काम किया है, तो जरूर कार्यवाही हो लेकिन अगर नियमानुसार कार्यवाही की है, किसी व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार, उसके प्राप्तांक के आधार पर, साक्षात्कार में प्रदर्शित योग्यता के आधार पर, नियुक्त किया गया है, तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री--

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, 10-15 मिनट का समय लूंगा।

(श्री राम सजीवन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आगे भी काफ़ी चर्चाएं लगी हुई हैं, इसमें समय का ध्यान रखना है।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं दो मिनट लूंगा। कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मान्यवर, सिद्दीकी को बचाने के लिये एक साहब ने अपनी बात रखी और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया, अन्य विभागों को जोड़ दिया। मान्यवर, आपकी पीठ से भी यह बात कही गयी थी कि विषय पर ही सीमित रहा जायेगा, जिसके लिये चर्चा स्वीकार की गयी है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों की जांच कराने की बात को कहकर यह उसभ्रष्ट आदमी को बचाने का प्रयास मात्र है, इसलिये मैं इसकी निंदा करता है।

मान्यवर, यह देखने की बात कि इन्टरव्यू मेंकितने नम्बर रखे गये थे, उसकी मेरिट के कितने नम्बर थे। मान्यवर, जो इन्टरव्यू काल किया गया था उसमें सामान्य वर्ग के लिये 75 प्रतिशत और निर्बल वर्ग के लिये 73 प्रतिशत के नम्बर थे। मान्यवर, इनका जो पत्र जारी हुआ है, इसकी तरफ़ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप बैठे। आपका एक मिनट हो गया।

अभी साढ़े तीन घंटे की चर्चायें और बाकी हैं। पौने आठ बज चुके हैं। यदि आप लोग 12 बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं और माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की तरफ़ से यदि कोई प्रस्ताव आता है तो मुझे आगे चर्चा करवाने मे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सवाल इस बात का नहीं है कि मेरिट में कितने नम्बर थे और इन्टरव्यू में कितने नम्बर थे। प्रश्न इस बात का है कि इन्टव्यू के लिये जो काल किया गया था, उसके लिये यह निर्धारित किया गया था कि सामान्य वर्ग केलिये 75 प्रतिशत और निर्बल वर्ग के लिये 73 प्रतिशत। इससे कम मार्कस वालों को नहीं लिया जायेगा। लेकिन जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, मैं उन रोल नम्बर को उद्धृत कर समय बरबाद करना नहीं चाहता हूं, जिसके बारे में माननीय सदस्य पहले ही आपको बता चुके हैं। आदेश संख्या 136 दिनांक 18-8-1985, इसमें जो मेरिट है वह 60 प्रतिशत से भी कम है। जब इन्टरव्यू के लिये काल ही नहीं किया गया तो मेरिट में उनका नम्बर कहां से आ गया और उनका सलेक्शन कैसे होगया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। हम सभी लोग इस आदरणीय सदन में एक नैतिक आधार पर चुनकर आये हैं। भ्रष्टाचार चाहे सड़क पर हो, सरकार में हो और समाज के किसी भी अंग में हो, राजीव जी के नेतृत्व मेंहमारी कांग्रेस सरकार एक सिद्धान्त और एक नीति से आई कि हमभ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। यदि चीफ़ इंजीनियर सिद्दीकी भ्रष्टाचारी है, यदि अधिष्ठाता महोदय, आप उसके कार्यकलापों से पूर्वपरिचित हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विगत 7वर्षों से आर0 ई0 एस0 के यदि सारे

भाग का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यों का अवलोकन किया जाय तो 90 प्रतिशत कार्य हुआ ही नहीं है। अवर अभियन्ताओं में की नियुक्ति में अनियमितता की बात आती है, यह तो मानने के लिये हमें बाध्य होना पड़ेगा और हमें इन्कार भी नहीं करना चाहिये कि जो नियुक्तियां हुई हैं, वह पूर्व निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हुआ है। जो भी चयन हुआ है वह एक व्यक्ति विशेष के निर्देशन में ही हुआ है और उसमें जो शेष लोग थे, वह उनके कठपुतली थे। इस प्रकार की चयन प्रक्रिया से हम भारतवर्ष के नौजवान इन्जीनियर जो 80 प्रतिशत मार्कस लिये हुए हैं, जिनके कंधों पर समाज का बोझ है, अगर उनको इस प्रकार प्रताड़ित किया जायेगा और यातनायें दी जायेंगी तो हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिये, जिसने हिन्दुस्तान के और इस प्रदेश के 400-500 इन्जीनियरों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है, उसके लिये मान्यवर, आपको सरकार को निर्देश देना चाहिये कि वह इस मामले की जांच करे। और दोषी अधिकारी को दण्ड दे। वरना समाज नष्ट हो जायेगा और यदि युवा मन मन्दिर का बर्दाश्त करने का कगार टूट गया तो न आप रहेंगे और न हम रहेंगे और न समाज ही रहेगा। मैं पुनः अधिष्ठाता जी आपसे निवेदन करता हूं कि यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से हमारे प्रशासन में कमी आती है और समाज में असन्तोष फैलता है, तो आप सरकार को निर्देश दें कि उसे दण्डित किया जाय। धन्यवाद।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, आपने लोगों की भावनाओं से समझ लिया कि शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कितना गुस्सा है और कितनी तकलीफ़ है। मैं समझता हूं कि पूरे सदन में सभी विभागों के भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा हुई, यह नहीं हुई, अगर शासन वास्तव में सुधार लाना चाहता है तो नीतिगत रूप से सोचना होगा चयन के संबंध में, चाहे वह अवर अभियन्ता का हो या किसी पद का हो। जिस स्तर से सूबे स्तर तक सभी विभागों में जो पात्र हैं उन्हें नहीं चुना जा रहा है और जो अपात्र हैं उन्हें चुना जा रहा है। मैं शासन से इतना ही चाहता हूं कि वह इस बात पर सोचें। जो आरोप-प्रत्यारोप चर्चा में होने लगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

मान्यवर, पूरे सदन की क्या आवाज है भ्रष्टाचार के खिलाफ़। भ्रष्टाचार की चर्चा इस सदन में काफ़ी हो चुकी है। हर मोहकमे के बारे में भ्रष्टाचार की आवाज आयी है। मान्यवर, यह मेरा दावा है कि चाहे जिला स्तर पर हो या सूबे स्तर पर, चयन समिति के चुने पात्र भी होंगे तो यह चर्चा आम होगी कि भ्रष्टाचार हुआ है पैसा लिया गया है, एक-एक नौकरी के लिए दस-दस, बीस-बीस, हजार लिया गया है। तो यह चीज देखनी होगी कि चयन समिति में अधिकारियों को पूरा हक दे रखा है और जब हम कोई आवाज उठाते हैं, तो कौन है जिम्मेदार? किसी दोस्त ने किसी साथी ने कहा कि शासन है जिम्मेदार। जब हम सब पक्ष विपक्ष एक आवाज हैं तो हमने अपने अधिकार को क्यों सरेण्डर कर रखे हैं। जिला स्तर पर विधायकगण क्यों नहीं उस चयन समिति में सम्मिलित होते, इससे काउण्टर चेक होगा। म उदाहरण देना चाहता हूं कि आई0 टी0 आई0 के एडमिशन का मामला होता था, प्रिंसिपल के सुपुर्द कर दिया जाता था। लाखों रुपया कमा लेता था और जब समाज के सदस्यों को एडमिशन की जिम्मेदारी दी है और उन्हें प्रवेश समिति में सम्मिलित किया तो 90 फ़ीसदी से भी ज्यादा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। तो मेरा सदन से अनुरोध है कि चयन समिति में जनता के प्रिय जिले स्तर पर विधायकगण भी होने चाहिये और सूबे में भी हर चयन समिति में विधायक होने चाहिये, काउण्टर चेक होना चाहिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

श्रीमन्, प्रथम दृष्टया पर मामला सिद्ध है, संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं, यह मामला पूर्णतया सामान्य वर्ग के लिये 75 प्रतिशत और 73 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को और उधर

के बैठने वाले सदस्यों ने बताया कि 60 प्रतिशत वालों की नियुक्ति हो गई। इससे स्पष्ट है कि उपाध्याय जी मंत्री हैं, अधिवक्ता रहे हैं, इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। इसमें कहा गया कि 75 प्रतिशत वालों को नियुक्त नहीं किया गया, 73 प्रतिशत वालों को बुलाया नहीं गया, 60 प्रतिशत वालों की नियुक्ति कर लिया। मेरे ही जनपद के एक अमरेन्द्र प्रताप हैं, 66 प्रतिशत थे नम्बर, किन्तु उनको बुलाया नहीं गया 80 प्रतिशत नम्बर पाने वालों को नहीं बुलाया गया, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का। किसी भी जाति का हो, अल्पसंख्यक का मामला नहीं है, इसके लिये छूट नहीं दी जा सकती। मान्यवर, सिद्दीकी साहब कहां से उड़ान भर रहे हैं, सन् 1972 में असिस्टेन्ट इंजीनियर थे, 80 में सुप्रिन्टिन्डिंग इंजीनियर थे और 84 में चीफ़ इंजीनियर हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि उन को मूल विभाग में परिवर्तित किया जाय वरना आप जैसे साफ़ सुथरे मंत्री को भी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। कृपया इस पर अपनी कार्यवाही करें।

*चौधरी परागी लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सुझाव के रूप में केवल एक बात कहना चाहता हूं। इस संबंध में जैसाकि माननीय दीक्षित जी ने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी बनी हुयी है। ठीक है जांच हो, मैं इसमें एक चीज और जुड़वाना चाहता हूं अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ को न बुलाकर अधीक्षण अभियन्ता, नैनीताल को क्यों बुलाया गया। दूसरे इस पर व्यय भी हुआ होगा उन अभियन्ता नैनीताल के बुलाने पर तो यह किसके आदेशों से बुलाए गये? केवल यह बातें उसमें और जोड़ दी जाए धन्यवाद।

*श्री शेर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने जो भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभियंताओं की जो चयन संबंधी चर्चा चल रही है, इसमें मान्यवर, अनियमिताएं तो आवश्य हुयी हैं और मान्यवर, यदि चयन प्रक्रिया में इस प्रकार की अनियमाताएं नहीं रोकी गयीं तो पढ़े-लिखे नव-युवक रुक नहीं सकते क्योंकि जब पेट भूखा होता है तो आदमी बगै रखाये नहीं रह सकता है और जब मस्तिष्क भूखा हो जाता है तो वह खून बहाए बगैर नहीं रह सकता है। मान्यवर, यह आपको भी मानना होगा कि जब इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कम पढ़े लिखेलोगों को चयन किया जा रहा है तो असंतोष के व्याप्त होने का यह बहुत बड़ा कारण है और इस संबंध में मेरी निश्चित जानकारी है कि घोर अनियमिताएं हुयी हैं और मेरी समझ से इस बात को कोई दूसरा रुख नहीं देना चाहिये अल्प संख्यक और बहुसंख्यक का। इस ओर शासन को कड़ा कदम उठाना चाहिये।

श्री राम सजीवन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, करीब-करीब पूरा का पूरा सदन इस बात से सहमत है कि इन अभियंन्ताओं के चयन और नियुक्तियों में भ्रष्टाचर हुआ है, धान्धली हुयी है। इसलिये इस संबंध बें मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि आप जांच तो करायेंगे, और जांच में जोभी अधिकारी दोषी पाया जायेगा या पूरा बोर्ड यदि दोषी पाया जायेगा तो आप उस पर कुछ कार्यवाही करेंगे भी या नहींया तब तक आप क्या रुख इस संबंध में अपनाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जांच हो, इससे हम सब सहमत हैं। इसी के साथ साथ जिन छात्रों के साथ और अवर अभियन्ताओं के साथ अन्याय हो गया है, है, इनके उपाय को भी आप आज ही घोषित करें दूसरे हमारी यह मांग है कि यह पूरी की पूरी सूची गलत है, गड़बड़ हैं। माननीय मंत्री जी इस सूची को रद्द घोषित करते हुए यह भी यहां एलान करें कि इन पदों पर फ़िर से चयन किया जायेगा फ़लां तिथि में। साथही हमारा यह भी निवेदन है कि साम्प्रदायिकता के सवाल को इस मामले मे न लाया जाए। कुछ लोग निश्चित रुप से एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को अलग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर इसको साम्प्रदायिकता का रूप दे रहे हैं,यह हमारे देश और प्रदेश के लिए अहित-कर होगा।

शासन ने जब एक मार्गदर्शन बनाया कि इतने प्रतिशत तक साक्षात्कार में चयन होगा और उस पर कायम न रहना,यह नीति के विपरीत है,इससे लोगों को गलत प्रोत्साहन मिलता है और इन्हीं कारणों से यह प्रक्रिया प्रदेश को समस्त विभागों में देखी जा सकती है, जब शासन स्वयं इस प्रक्रिया बढ़ावा दे रहा है और खुले आमभ्रष्टाचार करवा रहा है, तो यह गलत नीति है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस प्रक्रिया को बदलें।

आपको जनाकारी होगी कि यह सत्ता पक्ष के लोग उन अफ़सरों से स्वयं भ्रष्टाचार कराते हैं और उनको स्वयं प्रेरणा देते हैं तथा अपने-अपने अभ्यर्थियों की भर्ती कराते हैं। मेरा निवेदन है कि यह जो 50 प्रतिशत साक्षात्कार का मामला है, इसको खत्म करिये। इसी समय घोषणा करिये सारे सदस्यों को सर्वसम्मति राय है कि 20 प्रतिशत से ज्यादा न करें। आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। यह 50 प्रतिशत चलेगा तो भ्रष्टाचार भी चलेगा और रुपया भी चलेगा। उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत, केन्द्रीय लोक सेवा आयोग जहां आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, आई0 एफ0 एस0 के इम्तहान होते हैं वहां 1800 में से 200 मार्क्स साक्षात्कार के लिये होते हैं। एक सदस्य ने कह दिया कि डिप्लोमा में अंक पाये हैं, वे भी फर्जी हो सकते हैं। यह भी फर्जी हो सकता है तो लिखित परीक्षा ले लेते।

शासन पर सारी जिम्मेदारी है, उसकी नैतिकता उलझी हुई है,शासन को गाइडलाइन्स नहीं दीं और जानबूझकर कराया है। नीति बदलिये और सारी जिम्मेदारी शासन को अपने ऊपर लेनी चाहिये। दूसरे विभागों के इन्जीनियर्स पर नहीं डालना चाहिये।

मेरा आपसे निवेदन है कि पहले तो यह अल्पसंख्याक भावना पहले आ गयी। जांच कर रहे हैं तो जांच कराइए लेकिन उसके साथ घोषणा करिये कि पूरी सूची रद्द की जायगी और नया चयन फिर से करायेंगे। जो वर्कचार्ज में काम में लगे हैं एक साल में अधिकतम आयु सीमा समाप्त होने वाली है, उनको विशेष महत्व देकर चयनित करिये। उनकी ट्रेनिंग में भी हजारों रुपये बरबाद हो चुके हैं। चौथा निवेदन यह है कि मंत्री जी को पता नहीं है, क्योंकि इनके पास विभाग नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी से सलाह कर लें। उनके पास 14 विभाग हैं। जब वह किसी विभाग का पूरा काम नहीं देख पाते हैं तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। इन्हीं तीन-चार प्रश्नों पर निवेदन है कि स्पष्टीकरण करादें और जांच करायें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अवर अभियन्ताओं के चयन के संबंध में अभी इसी सदन में कुछ दिन पूर्व माननीय अध्यक्ष जी के निदेश से वक्तव्य हुआ था और उस वक्तव्य के दौरान माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही थी और उसमें स्थिति काफी हद तक स्पष्ट की गयी थी। किन्तु पुनः माननीय पीठ के निर्देश हुए कि एक घण्टे की चर्चा हो। अभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि सदन की बहुत बड़ी गरिमा है। और सदन के अन्दर जो भी बात कही जाय वह तथ्यों से परे न हो।तथ्यों की जानकारी कर ली जाय और जिन तथ्यों के संबंध में प्रमाण हों उन्हीं बातों को इस सदन में कहना चाहिये क्योंकि यह सदन सर्वोपरि हैऔर सदन में कही गयी बातें महत्वपूर्ण होती हैं।प्रदेश में रहने वाले दूर-दूर के लोग यहां के आचरण की खबर रखते हैं और उनको सब जानकारी रहती है।

माननीय सदस्यों ने बड़े जोश में और बड़े रोष में कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है लेकिन किसी भी सदस्य ने एक भी प्रमाण सदन में प्रस्तुत नहीं किया।

(व्यवधान)

इस प्रदेश के एक विभाग मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया करोड़ों रुपये कमा लिये हैं लेकिन कितना रुपया कमाया है, कहां से कमाया है, कोई भी तथ्य किसी

भी सदस्य ने नहीं दिया। इस तरह से किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगाना आसान है लेकिन (व्यवधान) कहा गया चयन में कि 20 हजार रुपये लियेगये। जितने भी चयन होते हैं, जितने अभ्यर्थी बुलाये जाते हैं साक्षात्कार में, चयन समिति के सदस्य अपने विवेक से चयन प्रक्रिया के अनुसार उनमें से चयन करते हैं। जिसमें से बहुत से उम्मीदवार चयन होने से वंचित रह जाते हैं। इसमें यह कह देना कि जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ इससे भ्रष्टाचार हुआ है। यह गलत बात है। हम सभी विधायक डेढ़ लाख मतों से चुनकर यहां आते हैं और यहां आकर बिना किसी तथ्यों के हमें आरोप लगाना शोभा नहीं देता है।

जहां तक जूनियर इंजीनियर के चयन की प्रक्रिया थी, विभाग ने शासन से अनुमति मांगी और शासन के आदेश से चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। चयन समिति, चार व्यक्तियों की गठित की गयी जिसमें श्री एम0 आर0 सिद्दीकी जो कि अध्यक्ष श्री बी0 एन0 गुप्ता, लघु सिंचाई के इंजीनियर, एक अनुसचिव थे, हरिजन समाज कल्याण विभाग के श्री सुन्दरलाल जो कि सदस्य थेऔर एक सदस्य और थे श्री एम0 एम0 संगल। इस चयन समिति में केवल रूरल इंजीनियरिंग विभाग के ही सदस्य नहीं थे बल्कि शासन के एक व्यक्ति सदस्य थे। चयन होने के पूर्व बाकायदा विज्ञापन हुआ था अखबार में। यह विज्ञापन केवल एक ही अखबार में नहीं बल्कि "जागरण" अखबार जो कि लखनऊसे, कानपुर से तथा वाराणसी से प्रकाशित होता है, इसमें विज्ञा- पन हुआ था। इसके अतिरिक्त अमर उजाला, जो बरेली और आगरा से निकलता है, नार्दन इंडिया पत्रिका, लखनऊऔर इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, इनमें विज्ञापन निकाला गया। तो इसका वाइड सरकुलेशन हुआ। जो स्थान थे उनके लिये प्रार्थना-पत्र गये, उसके बाद उसकी प्रक्रिया तय की गयी। मान्यवर, कुल 6,933 अभ्यर्थियों नेप्रार्थना-पत्र दिया और जगहें 531 थीं, जिनका विज्ञापन हुआ और 520 लोगों का चयन हुआ।

मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया जो लोक सेवा आयोग अन्य चयन समितियों की है, उसके अनुसार एक स्थान के लिये 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, और उसी अनुसार चयन समिति ने नीति निर्धारित की और सभी अभ्यर्थियों को न बुलाकर साक्षात्कार के लिये; चूंकि 531 स्थान थे, इसलिये उस केचार गुना करीब 2100 लोगों को बुलाया गया। मेरिट के आधार पर उनको बुलाया गया। तो यह स्वाभाविक है कि जिनको नहीं बुलाया गया, वह लोग आप लोगों से मिलते रहे हों, कि चयन समिति में नहीं बुलाया गया है और तरह तरह के आरोप लगाते हों। मान्यवर, 2197 लोगों को बुलाया गया सभी का चयन नहीं किया गया,केवल 520 लोगों का चयन किया गया और लगभग 1500 लोग वन्चित रह गये, जो लोग वंचित रह गये वह गलतबात कह सकते हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

(अखबार दिखाते हुए) यह सारा भरा पड़ा है, जो भ्रष्टाचार है, उससे भरा पड़ा है। उसके बारे में माननीय मंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। जो नियम है उसी के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुएथे। अनुसूचित जाति के 568, अनुसूचित जनजाति 9, पिछड़ी जाति 1213, विकलांग 28, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के 3, सामान्य 5016,इस तरह से कुल6939 अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिया और उनको कोटा के अनुसार बुलाया गया जो कोटा के अनुसार बुलाया गया उनकी अनुसूचित जाति की 413, अनुसूचित जनजाति 5,विकलांग 28, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी 74, पिछड़ी जाति 336 और सामान्य 1008, इस प्रकार से कुल 1864 और जो वर्क चार्ज पर थे, पिछड़ी जाति के 29, सामान्य 298 इस प्रकार से 333 और कुल मिलाकर 2197 थे, जिन्हें बुलाया गया, तो मान्यवर, चूंकि विभिन्न वर्गोंके अभ्यर्थिकों को बुलाना था इसलिए जो संख्या क

आधार पर बुलाये गये,उसमें नम्बर का परसेन्टेज था उसका फलक्चुएशन्स होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह--

[× ×] झूठ और बलात्कार पर फांसी की सजा मिलती है एक दिन।

[× ×]

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी थे उसमें 64. 91 से ऊपर वालों को बुलाया गया। अनुसूचित जनजाति 66, 79 स्तन्त्रता संग्राम सेनानी 66. 62, समाज के अक्षम फिजिकल हैण्डीक्राफ्ट के अभ्यर्थी, 51. 68 परसेन्ट के ऊपर के बुलाये गये इसी तरह से पिछड़ी जाति के 72. 83, के ऊपर के बुलाये गये, सामान्य वर्ग के चूंकि अधिक प्रार्थना-पत्र थे, इसलिए उनका 75. 43 न्यूनतम नम्बर रहा और वर्कचार्ज में जो पहले से काम कर रहे थे और प्रार्थना-पत्र दियेथे सभी को बुलाया गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी संक्षेप में कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्कचार्ज में जो काम कर रहे थे उन सभी को इंटरव्यू में बुलाया गया। वर्कचार्ज में जो काम कर रहे थे 50. 65 प्रति0 अंक थे सभी बुलाए गए। तो यह स्वाभाविक है कि सभी वर्गों का एक समान नम्बर नहीं हो सकता है। सामान्य वर्ग में हो सकता कि अधिक नम्बर पाने वाले चयन न हो और अनुसूचित जाति के कम नम्बर पाने वाले अभ्यर्थी का चयन हो जाय, विकलांग का चयन हो जाय। या जो वर्कचार्ज में थे जिनके नम्बर थे उनका चयन हो जाय। इस तरह से अधिक नम्बर का नहीं हुआ, कम नम्बर का हो गया कहना वाजिब नहीं है। माननीय सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी करने के बाद इस बात को कहना चाहिए था और तभी इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते। और मैं समझता हूं, इसकी पूरी जानकारी कर लेते तो इस प्रकार से आरोप न लगाते।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री आपने अपना भाषण कर लिया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह कहा गया कि 50 प्रतिशत साक्षात्कार का रखा गया इस लिए यह गड़बड़ी हुई। सभी जानते हैं कि पब्लिकसर्विस कमीशन में बहुत से साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिनमें नम्बर पर चयन नहीं होता है बल्कि साक्षात्कार पर नम्बर दिये जाते हैं। शासन के विभिन्न विभाग हैं जिनमें चयन नम्बर पर न होकर साक्षात्कार पर किया जाता है और साक्षात्कार में नम्बर कोई मेम्बर कितना देता है यह उसके विवेक पर होता है। इस पर हम नहीं कह सकते कि क्यों नम्बर ज्यादा दिये गये हैं, क्यों कम दिये गये हैं। यह सब्जेक्टिव चीज होती है।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी भाषण समाप्त करले तब स्पष्टीकरण होगा, इस तरह से स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जो शिकायतें हुई थी उसके संबंध में भी शासन का दृष्टिकोण यह नहीं था कि भ्रष्टाचार की कोई बात आये तो उसको छिपाया जाय।

इसलिये मान्यवर, जो वक्तव्य के समय माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण रहा है, शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके संबंध में सही तथ्य सामने आये, जांच हो, इसीलिये अपने बजट भाषण में 12 अगस्त को जब ग्रामीण विकास विभाग का बजट मैंने रखा था, मैंने कहा था कि चयन के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसकी जांच के लिये एक उच्च अधिकारी श्री शीतला शरण; जो माननीय मुख्य मंत्री जी के

टिप्पणी-[× ×]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सलाहकार हैं, की नियुक्ति हमने की है। उनसे कहा गया है कि वे जांच करें और अपनी रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं, कोई धांधली की गई प्रकाश में आती है तो जो व्यक्ति जिम्मेदार पाया जायेगा उसको शासन नहीं छोड़ेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आश्वस्त रहें.....

(श्री राम औतार दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री सुरेन्द्र नाथ---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी इसके लिये गठित कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी की राय से इत्तफाक करता हूं। उन्होंने अपनी बात को स्वयं ही कन्ट्राडिक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि चयन समिति जो बनायी गयी है वह सही है और उसकी संस्तुतियों को हम मानते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? जब इस संदर्भ में आप जांच कराने जा रहे हैं तो अपने आप में शासन यह कैसे कह सकता है कि जो कुछ हुआ है वह सत्य है। इसका आप स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री अधिष्ठाता---

आपने स्वयं अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर लिया। आप व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े हुए थे और अब आप स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री सुरेंद्र नाथ---

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम औतार दीक्षित---

माननीय मंत्री जी ने जो भी चयन प्रक्रिया अपनाई उसको यदि अक्षरशः सत्य मान लिया जाय तो उन्हें इन्क्वायरी कमेटी बिठाने की क्या जरूरत पड़ी?.....

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजय सिंह राणा---

इनके कहने में और करने में बहुत अन्तर है। पहले कहते हैं कि सारी प्रक्रिया ठीक थी और आखिर में कहते हैं कि एक आदमी बिठा दिया जिससे जांच करायेंगे तो इसकी क्या आवश्यकता थी?

श्री अधिष्ठाता---

मैंने आपको स्पष्टीकरण के लिये बुलाया नहीं। आप बैठ जायें।

श्री राम औतार दीक्षित---

मान्यवर, मेरे स्पष्टीकरण के संबंध में मंत्री जी से जवाब दिला दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

यह तो मैंने कहा है कि चूंकि माननीय सदस्यों का आरोप था कि इसमें गड़बड़ी की गई है। सदन में भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाये थे तो माननीय सदस्यों की राय का आदर करते हुए शासन ने एक जांच समिति बिठा दी।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि विपक्ष के लोग तो भ्रष्टाचार के कारण असन्तुष्ट हैं लेकिन सरकारी पक्ष के लोग अमुख अभियन्ता पर क्यों असन्तुष्ट हैं, क्या कारण है? क्या रहस्य है। मान्यवर, आपने समय नहीं दिया, नहीं तो मैं बताता कि क्या बात थी?

श्री गौरी शंकर भइया---

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने दो बातें अपने भाषण में कहीं, एक तो नियुक्तियां जो हुई हैं उसके संदर्भ में और दूसरे यह कहा कि जब तक स्पष्ट आरोप सिद्ध न हो जायं। तो यह सदन की गरिमा का सवाल है। जो 51 प्रतिशत नम्बर पर विकलांगों को रखने का था उसमें 1/2 प्रतिशत लोग आते थे लेकिन जो नियुक्ति आपने की हैं वह 4 प्रतिशत हो जाती हैं। इसका क्या कारण है?

मेरी स्पष्ट जानकारी है कि अवर वर्ग के लोगों को जिनके 60 परसेंट नम्बर थे उनको भी इंटरव्यू के लिये काल किया गया जब कि बाकी को 75 परसेंट नम्बर पर बुलाया गया

तो मैं जानना चाहता हूं कि 60 परसेंट वालों को कैसे बुला लिया गया। दूसरा जो भ्रष्टाचार की बात कही कि शासन ने उस पर जांच समिति बैठाई थी, तिथि आप नोट कर लें उसकी जांच हो चुकी है। जो जनवरी और मार्च 1984 में अवर अभियन्ताओं के 200 पदों को बिना इंटरव्यू के भर लिया.....

श्री अधिष्ठात--

आप स्पष्टीकरण मांगें, आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भइया:--

उस पर जांच बैठाई गयी। जिसकी जांच आयुक्त अनुसूचित जाति एव जनजाति द्वारा की गयी। जिसमें मि0 सिद्दीकी को और उनके पी0ए0 को दोषी पाया गया यह रिपोर्ट ए0 पी0सी0 के पास भेज दी गयी। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस आयुक्त की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें दो सौ अवर अभियन्ताओं को नियुक्त किया गया।

श्री अधिष्ठाता--

वह इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया--

यह नियुक्ति का मामला है।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें लिखा है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियन्ताओं के 309 पदों की भर्ती में धांधली के संबंध में।

श्री अतरूद्र प्रकाश--

जो जांच कमेटी शासन ने बैठाई है, उसके क्षेत्राधिकार में क्या चीजें आयेंगी, उससे सदन को माननीय मंत्री जी अवगत करायेंगे। वह समिति किन-किन और कब तक के मामलों की जांच करेगी। एक और बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि चयन में सारी प्रक्रियायें अपनाई गयी चूंकि सदन की राय थी कि इसकी जांच हो तो समिति बनाई गयी है। तो क्या अगर शासन के एक वरिष्ठ मंत्री सदन में यह कहते हैं कि नियुक्तियों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी तो फिर शासन के जिस अधिकारी से जांच करवा रहे हैं तो क्या वह सचमुच में निष्पक्ष जांच कर पायेंगे और यह जांच सही हो पायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इसीलिए हमारे एक साथी ने कहा कि जांच हो रही है और हमें यहां चर्चा नहीं करनी चाहिये। चूंकि माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये तो उनका मुझे भी जवाब देना जरूरी है। जो मेरी समझ में आया, जो मैंने परीक्षण किया, जो शासन स्तर से मुझे रिपोर्ट मिली उसके आधार पर मैंने विचार व्यक्त किये। जो उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं उन पर मैं नहीं समझता कि शासन की ओर से कोई दबाव दिया जायेगा इसके लिए माननीय सदस्य आश्वस्त रहें।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कानून बनाये जाने का अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि चीनी उद्योग के संबंध में एक रूप नीति अपनाने तथा गन्ना उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब आवश्यक कानून बनाकर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की जाय।

(इस समय 8 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश में भी करीब 75 परसेंट से ऊपर लोगों का पेशा खेती ही है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का और विशेष रूप से इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग खेती है। कृषकों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का सीधा रिश्ता कृषि उत्पादन से जुड़ा है। इसलिए जब तक कृषि उत्पादन और उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक इस प्रदेश और देश की प्रगति भी रुकी रहेगी। इसलिए मान्यवर, उस जीर्ण आर्थिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने

के लिए न केवल खेती को सघन करने की आवश्यकता है वरन् उसका शीघ्रातिशीघ्र व्यवसायीकरण और औद्योगीकरण करना भी अपेक्षित है। जिससे प्रत्येक किसान को अपनी जोत को औद्योगिक इकाई, फ़ार्म और फ़ैक्टरी में बदलने का, उसका सुनियोजित विकास करने का मौका मिल सके। इसलिये कृषि उत्पादन बढ़ाने में कृषकों को उसकी फ़सलों या पैदावार का मिलने वाला मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गन्ना चूंकि इस प्रदेश की कश क्राप ह और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इस प्रदेश की एक मात्र कैश क्राप गन्ना है। इसलिये किसानों से सीधा संबंध रखने वाला एक मात्र उद्योग इस प्रदेश में चीनी उद्योग है। इसलिये मैं मान्यवर, आपकी अनुमति से कुछ आंकड़े सदन में रखना चाहूंगा, जो इस प्रकार हैं:--

मान्यवर, 1975-76 के आंकड़ों के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में 14.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफ़ल में ईख की फ़सल बोई गई थी। यदि सरकारी आंकड़ों को देख तो पायेंगे कि पूरे देश में गन्ने की खेती में उसके उत्पादन में आजादी के बाद से अबतक लगातार वृद्धि होती रही है। मान्यवर, 1947-48 में जहां भारत में गन्ने का उत्पादन 5817 हजार टन था, वह 1951-52 में बढ़कर 6068 हजार टन, 1955-56 में 82.9 मिलियन टन, 1956-57 में 73.7 मिलियन टन, 1958-59 86.1 मिलियन टन, 1959-60 में 91.4 मिलियन टन, 1960-61 में 111.5 मिलियन टन, 1965-66 में 119.6 मिलियन टन, 1972-73 में यह बढ़कर 124 मिलियन टन हो गया और इसी तरह लगातार वृद्धि होती जा रही है। मैंने आंकड़े इसलिये रखे कि आप देख सकें कि जो मैंने शुरू में कहा कि इस प्रदेश में गन्ना ही एक मात्र कैश क्राप है। इस लिये किसानों को अपना सारा खर्च चलाने के लिये गन्ने पर निर्भर करना पड़ता है, इसीलिये निरन्तर गन्ने की खेती में वृद्धि होती रही है। जैसे-जैसे उत्पादन गन्ने का बढ़ा, चीनी का उत्पादन भी बढ़ता गया और 1952-57 में जहां उत्तर प्रदेश में चीनी का कुल उत्पादन 7 हजार टन था वह बढ़कर 1973-74 में 12.95 लाख मैट्रिक टन हुआ जबकि भारत में चीनी का उत्पादन 39.67 लाख मैट्रिक टन था।

मान्यवर, इसी प्रकार से 1974-75 में भारत में चीनी का उत्पादन 47.76 लाख मैट्रिक टन था, जबकि उत्तर प्रदेश में 14.38 लाख मैट्रिक टन था। इसी तरह 1976-77 में उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 14.72 लाख मै0 टन था और 1983-84 में यह बढ़ कर 17.27 लाख मै0 टन हो गया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना, चीनी का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ मिलों की संख्या बढ़ी है जिसका 1947-48 से 1977-78 की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है-

वर्ष 1947-48 में गन्ना उत्पादन 280.06 लाख मैट्रिक टन हुआ। इसी अवधि में चीनी का उत्पादन 6.12 लाख मै0 टन और चीनी मिलों की संख्या जिन्होंने कार्य किया 1947-48 में 63 थी। 1977-78 में गन्ने का उत्पादन 768.19 लाख मै0 टन हुआ, चीनी उत्पादन 18.62 लाख मैट्रिक टन हुआ, और मिलों की संख्या 85 हो गयी। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सारे देश में गन्ने की पैदावार और चीनी का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार से सारे देश की 30 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक चीनी का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है।

उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन की स्थिति का विवरण मान्यवर, मैं आपके सामने रख रहा हूं। वर्ष 52-53 में जहां उत्तर प्रदेश में चीनी का कुल उत्पादन 7 हजार टन था, 56-57 में 10.80 हजार टन, 59-60 में 12.21 हजार टन, 65-66 में 13.69 लाख मीट्रिक टन, 74-75 में 14.38 लाख मीट्रिक टन, 76-77 में 14.72 और 83-84 में 17.27 लाख मीट्रिक टन था। इस तरह से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रतिशत 30 परसेंट हुआ। तो मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक रूप नीति न होने के कारण चीनी उद्योगपतियों को, उपभोक्ताओं को, गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों सबको शोषण करने की खुली छूट मिलती है। इस तरह से देश की राजनीति और सरकार को भी यह पूंजीपति प्रभावित करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी, आप चर्चा के उद्देश्य को सीमित समय में अपनी बात कह लें क्योंकि यह पौन घंटे की चर्चा है और इसमें कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। इसलिए आपका जो चर्चा का उद्देश्य हो, उसको सामने रखते हुए अपनी बात समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

खलीलाबाद, वाल्टरगंज, आनन्द शुगरमिल के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था और मैं उस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी है कि उन उद्योगपतियों ने डंके की चोट पर मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब तो हम 8 आने में बेचने वाले हैं जबकि पहिले एक रु0 में बेंच रहे थे तो उन्हों ने कहा कि हम तो 8 आने में बेचेंगे, हिम्मत हो तो खरीद लीजिये। यह उद्योगपति इस सरकार को कुछ समझते नहीं हैं। इस तरह से शुगर मिल शाहगंज पर करीब 94 लाख रु0 का मिल पर गन्ना किसानों का बकाया है। मजदूरों के वेतन का बकाया है और पिछले दो महीने से 1200 मजदूर वहां पर अनशन, धरना वगैरह कर रहे हैं लेकिन उस मिल के ऊपर इस सरकार के एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का वरद्हस्त है और वह हर तरह का संरक्षण दे रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग का एक विवरण मैं आपको देना चाहूंगा, जो सरकारी गन्ना विभाग की तरफ़ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 30 जून को जो गन्ना मूल्य का देय बकाया था वह 81-82 में 451.98 करोड़ रुपये था, भुगतान हुआ 364 08 करोड़ और अवशेष बचा 87.90 करोड़। इसी तरह 82-83 में बकाया 426.33 करोड़ भुगतान हुआ 295.48 करोड़ और अवशेष बचा 130 85 करोड़। इसी तरह 83-84 में देय था 381.98 करोड़ भुगतान हुआ 296.31 करोड़ और अवशेष बचा 85.67 करोड़। 84-85 में, 30-6-85 तक है बकाया 329.21 करोड़, भुगतान हुआ 308.07 करोड़, अवशेष 21.14 करोड़ और प्रतिशत 6.42। इसी तरह से 30 सितम्बर तक की फीगर दी हुई है जो क्रमशः इस प्रकार है। 460.63 करोड़, 424.41 करोड़, 46.23 करोड़, 9.82 व 0.99। 82-84 का 430.36 करोड़, 353 करोड़, 77.36 करोड़, 17.98 0.21, फिर 83.84 की 381.93, 357.33, 24.65, 6.45 व 0.14। तो इस तरह से मान्यवर, इन पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं रह गया है और तमाम आश्वासनों के बावजूद लगातार किसानों का बकाया अगर इन मिलों पर बढ़ गया है।

सदन में गणपूर्ति का अभाव होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, इस समय हाउस में कोरम नहीं है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसको दिलाने के लिये यह सरकार कुछ नहीं कर सकी है। इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर यह मिल मालिकों के लोग इस तरह से चर्चा में बाधा डाल रहे हैं, यह बड़े खेद का विषय है.....

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी सवाल उठ चुका है, इसलिये घंटी बजानी है। अब आप बैठें।

श्री प्रदीप माथुर--

मेरा कोरम के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

पिछली बार भी यही हुआ था, यह लोग इस चर्चा में सदन छोड़कर भाग गये थे और चर्चा रुक गई थी।

श्री प्रदीप माथुर--

मान्यवर, यह हाउस कैसे-चल सकता है अब, कोरम बिल्कुल नहीं है, सदन नहीं चल सकता है।

(गणपूर्ति हेतु--घंटी बजाई गई।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

इस समय जब कोरम नहीं है, आपका कहा हुआ नहीं लिखा जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आप सदन के दरवाजे बन्द करवाकर कोरम दिखवा लीजिए, यह है।

श्री गौरीशंकर भइया--

यह लाबी भी सदन का भाग है...

श्री अधिष्ठाता--

लावी का नहीं, सदन का कोरम होता है। अब आप कहें कि सदन के चारों ओर लोग हैं तो यह कैसे हो सकता है।

श्री रामसरन--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

देखिए यह कुछ नहीं लिखा जायगा। घंटीवजी रही है, कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये, कुछ नहीं लिखा जायगा और यों मुझे भी नहीं बोलना चाहिये, वह भी नहीं लिखा जायगा।

(कोरम की घंटी बजती रही।)

श्री माता प्रसाद पांडेय--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

[* * *]

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

[* * *]

श्री जयदीप सिंह बरार--

[* * *]

श्री माता प्रसाद पांडेय--

[* * *]

(5 मिनट तक घंटी बजते रहने और कोरम पूरा न होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है, इसलिये हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र, शुक्ल

सचिव, विधान सभा

4 सितम्बर, 1985। उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी :--[**]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 20–21 पर)

आरोपों का संक्षिप्त विवरण

(1) कूप संख्या 220 ए0वी0 के पम्प की मरम्मत मौके पर नहीं की गयी किन्तु मिस्त्री तथा जे0ई0 ने केवल कागजात में फर्जी मरम्मत दिखाकर सरकारी राजस्व का भारी गबन किया है।

(2) जे0 ई0 ने कूप संख्या 220 ए0बी0 तथा 223 ए0बी0 का निकास क्रमशः फसल खरीफ (39) तथा 1392 और फसल खरीफ एवं रबी 1391 व खरीफ 1392 मौके पर जाकर नहीं नापा था जिससे राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी।

(3) कूप संख्या 220 ए0 बी0 तथा 223 ए0 बी0 को चालू करने के लिये श्री यज्ञपाल मिस्त्री द्वारा रिश्वत की मांग करना।

(4) उक्त नलकूपों को चलाने में विलंब करके श्री यज्ञपाल मिस्त्री ने सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचायी।

(5) उक्त मिस्त्री द्वारा कूप संख्या 223 ए0बी0 की किवाड़ों का चोर ताला काटना।

(6) कूप संख्या 223 ए0 बी0 का ताला काटकर और कूप का नियंत्रण कूप चालक से हटाकर कृषकों से भ्रष्टाचार युक्त साज करके कृषकों के नियंत्रण में देना तथा खिलाफ बारबन्दी चलाने का हुक्म देना।

(7) दिनांक 3–11–84 को उक्त नलकूप पर चोर ताला फिट कराने का व्यय रु0 8.00 तथा मजदूरी रु0 10.00 का भुगतान न कराना।

(8) कथित मिस्त्री तथा जे0ई0 द्वारा कार्य पर कराये ये व्यय का 50 प्रतिशत फर्जी होना।

(9) श्री यज्ञपाल मिस्त्री द्वारा अपना निवास पता फर्जी लिखाना।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25-26 पर)

क्र0 सं0	ट्रेड यूनियन का नाम	वर्ष 1982 रिटर्न के आधार पर सदस्यता	केन्द्रीय महासंघों से सम्बद्धता
1	2	3	4
1	एसोसियेटिड ट्यूबवेल मजदूर यूनियन मोदीनगर गाजियाबाद।	49	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित अंकित नहीं है।
2	यू0पी0आई0एल0 श्रमिक संघ लखनऊ	366	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
3	उ0प्र0 पाताल कूप कर्मचारी संघ कानपुर	25	आई0एन0टी0यू0सी0
4	इरीगेशन वर्कशाप वर्कर्स यूनियन बरेली	219	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
5	रामगंगा परियोजना मजदूर संघ, बिजनौर	463	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
6	इरीगेशन डिपार्ट इम्पलाईज यूनियन देहरादून।	475	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
7	सिचाई वर्कशाप कर्मचारी संघ मेरठ ..	281	एच0एम0एस0
8	माता टीला सिचाई योजना कर्मचारी संघ झांसी।	70	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
9	राष्ट्रीय श्रमिक संघ राजकीय सिचाई उद्योग शाला झांसी।	166	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
10	इरीगेशन इंजीनियरिंग वर्कशाप कर्मचारी यूनियन, कानपुर	50	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
11	उ0प्र0 सिचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी परिषद् वाराणसी।	748	बी0एम0एस0
12	बंगा परियोजना कर्मचारी यूनियन उत्तर काशी।	91	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है।
13	सिचाई विभाग वर्कचार्ज कर्मचारी संघ उ0प्र0, लखनऊ।	15450	बी0एम0एस0

विधान सभा

1	2	3	4
14	सिचाई एवं बांध परियोजना कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	2575	आई0एन0टी0यू0सी0
15	वाराणसी सर्किल सिचाई कर्मचारी संघ गाजीपुर ।	440	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है ।
16	यू0पी0आई0एल0 कर्मचारी संघ, लखनऊ	307	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है ।
17	प्रान्तीय सिचाई एवं बांध योजना श्रमिक महा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	75	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है ।
18	राजकीय सिचाई मजदूर यूनियन, बरेली	90	वार्षिक विवरण पत्र में अंकित नहीं है ।
19	सिचाई मजदूर संघ, आगरा	15386	बी0एम0एस0
20	यू0पी0आई0एल0 इम्प्लाईज यूनियन, लखनऊ ।	392	बी0एम0एस0
21	राजकीय सिचाई विभाग कार्यशाला संघ रुड़की, सहारनपुर ।	100	पंजीयन प्रार्थना पत्र में दी गयी सदस्यता सूची के आधार पर ।
22	उ0प्र0 नलकूप निगम कर्मचारी संगठन आगरा वर्ष 1984 के वार्षिक विवरण पत्र के आधार पर ।	285	बी0एम0एस0
23	उ0प्र0 नलकूप निगम कर्मचारी यूनियन गोरखपुर ।	156	पंजीयन प्रार्थना पत्र में दी गई सदस्यता सूची के आधार पर ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

संलग्नक—1

स्थायी आदेश की धारा—7

इन आदेशों में जब कि कोई बात इनके विषय या संदर्भ के विपरीत न हो :—

(क) "श्रमिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति (प्रशिक्षणार्थी को सम्मिलित करते हुये) से है जो इस औद्योगिक अधिष्ठान में कुशल अथवा अकुशल, हाथ का पर्यवेक्षकीय, प्राविधिक अथवा लिपिकीय कार्य के लिये भाड़े पर अथवा पारितोषिक पर नियोजित किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्ट या ध्वनित हो, परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है :—

1—जो मुख्य रूप से प्रबन्ध संबंधी अथवा प्रशासकीय क्षमता के लिये नियोजित किया गया हो, अथवा

2—जो पर्यवेक्षिकीय क्षमता में नियोजित होते हुये पांच सौ रुपये से अधिक मासिक वेतन पाता हो अथवा चाहे अपने कार्य की प्रकृतिवश जो कार्यालय से संबद्ध हो, अथवा उन अधिकारों की वजह से उसमें निहित हो विशेष रूप से प्रबन्धात्मक ढंग से ही कार्य करता हो।

धारा-11 (प्रोन्नति)

(क) श्रमिकों को प्रोन्नति बिना भेदभाव उनकी ज्येष्ठता एवं योग्यता के हितप्रद स्तर पर यथावत विचार करके प्रदान की जायगी।

संलग्नक—2

बाद बिन्दु सं0—10

"क्या सेवायोजकों द्वारा प्रतिष्ठान में रिक्त स्थानों की पूर्ति विज्ञापन के आधार पर की जा रही है ? यदि नहीं तो यह व्यवस्था किस विवरण के साथ लागू की जाय ?"

श्रमिक पक्ष का कथन है कि प्रतिष्ठान में रिक्तियों को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा संघ को सूचित किया जाय और एक प्रतिलिपि समस्त श्रमिकों के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर लगाई जाय। सेवायोजकों ने अपने लिखित कथन में कहा है कि वह दि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटीफिकेशन आफ वैकेन्सीज ऐक्ट 1959 का अनुपालन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत पहले सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे जाते हैं और उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर रिक्तियां विज्ञापित की जाती हैं किन्तु साथ ही श्रमिक पक्ष के उपरोक्त सुझाव के अनुसार प्रतिष्ठान में कार्यरत यूनियनों को एवं नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों की सूचना देने में सेवायोजकों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अतएव भविष्य में तदनुसार कार्यवाही की जाय।

वाद बिन्दु संख्या—11

"क्या सेवायोजकों द्वारा रिक्ति स्थानों की पूर्ति के लिये प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है तथा भर्ती पक्षपात पूर्ण ढंग से की जाती है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था किस विवरण के साथ रोकी जाय ? क्या इस प्रकार से की गई नियुक्तियां निरस्त भी की जायं ?"

श्रमिक पक्ष का कथन है कि विभागीय प्रमोशन में किसी प्रमाणित नीति का पालन नहीं किया जाता है और कार्यरत श्रमिकों को अनियमित ढंग से कार्य करने का अवसर दिया जाता है अतएव सीनियारिटी के आधार पर सेवा करने का अवसर दिया जाय। चूंकि प्रतिष्ठान में बड़ी संख्या में शिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं अतएव उन्हें ही विभागीय पदोन्नति प्रदान करके रिक्तियों को भरा जाय। सेवायोजकों ने अपने लिखित कथन में यह कहा है कि यह वाद बिन्दु सामान्य प्रकार क एवं अस्पष्ट है। उनके अनुसार प्रतिष्ठान में सभी नियुक्तियां

भर्ती के सर्वमान्य सिद्धान्तों के अनुसार की गई। अतएव उनके निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता है और न इस प्रकार का प्राविधान स्थायी आदेशों में ही है। यदि श्रमिक पक्ष का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है तो इससे अनेक विवाद एवं औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न होंगे। यद्यपि श्रमिक पक्ष में अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं किन्तु प्रतिष्ठान में भर्ती के व्यवस्था में कोई गलतफहमी श्रमिक पक्ष को न हो इसके लिये यह उचित होगा कि वाद बिन्दु 10 के संबंध में दिये गय निर्णय के अनुसार प्रतिष्ठान में कार्यरत यूनियनों तथा नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी रिक्तियों की सूचना दी जाय यदि प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक किसी उच्च पद के लिये अन्य प्रकार से पात्र एवं उपयुक्त हो तो उसे नियुक्ति में वरीयता देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अतएव भविष्य में की जाने वाली नियुक्तियों में तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिय। वर्ष 1980 एवं 1981 में की गई नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं, इसकी भी छानबीन कम्पनी के प्रबन्ध संचालन द्वारा कर लिया जाना उचित होगा।

कार्यालय पदेश्वर

नत्थी "घ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 60 पर)

संकल्प

"यह सदन विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबंध संबंधी विषयों पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की आवास संबंधी संयुक्त समिति के गठन के संबंध में यह संकल्प करता है कि :--

1--राज्य बिधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाय जो "आवास संबंधी संयुक्त समिति" कहलाये और जिसमें 15 सस्दय हों जिसमें से 9 सदस्य विधान सभा के और 6 सदस्य, विधान परिषद् के होंगे। समिति अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित होगी किन्तु, समिति में विधान परिषद् के सदस्य वह होगे जिनको सभापति, विधान परिषद् नाम निर्देशित करें। समिति के सभापति चक्रानुक्रम में एक वर्ष उपाध्यक्ष, विधान सभा तथा दूसरे वर्ष उप सभापित, विधान परिषद् रहेंगे। किन्तु पदरिक्त रहने की दशा में समिति के सभापति यथा स्थिति, अध्यक्ष, विधान सभा या सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

2--उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होगें :--

(1) विधान मण्डल के सदयों एवं कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास प्रबन्ध संबंधी सब विषयों पर कार्यवाही करना, तथा

(2) विधायकों के निवास स्थानों पर अथवा अन्य स्थानों पर जहां विधान मण्डल की समितियों के उपवेशन किये जायें, आवास संबंधी तथा अन्य सुविधायें जो सदयों को प्राप्त हों, उनकी देखभाल करना।

3--इस समिति का कार्य परामर्श देना होगा। समिति की सिफारिश अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत की जायेगी। अध्यक्ष उन्हें शासन के संबंधित विभाग को अपने विचार प्रकट करने के लिये भेजेगें। शासन के संबंधित विभाग के विचार प्राप्त हो जाने पर अध्यक्ष, सिफारिशों पर सभापति, विधान परिषद् से परामर्श करके ऐसे परिवर्तनों के साथ जिन्हें वे उचित समझे, अन्तिम आदेश देंगे :--

परन्तु अध्यक्ष यदि चाहें तो सिफारिशों को उन अभ्युक्तियों के साथ जिन्हें वे आवश्यक समझे पुनर्विचार के लिये समिति को वापस भेज सकेंगे:--

परन्तु यह भी कि यदि किसी सिफारिश में अतिरिक्त व्यय अंतर्गत हों, तो अध्यक्ष, संबंधित मंत्री से भी परामर्श करने के बाद उस पर अन्तिम आदेश देंगे।

4--समिति की कार्यालय आदि संबंधी समस्त व्यवस्था विधान सभा सचिवालय करेगा।

5--अन्य विषयों के संबंध में उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय 16 में दिये गये समितियों की प्रक्रिया के सामान्य नियम इस समिति पर उन अनुकूलनों एवं परिष्कारों के साथ लागू होगे जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें।

6--इस संकल्प के अधीन उक्त संयुक्त समिति के गठन के दिनांक से विधान सभा एवं विधान परिषद् की तद्विषयक पृथक-पृथक समितियां समाप्त हो जायेगी।

यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि विधान सभा कृपया इस संकल्प पर अपनी सहमति प्रदान करें।"

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 59 वि0 सभा--20-1-86-(3315) 1986-813 (प्रो0)।